



सिंगरौली विकास योजना 2031



संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश

fl xj[®]yh
विकास योजना
2031

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973
के प्रावधानान्तर्गत प्रकाशित



संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश

प्रस्तावना

रीवा राजस्व संभाग का जिला मुख्यालय नगर सिंगरौली, संभागीय मुख्यालय से 186 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह नगर जबलपुर, कटनी, चौपन मिर्जापुर आदि नगरों से रेलमार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है, तथा इलाहाबाद, मिर्जापुर, ब्यूहारी, शहडोल व रीवा से सड़क मार्ग से इस नगर का सम्पर्क स्थापित है। सिंगरौली, जिला कोयला उत्खनन एवं ताप विद्युत से संबंधित भारत सरकार के उपक्रमों का मुख्यालय है। इस क्षेत्र में कोयले के विपुल भण्डार, वन संपदा एवं प्रचुर मात्रा में जल संसाधन उपलब्ध हैं। यहाँ से कोयले का निर्यात देश के विभिन्न ताप संयंत्रों को किया जाता है।

सिंगरौली नगर औद्योगिक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2031 की आवश्यकताओं को आधार मानकर सुनियोजित विकास योजना के प्रस्ताव सृजित किये गये हैं। इन योजना प्रस्तावों में नगर के अनुरूप आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक, सार्वजनिक उपयोगिताएँ एवं सेवायें, आमोद-प्रमोद, यातायात एवं परिवहन के साथ ही नगर की अद्योसंरचना के प्रस्ताव दिये गये हैं। यह योजना वर्ष 2031 की अनुमानित जनसंख्या 8.00 लाख को आधार मानकर तैयार की गई है, एवं तदनुसार ही यातायात एवं अद्योसंरचना के उन्नयन को भी ध्यान में रखा गया है।

सिंगरौली विकास योजना 2031 मध्य प्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-26-2014 बत्तीस दिनांक 16/3/2015 के द्वारा अनुमोदित की जाकर मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 27/03/2015 से प्रभावशील है।

मुझे आशा है कि इस विकास योजना के क्रियान्वयन में समस्त क्रियान्वयन संस्थाएँ एवं नागरिक गण अपना सहयोग प्रदान कर नगर को उसके स्वरूप के अनुरूप विकसित करने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे।


(स्वाति मीणा नायक)
संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
भोपाल मध्य प्रदेश

; kst uk&ny

अपर संचालक

ch- , u- f=i kBh

संयुक्त संचालक

MkW vfer xtf0;

tsi h- fl g

सहायक संचालक

, l -d€ j\$lokj

banq f=i kBh

कर्मचारीगण

l h-, l - fl g

t; Ur 'khy

txnh'k fl g

, -d€i k. Mš

vkj-l h- [kjs

vyh bfy; kl [kku

gh- i h- 'kØyk

c) nØ fl g

l o"Rre pçs

çdk'k dekj fo'odekz

vjfon l DI \$uk

Jherh ekuk oekz

l ož k fi fM; k

मेपकास्ट के अधिकारी

MkWfoosd dVkjš

n; kjke jkti r

euH"k frokjH

विषय—सूची

| | |
|--|-------------|
| प्रस्तावना | I |
| योजना दल | III |
| विषय सूची | V |
| सारणी सूची | VIII |
| मानचित्र की सूची | X |
| अध्याय—1 नियोजन दृष्टिकोण | 1—7 |
| 1.1 नियोजन एवं विकास संदर्भ | 1 |
| 1.2 क्रियान्वयन परिदृश्य | 1 |
| 1.3 सिंगरौली विकास प्राधिकरण का गठन | 2 |
| 1.4 योजना क्रियान्वयन का मूल्यांकन | 2 |
| 1.5 अधिनियम की धारा 23—क (1) के अंतर्गत उपांतरण | 6 |
| 1.6 विकास योजना 2031 की अवधारणा | 7 |
| अध्याय—2 विकास परिदृश्य एवं प्रस्तावित नगरीय संरचना | 9—49 |
| 2.1 क्षेत्रीय एवं उपक्षेत्रीय संदर्भ | 9 |
| 2.2 व्यवसायिक संरचना | 9 |
| 2.3 निवेश क्षेत्र | 10 |
| 2.4 जनसंख्या परिवर्तन | 16 |
| 2.5 नगर पालिक निगम क्षेत्र | 18 |
| 2.6 सिंगरौली विकास प्राधिकरण की योजनायें | 18 |
| 2.7 योजना कालावधि | 18 |
| 2.8 नगर के मुख्य कार्यकलाप | 28 |
| 2.9 नियोजन अवधारणा | 28 |
| 2.10 प्रस्तावित भूमि उपयोग भू—आवंटन 2031 | 29 |
| 2.11 आवासीय | 30 |

| | |
|--|---------------|
| 2.12 आवासीय परिदृश्य | 30 |
| 2.13 वाणिज्यिक क्षेत्र | 36 |
| 2.14 औद्योगिक | 41 |
| 2.15 सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक/सेवा सुविधायें | 43 |
| 2.16 आमोद-प्रमोद | 44 |
| 2.17 पिकनिक स्थल | 45 |
| 2.18 नगरीय ग्राम | 46 |
| 2.19 असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग | 46 |
| 2.20 जल स्रोतों का विकास एवं संरक्षण | 47 |
| अध्याय-3 प्रस्तावित यातायात संरचना एवं नगरीय अधोसंरचना | 51-64 |
| 3.1 प्रस्तावित यातायात संरचना | 51 |
| 3.2 यातायात की वर्तमान स्थिति | 51 |
| 3.3 प्रस्तावित यातायात एवं परिवहन संरचना | 53 |
| 3.4 यातायात के प्रस्ताव | 53 |
| 3.5 नगरीय अधोसंरचना | 61 |
| 3.6 अन्य सेवायें एवं सुविधायें | 63 |
| अध्याय-4 विकस नियमन | 65-200 |
| 4.1 प्रवृत्तशीलता | 65 |
| 4.2 क्षेत्राधिकार | 65 |
| 4.3 परिभाषायें | 66 |
| 4.4 भूमि उपयोग परिक्षेत्र | 67 |
| 4.5 आवासीय भूखण्डीय विकास के नियमन | 69 |
| 4.6 विकसित क्षेत्रों के मध्य उपलब्ध भूमियों/भूखंडों पर अपार्टमेंट हाउसिंग के नियमन | 70 |
| 4.7 समूह आवास हेतु नियोजन मापदण्ड | 71 |
| 4.8 12.5 मीटर एवं उससे ऊँचे भवनों संबंधी नियमन | 71 |

| | |
|--|----------------|
| 4.9 वाणिज्यिक क्षेत्र | 71 |
| 4.10 औद्योगिक परिक्षेत्र | 74 |
| 4.11 अन्य सुविधायें | 74 |
| 4.12 यातायात नगर/मैकेनिक नगर के मानक | 74 |
| 4.13 उपयोग परिक्षेत्रों में स्वीकृत उपयोग | 75 |
| 4.14 वर्तमान विकसित क्षेत्र हेतु विकास नियमन | 196 |
| 4.15 सामान्य अभिशंसाएं | 200 |
| अध्याय-5 विकास योजना क्रियान्वयन | 201-210 |
| 5.1 विकास योजना का क्रियान्वयन | 201 |
| 5.2 योजना क्रियान्वयन की नीति | 202 |
| 5.3 पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम | 203 |
| 5.4 नगरी अधोसंरचना एवं सेवा योजना | 203 |
| 5.5 योजना एवं कार्यक्रम | 205 |
| 5.6 प्रथम चरण कार्यक्रम | 206 |
| 5.7 योजना पर्यावेक्षण तंत्र | 208 |
| 5.8 योजना की व्याख्या | 209 |
| परिशिष्ट | 211-215 |
| परिशिष्ट-1 निवेश क्षेत्र गठन | 211 |
| परिशिष्ट-2 भूमि उपयोग अंगीकरण | 212 |
| परिशिष्ट-3 निवेश क्षेत्र वृद्धि | 213 |
| परिशिष्ट-4 राजपत्र प्रकाशन सुचना | 215 |

I kj . kh I pph

| | पृष्ठ संख्या |
|--|--------------|
| 1-सा-1 क्रियान्वयन की स्थिति 2012 | 2 |
| 1-सा-2 नगर निगम सीमा में स्थित आवासीय एवं व्यवसायिक भूखंड | 3 |
| 1-सा-3 सिंगरौली विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना (पंजरेह) | 4 |
| 1-सा-4 म.प्र. गृह निर्माण मण्डल द्वारा प्रारंभ आवासीय/व्यवसायिक योजनायें | 4 |
| 2-सा-1 व्यवसायिक संरचना | 9 |
| 2-सा-2 निवेश क्षेत्र | 11 |
| 2-सा-3 जनसंख्या वृद्धि | 17 |
| 2-सा-4 अनुमानित जनसंख्या | 17 |
| 2-सा-5 नार्दन कोल फील्ड्स लिमिटेड सिंगरौली कोल धारित क्षेत्र | 19 |
| 2-सा-6 नार्दन कोल फील्ड्स लिमिटेड सिंगरौली कोयला उत्खनन | 19 |
| 2-सा-7 विन्ध्याचल थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट | 20 |
| 2-सा-8 विन्ध्याचल थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट (उत्पादन) | 21 |
| 2-सा-9 उद्योग | 23 |
| 2-सा-10 तकनीकी संस्थान | 26 |
| 2-सा-11 वाणिज्यिक प्रतिष्ठान | 27 |
| 2-सा-12 व्यवसायिक परिसर | 27 |
| 2-सा-13 भूमि आवंटन वर्ष 2031 | 30 |
| 2-सा-14 आवासीय घनत्व | 31 |
| 2-सा-15 नगर पालिक निगम सिंगरौली द्वारा चिन्हित गंदी बस्तियां | 33 |
| 2-सा-16 आवासों की कमी | 34 |
| 2-सा-17 अनुमानित परिवार एवं आवास आवश्यकता 2031 | 34 |
| 2-सा-18 वाणिज्यिक नवीन | 37 |

| | | |
|---------|--|-----|
| 2-सा-19 | स्थानीय निकायों द्वारा प्रस्तावित वाणिज्यिक योजना | 40 |
| 2-सा-20 | असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग की पुनर्स्थापना एवं रिक्त भूमि का उपयोग | 47 |
| 2-सा-21 | जलाशयों का विकास | 48 |
| 3-सा-1 | तीव्रगति वाहनों की संख्या | 52 |
| 3-सा-2 | प्रस्तावित प्रमुख मार्गों की चौड़ाई | 54 |
| 3-सा-3 | मार्ग सेक्शन | 57 |
| 3-सा-4 | विद्युत खपत | 62 |
| 4-सा-1 | उपयोग परिक्षेत्र | 68 |
| 4-सा-2 | आवासीय भूखण्ड विकास नियमन | 70 |
| 4-सा-3 | वाणिज्यिक उपयोग परिक्षेत्र के अभिन्यास हेतु नियमन | 72 |
| 4-सा-4 | उपविभाजित वाणिज्यिक भूखण्डों हेतु नियमन | 72 |
| 4-सा-5 | यातायात/मैकेनिक नगर के मानक | 74 |
| 4-सा-6 | यातायात नगर में सुविधाओं के मापदण्ड | 75 |
| 4-सा-7 | उपायोग परिक्षेत्रों में उपयोग परिसरों की अनुमति | 76 |
| 4-सा-8 | नियोजन मापदण्ड एवं अन्य नियंत्रण | 80 |
| 4-सा-9 | मुख्य उपयोग परिसरों में अतिरिक्त संचालित की जाने वाली गतिविधियों के मानक | 117 |
| 4-सा-10 | आवासीय विकास हेतु भूखण्ड का आकार एवं निर्मित क्षेत्र | 197 |
| 4-सा-11 | वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र में मार्गों की चौड़ाई एवं फर्शी क्षेत्रानुपात | 198 |
| 4-सा-12 | सार्वजनिक तथा अर्द्ध सार्वजनिक हेतु विकस नियमन | 199 |
| 5-सा-1 | योजना क्रियान्वयन लागत 2031 | 201 |
| 5-सा-2 | प्रथम चरण के विकास संबंधी घटक | 206 |
| 5-सा-3 | प्रथम चरण – लागत | 207 |

मानचित्रों की सूची

| क्र. | शीर्षक | पृष्ठ संख्या |
|------|---------------------------|--------------|
| 1. | निवेश क्षेत्र | 12 अ |
| 2. | वर्तमान भूमि उपयोग | 32 अ |
| 3. | वर्तमान परिभ्रमण संरचना | 54 अ |
| 4. | प्रस्तावित यातायात संरचना | 54 अ |
| 5. | विकास योजना | 58 अ |
| 6. | प्रथम-चरण | 206 अ |

नियोजन दृष्टिकोण

1.1 नियोजन एवं विकस संदर्भ

नगर नियोजन एक सतत प्रक्रिया है, जिससे नगर नियोजन के सिद्धांतों के अनुरूप नियोजन की सतत प्रक्रिया द्वारा क्षेत्रीय एवं स्थानीय संदर्भ में नगर के विभिन्न आयामों में विकास के दबाव को दृष्टिगत रखते हुए नगरवासियों के आर्थिक विकास एवं उन्नयन जीवन स्तर प्राप्ति की अपेक्षा की जाती है। मध्यप्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थिति सिंगरौली के औद्योगिक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए निवेश क्षेत्र की प्रथम विकास योजना वर्ष 2011 की अनुमानित जनसंख्या एवं भावी आवश्यकताओं के आधार पर तैयार कर वर्ष 2004 में प्रकाशित की गई थी, जो मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-78/2004/32 दिनांक 4.5.2005 के द्वारा अंगीकृत होकर सूचना के म.प्र. राजपत्र भाग-1 क्रमांक 823, दिनांक 20.5.2005 में प्रकाशन के दिनांक से लागू की गई है।

विकास योजना 2011 के उद्देश्य एवं लक्ष्य

1. निवेश क्षेत्र में स्थित बसाहटों में परस्पर कार्य के निष्पादन हेतु अधोसंरचना का विकास।
2. बरगवां का औद्योगिक केन्द्र के रूप में विकास।
3. मोरबा बसाहट को उत्खनन क्षेत्र से पृथक हरित पट्टी रखते हुए स्वतंत्र इकाई के रूप में विकसित करना।
4. बैढन को प्रमुख वाणिज्यिक, औद्योगिक तथा प्रशासनिक केन्द्र के रूप में विकसित करना।
5. विलौजी, भटवा तथा पोड़ी को ग्रामीण सेवा केन्द्र के रूप में विकसित करना जिससे उनके प्रभाव में आने वाले संस्पर्शीय क्षेत्र भी लाभान्वित हो सकें।
6. निवेश क्षेत्र में अंतर बसाहट मार्ग संरचना का प्रावधान करना।
7. बेहतर संपर्क के लिये बरगवां और बैढन को एक सहायक रेल लाइन के द्वारा जोड़ना।
8. क्षेत्रीय तथा स्थानीय जनसंख्या की आवश्यकता की आपूर्ति के लिये विभिन्न स्तर के कार्य पुंजक विकसित करना।
9. बैढन को एक स्वतंत्र नगरीय इकाई के रूप में विकसित करना।
10. कोयला उत्खनन तथा ऊर्जा उत्पादन के कारण होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करना।

1.2 क्रियान्वयन परिदृश्य

सिंगरौली निवेश क्षेत्र में नगरपालिक निगम, सिंगरौली, ग्रामीण क्षेत्र सिंगरौली, देवसर तहसील, चितरंगी तहसील आदि के अंतर्गत आने वाली ग्रामीण बसाहटें (ग्राम) सम्मिलित हैं। सिंगरौली विकास योजना के क्रियान्वयन का मुख्य दायित्व नगरपालिक निगम, सिंगरौली, विकास प्राधिकरण एवं अन्य संस्थाओं का है। इन संस्थाओं द्वारा विकास योजना के क्रियान्वयन में आंशिक सहभागिता का निर्वहन किया गया है। योजना क्रियान्वयन की गति शिथिल रहने का मुख्य कारण विकास योजना के लागू होने के पश्चात् म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 38(1) के अंतर्गत सिंगरौली नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी का तत्समय गठन न होना, निवेश क्षेत्र के अंतर्गत जो विकास परिलक्षित हो रहा है वह निजी व्यक्तियों एवं निजी संस्थाओं के द्वारा किया

गया है। साथ ही योजना क्रियान्वयन हेतु वित्तीय संसाधनों का पर्याप्त रूप से समय पर उपलब्ध न होना तथा योजना क्रियान्वयन हेतु सतत पर्यवेक्षण एवं वार्षिक योजनायें तैयार न करना भी रहा है। इस प्रकार विकास योजना का पर्याप्त क्रियान्वयन न होने से उसके उद्देश्यों की प्राप्ति अपेक्षानुरूप नहीं हो सकी।

1.3 सिंगरौली विकास प्राधिकरण का गठन

सिंगरौली के भावी विकास की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए म.प्र. शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-29/10/32-1 दिनांक 4.1.2011 के द्वारा म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 38(1) के प्रावधान अनुसार सिंगरौली नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी की स्थापना की गई है। विकास योजना के प्रस्तावों के क्रियान्वयन का मुख्य दायित्व भविष्य में नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकारी का है।

1.4 योजना क्रियान्वयन का मूल्यांकन

सिंगरौली निवेश क्षेत्र में समाविष्ट 53754.66 हेक्टेयर भूमि में से विकास योजना 2011 में 7263.00 हेक्टेयर क्षेत्र में विकास के प्रस्ताव दिये गये थे तथा उक्त प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु रुपये 82373.50 लाख का व्यय होना अनुमानित था। विकास योजना क्रियान्वयन की स्थिति का भू-उपयोगवार विवरण सारणी 1-सा-1 में दिया गया है।

सिंगरौली : क्रियान्वयन की स्थिति-2012

1-सा-1

| क्र. | भूमि उपयोग | अनुमोदित विकास योजना 2011 में आवंटित भूमि (हेक्टेयर में) | विकसित क्षेत्र 2012 (हेक्टेयर में) | उच्चावचन (+)(-) | क्रियान्वयन का प्रतिशत |
|------|---|--|------------------------------------|-----------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आवासीय | 3637.00 | 2470.00 | -1167.00 | 67.91 |
| 2. | वाणिज्यिक | 342.00 | 88.00 | -254.00 | 25.73 |
| 3. | औद्योगिक | 589.00 | 2700.00 | +2111.00 | 458.40 |
| 4. | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक उपयोगितायें | 744.00 | 195.00 | -549.00 | 26.21 |
| 5. | आमोद-प्रमोद | 435.00 | 119.00 | -316.00 | 27.36 |
| 6. | यातायात एवं परिवहन | 1516.00 | 651.00 | -865.00 | 42.94 |
| | योग | 7263.00 | 6223.00 | +1040.00 | 85.68 |

नोट : नगरीय क्षेत्र के साथ वृद्धित निवेश क्षेत्र में सम्मिलित ग्राम के विकसित क्षेत्र को भी सम्मिलित किया गया है।

सिंगरौली विकास योजना 2011 में 7263.00 हेक्टेयर भूमि का विकास विभिन्न उपयोगों हेतु किया जाना प्रस्तावित था, जिसमें से समग्ररूप से लगभग 85.68 प्रतिशत तक क्रियान्वयन हुआ है, किन्तु प्रस्तावित भू-उपयोगों के अनुरूप निर्धारित स्तर तक क्रियान्वयन नहीं हो सका है। मात्र औद्योगिक उपयोग के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर की नवीन कम्पनियों की स्थापना एवं स्थापना की संभावना के कारण औद्योगिक क्षेत्र में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। विभिन्न भू-उपयोगों के अंतर्गत विकास का विवरण निम्नानुसार है—

1.4.1 आवासीय

विकास योजना 2011 में 3637.00 हेक्टेयर भूमि आवासीय क्षेत्र में विकसित करना प्रस्तावित था, जिसमें से वर्ष 2012 में किये गये अद्यतन सर्वेक्षण अनुसार 2470.00 हेक्टेयर भूमि का आवासीय विकास हुआ है। निवेश क्षेत्र में प्रमुखतः खण्ड स्तरीय विकास हुआ है, इसमें विकसित कॉलोनियों में बिलौजी, माजन खुर्द कॉलोनी आदि प्रमुख हैं। शहरी गरीबों हेतु आई.एच.एस.डी.पी. योजनांतर्गत रुपये 733.33 लाख से मोरबा में 200 एवं बैढ़न में 100 आवास निर्माणाधीन हैं। बैढ़न के आवास पूर्णता की ओर हैं, मोरबा के 200 आवास शीघ्र ही पूर्ण किये जाने की संभावना है।

नगर निगम सीमा में स्थित आवासीय एवं व्यवसायिक भू-खण्ड

1-सा-2

(01) राजस्व जोन बैढ़न –

| क्रमांक | सम्पत्तियों का विवरण | कुल | आवंटित |
|---------|----------------------|-----|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | भू-खण्ड | 760 | 565 |
| 2 | दुकान | 885 | 700 |
| 3 | एल.आई.जी. आवास | 100 | 100 |

(02) राजस्व जोन मोरबा –

| | | | |
|----|----------------|-----|-----|
| 1. | भू-खण्ड | 431 | 419 |
| 2. | दुकान | 176 | 172 |
| 3. | एल.आई.जी. आवास | 120 | 120 |

(03) राजस्व जोन नवजीवन बिहार –

| | | | |
|----|-------------------|------|------|
| 1. | भू-खण्ड | 731 | 185 |
| 2. | दुकान | 202 | 164 |
| 3. | एल.आई.जी. आवास | 120 | 120 |
| 4. | आवासीय प्लैट | 62 | 51 |
| 5. | विस्थापित भू-खण्ड | 1874 | 1784 |

सिंगरौली विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना (ग्राम पंजरेह)

1-सा-3

| क्रमांक | आवास का प्रकार | उपलब्ध भवन संख्या |
|---------|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | उच्च आय वर्ग | 89 |
| 2. | मध्यम आय वर्ग | 04 |
| 3. | निम्न आय वर्ग | 123 |
| 4. | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | 22 |
| | योग | 238 |

म.प्र. गृह निर्माण मण्डल द्वारा प्रारंभ आवासीय/व्यावसायिक योजनायें

1-सा-4

| क्रमांक | खसरा नं. | क्षेत्रफल हेक्टेयर में | निर्मित/निर्माणाधीन भवन प्रकार | संख्या |
|---------|---------------------------------|------------------------|--|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 727 से 738 तक एवं 576 से 583 तक | 8.82 एकड़ | उच्च आय वर्ग मध्यम आय वर्ग निम्न आय वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व्यवसायिक भूखण्ड | 46 42 56 75 02 |
| | | | योग | 221 |

उपरोक्त में से कुछ योजनायें पूर्ण किया जाकर शेष योजनाओं का कार्य प्रगति पर हैं।

नगर विकास का प्रमुख दबाव मुख्यतः राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य मार्ग (स्टेट हाइवे) से लगकर बरगवां, बैढ़न, विन्ध्यनगर, जयन्त, मोरबा रोड पर है। विकास योजना 2011 में केवल नगरीय समूह के विकास को सम्मिलित किया गया था, किन्तु वर्ष 2012 में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार वर्तमान विकसित क्षेत्र के संस्पर्शी ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास हुआ है, जिसका (नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र) का कुल क्षेत्रफल-2470.00 हेक्टेयर है, जिसे वर्ष 2012 में किये गये अद्यतित सर्वेक्षण के अनुसार विकसित क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया गया है, इसके अंतर्गत बरगवां, तेलाई, शासन, परसौना, बरहवा टोला, नवानगर, मुहेर, गोरबी, राजमिलान, खुटार, जरहा, आदि ग्राम शामिल हैं।

1.4.2 वाणिज्यिक

विकास योजना 2011 में वाणिज्यिक उपयोग हेतु भूमि उपयोग दर 1.24 हेक्टेयर प्रति हजार जनसंख्या के लिये 342 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई थी, जिसमें से 88.00 हेक्टेयर भूमि का विकास हुआ। योजना में विशिष्ट वाणिज्यिक विकास केन्द्रों हेतु 75.00 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई थी, जिसमें कृषि उपज मण्डी ग्राम बिलौजी में पूर्व से ही संचालित थीं जिसका विस्तार किया जाना प्रस्तावित था, इसी प्रकार नवजीवन बिहार एवं मोरबा में भी सब्जी मण्डी का विकास किया गया है, किन्तु अपेक्षा अनुरूप विकास नहीं हो सका। यातायात नगर के विकास हेतु बरगवां में बरगवां-बैढ़न मुख्य मार्ग पर 20.00 हेक्टेयर भूमि बैढ़न नगर में ग्राम हिरवाह में बायपास से संलग्न 10.00 हेक्टेयर ग्राम पंचखोरा में माजन बगीचे के समीप 5.00 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित थी, किन्तु उसका विकास नहीं हो सका तथा मोरबा नगरीय क्षेत्र में ग्राम मेढौली में 4.00 हेक्टेयर भूमि मैकेनिक नगर हेतु विकसित किया जाना प्रस्तावित है, जिसका विकास नगर निगम द्वारा किया जा रहा है।

1.4.3 औद्योगिक

उच्चकोटि का कोयला एवं जल संसाधन के अतुल भण्डार को अपने गर्भ में संजोये ऊर्जाधानी के नाम से ख्याति प्राप्त सिंगरौली में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्युत संयंत्रों से संबंधित औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के कारण नगरीय समूह में विकास हुआ है। एन.टी.पी.सी., एन.सी.एल. जैसे वृहद उद्योग पूर्व से ही संचालित हैं तथा एस्सार, सावन पावर (रिलायंस), त्रिमुला आयरन जैसे राष्ट्रीय स्तर की औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के प्रभाव से यह क्षेत्र औद्योगिक ऊर्जा राजधानी के रूप में विकसित हो रहा है। योजना 2011 में ग्राम गनियारी, कुशवई, बरगवां में औद्योगिक इकाईयों की स्थापना हेतु कुल 589.00 हेक्टेयर भूमि के विकास की परिकल्पना के आधार पर प्रस्ताव दिये गये थे, किन्तु नगर निगम क्षेत्र के बाहर तथा निवेश क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सिद्धी खुर्द एवं हरहवा में सासन पावर औद्योगिक संस्थान द्वारा 1180 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है, जिसमें 722 हेक्टेयर के अंतर्गत औद्योगिक मशीनों स्थापित की गईं व 408 हेक्टेयर भूमि भावी विकास हेतु रखी गई है तथा 237 हेक्टेयर भूमि पर आवासीय विकास किया गया है। इसी प्रकार एस्सार पावर प्लान्ट ग्राम वधौरा, कर्सुआलाल एवं नगवां में 979 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है, जिसमें 309 हेक्टेयर वर्तमान में उद्योग क्षेत्र, 484 हेक्टेयर भूमि भावी विकास हेतु, 152 हेक्टेयर आवासीय, 22 हेक्टेयर में स्कूल क्षेत्र विकसित किया गया है तथा 12 हेक्टेयर भावी आवासीय विकास हेतु सुरक्षित रखी गयी हैं। कथित उद्योगों के कारण सिंगरौली निवेश क्षेत्र के अंतर्गत सबसे अधिक औद्योगिक उपयोग 2700.00 हेक्टेयर हैं, जिसमें से लगभग 60 प्रतिशत क्षेत्र के अंतर्गत औद्योगिक संयंत्रों की स्थापना एवं 40 प्रतिशत क्षेत्र में अन्य अनुषांगिक उपयोग विकसित हो रहे हैं। उद्योग विभाग द्वारा ग्राम डगा में 66.450 हेक्टेयर भूमि को विकसित किया जाना है।

1.4.4 सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक सेवा-सुविधायें

विकास योजना 2011 में क्षेत्रीय, परिक्षेत्रीय एवं उप खण्ड स्तरीय गतिविधियों के विकास हेतु 744.00 हेक्टेयर भूमि का विकास किया जाना प्रस्तावित था, जिसमें कलेक्ट्रेट परिसर हेतु प्रस्तावित स्थल एवं उससे संलग्न कुल 15.129 हेक्टेयर का उपान्तरण कर जिला प्रशासन द्वारा विकास किया जा रहा है, इसके अतिरिक्त अन्य प्रस्तावित क्षेत्र का विकास नहीं हो सका है, जिसे भावी योजना में समाहित किया जाना होगा। नगरीय पेयजल के संवितरण हेतु 61 करोड़ की योजना तैयार की जा रही है, साथ ही जल-मल निकासी हेतु 16.19 करोड़ की योजना स्वीकृति हेतु शासन के विचाराधीन है।

1.4.5 आमोद-प्रमोद

नगरीय सौन्दर्यीकरण को दृष्टिगत रखते हुये विकास योजना 2011 में 435.00 हेक्टेयर भूमि के अंतर्गत उद्यान, पिकनिक स्थल, स्टेडियम, खेल का मैदान आदि के विकास हेतु स्थल निर्धारित किया गया था, जिसमें से बैढन बस स्टैण्ड के समीप पार्क का विकास किया गया है, विन्ध्य नगर में थाने के पास पार्क विकसित किये जाने का प्रस्ताव नगर निगम द्वारा एन.टी.पी.सी. के सहयोग से किया जा रहा है। इसके साथ ही उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से संलग्न भूमि पर स्टेडियम का विकास किया गया है। इस प्रकार वर्तमान में इस उपयोग के अंतर्गत कुल 119.00 हेक्टेयर भूमि विकसित हुई है।

1.4.6 यातायात एवं परिवहन

विकास योजना 2011 में 1516.00 हेक्टेयर भूमि का विकास किया जाना प्रस्तावित किया गया था, जिसमें से 651.00 हेक्टेयर भूमि विकसित हुई है। बैढन नगरीय क्षेत्र हेतु बायपास मार्ग का निर्माण सीधी मार्ग से ग्राम देवरी से प्रारंभ होकर पचोर औद्योगिक क्षेत्र (गनियारी) होते हुये विन्ध्य नगर (एन.टी.पी.सी.) तक है। ग्राम देवरी से उत्तर में अमलोरी हेतु एम.आर. जो एन.सी.एल. के जयंत मार्ग को जोड़ेगा, इसी प्रकार बरगवां नगरीय क्षेत्र में भी बायपास प्रस्तावित है, जिनका पूर्व में विकास नहीं हो सका है। माजन बगीचे से विन्ध्य नगर मार्ग 30.00 मीटर चौड़ा एवं बैढन से जयंत मार्ग (नेहरू हॉस्पिटल) का सीमांकन नगर निगम सिंगरौली द्वारा कराया गया है तथा ग्राम नौगढ़ में लगभग 8.0 एकड़ भूमि परिवहन विकास हेतु शासन से नगर निगम सिंगरौली को प्राप्त हुई है। इसी प्रकार हवाई पट्टी हेतु ग्राम सिंगरौलिया, खजुरी एवं कटौली में लगभग 133.63 एकड़ भूमि के अर्जन की कार्यवाही चल रही है।

1.5 अधिनियम की धारा 23-क(1) के अंतर्गत उपांतरण

म.प्र. शासन द्वारा अंगीकृत सिंगरौली विकास योजना 2011 में ग्राम बिलौजी, तेलियान एवं माजन खुर्द में कलेक्ट्रेट भवन निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल से संलग्न क्षेत्र कुल रकबा 15.129 हेक्टेयर में प्रस्तावित भू-उपयोग आवासीय, वाणिज्यिक, सार्वजनिक, अर्द्धसार्वजनिक, वर्तमान मार्ग,

उद्यान, वृक्षारोपण आदि उपयोगों को यथानुरूप उपांतरति कर सार्वजनिक, अर्द्धसार्वजनिक के अंतर्गत (मार्ग एवं प्रस्तावित मार्गों के भूमि उपयोग यथावत रखते हुये) म.प्र. शासन द्वारा जारी अधिसूचना प्रकाशन दिनांक 15 जून 2011 को किया गया, जिसे राजपत्र में दिनांक 24 जून 2011 को प्रकाशित किया गया।

1.6 विकास योजना 2031 की अवधारणा

सिंगरौली विकास योजना 2031 मुख्य रूप से विकास योजना 2011 एवं वृद्धि निवेश क्षेत्र में समाहित वर्तमान विकास, औद्योगिक विकास के परिवेश कोयला धारित क्षेत्र, कोयला खदानें, विद्युत संयंत्रों तथा अन्य स्थापनाधीन विद्युत एवं औद्योगिक संस्थानों को प्रमुख आधार मानते हुये संपूर्ण निवेश क्षेत्र की वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं को समाहित करते हुये भावी कार्य कलापों, प्रशासनिक तंत्र संवेदनशील क्षेत्रों एवं नगर समूह, क्षेत्रों, खण्ड, उपखण्ड स्तरीय यातायात की सुगमता, भौतिक एवं सामाजिक अधोसंरचना का उपयुक्त प्रबंधन तथा सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक सेवा-सुविधाओं का समुचित प्रावधान किया गया है, ताकि सिंगरौली नगरीय समूह के भावी विकास को एक सुनियोजित रूप प्राप्त हो सकें। इस विकास योजना में नगर के भावी विकास से संबंधित गतिविधियों एवं बहु आयामी समन्वित विकास नीति का समावेश किया गया है।

विकास परिदृश्य एवं प्रस्तावित नगरीय संरचना

2.1 क्षेत्रीय एवं उपक्षेत्रीय संदर्भ

सिंगरौली एवं उसके आसपास का क्षेत्र अपार खनिज संपदा से संपन्न है। कोयला उत्खनन एवं ताप विद्युत संयंत्र के स्थापित होने के पश्चात देश-विदेश में ख्याति प्राप्त कर ऊर्जा राजधानी के रूप में विकसित हो रहा है। यह मध्यप्रदेश के पूर्वांचल एवं उत्तरप्रदेश के सोनभद्र जिले तक फैला हुआ है। सिंगरौली जिला मुख्यालय है। इसलिये आसपास स्थित उपक्षेत्र की आबादी को समाहित करने हेतु यहां संसाधन उपलब्ध हैं। क्षेत्रीय संदर्भ में आसपास स्थित क्षेत्रों में कृषि उत्पादन भी महत्वपूर्ण है। रेल मार्ग तथा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 75 से जुड़ा होने के कारण भी इसका एक विशिष्ट महत्व है। पॉलीटेक्निक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था तथा वृहद, मध्य एवं लघु तथा कुटीर उद्योगों के विकसित हो जाने से इस क्षेत्र के आर्थिक व औद्योगिक विकास में काफी परिवर्तन आने की संभावना है। सिंगरौली नगर रेल मार्ग/सड़क मार्ग द्वारा कटनी, जबलपुर, चोपन, मिर्जापुर, हावड़ा आदि प्रमुख नगरों से जुड़ा है। शैक्षणिक संस्थाओं तथा प्रमुख सिंचाई योजना के कार्य प्रारंभ हो जाने से इस क्षेत्र के आर्थिक व औद्योगिक विकास को दृष्टिगत रखते हुये संपूर्ण निवेश क्षेत्र के सुनियोजित भावी विकास हेतु योजना तैयार की गयी है।

2.2 व्यवसायिक संरचना

सिंगरौली नगर की वर्ष 2001 की कुल जनसंख्या में से 28.75 प्रतिशत व्यक्ति विभिन्न कार्यकलापों एवं उद्योगों एवं व्यवसायों में संलग्न होकर अपना व अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर रहे हैं। नगरीय समूह में कृषि कार्य करने वाले एवं खेतिहर मजदूरों में कमी आने के साथ पारिवारिक उद्यमियों की संख्या बहुत कम है। वृहद उद्योगों एवं व्यापार वाणिज्यिक गतिविधियों में वृद्धि होने के साथ कार्मिक अनुपातिक वृद्धि होने की संभावना है। जनगणना वर्ष 2001 के आधार पर नगर की वर्तमान तथा भावी व्यवसायिक संरचना का अनुमान सारणी 2-सा-1 में दर्शाया गया है :-

सिंगरौली : व्यवसायिक संरचना

2-सा-1

| क्र. | श्रेणी/क्षेत्र | वर्ष 1991 | % | वर्ष 2001 | % | वर्ष 2011 | % | वर्ष 2021 | % | वर्ष 2031 | % |
|------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | कास्तकार | 1479 | 7.61 | 7659 | 14.34 | 7795 | 12.0 | 7613 | 9.0 | 9030 | 8.00 |
| 2. | खेतिहर मजदूर | 894 | 4.60 | 3342 | 6.26 | 3897 | 6.00 | 4230 | 5.00 | 3386 | 3.00 |
| 3. | पारिवारिक उद्योग कर्मी | 1829 | 9.42 | 978 | 1.83 | 1949 | 3.00 | 3384 | 4.00 | 5644 | 5.00 |
| 4. | अन्य कर्मी | 15223 | 78.37 | 41418 | 77.57 | 51315 | 79.0 | 69366 | 82.0 | 94819 | 84.0 |
| | योग | 19425 | 100.0 | 53397 | 100.0 | 64956 | 100.0 | 84593 | 100.0 | 112879 | 100.0 |

नोट : 2001 तक राष्ट्रीय जनगणना एवं वर्ष - 2011 से 2031 तक अनुमानित जनसंख्या वर्ष 2001 की जनगणानुसार कुल नगरीय जनसंख्या 185190 तथा सहभागिता दर 28.83 है।

उपरोक्तानुसार अध्ययन से स्पष्ट होता है कि सिंगरौली प्रक्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न कार्य संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है, जिसमें अन्य कर्मियों की संख्या सबसे अधिक है। श्रमिकों की वृद्धि का प्रमुख कारण कृषि कार्य में संलग्न लोगों का लगाव अन्य व्यवसायों की ओर अधिक हुआ है।

2.3 निवेश क्षेत्र

सिंगरौली के विकास को सुनियोजित प्रतिरूप देने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13(1) के प्रावधानों के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-123/बत्तीस/97, भोपाल, दिनांक 05 दिसंबर 1997 को सिंगरौली निवेश क्षेत्र का गठन किया गया। सिंगरौली नगर निगम क्षेत्र में सम्मिलित 65 ग्राम सहित इसके समीपवर्ती सिंगरौली तहसील के 34 ग्राम देवसर तहसील के 04 ग्राम तथा चितरंगी तहसील के 33 ग्राम इस प्रकार कुल 71 ग्रामों को शामिल करते हुये सिंगरौली निवेश क्षेत्र गठित किया गया किन्तु औद्योगिक विकास के बढ़ते हुये विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण विद्युत उत्पादक कंपनियां, हवाई पट्टी का विकास, सासन प्रावर प्रोजेक्ट एवं एस्सार कंपनियों की स्थापना, सिंगरौली के समीपवर्ती क्षेत्रों में होने के कारण विकास गति में और अधिक तीव्रता आई, जिसको दृष्टिगत रखते हुये अधिनियम की धारा 13(2) के तहत सिंगरौली निवेश क्षेत्र में 63 ग्रामों को सम्मिलित किया गया, जिसका प्रकाशन म.प्र. शासन की अधिसूचना क्रमांक-3-6-2009-बत्तीस, दिनांक 04.02.2009 को जारी किया गया, जिसको म.प्र. राजपत्र दिनांक 06 मार्च 2009 में प्रकाशित किया गया। इस प्रकार सिंगरौली विकास योजना 2011 में सिंगरौली नगर निगम सीमा सहित 136 ग्राम एवं वृद्धित निवेश क्षेत्र के 63 ग्रामों को सम्मिलित कर कुल 199 ग्राम सिंगरौली निवेश क्षेत्र में सम्मिलित किये गये, जिसका कुल क्षेत्रफल 86285.10 हेक्टेयर (86.28 वर्ग किलोमीटर) है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सिंगरौली नगर निगम सीमा में 220295 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 214786 व्यक्ति निवास कर रहे हैं। सिंगरौली निवेश क्षेत्र का विवरण निम्न सारणी क्रमांक 2-सा-2 में दिया गया है।

सिंगरौली : निवेश क्षेत्र

2-सा-2


| क्र. | ग्राम का नाम | क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | जनसंख्या |
|------|---|--------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | तहसील- सिंगरौली (अ) नगर पालिक निगम क्षेत्र | | वर्ष 2011 |
| 1. | कोलभरुआ | 103.15 | नगर निगम सीमा में शामिल |
| 2. | सिंगरौलिया | 305.57 | —"— |
| 3. | हिरवाह | 653.01 | —"— |
| 4. | बिलौजी भटवा | 214.19 | —"— |
| 5. | पचौरी | 37.60 | —"— |
| 6. | पचौर | 216.75 | —"— |
| 7. | नौगढ़ | 718.92 | —"— |
| 8. | तेलाई | 168.01 | —"— |
| 9. | देवरा | 307.07 | —"— |
| 10. | बैंढन (नगरीय) | 198.03 | —"— |
| 11. | गनियारी | 793.46 | —"— |
| 12. | विलौजी तेलियान | 206.43 | —"— |
| 13. | दसौती | 109.65 | —"— |
| 14. | कचनी | 722.23 | —"— |
| 15. | माजन कला | 75.66 | —"— |
| 16. | माजन खुर्द | 124.23 | —"— |
| 17. | पचखोरा | 120.13 | —"— |
| 18. | अमलोरी (नगरीय) | 1314.89 | —"— |
| 19. | भरुआ | 668.10 | —"— |
| 20. | नवानगर | 418.24 | —"— |
| 21. | मुहेर | 2987.80 | —"— |
| 22. | निगाही | 937.40 | —"— |
| 23. | परेवा | 140.28 | —"— |
| 24. | छानपाथर | 82.57 | —"— |
| 25. | घुरौली खुर्द | 184.01 | —"— |
| 26. | घुरौली कला | 362.42 | —"— |
| 27. | मुडवानी | 351.91 | —"— |
| 28. | गरदा | 413.41 | —"— |
| 29. | बनौली | 505.40 | —"— |
| 30. | सरसवाह राजा | 319.73 | —"— |
| 31. | कुशवई | 469.25 | —"— |

| | | | |
|-----|--------------------|-----------------|---------------|
| 32. | पिंडरताली | 491.54 | —''— |
| 33. | पंजरेह | 645.14 | —''— |
| 34. | मढौली | 3338.38 | —''— |
| 35. | चटका | 208.79 | —''— |
| 36. | झिंगुरदह | 1996.28 | —''— |
| 37. | करुआरी | 443.23 | —''— |
| 38. | दुधीचुआँ | 1226.81 | —''— |
| 39. | चुरीदेह | 633.19 | —''— |
| 40. | मझौली (वीरान) | 2.14 | —''— |
| 41. | इटवा | 155.67 | —''— |
| 42. | सरसवाह लाल | 219.76 | —''— |
| 43. | पिपरा टोला (नगरीय) | 130.69 | —''— |
| 44. | जैतपुर | 307.91 | —''— |
| 45. | पिपराराजा टोला | 78.86 | —''— |
| 46. | चंदुली (नगरीय) | 299.33 | —''— |
| 47. | क्योंटी | 51.21 | —''— |
| 48. | मटवई | 152.07 | —''— |
| 49. | जैनगर | 322.35 | —''— |
| 50. | अमझर | 403.30 | —''— |
| 51. | तेलगवाँ | 267.46 | —''— |
| 52. | गहिलगढ पूर्व | 107.58 | —''— |
| 53. | परजा सरई | 116.36 | —''— |
| 54. | गहिलगढ पश्चिम | 151.25 | —''— |
| 55. | जुआँडी | 302.85 | —''— |
| 56. | चंदावल | 115.38 | —''— |
| 57. | सेमरिया | 194.40 | —''— |
| 58. | ढेंकी | 77.99 | —''— |
| 59. | धुरीताल | 143.21 | —''— |
| 60. | हरई पश्चिम | 96.85 | —''— |
| 61. | हरई पूर्व | 229.97 | —''— |
| 62. | ढोंटी | 287.33 | —''— |
| 63. | किरकोली | 9.35 | —''— |
| 64. | जमुआ | 63.91 | —''— |
| 65. | बलियारी | 1331.97 | —''— |
| | योग | 28832.01 | 220295 |

सिंगरौली


निवेश क्षेत्र

| | | |
|-----------------|--|--------------------|
| PLANNING AREA |  | निवेश क्षेत्र सीमा |
| VILLAGE |  | ग्राम सीमा |
| ROAD |  | मार्ग |
| RAIL |  | रेल मार्ग |
| BUS STAND |  | बस स्थानक |
| RAILWAY STATION |  | रेलवे स्टेशन |



सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र,
म0प्र0 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्
विज्ञान भवन, भोपाल

Date- 21/07/2015



संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश

(ब) ग्रामीण क्षेत्र – तहसील सिंगरौली

| | | | |
|-----|-------------|---------|------|
| 1. | पिपराझाँपी | 483.75 | 2725 |
| 2. | बुधेला | 172.29 | 977 |
| 3. | गड़रिया | 825.81 | 1721 |
| 4. | गुल्ली डांड | 230.11 | 307 |
| 5. | तेलदह | 790.09 | 3409 |
| 6. | चिनगी टोला | 906.83 | 3236 |
| 7. | गदसा | 247.38 | 871 |
| 8. | डिग्धी | 190.29 | 646 |
| 9. | राजासरई | 208.06 | 545 |
| 10. | हरैया | 510.46 | 1171 |
| 11. | चोकरा | 644.68 | 709 |
| 12. | पोडीं नौगई | 382.92 | 3390 |
| 13. | गडहरा | 236.12 | 1115 |
| 14. | देवरी | 141.32 | 928 |
| 15. | परसौना | 103.49 | 1026 |
| 16. | काजन | 49.18 | 283 |
| 17. | पडैनिया | 35.58 | 305 |
| 18. | लूरी | 41.31 | 344 |
| 19. | रजबांध | 34.54 | 561 |
| 20. | जिन्हर | 58.34 | 237 |
| 21. | खटखरी | 261.15 | 3144 |
| 22. | खजुरी | 287.04 | 1054 |
| 23. | कटौली | 348.71 | 1544 |
| 24. | करकोसा | 217.72 | 1194 |
| 25. | हरदी | 118.42 | 1112 |
| 26. | कुशमहरा | 92.26 | 722 |
| 27. | धतुराबरवा | 178.65 | 931 |
| 28. | धतुरा पोखरा | 117.09 | 677 |
| 29. | पड़री | 2120.43 | 2116 |
| 30. | सौलंग | 433.82 | 1760 |
| 31. | रजखण्ड | 90.71 | 541 |
| 32. | सिंगाही | 86.67 | 291 |
| 33. | दुरुआ | 42.32 | 307 |
| 34. | चकुआर | 163.01 | 191 |
| 35. | बरौहा | 86.03 | 611 |
| 36. | भाडीं | 93.09 | 432 |
| 37. | कंजी टोला | 157.45 | 1077 |
| 38. | करहिया | 38.05 | 270 |

| | | | |
|-----|--------------|---------|------|
| 39. | सहोखर | 61.71 | 481 |
| 40. | ढेंकी | 248.23 | 1434 |
| 41. | गहिलरा | 302.73 | 2209 |
| 42. | जरौधी | 142.85 | 1116 |
| 43. | जरौधा | 115.67 | 616 |
| 44. | मनिकचौरा | 109.52 | 250 |
| 45. | खुटार | 694.76 | 7211 |
| 46. | बड़ी सितूल | 65.80 | 289 |
| 47. | बनौली | 244.67 | 1233 |
| 48. | रक्की | 83.46 | 118 |
| 49. | चूरी सानी | 39.42 | 249 |
| 50. | अमरा | 134.30 | 628 |
| 51. | चितरवई खुर्द | 520.12 | 646 |
| 52. | अमिलवान | 223.90 | 1373 |
| 53. | पिडखुरीं | 273.44 | 792 |
| 54. | सिगाही | 286.34 | 1412 |
| 55. | खोखरी | 755.78 | 1457 |
| 56. | सखोहा | 610.38 | 3220 |
| 57. | कुबरी | 94.51 | 370 |
| 58. | कथुरा | 128.72 | 1345 |
| 59. | मधुरा | 120.82 | 960 |
| 60. | प्रतापपुर | 57.32 | 224 |
| 61. | सितूर खुर्द | 241.89 | 1153 |
| 62. | जरहा | 503.36 | 3213 |
| 63. | सेमुआ | 488.26 | 463 |
| 64. | बधौरा | 554.49 | 1642 |
| 65. | खैराही | 1248.78 | 1840 |
| 66. | करसुआलाल | 356.05 | 2475 |
| 67. | करसुआराजा | 518.96 | 2845 |
| 68. | नगवा | 842.50 | 4298 |
| 69. | चुरवाही | 164.40 | 602 |
| 70. | धूनी | 633.06 | 951 |
| 71. | बेतरिया | 492.10 | 2584 |
| 72. | कोटिया | 404.44 | 1154 |
| 73. | रैला | 729.23 | 2639 |
| 74. | चौरा | 272.53 | 981 |
| 75. | रजमिलान | 826.46 | 6015 |
| 76. | रम्पा | 599.94 | 1566 |
| 77. | घुडकुड | 585.83 | 1673 |

| | | | |
|------|------------------------|---------|------|
| 78. | बसोड़ा | 867.04 | 2718 |
| 79. | चौचर | 859.65 | 3386 |
| 80. | नौढ़िया | 189.04 | 377 |
| 81. | मझौली | 535.29 | 2146 |
| 82. | परसदेही | 695.46 | 1306 |
| 83. | तियरा | 1846.96 | 4807 |
| 84. | विलासपुर | 212.02 | 429 |
| 85. | काम | 677.24 | 3543 |
| 86. | पिपरा | 331.28 | 5782 |
| 87. | दूसाखांड | 376.44 | 1369 |
| 88. | पतुलखी | 311.36 | |
| 89. | सासन | 617.45 | 2026 |
| 90. | गडहरा | 241.44 | 1115 |
| 91. | सिद्धीखुर्द | 1102.98 | 2817 |
| 92. | सिद्धीकला | 924.76 | 2636 |
| 93. | हरहवा | 2152.40 | 5151 |
| 94. | अमरहा | 1099.97 | 2539 |
| 95. | झाँझी टोला | 544.20 | 1202 |
| 96. | कुल्हुई | 146.74 | 675 |
| 97. | मलगा | 315.12 | 1528 |
| | तहसील- देवसर | | |
| 98. | कनई | 511.72 | 1802 |
| 99. | डगा | 693.30 | 3328 |
| 100. | बरगवां | 214.91 | 3435 |
| 101. | बरहवा टोला | 545.04 | 3420 |
| | तहसील - चितरंगी | | |
| 102. | चतरी | 937.50 | 2362 |
| 103. | चुरकी | 2826.12 | 5449 |
| 104. | कन्हुड | 262.80 | 753 |
| 105. | खिरवाह | 1471.54 | 3990 |
| 106. | कठास | 131.50 | 476 |
| 107. | टिकरी टोला | 180.47 | 496 |
| 108. | करैला | 706.38 | 3350 |
| 109. | गोरबी | 1701.98 | 2369 |
| 110. | नौढ़िया | 573.62 | 6533 |
| 111. | फुलझर | 35.57 | 89 |
| 112. | ईगुरा | 132.89 | 346 |
| 113. | लोटान | 482.18 | 987 |
| 114. | कसर | 621.95 | 3145 |

| | | | |
|------|--------------------------------------|-----------------|---------------|
| 115. | महदेइया | 323.92 | 1520 |
| 116. | हरइया | 42.18 | 321 |
| 117. | रामगढ़ | 67.03 | 419 |
| 118. | बस्ताली आबाद | 19.94 | 177 |
| 119. | बस्ताली वीरान | 45.61 | 96 |
| 120. | उसका | 141.37 | 465 |
| 121. | जमुअल | 57.56 | 84 |
| 122. | सेमुआर | 453.05 | 1418 |
| 123. | अंजनी | 103.12 | 408 |
| 124. | पाली | 157.62 | 500 |
| 125. | खरकटा | 243.94 | 1398 |
| 126. | गांगी | 216.33 | 482 |
| 127. | बरहटी | 324.01 | 1259 |
| 128. | भोंडार | 527.74 | 1794 |
| 129. | बरमानी | 306.06 | 1616 |
| 130. | गोंदवाली | 803.26 | 4228 |
| 131. | चकदादर | 2.48 | — |
| 132. | दादर | 557.15 | 1001 |
| 133. | रमपुरवा | 203.17 | 671 |
| 134. | भालुगढ़ | 779.34 | 2840 |
| | योग | 57453.09 | 214786 |
| | निवेश क्षेत्र का महायोग (अ+ब) | 86285.10 | 435081 |

2.4 जनसंख्या परिवर्तन

विगत तीन दशकों में सिंगरौली निवेश क्षेत्र की जनसंख्या परिवर्तन का विवरण सारणी क्रमांक 2-सा-3 अनुसार है। जनसंख्या परिवर्तन के आंकड़ों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि वर्ष 2001 में नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या में तीव्रगति से वृद्धि हुई है, जिसका प्रमुख कारण राष्ट्रीय स्तर की औद्योगिक इकाईयों की स्थापना का प्रभाव है।

सिंगरौली : जनसंख्या वृद्धि

2-सा-3

| वर्ष | जनसंख्या नगर निगम क्षेत्र | दशक वृद्धि दर | जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र | वृद्धि दर | जनसंख्या निवेश क्षेत्र | दशक वृद्धि दर |
|------|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1991 | 119629 | — | 124948 | — | 244577 | — |
| 2001 | 185190 | 54.80 | 163959 | 31.22 | 349149 | 42.75 |
| 2011 | 220295 | 18.95 | 214786 | 30.99 | 435081 | 24.61 |

उपरोक्त सारणी का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि सिंगरौली निवेश क्षेत्र की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है।

2.4.1 अनुमानित जनसंख्या

ऊर्जा राजधानी के रूप में विकसित हो रही सिंगरौली में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कम्पनियां म.प्र. शासन के प्रोत्साहन से संचालित हो रही हैं, महान कोलफील्ड परियोजना एवं हिन्दलाको पावर कम्पनियां सिंगरौली निवेश क्षेत्र के संस्पर्शी क्षेत्र में स्थापित हो रही है, ऐसी औद्योगिक इकाईयों की स्थापना से प्रभावित होकर निश्चित रूप से आगामी दशकों में तीव्रगति से अनुपातिक वृद्धि दर से अधिक जनसंख्या में वृद्धि होने की संभावना है, जिसको दृष्टिगत रखते हुये सिंगरौली निवेश क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि का आंकलन किया गया है, जिसका विवरण निम्न सारणी 2-सा-4 में दिया गया है।

सिंगरौली : अनुमानित जनसंख्या

2-सा-4

| वर्ष | जनसंख्या नगर निगम क्षेत्र | दशक वृद्धि दर | जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र | वृद्धि दर | जनसंख्या निवेश क्षेत्र | दशक वृद्धि दर |
|------|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2021 | 265000 | 20.29 | 280000 | 30.36 | 545000 | 25.26 |
| 2031 | 344500 | 30.00 | 378000 | 35.00 | 722500 | 32.57 |

उपरोक्त सारणी के अध्ययन से ज्ञात होता है कि संपूर्ण क्षेत्र की वर्ष 2031 में जनसंख्या में 722500 वृद्धि अनुमानित है, किन्तु निवेश क्षेत्र में समाहित नगर समूह बैढ़न, बरगवां, मोरबा, झिंगुरदा, खुटार, अमलोरी, जयन्त, परसौना एवं रजमिलान आदि के विकसित होने एवं राष्ट्रीय स्तर की ताप

विद्युत उत्पादन कम्पनियां एस्सार, सासन पॉवर एवं विन्ध्याचल थर्मल पॉवर जैसी वृहद् औद्योगिक इकाइयों के संचालन एवं निवेश क्षेत्र से संलग्न महान कोल परियोजना तथा हिन्डालको कम्पनियों की स्थापना तथा सिंगरौली जिला मुख्यालय होने से भावी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना नगरीय समूह की जनसंख्या में तीव्रगति से वृद्धि होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुये सिंगरौली निवेश क्षेत्र की जनसंख्या 8.0 लाख होने की संभावना के आधार पर विकास योजना के प्रस्ताव तैयार किये गये हैं।

2.5 नगर पालिक निगम क्षेत्र

नगर के सुनियोजित विकास हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 1995 में विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया गया था, जिसमें गनियारी शॉपिंग काम्पलेक्स, नवजीवन विहार, बस स्टैण्ड बैडन एवं कार्यालय परिषद आदि का विकास किया गया। किन्तु वर्ष 1995 में साडा का विघटन किया जाकर 27 मई 1995 को सिंगरौली नगर पालिक निगम की स्थापना की गई, जिसमें 80 ग्रामों को सम्मिलित किया गया किन्तु 20 मार्च 1996 को 15 ग्रामों को पृथक कर दिया गया। वर्तमान में सिंगरौली नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत 65 ग्राम समाहित है, जिसको 45 वार्डों में विभाजित किया गया है, जिसका कुल क्षेत्रफल 28832.0 हेक्टेयर है।

2.6 सिंगरौली विकास प्राधिकरण की योजनाएँ

सिंगरौली निवेश क्षेत्र के सुनियोजित विकास संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-29-10- बत्तीस भोपाल, दिनांक 04 जनवरी 2011 को सिंगरौली नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी की स्थापना की गई है, जिसे मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 14 जनवरी 2011 को प्रकाशित किया गया है। प्राधिकरण द्वारा ग्राम पंजरेह में 4.047 हेक्टेयर, नौगढ़ में 4.780 हेक्टेयर एवं ग्राम बरगवां में लगभग 7.0 हेक्टेयर एवं शिवराज आश्रय योजना गनियारी में 2.0 हेक्टेयर भूमि पर आवासीय विकास किये जाने हेतु योजना तैयार की गई है।

2.7 योजना कालावधि

योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है, उसको समय-सीमा में बाधित करना उचित नहीं होगा। लेकिन विकास योजना का स्वरूप जब तैयार किया जाता है तो उसके क्रियान्वयन की समयावधि निर्धारित किया जाना आवश्यक है, ताकि निश्चित समय-सीमा में जनसंख्या एवं उसकी आवश्यकताओं का आंकलन, भूमि की उपयोगिता एवं नगरीय अधोसंरचना के प्रस्ताव, सेवा-सुविधाओं, मार्ग संरचना, जल प्रदाय आदि की समुचित व्यवस्था के साथ विकास योजना कालावधि के बाद भी विकास के लिये, आधारभूत संरचना के लिये उपयोगी रहेंगे। सिंगरौली विकास योजना की कालावधि 2031 निर्धारित की गयी है। सिंगरौली विकास योजना के प्रस्ताव योजना कालावधि समाप्त हो जाने के बाद भी विकास योजना के पुनर्विलोकन, मूल्यांकन एवं उपांतरण होने तक अथवा विकास योजना के प्रस्तावों के संतुष्ट होने तक प्रभावशील रहेंगे।

2.7.1 कोल भण्डारण उत्खनन

सिंगरौली परिक्षेत्रांतर्गत कोल धारित क्षेत्र एवं कोयला उत्खनन संबंधी नार्दन कोल फील्ड्स लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई जानकारी का विवरण निम्न सारिणी क्रमांक 2-सा-5 में दिया गया है।

नार्दन कोल फील्ड्स लिमि. सिंगरौली : कोल धारित क्षेत्र

2-सा-5

| क्र. | खदानों के खण्ड नाम | खदान खण्डों का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | भण्डारण (लाख टन में) | प्रतिवर्ष दोहन क्षमता (लाख टन में) | अधिभार (मैट्रिक क्यूबिक मीटर में) |
|------------------------------------|--------------------|---|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| (अ) मध्यप्रदेश | | | | | |
| 1. | झिंगुरदा | 1199 | — | 30.00 | 1.15 |
| 2. | जयन्त | 2717 | — | 100.00 | 2.60 |
| 3. | ब्लॉक 'बी' | 1339 | — | 35.00 | 3.31 |
| 4. | अमलोरी | 2383 | — | 100.00 | 4.18 |
| 5. | निगाही | 3127 | — | 150.00 | 3.68 |
| (ब) उत्तरप्रदेश | | | | | |
| 1. | कृष्णशील | 860 | — | 40.00 | 3.38 |
| 2. | ककरी | 828 | — | 30.00 | 2.25 |
| (स) उत्तर प्रदेश एवं म.प्र. | | | | | |
| 1. | दुद्धीचुओं | 1752 | — | 100.00 | 4.14 |
| 2. | खड़िया | 1442 | — | 100.00 | 4.08 |
| 3. | बीना | 1798 | — | 60.00 | 5.04 |

नार्दन कोल फील्ड्स लिमिटेड सिंगरौली : कोयला उत्खनन

2-सा-6

| क्र. | परियोजना | परियोजना प्रारंभ होने का वर्ष | कोयला उत्खनन का वर्ष |
|----------------------|------------|-------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| अ- मध्यप्रदेश | | | |
| 1. | झिंगुरदा | 1964-65 | 1964-65 |
| 2. | जयन्त | 1974-75 | 1975-76 |
| 3. | ब्लॉक 'बी' | 2006-07 | 2007-08 |
| 4. | अमलोरी | 1982-83 | 1983-84 |

| | | | |
|--------------------------------------|------------|---------|---------|
| 5. | निगाही | 1987-88 | 1987-88 |
| ब- उत्तरप्रदेश एवं मध्यप्रदेश | | | |
| 1. | दुद्धीचुआं | 1983-84 | 1983-84 |
| 2. | खड़िया | 1981-82 | 1981-82 |
| स- उत्तरप्रदेश | | | |
| 1. | कृष्ण शील | 2006-07 | 2007-08 |
| 2. | ककरी | 1980-81 | 1980-81 |

स्रोत : नार्दन कोल फील्ड्स लिमिटेड सिंगरौली

2.7.2 ताप विद्युत उत्पादन

वर्तमान में संचालित विद्युत उत्पादन कम्पनियों का विवरण-

विन्ध्याचल सुपर थर्मल पावर लिमिटेड कम्पनी भारत की बड़ी थर्मल पावर कम्पनी 432.0 हेक्टेयर के अंतर्गत है, जो सिंगरौली क्षेत्र के मध्य नगर निगम क्षेत्र में स्थित है, जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 3260 मेगावॉट हैं, जो प्रतिदिन 55000 मिलियन टन (एम.टी.) कोयला खपत करती है, इसकी 06 यूनिटें हैं। 210 मेगावॉट का निर्माण सन् 1987 से 1992 के मध्य में किया गया और निरंतर वृद्धि के साथ सन् 1999 से 2007 तक में 500 मेगावॉट की 4 और यूनिटों का निर्माण किया गया, जिसमें कोयला आपूर्ति एन.सी.एल. के निगाही कोल परियोजना से की जाती हैं। जिसका विवरण सारणी 2-सा-7 में दिया गया है-

विन्ध्याचल थर्मल पावर प्रोजेक्ट

2-सा-7

| क्र. | विवरण | उत्पादन |
|------|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | अनुमोदित क्षमता | 3260 मेगावॉट (स्टेज 1-260 मेगावॉट + स्टेज II 1000 मेगावॉट + स्टेज III 1000 मेगावॉट। |
| 2. | वर्तमान क्षमता | 3260 मेगावॉट |
| 3. | कोयला आपूर्ति | निगाही माईन्स से। |
| 4. | जल आपूर्ति | गोविन्द वल्लभ पंत सागर। |
| 5. | वितरण क्षेत्र | म.प्र., छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन दीप और दादर नगर हवेली। |
| 6. | लागत | प्रथम इकाई एवं द्वितीय इकाई 4053.42 करोड़ तृतीय इकाई- 420.15 करोड़। |
| 7. | इकाई यूनिटों का आकार | प्रथम इकाई 6x210 मेगावॉट द्वितीय इकाई 2x500 मेगा. तृतीय इकाई 2x500 मेगा.। |

विन्ध्याचल थर्मल पावर प्रोजेक्ट (उत्पादन)

2-सा-8

| क्र. | यूनिट निर्माण वर्ष | यूनिट संख्या | विद्युत उत्पादन |
|------|--------------------|--------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | अक्टूबर 1987 | 01 | 210 मेगावॉट |
| 2. | जुलाई 1988 | 02 | 210 मेगावॉट |
| 3. | फरवरी 1989 | 03 | 210 मेगावॉट |
| 4. | दिसम्बर 1989 | 04 | 210 मेगावॉट |
| 5. | मार्च 1990 | 05 | 210 मेगावॉट |
| 6. | फरवरी 1991 | 06 | 210 मेगावॉट |
| 7. | मार्च 1990 | 07 | 500 मेगावॉट |
| 8. | फरवरी 2000 | 08 | 500 मेगावॉट |
| 9. | जुलाई 2006 | 09 | 500 मेगावॉट |
| 10. | मार्च 2007 | 10 | 500 मेगावॉट |

(ब) एस्सार पावर एम.पी. लिमिटेड

एस्सार पावर एम.पी. लिमिटेड के नाम से रजमिलान-बघोरा मार्ग पर निवेश क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बन्धौरा, खैरवाही, करसुआँलाल तथा नगवां में 979.00 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की गई है, जिसमें 2x600 मेगावाट का पावर प्लांट 309 हेक्टेयर क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित किया गया है। उत्पादन कार्य प्रारंभ है, जिसमें 152 हेक्टेयर आवासीय क्षेत्र है।

(स) सासन पावर लिमिटेड

सासन पावर में ग्राम सिद्धी खुर्द, सिद्धी कला में 820 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की है, जिसमें से 500 हेक्टेयर का उपयोग किया है तथा 320 हेक्टेयर भूमि भावी विकास हेतु सुरक्षित रखी गयी है। कालोनी विकास हेतु ग्राम तियरा में 181.53 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित है, (जो क्रमशः विकसित होगी, तथा एस डाइक हेतु हरहवा, क्षौक्षी टोला में 330.30 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की हैं), पुनर्वास हेतु ग्राम मझौली में 50 हेक्टेयर की कालोनी विकसित की गई है। कोयला प्राप्त करने हेतु मुहेंर, मुहेर अमलोरी, एक्सटेंशन ब्लॉक में 1585 हेक्टेयर क्षेत्र रखा गया है। ओव्हर वार्डन तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु 450.95 हेक्टेयर भूमि का उपयोग अमलोरी, नौगढ़ ग्रामों की भूमियाँ कम्पनी ने प्राप्त की हैं। पुनर्वास हेतु ग्राम नौगढ़ में प्रस्ताव रखा गया है, कोलन कन्वेयर द्वारा कोयला सीधे प्लान्ट तक पहुंचाया जायेगा। इस हेतु 50 मीटर चौड़ाई में 60 हेक्टेयर भूमि अर्जित की गई है, जो कन्वेयर-सह-मार्ग के उपयोग में लायी जावेगी।

(द) त्रिमुला आयरन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

नगर निगम क्षेत्र के बाहर निवेश क्षेत्र में देवसर तहसील के ग्राम गोंदवाली, बस्ताली वीरान एवं दादर एवं रमपुरवा में 87.93 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की गई, जिसमें 82.06 हेक्टेयर क्षेत्र में उद्योग स्थापित हैं तथा 5.87 हेक्टेयर भूमि पर आवासीय उपयोग किया जा रहा है, जिसमें 180 कर्मचारी, 20 अधिकारी तथा 50 श्रमिक निवासरत हैं तथा भविष्य में 500 श्रमिक होने की संभावना है।

(ई) महान कोल लिमिटेड

निवेश क्षेत्र सीमा के बाहर परंतु निवेश क्षेत्र से संलग्न है। महान कोल लिमिटेड द्वारा एस्सार पावर तथा हिन्डालको पावर प्लांट को कोयला प्रदान किया जावेगा। एस्सार पावर के पास अमिलिया कोल ब्लॉक में 985.30 हेक्टेयर भूमि कोयला खनन हेतु क्षेत्र सम्मिलित किया है। ग्राम अमिलिया में 350 हेक्टेयर भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही कम्पनी द्वारा की जा रही है जिसमें कार्यालय, विद्यालय, चिकित्सालय, आवासीय कालोनी एवं सेवा-सुविधाओं को विकसित किया जाना प्रस्तावित है, व एस्सार पावर द्वारा कोयला कोल कन्वेयर द्वारा प्राप्त किया जावेगा, हिन्डालको को रेल मार्ग द्वारा कोयले की आपूर्ति की जावेगी।

(फ) पावर कोरीडोर

विन्ध्याचल एवं सिंगरौली सुपर थर्मल पावर प्लांट से तीन टावर लाइनें ग्राम ढेंकी, पचखोरा, भाजन, कचनी, सैलई से होकर गुजरती हैं। नगर का विकास इसी क्षेत्र में हो रहा है, जिससे नवीन टावर लाइन निकालने की अनुमति नहीं दी जायेगी। अधिक संख्या में जो टावर लाइनें तेलगंवा, गहीलगढ़ एवं बलिवारी गांवों से होकर गुजरती हैं, वह रिहन्द बांध के केचमेंट तथा एम.जी.आर. के लाइन के बीच का क्षेत्र है जिसमें नई टावर लाइनों को निकालने की अनुमति प्रदान की जा सकेगी। वर्तमान टावर लाइनों की स्थल स्थिति के अनुसार दोनों तरफ (आजू-बाजू) 15-15 मीटर का क्षेत्र खुला रहेगा। इस खुले क्षेत्र में किसी भी प्रकार का विकास किया जाना प्रतिबंधित रहेगा।

(ज) सामान्य उद्योग

सिंगरौली में कोयला उत्खनन तथा ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना हो जाने के पश्चात् औद्योगिक विकास में काफी प्रगति हुई है, इसके साथ ही संबंधित वृहद, मध्य तथा लघु एवं कुटीर छोटे-छोटे सहायक उद्योग स्थापित हुये हैं, जिसके कारण वर्तमान में यह क्षेत्र औद्योगिक ऊर्जा राजधानी के नाम से जाना जाने लगा है। अतः इस क्षेत्र के भावी विकास के प्रस्ताव यहां के औद्योगिक परिवेश को ध्यान में रखते हुये निर्धारित करना आवश्यक होगा। वर्तमान में औद्योगिक इकाईयों की स्थिति निम्नानुसार है :-

सिंगरौली : उद्योग

2-सा-9

| क्र. | इकाई का नाम | स्थिति | उत्पादन का प्रकार | कर्मचारियों की संख्या |
|------|--|------------------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | मे. जेनिश स्पेयर्स | बैढ़न | पिन साफ्ट, ब्रेक डम्स | 06 |
| 2. | मे. नवभारत फ्यूल्स लिमि. | उद्योगदीप बैढ़न | साइट मिक्सड् एक्सप्लोसिव | 25 |
| 3. | मे. बैढ़न इंजीनियरिंग एण्ड इन्डस्ट्री प्रा. लिमिटेड | उद्योगदीप बैढ़न | टायर रिट्रेडिंग | 14 |
| 4. | मे. कृष्णा रबर उद्योग | उद्योगदीप बैढ़न | ट्रेड रबर | 09 |
| 5. | मे. त्रिमुला इन्डस्ट्रीज लिमि. | गोंदवाली | स्पंज आयरन | 98 |
| 6. | मे. कृष्णा इंटर प्राइजेज | उद्योगदीप बैढ़न | ट्रेड रबर | 08 |
| 7. | मे. बैढ़न इंजीनियरिंग इन्डस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड | उद्योगदीप बैढ़न | ट्रेड रबर, ट्रेड गम, यूटी एस. कुशनाईन गम, रबर शीट | 17 |
| 8. | मे. बसन्त इन्टर प्राइजेज | उद्योगदीप बैढ़न | फेरस एण्ड नानफेरस ब्रसेस | 11 |
| 9. | मे. रीवा गैसेस प्रा. लिमि. | उद्योगदीप बैढ़न | इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन, नाईट्रोजन, एसिटिलीस गैस | 42 |
| 10. | मे. रीवा रिफाइनरी प्रा. लिमि. | उद्योगदीप बैढ़न | रि-रिफाइनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल ऑयल | 23 |
| 11. | मे. रीवा केमिकल्स प्रा. लिमि. | उद्योगदीप बैढ़न | फेरिक एलम एण्ड नॉन-फेरिक एलम | 11 |
| 12. | मे. प्रगति इंजीनियर्स | उद्योगदीप बैढ़न | कन्वेयर आइडलर्स रोलर्स | 06 |
| 13. | मे. ब्लास्टेक इण्डिया प्रा. लिमि. | उद्योगदीप बैढ़न | इमल्सन वल्क एक्सपोसिव | 19 |
| 14. | मे. सोलार केपिटल लि. यूनिट नं. | गनियारी, बैढ़न | केल्शियम नाइट्रेट, मेल्ट एवं इमल्सन वल्क एक्सप्लोसिव | 30 |
| 15. | मे. वल्क एक्सप्लोसिव प्रा. लिमि. | उद्योगदीप, बैढ़न | इमल्सन वल्क एक्सप्लोसिव | 18 |
| 16. | इमुलटेक प्रा. लिमि. | उद्योगदीप, बैढ़न | इमल्सन वल्क एक्सप्लोसिव | 19 |
| 17. | मे. राजस्थान एक्सप्लोसिव केमिकल्स लिमिटेड | उद्योगदीप, बैढ़न | इमल्सन वल्क एक्सप्लोसिव | 09 |

| | | | | |
|-----|---|-----------------------------------|---|----|
| 18. | आई.डी.एल. इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव लिमिटेड | उद्योग दीप, बैढन | इमल्सन वल्क एक्सप्लोसिव | 12 |
| 19. | मे. रेलीटेक केमिकल्स (आई) प्रा. लिमि. | उद्योग दीप, बैढन | केल्शियम नाइट्रेट, मेल्ट | 15 |
| 20. | मे. स्पेशल ब्लास्ट्स लिमि. | उद्योग दीप, बैढन | इमल्सन वल्क एक्सप्लोसिव | 13 |
| 21. | मे. ओरियंट एक्सप्लोसिव प्रा. लिमि. बन्द | उद्योग दीप, बैढन | इमल्सन वल्क एक्सप्लोसिव | 06 |
| 22. | मे. राजराज केमिकल्स प्रा. लिमि. | उद्योग दीप, बैढन | इमल्सन वल्क एक्सप्लोसिव | 24 |
| 23. | मे. सोलार केपिटल्स | उद्योग दीप, बैढन | इमल्सन वल्क एक्सप्लोसिव | 25 |
| 24. | मे. कृष्णा केमिकल्स | उद्योग दीप, बैढन | केल्शियम नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट, अमोनियम | 11 |
| 25. | मे. सैन्य केमिकल्स | उद्योग दीप, बैढन | मेल्ट केल्शियम नाइट्रेट एस.एस.ओ. | 08 |
| 26. | मे. उपेन्द्र केमिकल्स | उद्योग दीप, बैढन | फेरिक एलम, नान फेरिक एलम | 10 |
| 27. | मे. भान्तुनु केमिकल्स | उद्योग दीप, बैढन | केल्शियम नाइट्रेट | 07 |
| 28. | मे. प्रीमियर एक्सप्लोसिव | उद्योग दीप, बैढन | इमल्सन वल्क एक्सप्लोसिव | 22 |
| 29. | मे. एस्पी पाइप्स | उद्योग दीप, बैढन | आर.सी.सी. ह्यूम पाइप्स | 14 |
| 30. | मे. सतगुरु आक्सीजन कम्पनी | उद्योग दीप औद्योगिक क्षेत्र, बैढन | आर्गन एण्ड आक्सीजन गैस | 05 |
| 31. | मे. विन्ध्याचल एयर प्रोडक्ट | बरगवां | आक्सीजन गैस | 19 |
| 32. | मे. मिश्रा एण्ड ब्रदर्स | सर्किट हाउस रोड सिंगरौली | कास्टिंग ऑफ फॉयर कॉपर वेस एलाय | 20 |
| 33. | मे. कोहिनूर इंजीनियरिंग वर्क्स | मेन रोड, बिलौजी | स्टील गेयर पिनियन बूस एवं बकेट्स | 09 |
| 34. | मे. कोहिनूर इंजीनियरिंग यूनिट 2 | गनियारी, बैढन | कॉपर ऑफ फेरस एवं नान फेरम एलाय | 07 |
| 35. | मे. ओम वुड इण्डस्ट्रीज | परसौना ब्लाक बैढन | सीजन डोर्स एण्ड विडोज | 09 |
| 36. | मे. बैढन ऑफसेट प्रेस | मेन रोड ताली बैढन | आफसेट प्रिंटिंग वर्क्स | 04 |
| 37. | मे. जे.व्ही.एस. ऑफसेट प्रिन्टर्स | सिंगरौली | प्रिन्टिंग कार्य | 08 |
| 38. | मे. सी. टेक सिस्टम | मेन रोड ताली, बैढन | प्रिंटिंग टायपिंग कम्प्यूटर रिपेयरिंग | 05 |

| | | | | |
|-----|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------|
| 39. | हिन्दुस्तान फेसिंग इण्डस्ट्रीज | भगत सिंह कालोनी, सिंगरौली | आल टाइप ब्रेक लाइन | 20 |
| 40. | मे. अजय इंटर प्राइजेज | शुक्ला मोड सिंगरौली | पिन, एच.ई.एम.एस. ब्रुस | 09 |
| 41. | मे. शिवालिक इंजीनियरिंग वर्क्स | भगत सिंह कालोनी, सिंगरौली | एसी स्टाटर, क्वायल आमेयर | 08 |
| 42. | मे. अजय आफसेट | बैढन | प्रिंटिंग वर्क्स | 03 |
| 43. | मे. इंटरनेशनल इण्डस्ट्रियल गैसेस लि. | तेलगवां रोड, बैढन | ऑक्सीजन गैस, नाईट्रोजन गैस | 32 |
| 44. | मे. दीपा एल्यूमिनियम इण्डस्ट्रीज | नेहरु नगर सिंगरौली | एल्यूमिनियम, यूटेन्सिल्स | 08 |
| 45. | मे. कृपा कंस्ट्रक्शन | तियरा ब्लॉक, बैढन | फलाईएस ब्लक्स, ब्रिक्स | 30 |
| 46. | मे. कृष्णा इंटरप्राइजेज | भूसां मोड, सिंग. | राईस मिलिंग | 05 |
| 47. | मे. सॉई स्टोन प्रोडक्ट्स | देवरा ब्लॉक, चितरंगी | स्टोन, गिट्टी | 11 |
| 48. | मे. राज इंजीनियरिंग | ढोटी | कार्बन ब्रस | 18 |
| 49. | मे. कोहली इंजीनियरिंग कंपनी | शुक्ला मोड, मोरबा | एच.ई.एम. एम.सी.एच. पार्ट्स | 09 |
| 50. | मे. श्री एच.पी. फलाई एस प्रोडक्ट्स | खरकटा | फलाई एश ब्लक्स | 23 |
| 51. | मे. टास इंटरप्राइजेज | नौगढ़ | टायर रिट्रेडिंग | 06 |
| | कुल | — | — | 800 |

2.7.3 कार्यालय

जिला मुख्यालय होने से यहां केन्द्र शासन एवं राज्य शासन के प्रशासनिक कार्यालय स्थापित है। इसमें से एन.सी.एल. एवं व्ही.एस.टी.पी.पी. के क्षेत्र में अधिकांशतः केन्द्र शासन के कार्यालय तथा शेष अन्य क्षेत्र बैढन, मोरबा, बरगवां में केन्द्र एवं राज्य सरकार के कार्यालय संचालित हैं। कार्यालय पुलिस अधीक्षक, कार्यालय तहसीलदार, कार्यालय नगर पालिक निगम, सिंगरौली, विकास प्राधिकरण कार्यालय सिंगरौली, जिला पंजीयक कार्यालय, महान कोल जिला कार्यालय, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय कार्यालय, माजन मोड के पास तथा न्यायालय, प्रदूषण निवारण मण्डल, बैंक, शिक्षा विभाग, लोक निर्माण विभाग, जिला पंचायत कार्यालय, जनपद पंचायत कार्यालय, सिंचाई विभाग, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रोजगार कार्यालय, श्रम विभाग, सांख्यिकीय विभाग, सिंचाई विभाग, स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय अलग-अलग स्थानों में स्थित हैं। इन कार्यालयों का कोई एक निर्धारित परिसर नहीं है।

सुविधा की दृष्टि से इन कार्यालयों को एक परिसर के अंतर्गत रखे जाने के उद्देश्य से, विकास योजना में एक प्रशासनिक स्थल सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

2.7.4 शैक्षणिक गतिविधियों का विकास

सिंगरौली निवेश क्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय से लेकर महाविद्यालय तथा तकनीकी महाविद्यालय तक के शिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

1. शासकीय महाविद्यालय बैढ़न, जिला सिंगरौली
2. शासकीय कन्या महाविद्यालय बैढ़न, जिला सिंगरौली
3. शासकीय कन्या महाविद्यालय, सिंगरौली
4. मायाराम महाविद्यालय, मेढ़ौली, मोरबा जिला सिंगरौली
5. अशासकीय राजीव गांधी कॉलेज, बैढ़न
6. अवधूत सिंह शावकराम महाविद्यालय
7. श्री साँई महाविद्यालय, विन्ध्यनगर सिंगरौली
8. अमृत विद्यापीठ बी.एड. महाविद्यालय
9. श्री साँई शैल मंगलम महाविद्यालय
10. सिंगरौली इस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन

सिंगरौली निवेश क्षेत्र के अंतर्गत उच्च शिक्षण हेतु शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज एवं मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है। अतः ग्राम पचोर, पचौरी, तेलाई, नौगढ़ में प्रस्तावित शैक्षणिक क्षेत्र के अंतर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान की जा सकेगी।

सिंगरौली : तकनीकी संस्थान

2-सा-10

| क्र. | संस्था का नाम | स्थल स्थित | क्षेत्रफल हेक्टेयर में | स्थल की उपयुक्तता | छात्र/छात्रों की संख्या | स्टाफ संख्या |
|------|-----------------------------------|------------|------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | शासकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालय | बैढ़न | 24.80 | उपयुक्त | 1035 | 38 |
| 2. | शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान | तेलाई | 04.80 | उपयुक्त | 641 | 35 |

श्रोत : संबंधित संस्थाओं से प्राप्त।

अन्य शैक्षणिक संस्थान

सिंगरौली निवेश क्षेत्र के अंतर्गत 1917 शैक्षणिक संस्थाएँ तथा 662 निजी शैक्षणिक संस्थाएँ स्थित हैं।

2.7.5 व्यापार एवं वाणिज्यिक

- (अ) व्यापार – सिंगरौली क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में उच्च कोटि का कोल भण्डारित क्षेत्र है, देश के विभिन्न थर्मल पावर औद्योगिक संस्थाओं को कोयला का उत्खनन कर गुजरात, उत्तरप्रदेश, हरियाणा आदि महत्वपूर्ण बड़े-बड़े प्रदेशों को निर्यात किया जाता है, जिससे नगर की आर्थिक समृद्धता में वृद्धि हुई है।
- (ब) वाणिज्यिक – नगर में प्रमुख मार्गों के किनारे एवं खण्ड स्तरीय बसाहट के अंतर्गत प्रमुख रूप से वाणिज्यिक गतिविधियों का विकास हुआ है, जिसका विवरण सारणी 2-सा-11 में दिया गया है :-

सिंगरौली : वाणिज्यिक प्रतिष्ठान

2-सा-11

| क्र. | स्थल/संस्थान का नाम | दुकानों की संख्या |
|------|----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | एन.टी.पी.सी. टाउनशिप | 82 |
| 2. | एन.सी.एल. टाउनशिप | 80 |
| 3. | बैढन | 225 |
| 4. | बरगवां | 35 |
| 5. | मोरबा | 375 |
| | योग | 797 |

नगर पालिक निगम सिंगरौली द्वारा विभिन्न स्थानों में व्यवसायिक परिसर का निर्माण कराया गया है, जिसका विवरण सारणी 2-सा-12 में दिया गया है।

सिंगरौली : व्यवसायिक परिसर

2-सा-12

| क्र. | संस्थान का नाम | दुकानों की संख्या |
|------|-----------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | बैढन बिलौजी काम्पलेक्स | 489 |
| 2. | नवजीवन विहार शिवाजी काम्पलेक्स | 80 |
| 3. | नवजीवन विहार मीट मार्केट | 04 |
| 4. | नवजीवन विहार कामर्शियल काम्पलेक्स | 24 |
| 5. | नवजीवन विहार शिवाजी काम्पलेक्स | 118 |
| 6. | न्यू मार्केट, मोरबा | 44 |
| 7. | कामर्शियल काम्पलेक्स, मोरबा | 102 |
| | योग | 861 |

2.7.6 कृषि एवं वनोपज

औद्योगिक एवं खनिज सम्पदा से संपन्न होने के साथ-साथ यह प्रक्षेत्र कृषि एवं वनोपज से भी काफी संपन्न है। यहां मुख्य रूप से गेहूँ, धान, मक्का, ज्वार, अरहर, मूँग, उड़द, मसूर, सोयाबीन, राई, आदि फसलों की खेती की जाने के साथ ही साथ वनोपज महुआफूल, तेन्दुपत्ता, आँवला, सिकाकाई, रीठा आदि की उपज वनों से प्राप्त होती है।

2.8 नगर के मुख्य कार्यकलाप

1. कोल भण्डारण, उत्खनन एवं समुचित दोहन।
2. ताप विद्युत उत्पादन।
3. जिला स्तर के प्रशासनिक केन्द्रों की स्थापना।
4. शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का विकास।
5. राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार एवं वाणिज्यिक गतिविधियों का विकास।
6. औद्योगिक विकास।
7. कृषि कार्यों को प्रोत्साहन।

2.9 नियोजन अवधारणा

किसी भी नगर का स्वरूप एवं आकार प्राकृतिक संरचना से प्रभावित होता है। क्षेत्रीय विकास का प्रमुख आधार वहां पर उपलब्ध भौतिक एवं नैसर्गिक संसाधन नदी, नाले, पहाड़ तथा परिवहन संरचना पर निर्भर होता है। सिंगरौली प्रक्षेत्र मुख्यतः कोयला खदानों, ताप विद्युत संयंत्र तथा पहाड़ी क्षेत्रों से घिरा हुआ है। धरातल की स्थिति असमतल है, मोरबा से बैढन एवं बैढन से बरगवां को जाने वाले मार्ग नगरीय बसाहट के रूप में उभर रहे हैं। क्षेत्र की अधिकांश बसाहट एवं विकास की प्रमुख गतिविधियां इन्हीं मार्गों पर विकसित हो रही हैं। अतः इस क्षेत्र का भौतिक विकास प्राकृतिक एवं मानव निर्मित बाधाओं से प्रभावित क्षेत्रों के अतिरिक्त समतल, मैदानी एवं उपयुक्त स्थलों पर विकास का प्रस्ताव दिया जाना उचित होगा।

वर्तमान में बैढन, मोरबा, विन्ध्यासागर तथा बरगवां नगरीय केन्द्रों के रूप में विकसित हो रहे हैं तथा बिलौजी, मोरबा एवं पोड़ी, नौगई, परसौना, खुटार, रजमिलान ग्रामीण सेवा केन्द्रों के रूप में विकसित हो रहे हैं। मोरबा कोल धारित क्षेत्र में स्थित है, जिसके कारण इन बसाहटों को यथावत् रखते हुये अन्य क्षेत्रों को बढ़ावा देना प्रस्तावित है। इस क्षेत्र में उपलब्ध अधोसंरचना जैसे— बाजार, आवासीय भवन, संबंधित औद्योगिक परिक्षेत्र, सेवा—सुविधायें आदि अपने संपर्क में आने वाले ग्रामीण प्रभाव के परिक्षेत्रों का योजनाकाल तक उपलब्ध कराते रहेंगे। सिंगरौली निवेश क्षेत्र में सम्मिलित नगरीय समूह के क्षेत्र बैढन, बरगवां एवं मोरबा है, जिसमें बरगवां से रेलवे लाईन एवं रेलवे स्टेशन होने के कारण विकसित हो रहा है तथा मोरबा माइनिंग सर्वेक्षण के अनुसार कोलधारित क्षेत्र के अंतर्गत है, जिसमें सामान्य विकास हेतु प्रस्ताव दिये जा सकते हैं, इसमें से मुख्यतः बैढन ही नगरीय क्षेत्र के रूप में विकसित हो रहा है, यहां जिला स्तर की समस्त गतिविधियां विकसित हो रही हैं।

इसी आधार पर सिंगरौली निवेश क्षेत्र के अंतर्गत नगर के भावी विकास हेतु केन्द्रित करते हुये आवश्यकतानुसार मोरबा एवं बरगवां एवं अन्य विकासशील ग्रामों में प्रस्ताव दिये गये हैं।

राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग द्वारा अनुशंसित परिकल्पना को ध्यान में रखते हुये सिंगरौली निवेश क्षेत्र का क्षेत्रीय एवं नगरीय स्तर पर एकीकृत योजना का लक्ष्य रखा गया है, जिसके अंतर्गत निम्नानुसार योजनायें तैयार करने का प्रावधान है—

1. क्षेत्रीय योजना, सिटी डेव्हलपमेंट प्लान (सी.डी.पी.) विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समन्वय।
2. नगर के बहुआयामी केन्द्र के रूप में विकसित किया जाना।
3. नगर के सघन आबादी वाले मध्यवर्ती क्षेत्र के दबाव को कम करने हेतु नगर के बाह्य क्षेत्रों में विकास हेतु प्रस्ताव।
4. आवासीय क्षेत्रों की अन्य कार्य केन्द्रों से निकटता।
5. राष्ट्रीय क्षेत्रीय मार्गों के सुगम यातायात को नगरीय मार्गों से समन्वय के लिये बायपास (रिंग रोड) का निर्माण।
6. वृहत्तर नगरों की समन्वित एकीकृत योजना।

2.9.1 सिटी डेव्हलपमेंट प्लान (सी.डी.पी.)

सिंगरौली नगरीय क्षेत्र समग्र विकास हेतु योजना तैयार की गई है, इसमें वर्ष 2035 तक के विकास को समाहित किया गया है। विकास योजना भी वर्ष 2031 तक के लिये तैयार की जा रही है, जिसमें सी.डी.पी. के प्रमुख प्रस्तावों को विकास योजना में समाहित किया गया है। सी.डी.पी. के प्रमुख प्रस्ताव जल प्रदाय, जल-मल निकासी, ठोस अवशिष्ट प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, उद्योग, यातायात परिवहन, आवासीय विकास, गन्दी बस्तियों का उन्नयन, ग्रेन मार्केट आदि से संबंधित।

2.10 प्रस्तावित भूमि उपयोग भू-आवंटन 2031

सिंगरौली निवेश क्षेत्र में भावी विकास योजना को दृष्टिगत रखते हुये इसके अंतर्गत उपलब्ध भूमि का नियोजन की दृष्टि से भू-उपयोग निर्धारण किया गया है। सिंगरौली विकास योजना हेतु वर्ष 2031 तक में 8.00 लाख जनसंख्या के लिये कुल 12244.87 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है। सारणी 2-सा-16 में प्रस्तावित भूमि उपयोजन का आवंटन निम्नानुसार है :-

सिंगरौली : भूमि आवंटन (वर्ष 2031)

2-सा-13

| क्र. | भूमि उपयोग | वर्तमान विकसित क्षेत्र 2012 | | | प्रस्तावित क्षेत्र वर्ष 2031 | | |
|------|--|--------------------------------|---------------|----------------|---|---------------|----------------|
| | | क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | प्रतिशत | उपयोगिता दर | कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | प्रतिशत | उपयोगिता दर |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | आवासीय | 2470.00 | 39.69 | 5.68 | 4960.3 | 40.65 | 6.20 |
| 2. | वाणिज्यिक | 88.00 | 1.41 | 0.20 | 600 | 4.9 | 0.75 |
| 3. | औद्योगिक | 2700.00 | 43.39 | 6.21 | 2987.67 | 24.29 | 3.80 |
| 4. | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक सेवायें- सुविधायें | 195.00 | 3.14 | 0.45 | 680 | 5.6 | 0.85 |
| 5. | आमोद-प्रमोद | 119.00 | 1.91 | 0.27 | 656.9 | 5.36 | 0.82 |
| 6. | यातायात एवं परिवहन | 651.00 | 10.46 | 1.50 | 2360 | 19.2 | 2.95 |
| | योग | 6223.00 | 100.00 | 14.31 | 12244.87 | 100.00 | 15.37 |

2.11 आवासीय

विकास योजना में नये आवासीय क्षेत्रों का आंकलन निवेश क्षेत्र के अंतर्गत आवास गृहों की मांग की पूर्ति नगर की भावी जनसंख्या के अधिवास को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। निवेश क्षेत्र के अंतर्गत योजना अवधि 2031 के अंतकाल में आवासीय उपयोग हेतु 4960.3 हेक्टेयर भूमि वर्तमान आवासीय उपयोग को समाहित कर प्रस्तावित की गई है, जो प्रस्तावित कुल क्षेत्र का 40.65 प्रतिशत है, जिसकी उपयोगिता दर 6.20 व्यक्ति प्रति हजार है। नगर की वर्तमान आवासीय बसाहट प्रमुखतः बैड़न, बोरबा एवं बरगवां के अंतर्गत तथा ग्रामीण आवासीय बस्तियाँ, नवीन औद्योगिक प्रतिष्ठानों के समीप कालोनियों, आवासीय बस्ती एवं पुनर्वास को सम्मिलित करते हुये, वर्तमान ग्रामीण आबादी क्षेत्र के चारों ओर 200 मीटर की परिधि में आवासीय एवं उससे संबंधित अनुषांगिक गतिविधियों हेतु अनुमतियां सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदान की जा सकेंगी।

2.12 आवासीय परिदृश्य

नगर के विभिन्न आय वर्गों के लोगों को उनकी आर्थिक स्थिति अनुसार आवासीय क्षेत्र उपलब्ध कराने की नीति विकास योजना का लक्ष्य है। यह प्रावधान लोगों को आवास उपलब्ध कराने के अतिरिक्त नगरवासियों के सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान में सहायक होगा। आवासीय क्षेत्रों की अवधारणा निम्न बिन्दुओं पर आधारित है :-

1. आर्थिक क्षमता के अनुसार भविष्य में विस्तार करने की संभावना तथा बदलते परिवेश में भवन निर्माण हेतु भूमि का प्रावधान।
2. आवासीय क्षेत्रों में मूलभूत सेवा सुविधाओं की कमी वाले क्षेत्रों में सुधार तथा प्रस्तावित आवासीय क्षेत्र में अधोसंरचना का प्रावधान।
3. सार्वजनिक सेवा सुविधाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आमोद-प्रमोद आदि का प्रावधान।
4. कार्य केन्द्रों तथा सुविधा केन्द्रों को आवासीय क्षेत्र के साथ उचित परिवहन संरचना से जोड़ना।

सिंगरौली : आवासीय घनत्व

2-सा-14

| क्र. | वार्ड का नाम | वार्ड का कुल क्षेत्रफल (वर्ग कि. मी.) | जनसंख्या वर्ष 2001 | घनत्व |
|------|----------------------|---------------------------------------|--------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | गौतम बुद्ध वार्ड | 8.10 | 5309 | 655 |
| 2. | लक्ष्मीबाई वार्ड | 11.2 | 4827 | 431 |
| 3. | इन्द्रपुरी वार्ड | 5.1 | 4709 | 923 |
| 4. | टालस्टाय वार्ड | 4.6 | 4636 | 1008 |
| 5. | अहिल्या बाई वार्ड | 6.5 | 4779 | 735 |
| 6. | पृथ्वीराज वार्ड | 6.3 | 2965 | 471 |
| 7. | कबीर वार्ड | 4.2 | 2596 | 618 |
| 8. | अजामिल वार्ड | 7.2 | 4741 | 658 |
| 9. | टैगोर वार्ड | 7.3 | 6050 | 829 |
| 10. | तानसेन वार्ड | 9.1 | 4943 | 543 |
| 11. | दयानंद वार्ड | 20.1 | 3117 | 155 |
| 12. | मधुवन वार्ड | 6.2 | 3903 | 630 |
| 13. | विकास वार्ड | 4.7 | 3647 | 776 |
| 14. | सुलोचना वार्ड | 3.5 | 2761 | 789 |
| 15. | अनुसूईयां वार्ड | 6.3 | 3351 | 532 |
| 16. | सुदर्शन वार्ड | 6.3 | 5107 | 811 |
| 17. | महात्मा गांधी वार्ड | 4.7 | 5762 | 1226 |
| 18. | अम्बेडकर वार्ड | 2.2 | 5617 | 2553 |
| 19. | भगत सिंह वार्ड | 4.5 | 5392 | 1198 |
| 20. | महाराणा प्रताप वार्ड | 3.0 | 5227 | 1742 |
| 21. | शिवाजी वार्ड | 4.4 | 7092 | 1612 |
| 22. | कालिंग वार्ड | 2.1 | 4067 | 1937 |

| | | | | |
|-----|--------------------------|--------------|---------------|------------|
| 23. | उपवन वार्ड | 2.0 | 5107 | 2554 |
| 24. | नालन्दा वार्ड | 4.0 | 3771 | 943 |
| 25. | सुभाषचन्द्र वार्ड | 3.1 | 2682 | 865 |
| 26. | अशोक वार्ड | 4.2 | 6046 | 1440 |
| 27. | अकबर वार्ड | 3.6 | 4826 | 1341 |
| 28. | चाणक्य वार्ड | 5.2 | 6493 | 1249 |
| 29. | तिलक वार्ड | 5.1 | 5281 | 1035 |
| 30. | नेहरू वार्ड | 3.2 | 6669 | 2084 |
| 31. | मौलाना वार्ड | 1.9 | 5858 | 3083 |
| 32. | नूतन वार्ड | 2.4 | 4793 | 1997 |
| 33. | प्रगति वार्ड | 1.6 | 3775 | 2359 |
| 34. | सूर्या वार्ड | 4.3 | 3547 | 825 |
| 35. | एकता वार्ड | 4.9 | 4994 | 1019 |
| 36. | लालबहादुर शास्त्री वार्ड | 5.6 | 5348 | 955 |
| 37. | दीनदयाल वार्ड | 36.7 | 5184 | 141 |
| 38. | तुलसी वार्ड | 15.9 | 4383 | 276 |
| 39. | राजीव वार्ड | 5.8 | 6148 | 1060 |
| 40. | आदर्श वार्ड | 2.5 | 6462 | 2585 |
| 41. | इंदिरा गांधी वार्ड | 7.9 | 7744 | 980 |
| 42. | सरदार वल्लभ भाई वार्ड | 2.5 | 4099 | 1640 |
| 43. | विवेकानंद वार्ड | 5.9 | 5609 | 951 |
| 44. | आजाद वार्ड | 6.5 | 3802 | 585 |
| 45. | विनोबा वार्ड | 8.4 | 7076 | 842 |
| | योग – | 280.8 | 220295 | 785 |

स्रोत : सिंगरौली सी.डी.पी.

सिंगरौली नगर पालिक निगम क्षेत्र को 45 वार्डों में विभक्त किया गया है। नगर का सबसे कम आवासीय घनत्व वार्ड क्रमांक-37, 11 एवं 38 में है तथा सर्वाधिक घनत्व वार्ड क्रमांक 31, 40 एवं 23 में है। नगर का सकल घनत्व 8.00 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है।


2.12.1 गंदी बस्ती

मूलभूत नियम सेवा-सुविधाओं रहित क्षेत्र जहां पर अस्वास्थ्यकर परिस्थिति विद्यमान हो, उन क्षेत्रों को गंदी बस्ती क्षेत्र कहा जाता है। नगर में 38 बस्तियों को गंदी बस्ती क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल किया गया है। यह बस्तियां लगभग 47.48 हेक्टेयर भूमि पर स्थित है तथा इसमें लगभग 47630 व्यक्ति निवास कर रहे हैं।


सिंगरौली

वर्तमान भूमि उपयोग

| LANDUSE | वर्तमान EXISTING | भूमि उपयोग |
|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| RESIDENTIAL | | आवासीय |
| COMMERCIAL | | वाणिज्यिक |
| GENERAL | | सामान्य |
| MANDI | | मंडी |
| INDUSTRIAL | | औद्योगिक |
| PUBLIC & SEMIPUBLIC | | सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक |
| PUBLIC UTILITIES & FACILITIES | | सार्वजनिक सेवाएं एवं सुविधाएं |
| RECREATIONAL | | आमोद प्रमोद |
| REGIONAL PARK | | क्षेत्रीय उद्यान |
| PLANTATION | | वृक्षारोपण |
| WATERBODIES | | जलाशय |
| CANAL | | नहर |
| AGRICULTURAL | | कृषि |
| COAL MINES | | कोयला खदान |
| COAL BEARING AREA LIMIT | | कोयला धारित क्षेत्र सीमा |
| POWER CORRIDOR | | पावर कोरीडोर |
| TOWER LINE | | |
| FOREST | | वन |
| TRANSPORTATION ROAD | | यातायात मार्ग |
| RAILWAY LINE | | रेल मार्ग |
| BUS STAND | | बस स्थानक |
| RAILWAY STATION | | रेल्वे स्टेशन |
| PLANNING AREA | | निवेश क्षेत्र |
| VILLAGE BOUNDARY | | ग्राम सीमा |




 सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र,
 M0प्र0 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्
 विज्ञान भवन, भोपाल
 Date- 21/07/2015




 संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश

नगर पालिक निगम सिंगरौली द्वारा चिन्हांकित : गंदी बस्तियां

2-सा-15

| क्र. | वार्ड क्र. | गंदी बस्ती का नाम | क्षेत्रफल वर्ग कि.मी. | मकानों की संख्या | जनसंख्या |
|------|------------|--|-----------------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 1 | कुशवई | 6.00 | 299 | 2807 |
| 2. | 2 | निगाही टोला | 2.50 | 42 | 216 |
| 3. | 3 | जगमोरबा बस्ती | 0.80 | 40 | 210 |
| 4. | 4 | सी.ई.टी.आई. के पूर्व की बस्ती | 1.05 | 272 | 1360 |
| 5. | 5 | चन्द्रपुर, हरिजन बस्ती भूसा मोड़ | 1.73 | 209 | 736 |
| 6. | 7 | कोईरानी टोला चटका ग्रामीण बस्ती चटका झुग्गी बस्ती | 2.60 | 311 | 2300 |
| 7. | 9 | नई बस्ती | 0.60 | 61 | 210 |
| 8. | 10 | तानसेन वार्ड | 1.60 | 82 | 2610 |
| 9. | 14 | सरसवाह बस्ती | 1.50 | 276 | 1781 |
| 10. | 19 | हरिजन बस्ती बनौली | 0.20 | 176 | 9710 |
| 11. | 20 | हरिजन बस्ती इटमा | 0.40 | 56 | 311 |
| 12. | 26 | कचनी | 4.00 | 848 | 4005 |
| 13. | 27 | चन्द्रमा टोला | 2.50 | 421 | 1560 |
| 14. | 28 | माजन कला, माजन खुर्द | 1.20 | 306 | 1455 |
| 15. | 29 | ढेकी, हरई पश्चिम | 2.00 | 355 | 3650 |
| 16. | 30 | स्वीपर बस्ती | 2.80 | 15 | 60 |
| 17. | 31 | पुनर्वास कालोनी | 0.50 | 430 | 1260 |
| 18. | 36 | जुआंडी, तेलगवां, जयनगर | 2.00 | 750 | 3900 |
| 19. | 37 | चन्दावल सेमरिया | 0.50 | 55 | 330 |
| 20. | 38 | ढोटी पुरानी बस्ती बलियरी हरिजन बस्ती | 1.10 | 60 | 370 |
| 21. | 39 | केवटान मोहल्ला | 1.80 | 58 | 350 |
| 22. | 41 | पहाडी टोला गनियारी हरिजन बस्ती चौरा टोला गनियारी | 2.90 | 147 | 828 |
| 23. | 42 | बसोर बस्ती, बिलौजी तेलियन बस्ती | 1.90 | 133 | 641 |
| 24. | 43 | हिरवाह पूर्व टोला | 0.70 | 391 | 1470 |
| 25. | 44 | पचौर पुरानी बस्ती | 1.60 | 600 | 3000 |
| 26. | 45 | नौगढ़ हरिजन बस्ती | 3.00 | 450 | 2500 |
| | योग | | 47.48 | 6843 | 47630 |

टीप : उपरोक्त समस्त गंदी बस्तियों का समग्र विकास निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप सी.डी.पी. में सुझावों के आधार पर किया जाना प्रस्तावित है।

2.12.2 आवास इकाईयों की कमी

जनगणना 2011 के अनुसार सिंगरौली नगर निगम क्षेत्र में 42916 परिवार 41886 आवासों में निवास करते हैं। इस आधार पर औसत परिवार आकार 5.13 आता है। प्रत्येक परिवार को एक स्वतंत्र आवास की आवश्यकता के मान से 5686 आवासों की कमी परिलक्षित होती है। नगर में 2800 झुग्गी-झोपड़ियां, गंदी बस्ती क्षेत्रों में पाई गई, जिसमें 80 प्रतिशत के पुनर्निर्माण की आवश्यकता अनुभव की गई। इन क्षेत्रों में कार्यालय द्वारा किये गये सर्वेक्षण के आधार पर 1856 जीर्ण-शीर्ण एवं कच्चे मकान नगर में पाये गये, जिसमें 65 प्रतिशत आवासों के पुनर्निर्माण की आवश्यकता प्रतिपादित होती है। इस आधार पर वर्तमान में आवासों की कमी का आंकलन सारणी 2-सा-16 में दर्शाया गया है-

सिंगरौली : आवासों की कमी

2-सा-16

| क्र. | विवरण | कुल निर्मित आवासीय इकाईयां | पुनर्स्थापना का प्रतिशत | आवासों की कमी |
|------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | वर्ष 2011 | 41886 | — | 1030 |
| 2. | जीर्ण-शीर्ण एवं कच्चे मकान | 2856 | 65 | 1856 |
| 3. | झुग्गी-झोपड़ी | 6843 | 80 | 5474 |
| | योग | 51585 | — | 8360 |

उपरोक्त सारिणी से स्पष्ट होता है कि सिंगरौली में 5686 आवासों की कमी पाई गई है। वर्ष 2031 की अनुमानित जनसंख्या के लिये आवासों की आवश्यकता एवं अतिरिक्त परिवारों का अनुमान निम्न सारणी में दिया गया है :-

सिंगरौली : अनुमानित परिवार एवं आवास आवश्यकता (2031)

2-सा-17

| क्र. | विवरण | आवासीय इकाईयों की आवश्यकता | | |
|------|--|----------------------------|--------------|--------------|
| | | वर्ष 2011 | वर्ष 2021 | वर्ष 2031 |
| 1. | जनसंख्या लाखों में | 220295 | 265000 | 344500 |
| 2. | अतिरिक्त जनसंख्या | — | 44705 | 79500 |
| 3. | औसत परिवार का आकार | 5.13 | 5 | 4 |
| 4. | अतिरिक्त परिवार | 1030 | 8941 | 19875 |
| 5. | वर्ष 2021 में 90 प्रतिशत एवं वर्ष 2031 में 80 प्रतिशत परिवारों को आवास की आवश्यकता | — | 8047 | 15900 |
| 6. | वर्ष 2011 की आवासीय कमी को सम्मिलित करते हुये आवास आवश्यकता | 8360 | 16407 | 32307 |
| 7. | निवास योग्य रहवास इकाईयों की पुनर्स्थापना | — | 1640 | 3230 |
| — | कुल आवास आवश्यकता | + 9390 | 18047 | 35537 |

नोट : नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या एवं अतिरिक्त परिवारों की मांग की संख्या के आधार पर आवासीय इकाईयों की कमी का आंकलन किया गया है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार परिवार का औसत आकार 5.13 है। अनुमानित है कि वर्ष 2021 एवं 2031 में यह क्रमशः 5 एवं 4 व्यक्ति तक पहुंच जायेगा। अतः उक्त अध्ययन के आधार पर वर्तमान आवासों की कमी को सम्मिलित करते हुये अनुमानित है कि वर्ष 2031 तक 35537 निवन आवासों की आवश्यकता होगी।

आवासीय विकास को बढ़ावा देने के लिये कुछ नीतिगत पहल आवश्यक है, जो निम्नानुसार है :-

- अ. भूमि विकास को बढ़ावा देने हेतु सार्वजनिक अभिकरणों को गतिशील एवं समन्वित करना आवश्यक होगा। भूमि विकास के लिये राज्य शासन की नीतियों पर आधारित भू-स्वामियों भूमि विकासकर्ताओं, सामुदायिक समूहों को एवं हितग्राहियों की भागीदारी आवश्यक है।
- ब. नगर स्तर के अधोसंरचना एवं सार्वजनिक सुविधाओं के विकास के लिये भूमि तथा अन्य संसाधनों का राज्य शासन की नीति के तहत निर्धारण हो।
- स. निजी संस्थाओं एवं सामुदायिक संस्थाओं द्वारा भूमि के विकास में किये जो रहे प्रयत्नों को बढ़ावा देना।
- द. भूमि के पुनर्उपयोग को सम्मिलित करते हुये आवास हेतु भूमि की सरल/सतत् आपूर्ति बनाये रखने हेतु नीतियों को बढ़ावा देना।
- ई. रहवास हेतु नियोजन एवं विकास के मापदण्डों का पुनर्विलोकन (घनत्व, आच्छादित क्षेत्र, सीमांत खुला क्षेत्र, फर्शी क्षेत्रानुपात, भूमि विभाजन मापदण्ड) जिसमें भूमि उपयोग एवं रहवास निर्माण में जलवायु ऊर्जा उपयोग में कमी, भूमि की उपयोग क्षमता एवं लागत अनुकूलन लक्ष्य की प्राप्ति हो।

2.12.3 सामुदायिक संस्थागत प्रयासों द्वारा वर्तमान रहवासी क्षेत्रों में संरचना के उन्नयन की नीति

(अ) आवासीय क्षेत्रों का नियोजन एवं रूपांकन

आवासीय क्षेत्रों के विकास के लिये योजना इस प्रकार तैयार की गई है कि कार्य स्थल, सार्वजनिक सुविधाओं से निकट रहें, इन आवासीय क्षेत्रों को आत्मनिर्भर आवासीय खण्डों के रूप में विकसित किया जावेगा, जिसमें उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति उनके आवासीय क्षेत्रों के निकट ही हो सके। आवासीय प्रस्ताव प्रमुख रूप से नवानगर, जयन्त से लेकर बैढन, बिलौजी, पुरानी बसाहट के मध्य रिक्त भाग पर तथा गनियारी, देवरा, बिलौजी, माजन, कचनी, नौगढ़, परसौना क्षेत्र पर विकास किया जाना प्रस्तावित है।

(ब) आवासीय घनत्व

आवासीय घनत्व को प्राप्त करने का मूल आधार नगरीय भूमि का अनुकूलतम उपयोग एवं आत्म निर्भर विकास प्राप्त करना है, जिससे वांछित स्तर के जीवन मूल्यों को प्राप्त किया जा सके। इसे प्राप्त करने के लिये निम्न तथ्यों पर विचार किया गया है :-

1. वर्तमान घनत्व एवं पुनर्विकास एवं पुनर्स्थापन।
2. भूमि मूल्य परिवर्तन।
3. वर्तमान अधोसंरचना की क्षमता एवं उसे बढ़ाने की संभावनाएँ।

(स) समूह आवास

यह गतिविधियाँ मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 द्वारा नियंत्रित होंगी।

- (द) बहुविध बहुमंजिले से संबंधित गतिविधियाँ म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों अनुसार नियंत्रित होंगी।
- (इ) आवासीय भूमि के विकास के लिये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अल्प आय वर्ग हेतु समय-समय पर प्रचलित प्रावधानों अनुसार व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

2.13 वाणिज्यिक क्षेत्र

नगर के वाणिज्यिक उपयोग के अंतर्गत 88.00 हेक्टर भूमि का उपयोग किया जा रहा है, जो कि नगर की आवश्यकताओं के मान से कम है। अतः बैढ़न, मोरबा एवं बरगवां तीनों नगर समूहों में इस उपयोग हेतु 512 हेक्टेयर अविकसित भूमि प्रस्तावित की जा रही है।

यहाँ का मुख्य बाजार बैढ़न बस स्टैण्ड के पास स्थित है। इसके अतिरिक्त नव जीवन विहार, मोरबा, नवानगर, विन्ध्यनगर एवं बरगवां में स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये बाजार क्षेत्र हैं। यहाँ विशेषीकृत बाजार का अभाव है। नगर निगम द्वारा वाणिज्यिक परिसरों का निर्माण कराया गया है। नगर के प्रमुख मार्गों के किनारे वाणिज्यिक गतिविधियों के संचालित होने से वाहन विराम स्थल एवं यातायात समस्या उत्पन्न होती है, जिसको दृष्टिगत रखते हुये नगर के भावी वाणिज्यिक विकास के प्रस्ताव निम्न बिन्दुओं के आधार पर दिये गये हैं :-

1. सुविधाजनक वाणिज्यिक विकास हेतु उपयुक्त स्थलों का चयन।
2. सुगम यातायात हेतु मार्गों के विकास का निर्माण।
3. वर्तमान नगरीय क्षेत्र में यातायात समस्या उत्पन्न करने वाले प्रतिष्ठानों का पुनर्स्थापन।
4. थोक, विशिष्ट एवं खण्ड, उपखण्ड स्तरीय बाजारों का विकास।

(अ) थोक वाणिज्यिक क्षेत्र

- (अ) थोक वाणिज्यिक क्षेत्र निम्नानुसार प्रस्तावित किये गये हैं :-

1. थोक विशिष्ट बाजार।
2. शीतगृह भण्डारण एवं माल गोदाम।
3. फल एवं सब्जी मण्डी।
4. कृषि उपज मण्डी।
5. यातायात नगर।
6. इमारती लकड़ी (काष्ठागार), वन निर्माण सामग्री।
7. कोल एवं आयल डिपो।

(ब) फुटकर वाणिज्यिक क्षेत्र

बैढ़न नगरीय क्षेत्र को केन्द्र मानकर सभी कार्य स्थलों से जोड़ना एवं आवासीय क्षेत्रों को विशेष रूप से बाजार एवं सुख-सुविधाओं की दृष्टि से सेवा संबंधी दुकानों हेतु नगर निगम एवं विकास प्राधिकरण तथा सी.डी.पी. में प्रस्तावित शॉपिंग सेन्टर एवं मॉल विकास हेतु प्रावधान रखा गया है।

विकास योजना में वाणिज्यिक गतिविधियों के विकास हेतु 600.0 हेक्टेयर भूमि विकसित किया जाना प्रस्तावित है, जिसका विवरण सारणी 2-सा-18 में दर्शाया गया है :-

सिंगरौली : वाणिज्यिक (नवीन)

2-सा-18

| क्र. | विवरण | स्थिति | क्षेत्रफल हे. में |
|------|---------------------------------|--|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | थोक एवं विशिष्ट बाजार | 1. धतुरापोखरा, ढेंकी 2. परसौना तिराहा 3. मोरबा (मेढौली) 4. बरगवां (डगा) | 21.0 36.0 13.0 77.0 |
| 2. | शीतगृह एवं माल गोदाम अनाज मण्डी | 1. सिंगरौली (मेढौली) रेलवे स्टेशन के पास 2. बरगवां (बरहवा टोला) 3. गोंदवाली 4. धतुरा, पोखरा 5. बैढ़न, पोंडी, नौगई 6. बैढ़न-कचनी | 29.0 38.0 20.0 40.0 18.0 |
| 3. | मण्डियाँ :- 1. कोल/आयल डिपो | 1. बरगवां में रेलवे स्टेशन के पास- मोरबा विद्युत मं. कार्यालय के पास | 22.0 5.0 |

| | | | |
|--------------------------------|--|--|------|
| 2. सब्जी मण्डी एवं फल बाजार | राष्ट्रीय राजमार्ग के दक्षिण (मैठौली) | | |
| | 2. बरगवां में प्रस्तावित बस स्टैण्ड के सामने | 5.0 | |
| | 3. तेलाई मोड के पास | 6.0 | |
| 3. मीट मार्केट | 1. गनियारी एम.जी.आर. लाईन के पास | 1.0 हेक्टेयर | |
| | 2. बरगवां में औद्योगिक से संलग्न बरगवां में प्रमुख मार्ग के किनारे | 1.0 हेक्टेयर | |
| | 3. मोरबा में एम.पी.ई.बी. से संलग्न | 1.0 हेक्टेयर | |
| 4. स्लाटर हाउस | विन्ध्य नगर में थाने के पीछे नाले से लगकर | 2.0 हेक्टेयर | |
| 5. लोहा मण्डी एवं कबाड़ी बाजार | ग्राम नौगढ़ में प्रस्तावित यातायात नगर के पास बैढ़न (नौगढ़) में | 15.0 | |
| | 1. मोरबा में वन क्षेत्र के अंतर्गत | 10.0 | |
| 6. काष्ठागार (लकड़ी टाल) | 2. औद्योगिक क्षेत्र गनियारी से संलग्न | 5.0 | |
| | 3. ग्राम बलियारी में | 10.0 | |
| | 4. बरगवां में वन विभाग के पास | 10.0 | |
| | 4. ग्रेन मार्केट | 1. बरगवां-बरहवां टोला में प्रस्तावित गोदाम क्षेत्र में | 5.0 |
| | 2. बैढ़न (तेलाई) में प्रस्तावित सब्जी मण्डी से संलग्न | 5.0 | |
| 5. कृषि उपज मंडी | माडा/बरगवां मार्ग कृषि प्रक्षेत्र | 20.00 | |
| 6. | 1. नगर स्तरीय | नगर के प्रमुख वाणिज्यिक मार्गों पर | 20.0 |
| | 2. खण्ड स्तरीय | सिविल सेवा स्थानीय | 14.0 |
| | 3. उपखण्ड स्तरीय | | 11.0 |
| — | योग | 512.0 | |

2.13.1 थोक एवं विशिष्ट बाजार

नगर में थोक एवं विशिष्ट बाजार की सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसके लिये कटनी, जबलपुर एवं बिलासपुर के थोक बाजार पर आश्रित रहना पड़ता है। राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठानों की स्थापना एवं जिला मुख्यालय होने के कारण यहाँ पर भविष्य में थोक एवं विशिष्ट बाजार की आवश्यकता होगी। थोक एवं विशिष्ट बाजार के अंतर्गत समस्त किराना एवं कपड़े का थोक क्रय-विक्रय आता है। इसके भावी विकास हेतु बैढ़न में परसौना तिराहा के पास 36.0 हेक्टेयर, ग्राम धतुरा पोखरा, ढेंकी में 21.0 हेक्टेयर तथा मोरबा में 13.0 हेक्टेयर एवं बरगवां में 77.0 हेक्टेयर इस प्रकार कुल 147.00 हेक्टेयर

भूमि का विकास इस उपयोग हेतु किया जाना प्रस्तावित है।

2.13.2 माल गोदाम एवं शीतगृह

माल गोदाम एवं शीतगृह हेतु नगर की भावी आवश्यकताओं के अनुसार तालिका 2-सा-18 में उल्लेखित स्थल एवं क्षेत्र के अनुसार मोरबा में मेढौली रेलवे स्टेशन के पास 29.0 हेक्टेयर तथा मोरबा से बैढन जाने वाले मार्ग पर 13.0 हेक्टेयर, बरगवां, (बरहवा टोला) में 54.0 हेक्टेयर, गोंदवाली में 38.0 हेक्टेयर तथा धतुरा, पोखरा, ढेंकी, बैढन, कंचनी, पोड़ी, नौगई के अंतर्गत माल गोदाम एवं शीतगृह उपयोग हेतु कुल 225.00 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है।

2.13.3 मण्डियाँ

(अ) कोल एवं आयल डिपो

कोयले की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता तथा आयल की आवश्यकता होने के बावजूद भी नगर में भण्डारण की समुचित व्यवस्था नहीं है। अतः बरगवां में रेलवे स्टेशन के पास 22.0 हेक्टेयर भूमि कोल एवं आयल डिपो हेतु प्रस्तावित की गयी है।

(ब) ग्रेन मार्केट

ग्रेन मार्केट के विकास हेतु मोरबा में विद्युत मण्डल कार्यालय के पास राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 75 के दक्षिण में बरगवां में वन कार्यालय के पास सीधी-रीवा मार्ग के उत्तर तथा बैढन में तेलाई मोड़ के पास 5 हेक्टेयर भूमि का विकास किया जाना प्रस्तावित है।

(स) लोहा मण्डी/कबाड़ी बाजार

नगर में व्यवस्थित रूप से लोहा मण्डी के नाम से स्थल विकसित नहीं है, नगर के विभिन्न क्षेत्रों में यत्र-तत्र लोहे का विक्रय किया जाता है। अतः व्यवस्थित रूप से लोहा मण्डी के विकास हेतु ग्राम नौगढ़ में प्रस्तावित यातायात नगर के पास रीवा-सीधी प्रमुख मार्ग पर 15.0 हेक्टेयर भूमि लोहा मण्डी के विकास हेतु प्रस्तावित है तथा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुये कबाड़ को संग्रहित करने हेतु ग्राम नौगढ़ में लोहा मण्डी से संलग्न 10.0 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है।

(द) कृषि उपज मण्डी

नगर में वर्तमान में बैढन के अंतर्गत निर्माणाधीन कलेक्ट्रेट के पास कृषि उपज मण्डी संचालित है, जिसके आसपास कई कार्यालय संचालित होने के कारण स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से भविष्य में माड़ा तिराहा के पास प्रस्तावित कृषि भूमि आधारित उद्योग से संलग्न क्षेत्र में 20.0 हेक्टेयर भूमि का विकास किया जाना प्रस्तावित है।

(ई) काष्ठागार (लकड़ी टाल)

वन बाहुल्य क्षेत्र होने एवं इमारती तथा जलाऊ लकड़ी के समुचित रख रखाव हेतु निवेश क्षेत्र के अंतर्गत बरगवां में वन कार्यालय के पास राष्ट्रीय राजमार्ग से संलग्न उत्तर की ओर 10.0 हेक्टेयर

तथा मोरबा में वन क्षेत्र के अंतर्गत 10.0 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है। गनियारी औद्योगिक क्षेत्र से संलग्न 5.0 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है एवं ग्राम वाजेपाटी में 10.0 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है।

(फ) मीट मार्केट

औद्योगिक क्षेत्र गनियारी मार्ग से संलग्न एम.जी.आर. के उस पार 1.0 हेक्टेयर, मोरबा मुख्य मार्ग पर एम.पी.ई.बी. के समीप नाले से लगकर 1.0 हेक्टेयर तथा बरगवां प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र से संलग्न 1.0 हेक्टेयर मीट मार्केट विकास हेतु तथा इसके अतिरिक्त नगर विकास समिति के सुझाव अनुसार स्थल चयन कर सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान की जावेगी।

(ग) सब्जी मण्डी

नगर में सब्जी मण्डी एवं फल बाजार असंगठित रूप से प्रमुख मार्गों के किनारे बैढ़न, बरगवां एवं मोरबा में संचालित हैं, जिससे यातायात समस्या उत्पन्न होने से उपयुक्त स्थल नहीं है। अतः सब्जी मण्डी एवं फल बाजार हेतु 6.00 हेक्टेयर भूमि तेलाई में, मोरबा (मेढौली) में 3.0 हेक्टेयर तथा बरगवां में 5.0 हेक्टेयर भूमि का विकास सब्जी एवं फल मण्डी हेतु किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान सब्जी मण्डियाँ बैढ़न, मोरबा, नवजीवन विहार, जयन्त, फुटकर सब्जी बाजार के रूप में यथावत रहेगी।

2.13.4 फुटकर बाजार

फुटकर बाजार के अंतर्गत नगर, खण्ड एवं उपखण्डीय स्तर के वाणिज्यिक प्रतिष्ठान समायोजित हैं तथा बैढ़न-सीधी प्रमुख मार्ग एवं माजन मोड़ से नवानगर जाने वाले मार्ग के दोनों ओर 50 मी. की गहराई तक वाणिज्यिक उपयोग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमतियाँ दी जा सकेंगी। साथ ही निम्न तालिका 2-सा-19 में दिये गये विवरण के अनुसार स्थानीय निकाय द्वारा तैयार की गई योजना को भी समायोजित किया जा सकेगा।

सिंगरौली : स्थानीय निकायों द्वारा प्रस्तावित वाणिज्यिक योजना

2-सा-19

| क्र. | संस्था का नाम | स्थल का नाम | वाणिज्यिक विकास का प्रकार |
|------|--------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | नगर पालिका निगम | 1. नवजीवन विहार 2. बैढ़न 3. पुराना पो.आ. के पास | शॉपिंग मॉल बस स्टैण्ड के पास शॉपिंग काम्प्लेक्स |
| 2. | सिंगरौली विकास प्राधिकरण | 1. पंजरेह 2. नौगढ़ 3. बरहवां टोला | आवासीय सह वाणिज्यिक विकास -“- |

टीप :- उपरोक्त प्रस्तावों को प्रस्तुत विकास योजना समायोजित करते हुये प्रशासनिक स्तर पर सक्षम अधिकारी द्वारा नगर एवं खण्ड स्तरीय वाणिज्यिक क्षेत्रों में अनुमतियाँ प्रदान की जा सकेंगी।

अनौपचारिक सेक्टर

रोजगार की तलाश में अथवा आर्थिक उन्नति के लिये आशान्वित बेरोजगार सीमित रूप से रोजगार से जुड़े कर्मी अनौपचारिक वर्ग का निर्माण करते हैं। यह वर्ग बहुत कम अधोसंरचना एवं नगरीय स्थल की अपेक्षा रखता है, लेकिन नगर की आर्थिक गतिविधियों में इस वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस वर्ग के लोग प्रमुख कार्य केन्द्रों एवं बड़े आवास समूहों तथा औद्योगिक क्षेत्रों, कम्पनियों, खदानों के समीपस्थ क्षेत्रों में निवास करते हैं। अतः विकास योजना प्रस्ताव तैयार करते समय अनौपचारिक वर्ग के साथ-साथ इस वर्ग के लिये वन निर्माण एवं आर्थिक गतिविधियाँ समाहित करने की नीति अपनाई गई है। सामान्य वाणिज्यिक क्षेत्र में सेवा प्रदान करने हेतु फुटकर दुकानों, खण्ड स्तरीय दुकानों एवं सुलभ दुकानों का प्रावधान, सेवा संबंधी थोक व्यापार माल लादने व उतारने के लिये प्रावधान, औद्योगिक क्षेत्रों, खदानों तथा कम्पनियों के समीपस्थ आवागमन एवं रहवास की व्यवस्था का प्रावधान। संस्थागत क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद स्थलों, उद्यान, औद्योगिक क्षेत्रों एवं यातायात अवसान केन्द्रों, खदानों इत्यादि के पास सेवा संबंधी दुकानों का प्रावधान, आवासीय क्षेत्रों के पास सेवा क्षेत्रों की स्थापनाएँ, निर्माण स्थलों के समीपस्थ आवागमन एवं रहवास की व्यवस्था का प्रावधान।

2.14 औद्योगिक

भौतिक एवं प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता औद्योगिक इकाईयों की स्थापना की लिये प्रोत्साहित करती हैं। यहाँ उद्योग हेतु पर्याप्त मात्रा में जल एवं विद्युत, यातायात, संचार व्यवस्था, कच्चे माल की उपलब्धता, औद्योगिक अवशिष्ट का समुचित प्रबंधन एवं वितरण की पर्याप्त व्यवस्था का सुचारू रूप से व्यवस्थापन आदि की पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध हैं। सिंगरौली प्रक्षेत्र इन सुविधाओं का धनी है, जिससे प्रभावित होकर राष्ट्रीय स्तर की औद्योगिक इकाईयाँ स्थापित हुई हैं तथा स्थापना हेतु प्रयासरत हैं। इनके लिये पर्याप्त जल, कोयला, शासन द्वारा प्रोत्साहन एवं वन प्रक्षेत्र तथा सड़क एवं रेल यातायात की सुविधा के कारण देश के बड़े नगरों से सम्पर्क स्थापित होता है। नगर में नार्दन कोल फील्ड्स, विन्ध्याचल सुपर थर्मल पावर जैसी राष्ट्रीय स्तर की औद्योगिक इकाईयों की स्थापना एवं सासन पावर व एस्सार पावर प्रोजेक्ट के आ जाने से सिंगरौली में औद्योगिक क्रांति आ गई है। वर्तमान में सिंगरौली निवेश क्षेत्र के अंतर्गत 2700.00 हेक्टेयर भूमि का उपयोग विभिन्न औद्योगिक इकाईयों द्वारा किया जा रहा है। अतिरिक्त आवश्यकता हेतु 287.67 हेक्टेयर क्षेत्र को मिलाकर कुल 2987.67 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया जाना है, जो कुल क्षेत्र का 24.29 प्रतिशत है।

(अ) सासन पावर— उद्योग के पास वर्तमान में कुल 1180 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है, जिसमें से 772.00 हेक्टेयर में संयंत्र स्थापित किया जा रहा है तथा 408.00 हेक्टेयर भूमि में भावी विकास किया जाना प्रस्तावित है तथा 238.00 हेक्टेयर में आवासीय बस्ती विकसित की गई है।

- (ब) **एस्सार पावर**— के पास कुल 997.00 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की गई है, जिसमें से 309 हेक्टेयर के अंतर्गत उद्योग संयंत्र स्थापित हो रहा है तथा 484 हेक्टेयर भूमि भावी विकास हेतु सुरक्षित है। 152 हेक्टेयर भूमि में आवासीय विकास का कार्य किया जा रहा है एवं भावी आवासीय विकास के लिये 12.00 हेक्टेयर भूमि संरक्षित है।
- (स) **महान कोल लिमिटेड**— निवेश क्षेत्र सीमा के बाहर परन्तु निवेश क्षेत्र से संलग्न हैं। महान कोल लिमिटेड द्वारा एस्सार पावर तथा हिन्डालको पावर प्लांट को कोयला प्रदान किया जावेगा। एस्सार पावर के पास अमिलिया कोल ब्लॉक में 985.30 हेक्टेयर भूमि कोयला खनन हेतु क्षेत्र सम्मिलित किया है। ग्राम अमिलिया में 350.0 हेक्टेयर भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही कम्पनी द्वारा की जा रही है, जिसमें कार्यालय, विद्यालय, चिकित्सालय, आवासीय कालोनी एवं सेवा-सुविधाओं को विकसित किया जाना प्रस्तावित है।
- (द) **विन्ध्याचल सुपर थर्मल पावर**— के पास कुल 432.00 हेक्टेयर भूमि है, जिसमें से औद्योगिक संयंत्रों की स्थापना के साथ आवासीय, वाणिज्यिक, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक, शैक्षणिक एवं पार्क आदि का विकास किया गया है।

उपरोक्त संचालित औद्योगिक इकाईयों के अतिरिक्त नगर में भविष्य में संचालित होने वाली औद्योगिक इकाईयों की स्थापना हेतु 340.00 हेक्टेयर भूमि का विकास किया जाना प्रस्तावित है।

2.14.1 कृषि आधारित उद्योग

नगर में परम्परागत कृषि कार्य आज भी सम्पादित हो रहा है, जिसको प्रोत्साहित करने एवं कृषि उत्पाद को आधुनिक संयंत्रों के माध्यम से किये जाने के आशय से कृषि आधारित उद्योग जैसे— आयल मिल, दाल मिल, राईस मिल आदि प्रमुख हैं। इसके विकास हेतु परसौना तिराहे के पास नौगढ़ में 35.0 हेक्टेयर भूमि का विकास किया जाना प्रस्तावित है।

2.14.2 सामान्य उद्योग

प्रदूषण रहित सामान्य उद्योगों की स्थापना हेतु ग्राम गनियारी में 53.0 हेक्टेयर वर्तमान औद्योगिक प्रक्षेत्र से संलग्न भूमि भावी विकास हेतु प्रस्तावित है। ग्राम गनियारी प्रक्षेत्र में ग्रामीण आबादी से संलग्न 34.0 हेक्टेयर के अंतर्गत विस्फोटक, हानिकारक उद्योग संचालित थे, जिसमें ज्वलनशील पदार्थों के कारण विस्फोट हो गया, जिससे फैक्ट्री क्षेत्र के साथ ग्रामीण आबादी क्षेत्र भी प्रभावित हुई। अतः ऐसे विस्फोटक औद्योगिक संस्थानों को बरगवां में हानिकारक एवं विस्फोटक पदार्थों के संग्रहण हेतु प्रस्तावित स्थल के अंतर्गत पुनर्स्थापना प्रस्तावित है।

(अ) हानिकारक एवं विस्फोटक औद्योगिक संस्थान

सिंगरौली कोयला धारित क्षेत्र में कोयला उत्खनन हेतु विस्फोटक सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, जिसके लिये बरगवां नगर के ग्राम डगा में 74.48 हेक्टेयर, ग्राम बरहवां टोला में 52.860 हेक्टेयर, हानिकारक उद्योग के विकास हेतु स्थल रखा गया है। जिसमें गनियारी के विस्फोटक उद्योग भी स्थापित हो सकेंगे।

(ब) वन आधारित उद्योग

सिंगरौली निवेश क्षेत्र में एवं उससे संलग्न समीपस्थ क्षेत्र में घना जंगल है, जो कई प्रकार के वृक्ष एवं बहुमूल्य जड़ी-बूटियां एवं फलदार वृक्षों से आच्छादित हैं। अतः वन उत्पाद को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वन आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु वन क्षेत्र के समीपस्थ मोरबा, कुशवई में 15.00 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है।

2.15 सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक/सेवा-सुविधाएँ

इस उपयोग के अंतर्गत केन्द्र शासन, राज्य शासन, स्थानीय निकाय एवं अन्य निजी कार्यालय, शिक्षण, स्वास्थ्य आदि गतिविधियाँ सम्मिलित हैं। इस उपयोग हेतु कुल 485.00 हेक्टेयर भूमि का विकास किया जाना प्रस्तावित है।

2.15.1 कार्यालय

सिंगरौली जिले का मुख्यालय सिंगरौली (बैढ़न) है। यहाँ पर जिला स्तर के अधिकांश कार्यालय माजन रोड एवं बिलौजी के पास हैं। नगर के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यालय संचालित हैं, जिससे नगरवासियों को काफी असुविधा होती है। अतः जन सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुये माजन खुर्द एवं बिलौजी तेलियान में निर्माणाधीन संयुक्त कलेक्ट्रेट परिसर की 15.0 हेक्टेयर भूमि एवं उससे संलग्न एम.पी.ई.बी. भाग तक तथा एन.सी.एल. को आवंटित भूमि, नगर निगम के समीप आदि को संलग्न करते हुये लगभग 50.0 हेक्टेयर भूमि कार्यालयों के विकास हेतु प्रस्तावित है। इसके साथ ही देवरा में कृषि अनुसंधान केन्द्र हेतु लगभग 35.0 हेक्टेयर, गहिलगढ़ पश्चिम एवं पूर्व दोनों ग्रामों में एम.जी.आर. लाइन एवं शहर के मध्य लगभग 35.0 हेक्टेयर तथा मोरबा में ग्राम चटका के अंतर्गत नाले से संलग्न 24.0 हेक्टेयर भूमि, इस प्रकार निवेश क्षेत्र के अंतर्गत तीनों नगर समूह में लगभग 140.00 हेक्टेयर भूमि भविष्य में स्थापित एवं पुनर्स्थापित होने वाले कार्यालयों के लिये प्रस्तावित की गई है।

2.15.2 शैक्षणिक

नगर में कला एवं वाणिज्यिक स्तर के शासकीय महाविद्यालय संचालित हैं तथा 08 निजी महाविद्यालय हैं तथा एक निजी टेक्निकल एजुकेशन संस्था है, एक पॉलीटेक्निक कॉलेज है। इसके साथ ही निवेश क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में नर्सरी से हायर सेकेण्डरी स्तर के शासकीय एवं निजी 2579 विद्यालय संचालित हैं। नगर के भावी शैक्षणिक विकास को दृष्टिगत रखते हुये बैढ़न नगरीय क्षेत्र में ग्राम तेलार्ई, पचौर, परसौना तिराहे, नौगई में पॉलीटेक्निक कॉलेज, आई.टी.आई. एवं जेल के निकटस्थ क्षेत्र 121.00 हेक्टेयर के अंतर्गत इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के विकास हेतु स्थल प्रस्तावित है तथा मोरबा के ग्राम मेढौली में प्रस्तावित बस स्टैण्ड के दक्षिण में 8.0 हेक्टेयर भूमि का विकास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हेतु प्रस्तावित है।

2.15.3 स्वास्थ्य

उत्तम स्वास्थ्य ही विकास के विभिन्न पहलुओं का जनक है। कार्मिक नगरी सिंगरौली में जिला स्तर के स्वास्थ्य केन्द्र एवं मेडिकल कॉलेज नहीं है। अतः जिला स्तरीय स्वास्थ्य एवं मेडिकल कॉलेज ग्राम नौगढ़, पचौर में 20.0 हेक्टेयर भूमि पर तथा विभिन्न नगर समूह में एक-एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है।

2.16 आमोद-प्रमोद

खुले स्थान, उद्यान, बगीचे, सघन वृक्षारोपण आदि नगरीय जीवन के लिये आवश्यक हैं। जिसके सहारे नगर जीवन प्राणवायु ग्रहण करता है। नगर में इस उपयोग हेतु 656.9 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है जिसमें प्रमुख मार्गों के किनारे नदी, नाले एवं तालाबों के किनारे दोनों ओर तटीय क्षेत्रों में मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार सघन वृक्षारोपण कर हरित पट्टी निर्मित करने का प्रस्ताव है, जिससे नगर के घने बसे हुये क्षेत्रों में भी हरित क्षेत्र का लाभ प्राप्त हो सके। गोविन्द वल्लभ पंत सागर से संलग्न निचले डूब प्रभावित क्षेत्र सघन वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित हैं, निजी क्षेत्र में भी बगीचे, उद्यान, औद्योगिक क्षेत्र कम्पनियों द्वारा विकसित किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय एवं नगर स्तरीय उद्यानों का विकास नियमानुसार किया जाना प्रस्तावित है।

(अ) वनस्पति उद्यान

प्रकृत प्रदत्त औषधियों का सेवन मानव जीवन को निरोगी बनाता है। जड़ी-बूटियों के उत्पादन से विभिन्न प्रकार की औषधियाँ बनाई जाती हैं। अतः निवेश क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गनियारी में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र से संलग्न 20.0 हेक्टेयर भूमि वनस्पति उद्यान हेतु विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

(ब) क्षेत्रीय उद्यान

सिंगरौली देश-विदेश के विभिन्न क्षेत्रों से राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर के व्यक्तियों का आवागमन होता है, उसको दृष्टिगत रखते हुये माजनकला से ढँकी जाने वाले प्रस्तावित मार्ग के दक्षिण में ग्राम पचखोरा में स्थित 03 तालाबों को सम्मिलित करते हुये 20.0 हेक्टेयर भूमि में राष्ट्रीय स्तर का उद्यान विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

(स) नगर उद्यान

निवेश क्षेत्र अंतर्गत बैढ़न, मोरबा, विन्ध्यनगर तथा एन.सी.एल. द्वारा अपने-अपने परिसरों में एक-एक उद्यान वर्तमान में विकसित किये गये हैं, जो इस क्षेत्र की जनसंख्या की दृष्टि से बहुत कम है। अतः आवासीय क्षेत्रों में खुले स्थानों में छोटे-छोटे उद्यानों के साथ नगरीय एवं स्थानीय उद्यानों के रूप में नगर की भावी आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये लगभग 5.0 हेक्टेयर भूमि का विकास नगर उद्यान के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। इन उद्यानों में वाहन पार्किंग/अत्यावश्यक दुकानें, जन-सुविधाओं का विकास सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से मान्य होगा।

2.17 पिकनिक स्थल

व्यस्ततम जीवन में कुछ क्षणों के लिये विश्रान्ति पाने हेतु मानव जीवन शान्तिप्रद स्थलों की तलाश करता है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु नगरवासियों को निवेश क्षेत्र के अंतर्गत झिंगुरदा कोल मार्इन्स के पास, टिप्पा झरिया, हनुमान मंदिर, ग्राम पचौर में प्राचीन शिव मंदिर एवं उससे संलग्न क्षेत्र तथा जयन्त से मोरबा जाने वाले मार्ग पर ग्राम मुडवानी में बंधा एवं पहाड़ी क्षेत्र से संलग्न स्थल को पिकनिक/मेला स्थल के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही माडा की गुफाओं का विकास पर्यटक दृष्टि से उचित है। सी.डी.पी. के प्रस्ताव अनुसार विकसित किया जावे।

2.17.1 क्रीड़ांगन/खेल परिसर

नगर में बैढ़न एवं विन्ध्यनगर में स्टेडियम होने से इसकी सुविधा नगरवासियों को प्राप्त हो रही है, इसके अलावा नगर में खेल के लिये मैदान उपलब्ध नहीं है। खुले मैदानों में ही इसका उपयोग किया जाता है। क्षेत्र के भावी विकास को देखते हुये क्षेत्रीय स्तर पर क्रीड़ांगन/खेल परिसर हेतु ग्राम देवरा में 15.0 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है। ऐसे परिसर का विकास स्पोर्ट अथारिटी ऑफ इंडिया/सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मानकों अनुसार होगा।

2.17.2 तरण-ताल

नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत बड़े तालाबों को तरण-ताल के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित हैं। इसके साथ ही ग्राम बलियारी में करौदी घाट को तथा गोविन्द वल्लभ पंत सागर का नौका विहार हेतु विकास किया जाना प्रस्तावित है।

2.17.3 कब्रिस्तान/श्मशान घाट

वर्तमान विकसित क्षेत्र के अंतर्गत संचालित कब्रिस्तान एवं श्मशान घाट को यथावत बनाये रखना प्रस्तावित है, जब तक कि जन सामान्य की माँग पर उचित कारणों से अन्यत्र स्थानान्तरित करने की स्थिति न बनें। कब्रिस्तान/श्मशान घाट के समीपस्थ शासकीय भूमि उपलब्ध होने पर इसका विस्तार किया जा सकता है। नये कब्रिस्तान/श्मशान घाट कृषि उपयोग के अंतर्गत अनुज्ञेय होंगे, किन्तु इसके स्थल का चयन जन सामान्य की माँग पर कलेक्टर एवं नगर विकास समिति की सहमति से सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर विकसित किया जावेगा।

2.17.4 डेयरी फार्म/कुक्कुट पालन

नगरीय क्षेत्र में यत्र-तत्र फैला हुआ डेयरी व्यवसाय स्वच्छ पर्यावरण को प्रदूषित एवं यातायात व्यवस्था को प्रभावित करता है। ऐसी स्थिति में सिंगरौली नगर के भावी विकास को ध्यान में रखते हुये स्वच्छ पर्यावरण एवं सुगम यातायात संचालन के लिये डेयरी व्यवसाय को नगरीय क्षेत्र से बाहर उपयुक्त स्थल पर स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक है। अतः नगरीय बसाहट के क्षेत्र में फैले हुये वर्तमान डेयरी एवं कुक्कुट पालन को कृषि उपयोग के अंतर्गत शासकीय भूमि में डेयरी एवं कुक्कुट पालन केन्द्र की स्थापना किये जाने हेतु कृषि क्षेत्र में नगर विकास समिति की सहमति से सक्षम

अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी जिसमें नगर में संचालित उक्त गतिविधियों को धीरे-धीरे स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित है।

2.17.5 स्लाटर हाउस

वर्तमान में न्यालाय के आगे विन्ध्यनगर जाने वाले रोड के पास बैढ़न तथा मस्जिद, मंदिर, सर्किट हाउस रोड पर मांस विक्रय कार्य संचालित हैं, जो उपयुक्त स्थल नहीं है। अतः ग्राम गनियारी में एम.जी.आर. के पास 1.50 हेक्टेयर एवं बरगवां के ग्राम डगा में औद्योगिक क्षेत्र को जाने वाले मार्ग पर नाले किनारे 1.0 हेक्टेयर, मोरबा मुख्य मार्ग पर एम.पी.ई.बी. से संलग्न नाले से लगकर 1.00 हेक्टेयर भूमि पर स्लाटर हाउस विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

2.17.6 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

नगर में प्रतिदिन लगभग 50 टन अवशिष्ट नगर के 15 वार्डों के 10711 घरों, 3853 दुकानों, 98 होटलों, 94 कार्यालयों से कुल 14756 यूनिट प्रतिदिन डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण, परिवहन कराये जाने की व्यवस्था की गई है। ठोस अवशिष्ट प्रबंध हेतु 35-35 पी.डी. के दो कचरा संयंत्र की इकाईयाँ जैविक खाद उत्पादन हेतु स्थापित की गई हैं, तथा 488249 किलो ग्राम जैविक खाद का उत्पादन फरवरी 2012 तक किया गया है। सी.डी.पी. में दिये गये प्रस्तावानुसार 16.18 करोड़ की योजनानुसार बरगवां, मोरबा, बैढ़न, जयन्त, नवजीवन विहार में पुनर्चक्रीकरण, संग्रहण कर संयंत्र स्थापना कर खाद उत्पादन करना आवश्यक है, जो प्रस्तावित किया गया है। ऐसे स्थानों के 200 मीटर तक की परिधि में आवासीय विकास प्रतिबंधित होगा।

2.18 नगरीय ग्राम

निवेश क्षेत्र सीमा में 199 ग्राम शामिल हैं, जिनमें से कई ग्रामों को नगरीय क्षेत्र में शामिल किया जाना प्रस्तावित किया जा रहा है। अतः इन ग्रामों में विकास योजना प्रस्ताव अनुसार विकास किया जाना प्रस्तावित है। इन ग्रामों में वर्तमान आबादी क्षेत्र के चतुर्दिक 200 मीटर की परिधि में अनुशांगिक उपयोग हेतु योजना प्रस्ताव अनुसार विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

2.19 असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग

असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोगों का अध्ययन करने पर पाया गया है कि कोलाहल उत्पन्न करने वाले क्षेत्रों के साथ-साथ माल उतारने-चढ़ाने की सुविधा से रहित भीड़-भाड़ एवं कार्यशीलता में अक्षमता वाले कुछ उपयोगों को उनके वर्तमान स्थल से स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक है। साथ ही ऐसी गतिविधियाँ जो आस-पास के उपयोगों से भिन्न होने के कारण असंगत उपयोग के अंतर्गत आते हैं, जिसे स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक है, जिसका विवरण निम्न सारणी में दिया गया है—

**सिंगरौली : असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग की पुनर्स्थापना
एवं रिक्त भूमि का उपयोग**

2-सा-20

| क्र. | स्थानान्तरण हेतु प्रस्तावित गतिविधियाँ | वर्तमान स्थिति | प्रस्तावित स्थान | रिक्त होने पर उपयोग |
|------|--|--|-----------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | सब्जी एवं फल-सब्जी बैढ़न | बस स्टैन्ड के पास बैढ़न | ग्राम तेलाई | फुटकर सब्जी मंडी |
| 2. | सब्जी तथा गल्ला मंडी मोरबा | मध्य क्षेत्र मोरबा | ग्राम मेढौली | फुटकर सब्जी मंडी |
| 3. | मांस एवं मछली दुकानें | न्यायालय के आगे विन्ध्यनगर रोड बैढ़न | औद्योगिक क्षेत्र मार्ग पर | सामान्य वाणिज्यिक |
| 4. | मांस एवं मछली की दुकान | मस्जिद के पास सर्किट हाउस रोड मोरबा | एम.पी.ई.बी. के पास मुख्य मार्ग पर | सामान्य वाणिज्यिक |
| 5. | कृषि उपज मंडी | बिलौजी मेन रोड बैढ़न | कृषि क्षेत्र | शासकीय कार्यालय |
| 6. | पशु चिकित्सालय | रेस्ट हाउस के पास बैढ़न | कृषि क्षेत्र | शासकीय कार्यालय |
| 7. | अयाज सॉ मिल एवं अन्य | मुख्य मार्ग बैढ़न एवं मोरबा तथा बरगवां | विकास योजना प्रस्तावानुसार | सामान्य वाणिज्यिक |

2.20 जल स्रोतों का विकास एवं संरक्षण

निवेश क्षेत्र के अंतर्गत तालाबों का उपयोग कपड़े धोने, पशुओं के पानी पीने एवं नहाने के लिये होता है। इन तालाबों का विकास किया जाना प्रस्तावित है।

सिंगरौली : जलाशयों का विकास

2-सा-21

| क्र. | तालाब का नाम | स्थिति | विकास योजना 2031 में प्रस्ताव |
|------|-----------------------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | बैढ़न तालाब क्रमांक 1 एवं 2 | बैढ़न | सौन्दर्यीकरण एवं आमोद-प्रमोद हेतु विस्तार |
| 2. | हरई तालाब | हरई पश्चिम | ---''''--- |
| 3. | ढोंटी तालाब | ढोंटी | ---''''--- |
| 4. | कचनी तालाब | कचनी | ---''''--- |
| 5. | मुहेर तालाब | मुहेर | ---''''--- |
| 6. | घुरीतल तालाब | घुरीताल | ---''''--- |
| 7. | ढेंकी तालाब | ढेंकी | ---''''--- |
| 8. | भरुहा तालाब | भरुहा | ---''''--- |
| 9. | नवानगर तालाब | नवानगर | ---''''--- |
| 10. | बिलौची भटवा तालाब | बिलौची भटवा | ---''''--- |
| 11. | तेलाई तालाब | तेलाई | ---''''--- |
| 12. | चन्दावल तालाब | चन्दावल | ---''''--- |
| 13. | पचखोरा तालाब | पचखोरा | ---''''--- |
| 14. | इटवा तालाब | इटवा | ---''''--- |
| 15. | सरसवाह तालाब | सरसवाह | ---''''--- |
| 16. | घुरौली तालाब | घुरौली | ---''''--- |
| 17. | सिंगरौलिया तालाब | सिंगरौलिया | ---''''--- |
| 18. | माजन तालाब | माजन कला | ---''''--- |

| | | | |
|-----|------------------|------------|-----------|
| 19. | गनियारी तालाब | गनियारी | ___'''___ |
| 20. | करुआरी तालाब | करुआरी | ___'''___ |
| 21. | दसौती तालाब | दसौती | ___'''___ |
| 22. | दुद्धीचुआं तालाब | दुद्धीचुआं | ___'''___ |
| 23. | अमझर तालाब | अमझर | ___'''___ |

अध्याय – 3
प्रस्तावित यातायात संरचना एवं
नगरीय अधोसंरचना

3.1 प्रस्तावित यातायात संरचना

सक्षम परिवहन संरचना नगर की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह नगर रीवा, सीधी, सतना, जबलपुर, कटनी (मध्यप्रदेश) तथा अम्बिकापुर (छत्तीसगढ़) एवं मिर्जापुर, बनारस, इलाहाबाद (उत्तरप्रदेश) सड़क मार्ग द्वारा तथा कटनी, जबलपुर (मध्यप्रदेश) एवं चोपन, शक्तिनगर (उत्तरप्रदेश) रेलमार्ग से जुड़ा हुआ है। नगर से लगभग 07 किलोमीटर की दूरी पर सिंगरौलिया, खजूरी, कटौली ग्राम में हवाई पट्टी प्रस्तावित है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 75 इस नगर के मध्य से गुजरने के कारण यातायात में अवरोध उत्पन्न होता है। अतः क्षेत्रीय मार्ग संरचना में सुधार आवश्यक है। सिंगरौली नगर की यातायात संरचना निम्न अवधारणा पर आधारित है :-

1. विकसित क्षेत्र के बाहर से राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 75 हेतु बायपास एवं रिंग रोड का प्रस्ताव।
2. सीधी, रीवा, इलाहाबाद, बनारस, मिर्जापुर, अम्बिकापुर मार्गों से होने वाले क्षेत्रीय यातायात को जोड़ने हेतु प्रमुख मार्ग का प्रस्ताव।
3. वृहद स्तर की औद्योगिक इकाइयों से सम्पर्क स्थापित करना।
4. प्रमुख आवासीय क्षेत्रों का रेलवे स्टेशन से मार्गों द्वारा सीधा सम्पर्क स्थापित करना।
5. कार्यात्मक दृष्टि से मार्गों का श्रेणीबद्ध विकास।
6. नगरीय एवं क्षेत्रीय यातायात का पृथक्करण।
7. प्रमुख ग्रामीण क्षेत्रों के मार्गों का नगरीय मार्गों से सम्पर्क स्थापित करना।
8. यातायात समस्याएँ, मार्ग अवरोध, अंधे मोड़ आदि में सुधार।
9. मिश्रित वाहन यातायात हेतु उपयुक्त मार्ग संरचना का प्रस्ताव।
10. कार्य केन्द्रों एवं आवासीय क्षेत्र के बीच सीधे मार्गों का निर्माण कर मितव्ययी सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था।

3.2 यातायात की वर्तमान स्थिति

नगर का भौतिक विकास मूलतः परिवहन संरचना पर निर्भर करता है। वर्तमान परिवहन व्यवस्था का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि वाहनों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है। कार, टैम्पो, आटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा नगर में यातायात के प्रमुख साधन हैं।

वर्ष 1990 से वर्ष 2012 के मध्य वाहनों की संख्या में अत्याधिक वृद्धि हुई है। तीव्रगति एवं मन्दगति वाहनों द्वारा नगर मार्गों का मिश्रित उपयोग करना सुरक्षित एवं सुविधाजनक यातायात के

लिये गंभीर समस्या है। अतः यातायात प्रबंधन के लिये उपयुक्त नीति तैयार करने की आवश्यकता है। यहाँ अभी भी सामान्य नागरिकों द्वारा यातायात के साधन के रूप में साइकिल का उपयोग बहुतायात से किया जाता है। अन्य वाहनों में कार, स्कूटर, मोटर सायकल मोपेड आदि हैं। नगर की वर्तमान यातायात समस्या के सुधार हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव हैं :-

1. वर्षाकाल में बाढ़ के कारण निचली रपटा रोड की राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 75 ऊँचाई कम होने के कारण यातायात में रुकावट आती रहती है। अतः उक्त रोड की ऊँचाई बढ़ाना आवश्यक है।
2. राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 75 के नगर से गुजरने वाले यातायात को कम करने के लिये एक बायपास।
3. लगभग सभी मुख्य मार्गों के मार्ग उपस्कर में सुधार आवश्यक है।
4. बस स्टैण्ड को सुविधाजनक स्थल पर स्थानान्तरित करना।
5. कार्य केन्द्रों के समीप पार्किंग का प्रावधान।
6. कार्य केन्द्रों एवं आबादी क्षेत्र के बीच सम्पर्क मार्गों का निर्माण कर परिवहन व्यवस्था को सृदृढ़ करना।

सिंगरौली : तीव्रगति वाहनों की संख्या

3-सा-1

| क्र. | वर्ष | स्कूटर | मोटर सायकल | बस | ट्रक | कार | जीप | टैक्सी | ट्रेक्टर ड्राली | अन्य | योग |
|------|------|--------|------------|-----|------|------|-----|--------|-----------------|------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 2010 | 25 | 955 | 22 | 98 | 111 | 04 | 50 | 41 | 09 | 1315 |
| 2. | 2011 | 24 | 5516 | 94 | 462 | 664 | 17 | 270 | 151 | 93 | 7291 |
| 3. | 2012 | 49 | 5263 | 90 | 555 | 810 | 15 | 281 | 120 | 121 | 7304 |
| योग- | | 98 | 11734 | 206 | 1115 | 1585 | 36 | 601 | 312 | 223 | 15910 |

स्रोत :- परिवहन अधिकारी, सिंगरौली।

3.2.1 सार्वजनिक परिवहन

वर्तमान में सार्वजनिक परिवहन के रूप में आटो रिक्शा, सायकिल रिक्शा संचालित हैं, जो कि कार्य केन्द्रों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड व कॉलोनियों तक यात्रियों को पहुँचाते हैं। वर्तमान में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के अभाव में नागरिकों को अपने कार्य केन्द्रों तथा अन्य गन्तव्य स्थलों तक पहुँचाने हेतु टैम्पो व आटो रिक्शा पर निर्भर रहना पड़ता है। अतः नगर में सार्वजनिक परिवहन (बस) प्रणाली की आवश्यकता है।

3.3 प्रस्तावित यातायात एवं परिवहन संरचना

वर्तमान में क्षेत्रीय मार्ग सीधी, माडा, पिपरी आदि को जाने वाले मार्ग के मध्य से गुजरते हैं, इन्हीं मार्गों से अन्तर्सम्बन्ध स्थापित करने हेतु बायपास मार्ग, प्रमुख नगरीय मार्ग प्रस्तावित किया गया था, किन्तु समुचित क्रियान्वयन के अभाव में प्रस्तावित मार्ग एलाइनमेंट के अंतर्गत अधिकांशतः आबादी एवं अन्य उपयोग विकसित हो गये हैं, जिससे यथानुरूप विकास योजना 2031 में अंशतः संशोधित कर बायपास मार्ग एवं नगरीय मार्गों के प्रस्ताव दिये गये हैं।

3.4 यातायात के प्रस्ताव

सिंगरौली विकास योजना 2031 में वर्णित यातायात प्रस्ताव निम्न मार्गों की श्रेणी पर आधारित है :-

1. क्षेत्रीय मार्ग (बायपास)
2. मुख्य नगरीय मार्ग
3. खण्ड स्तरीय मार्ग
4. उपखण्ड स्तरीय मार्ग
5. स्थानीय मार्ग
6. सायकिल मार्ग
7. पदचारी मार्ग

3.4.1 (अ) बैढन बायपास मार्ग (दक्षिणी)

बैढन नगरीय क्षेत्र से गुजरने वाला रीवा, सीधी राज्यमार्ग जो शक्तिनगर (बनारस) की ओर जाता है, जिसमें यातायात का भारी दबाव रहता है, जिससे अधिकांशतः मार्ग अवरुद्ध होने की स्थिति निर्मित हो जाती है। आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं, जिसको दृष्टिगत रखते हुये क्षेत्रीय यातायात को परिवर्तित करने हेतु सीधी राज्यमार्ग पर ग्राम देवरी से प्रारम्भ कर माडा मार्ग होकर बिलौजी-भटवा होते हुये गनियारी के बगल से एम.जी.आर. लाईन के बगल से होते हुये विन्ध्याचल सुपर थर्मल पावर के पास शक्तिनगर (बनारस) को जोड़ने वाले राज्यमार्ग को जोड़ने हेतु बायपास मार्ग प्रस्तावित किया गया है, जिसकी चौड़ाई 60 मीटर प्रस्तावित की गई है।

(ब) बरगवां, गोरबी, मोरबा बायपास मार्ग (उत्तरी)

नगर के विकसित बरगवां, गोरवी एवं मोरबा की घनी आबादी क्षेत्र से राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 75 गुजरता है, जिस पर यातायात का भारी दबाव रहता है। जिसके सुगम यातायात हेतु सड़क विकास निगम (आर.डी.सी.) द्वारा बायपास मार्ग का प्रस्ताव दिया जा रहा है, उसी प्रस्तावानुसार विकास योजना 2031 में भी सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।

2. राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 75

पिपरी से झिंगुरदा, मोरबा, गोरबी होकर बरगवां में को जोड़ते हुये सीधी, रीवा की ओर जाने

वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की चौड़ाई निवेश क्षेत्र के बाहर दोनों ओर नेशनल हाइवे द्वारा निर्धारित चौड़ाई के अनुरूप यथावत रहेगी, किन्तु मोरबा, गोरबी एवं बरगवां नगरीय क्षेत्र में घनी आबादी होने से मार्ग की चौड़ाई कम है, जिसको ध्यान में रखते हुये निवेश क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग की चौड़ाई 40 मीटर रखा जाना प्रस्तावित है।

(3) प्रमुख नगरीय मार्ग

नगर के प्रमुख वर्तमान नगरीय मार्गों के विस्तार हेतु यातायात के दबाव एवं वर्तमान चौड़ाई को दृष्टिगत रखते हुये नगरीय यातायात संरचना एवं विभिन्न वर्तमान एवं भावी कार्यकलापों के सुगम यातायात हेतु विस्तारित एवं प्रस्तावित मार्गों का विवरण सारणी 3-सा-2 के अनुसार है—

सिंगरौली : प्रस्तावित प्रमुख मार्गों की चौड़ाई


3-सा-2

| क्र. | मार्ग का नाम | मार्ग की वर्तमान चौड़ाई (मीटर में) | विकास योजना 2011 में प्रस्ता. चौड़ाई (मी. में) | विकास योजना 2031 में प्रस्ता. चौड़ाई (मी. में) |
|----------------------------------|---|------------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (अ) राष्ट्रीय राजमार्ग-75 | | | | |
| | (1) बरगवां से मोरबा (गोरबी होकर) | 30 | 35 | 40 |
| | (2) सीधी मार्ग प्रस्तावित बायपास के बाद | 30 | 60 | 60 |
| | (3) बरहवा टोला डगा प्रस्ता. बायपास | — | — | 60 |
| (ब) क्षेत्रीय मार्ग :- | | | | |
| 1. | बैढ़न-सीधी मुख्य मार्ग | | | |
| | (1) बरहवा टोला से रेलवे क्रासिंग तक | 30 | 35 | 35 |
| | (2) रेलवे क्रासिंग से प्रस्तावित बायपास तक (बरगवां) | 30 | 35 | 40 |
| | (3) बरगवां बायपास से बैढ़न बायपास तक | 30 | 35 | 60 |
| | (अ) बायपास से माजन मोड़ | 30 | 35 | 40 |
| | (ब) माजन मोड़ से ताली पुलिया तक | 30 | 35 | 35 |
| | (4) बिलौजी ताली पुलिया से तहसील कार्यालय तक | 30 | 30 | 30 |
| | (5) तहसील कार्या. से अयाज साँ मिल तक | 12-15 | 18 | 18 |
| | (6) अयाज साँ मिल से विन्ध्याचल सुपर | 30 | 35 | 35 |

सिंगरौली


वर्तमान परिभ्रमण संरचना

| | | |
|-----------------|--|--------------|
| ROAD |  | मार्ग |
| RAIL |  | रेल मार्ग |
| BUS STAND |  | बस स्थानक |
| RAILWAY STATION |  | रेलवे स्टेशन |



सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र,
म0प्र0 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद
विज्ञान भवन, भोपाल

Date- 21/07/2015




संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश

सिंगरौली


प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना

| | | |
|------------------------|---|--------------|
| ROAD |  | मार्ग |
| RAIL |  | रेल मार्ग |
| BUS STAND |  | बस स्थानक |
| RAILWAY STATION |  | रेलवे स्टेशन |



सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र,
M0PRO विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्
विज्ञान भवन, भोपाल

Date- 21/07/2015



संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश

| थर्मल पावर प्लान्ट (बायपास) तक | | | |
|--|-------|----|-------|
| (7) प्लान्ट से आगे - | 00 | 60 | 60 |
| 2. माडा-मार्ग :- | | | |
| (1) परसौना तिराहा से प्रस्तावित बायपास तक | 30 | 35 | 35 |
| (2) निवेश सीमा से माडा की ओर | 30 | 60 | 45 |
| नगरीय मार्ग :- | | | |
| (स) (1) माजन मोड़ से नवानगर, जयन्त होकर शक्तिनगर की ओर | 30 | 35 | 35 |
| (2) नवजीवन विहार सेक्टर 4 से होते हुये जयन्त चौराहे तक | 24 | 24 | 24 |
| (3) तेलाई तिराहा से आई.टी.आई. होकर हिरवाह को जोड़ने वाला मार्ग | 24-30 | 30 | 30 |
| (4) कचनी तिराहा से नौगढ़ मोड़ को जाने वाला मार्ग (तिराहे) तक | 18 | 24 | 30 |
| (5) पुराने तहसील कार्यालय से गनियारी औद्योगिक क्षेत्र को जाने वाला मार्ग | 12-15 | 18 | 18 |
| (6) ग्राम बिलौजी से देवरा में बायपास मार्ग तक | 18 | 18 | 18 |
| (7) एसईसीएल औषधालय से बस स्टैण्ड होकर आई.टी.आई. (मोरबा) तक | 12-15 | 18 | 18 |
| (8) मुख्य मार्ग मोरबा सर्किट हाउस से मुख्य बाजार तक | 15 | 18 | 18 |
| (9) गनियारी तिराहे होकर बीजपुर को जाने वाला मार्ग | 15 | 18 | 18-24 |
| (10) ग्राम देवरी मुख्य मार्ग से अमलोरी नौगढ़ होते हुये अमलोरी तिराहे को जाने वाले वर्तमान मार्ग तक तथा नवानगर मोड़ तक एम.आर. नं.-1 | - | - | 40 |
| (11) गनियारी से हिरवाह होकर हवाई पट्टी जाने वाला मार्ग - | 15 | 15 | 18 |
| (12) बस स्टैण्ड बैढ़न से बिलौजी होकर माजन तिराहे के पास तक | 15 | 18 | 18 |
| (13) सेक्टर-4, नवजीवन विहार, हरई पश्चिम तालाब के पास तक | 15 | - | 18 |

(14) ढोंटी-गहिलगढ मरुग

प्रस्तावित मुख्य मरुग :-

| | | | |
|---|---|----|----|
| (1) वर्तमान स्टेडियम के सामने से घुरीताल होते हुये जयन्त मरुग तक एम.आर.-4 | — | 30 | 30 |
| (2) ग्राम माजन में माजन बगीचे के दक्षिण हरई मुख्य मरुग तक एम.आर.-3 | — | 30 | 30 |
| (3) माजन मोड़ से हिरवाह तक बायपास मरुग होकर हवाई पट्टी जाने वाले मरुग तक एम.आर.-2 | — | 30 | 30 |
| (द) (4) अमिलिया दूखाखांड मरुग | — | — | 30 |

टीप :- जिला मुख्यालय बैढन से निवेश क्षेत्र सीमा के अंतर्गत आने वाले समस्त ग्रामों एवं प्रमुख स्थानों को जोड़ने हेतु प्रमुख मरुगों की प्रस्तावित चौड़ाई 18-24 मीटर होगी।

(घ) वृत्त/उप वृत्त खण्ड मरुग

वृत्त खण्ड मरुग वृत्त स्तर के यातायात हेतु प्रस्तावित हैं, इन मरुगों हेतु मार्गाधिकार प्रस्तावित निवेश क्षेत्र में 20-24 मीटर एवं नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत न्यूनतम चौड़ाई 12-18 मीटर प्रस्तावित है।

(च) स्थानीय मरुग

समीपस्थ आवासीय क्षेत्रों में आवागमन हेतु मरुग श्रृंखला है, इसकी चौड़ाई विकास नियमन में निर्धारित है। इसके लिये प्रस्तावित नगरीय क्षेत्र में प्रमुख सड़कों की चौड़ाई 20 मीटर प्रस्तावित है तथा वर्तमान विकसित क्षेत्र में 12-15 मीटर चौड़ाई प्रस्तावित है। वर्तमान एवं प्रस्तावित क्षेत्रों में अनुशांसित चौड़ाई स्थल पर उपलब्धता के अनुरूप नियंत्रित होगी। बाजार, परिसर, दुकानें एवं अन्य गैर आवासीय गतिविधियों के क्षेत्रों में विकास अनुमति, सेवा मरुग एवं पार्किंग के लिये पर्याप्त स्थल छोड़ने के पश्चात दी जा सकेगी।

3.4.2 प्रस्तावित मरुग, सेक्सन एवं विकास के चरण

विभिन्न स्तर के मरुगों के विकास एवं निर्माण हेतु मरुग सेक्सन का निर्धारण किया गया है। विकास योजना में प्रस्तावित मरुगों का विकास/निर्माण दो चरणों में किया जा सकता है, जिसका विवरण निम्न सारणी में दर्शाया गया है -

सिंगरौली : मार्ग सेक्सन

3-सा-3

| क्र. | मार्ग | यातायात प्रबंधन के विचारणीय बिन्दु | यातायात लेन की संख्या | | |
|------------------------|---|--|-----------------------|-------------|-----|
| | | | प्रथम चरण | द्वितीय चरण | कुल |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | राष्ट्रीय राजमार्ग | पूर्णरूपेण सीधा यातायात, स्थानीय यातायात मार्ग विभाजक द्वारा अलग-अलग किया जायेगा। नये विकास क्षेत्रों में सीधा प्रवेश पर नियंत्रण केवल सेवा मार्गों द्वारा क्षेत्रीय यातायात | 03 | 03 | 06 |
| स्थानीय यातायात | | | | | |
| 2. | अन्य क्षेत्रीय मार्ग (जयन्त, अमलोरी, मेरबा) | पूर्णरूपेण आने-जाने वाले यातायात को मार्ग विभाजक द्वारा अलग किया जावेगा। केवल सेवा मार्गों द्वारा ही पहुँच, क्षेत्रीय यातायात, स्थानीय यातायात | 03 | 03 | 06 |
| 3. | वृत्तीय (बायपास मार्ग) | सार्वजनिक यातायात मार्ग एवं स्थानीय यातायात, पृथक होना, सीधा प्रवेश नियंत्रण क्षेत्रीय यातायात, स्थानीय यातायात | 04 | 04 | 08 |
| 4. | प्रमुख नगरीय मार्ग (एम.आर.) | सार्वजनिक यातायात मार्ग एवं स्थानीय मार्ग, यातायात पृथक होना, सीधा प्रवेश नियंत्रण क्षेत्रीय यातायात | 02 | 02 | 04 |
| 5. | वृत्त खण्ड मार्ग / उपखण्ड मार्ग (एम.आर.) | वाहन यातायात एवं रहवासी यातायात | 01 | 01 | 02 |

- पादचारी सेवा मार्गों को लेन की विभाजक पट्टी के साथ मार्गों के विस्तृत रूपांकन आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।
- जहाँ आवासीय क्षेत्रों के भूखण्ड, मुख्य मार्ग के सम्मुख है और मार्ग की सुगमता है, वहाँ धमनीय मार्गों एवं वृत्त खण्ड मार्गों पर प्रत्येक दिशा में कम से कम एक लेन हल्के वाहन यातायात के लिये अलग से प्रदाय की जावेगी।
- सम्पर्क मार्गों पर आवश्यकता के अनुरूप सायकल, दो पहिया वाहनों के लिये मार्ग उपलब्ध कराया जायेगा।

3.4.3 मार्ग संगमों का सुधार

नगर के निम्न मार्ग संगमों को सुविधाजनक एवं सुरक्षित यातायात की दृष्टि से सुधारा जाना प्रस्तावित है। मध्य क्षेत्र के अंतर्गत कुछ मार्ग संगमों को नगरीय रूपांकन एवं नियंत्रण की दृष्टि से विकसित किया जाना प्रस्तावित है। कुछ चौराहे जैसे माजन मोड़, सर्किट हाउस चौक, बिलौजी,

तेलाई आदि का विकास यातायात की दृष्टि से किया जा चुका है। निम्न चौराहों का विकास प्राथमिकता के क्रम में किया जाना प्रस्तावित है –

1. बरगवां-गोरबी तिराहा
2. परसौना मोड़ तिराहा
3. तेलाई मोड़ तिराहा
4. नवानगर तिराहा
5. अमलोरी तिराहा
6. गनियारी चौक
7. शाहपुर/गहिलरा तिराहा
8. शुक्ला मोड़ (मोरबा)
9. एन.सी.एल. अस्पताल तिराहा (मोरबा)

3.4.4 रेलवे एवं ओव्हर ब्रिज

बैठन तथा बरगवां के मध्य रेल सम्पर्क स्थापित करने के उद्देश्य से रेल लाईन प्रस्तावित की गई है। रेल प्राधिकारियों द्वारा दो वैकल्पिक प्रस्तावों को संयुक्त करने वाली रेखीय निर्धारण का पालन किया जाये। इस प्रस्ताव के क्रियान्वयन से सम्पर्क स्थापित होगा और बरगवां को प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के विभाजन से भी बचाया जा सकेगा। इससे प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के लिये एक और क्षेत्रीय मार्ग के साथ ही अतिरिक्त रेलवे सुविधा उपलब्ध होगी। जिससे उद्यमी भी लाभान्वित होंगे। जयन्त से मोरबा की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित रेलवे लाईन पर ओव्हर ब्रिज का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। बरगवां में औद्योगिक क्षेत्र से लगे हुये भालुगढ़ में रेलवे स्टेशन प्रस्तावित है, जिसमें वाहन विराम स्थल एवं यात्री प्रतीक्षालय एवं आवश्यक सुविधायें शामिल हैं।

3.4.5 बस स्थानक एवं बस डिपो


बरगवां से बैठन मुख्य मार्ग के दक्षिण में तेलाई तिराहा के उत्तर की ओर प्रस्तावित 30 मीटर मार्ग के दक्षिण की ओर बस स्टैण्ड तथा बस डिपो के लिये ग्राम तेलाई में स्थान प्रस्तावित किया गया है, जो भावी बस स्थानक के लिये सुविधाजनक होगा। इसी प्रकार ग्राम बरगवां में वन विभाग के उत्तर में बस स्थानक प्रस्तावित है, जो प्रस्तावित नगरीय क्षेत्र के लिये सुविधाजनक होगा। इसी प्रकार विन्ध्यनगर के प्रमुख मार्ग के दक्षिण की ओर प्रस्तावित बायपास के उत्तर में बस स्थानक का प्रस्ताव दिया गया है, जो उत्तरप्रदेश एवं मध्यप्रदेश से आने वाली बसों के लिये सुविधाजनक होगा। सी.डी. पी. में भी नये बस स्टैण्ड का प्रस्ताव दिया गया है, जिसे विकास योजना में समाहित किया गया है जो मोरबा के ग्राम मेढौली में काली मंदिर एवं मुख्य मार्ग तिराहे से लगकर 2.0 हेक्टेयर भूमि बस स्थानक हेतु रखी गई है।

3.4.6 हवाई पट्टी


सिंगरौली का प्रदेश एवं देश से वायु सम्पर्क स्थापित करने के उद्देश्य से बैठन के दक्षिण भाग

सिंगरौली

विकास योजना 2031



| LANDUSE | वर्तमान EXISTING | प्रस्तावित PROPOSED | भूमि उपयोग |
|--|---------------------|------------------------|-------------------------------|
| RESIDENTIAL | | | आवासीय |
| COMMERCIAL | | | वाणिज्यिक |
| GENERAL | | | सामान्य |
| MANDI | | | मंडी |
| INDUSTRIAL | | | औद्योगिक |
| PUBLIC & SEMIPUBLIC | | | सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक |
| PUBLIC UTILITIES & FACILITIES | | | सार्वजनिक सेवाएं एवं सुविधाएं |
| RECREATIONAL | | | आमोद प्रमोद |
| REGIONAL PARK | | | क्षेत्रीय उद्यान |
| PLANTATION | | | वृक्षारोपण |
| ASH DAIG | | | |
| WATERBODIES | | | जलाशय |
| CANAL | | | नहर |
| VILLAGE DEVELOP AREA | | | ग्राम आवादी विस्तार |
| AGRICULTURAL | | | कृषि |
| COAL MINES | | | कोयला खदान |
| COAL BEARING AREA LIMIT | | | कोयला धारित क्षेत्र सीमा |
| POWER CORRIDOR | | | पावर कोरीडोर |
| TOWER LINE | | | |
| FOREST | | | वन |
| TRANSPORTATION | | | यातायात |
| ROAD | | | मार्ग |
| RAILWAY LINE | | | रेल मार्ग |
| BUS STAND | | | बस स्थानक |
| RAILWAY STATION | | | रेलवे स्टेशन |
| AIR STRIP | | | हवाई पट्टी |
| PLANNING AREA | | | निवेश क्षेत्र |
| VILLAGE BOUNDARY | | | ग्राम सीमा |



सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र,
म0प्र0 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद
विज्ञान भवन, भोपाल



सहायक संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश,
म० प्र० भोपाल

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म. प्र. भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश

Additional Director
Town & Country Planning
BHOPAL (M.P.)

Director,
Town and Country Planning
M. P. Bhopal

में ग्राम सिंगरौलिया, खजुरी, कटौली में हवाई पट्टी का प्रस्ताव दिया गया है, जिसके लिये वर्तमान में 180 एकड़ भूमि मध्यप्रदेश शासन द्वारा हवाई पट्टी हेतु आरक्षित की गई है। इस हेतु कुल लगभग 70.0 हेक्टेयर शासकीय एवं निजी भूमि सम्मिलित है।

3.4.7 क्षेत्रीय पिकअप स्टेशन एवं टैक्सी स्टैण्ड

क्षेत्रीय बस स्थानक की क्षमता बढ़ाने एवं यातायात के दबाव को कम करने के लिये नगर के अन्दर क्षेत्रीय मार्गों पर पिकअप स्टेशन का होना अति आवश्यक है। सी.डी.पी. में भी इन स्थानों पर सुझाव दिया गया है। सभी क्षेत्रीय मार्गों के नगर में प्रवेश बिन्दुओं पर बस स्थानकों का प्रस्ताव निम्नानुसार है:—

1. बरगवां औद्योगिक क्षेत्र वन विभाग कार्यालय के पास।
2. माजन मोड़ के पास
3. नवानगर मोड़ के पास
4. जयन्त तिराहा
5. रेलवे स्टेशन के पास (मोरबा)
6. गोंदवाली रेलवे क्रॉसिंग के पास
7. विन्ध्यनगर मुख्य मार्ग पर
8. परसौना तिराहे पर

3.4.8 नगर बस अवसान केन्द्र

वर्षा 2031 तक सिंगरौली नगर के विकास एवं विस्तार में गति तीव्र होने की संभावना है। अतः एक तीव्र यातायात प्रणाली का होना अति आवश्यक है। इस हेतु नगर बस सेवा अवसान केन्द्रों को निम्न स्थानों पर प्रस्तावित किया गया है—

1. बस स्टैण्ड के पास
2. विन्ध्यनगर बस डिपो के पास
3. मोरबा बस स्टैण्ड
4. परसौना मोड़ के पास
5. माजन मोड़ के पास
6. नवानगर मोड़ के पास
7. नवजीवन विहार
8. अमलोरी तिराहे के पास, नवानगर मोड़
9. गनियारी मार्ग तिराहे के पास
10. एन.सी.एल. तिराहे के पास (जयन्त)

3.4.9 अवसान केन्द्र (माल)

सिंगरौली नगर मुख्यतः औद्योगिक एवं वाणिज्यिक नगर के रूप में विकसित हो रहा है, इस क्षेत्र में रेल एवं सड़क मार्गों द्वारा माल ले जाने में वृद्धि होगी। अतः निम्नलिखित स्थानों पर माल अवसान केन्द्र प्रस्तावित किये गये हैं :-

1. तेलाई चौराहा
2. माजन बगीचे के पास
3. परसौना मोड़ के पास
4. बगरवां चौराहे के पास
5. मोरबा में शुक्ला मोड़ के पास
6. अमलोरी तिराहा के पास
7. गनियारी तिराहा के पास
8. नवजीवन तिराहा
9. नवानगर मोड़ के पास

3.4.10 यातायात नगर एवं मैकेनिक नगर

सिंगरौली विकास योजना 2011 में बैढन में यातायात नगर एवं मोरबा में मैकेनिक नगर/यातायात नगर के विकास का प्रस्ताव दिया गया था, जिसमें नगर निगम द्वारा मैकेनिक नगर का विकास किया जा रहा है, किन्तु माजन खुर्द में प्रस्तावित यातायात नगर का विकास नहीं हुआ है, जिससे नगर विकास की कड़ी में यातायात प्रमुख समस्या है, वाहन मरम्मत एवं पार्किंग प्रमुख मार्गों के किनारे होने से यातायात आवागमन बाधित होता है तथा दुर्घटनायें बढ़ती हैं। नगर की भावी आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये निम्नलिखित स्थानों में वाहन पार्किंग हेतु स्थल विकसित किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

1. बैढन नगर में ग्राम हिरवाह के अंतर्गत 19.0 हेक्टेयर
2. नौगढ़ में प्रस्तावित बस स्टैण्ड के पास 10.0 हेक्टेयर
3. बरगवां में बरहवा टोला में प्रस्तावित गोदाम से संलग्न 4.0 हेक्टेयर
4. मोरबा में रेलवे स्टेशन के पश्चिम 3.0 हेक्टेयर
5. बैढन-शक्तिनगर मुख्य मार्ग पर 5.00 हेक्टेयर

(अ) प्रस्तावित वाणिज्यिक मार्गों की सूची निम्नानुसार है :-

1. माजन मोड़ तिराहे से मोरबा रोड की ओर नवानगर मोड़ तक।
2. बरगवां, बैढन मुख्य मार्ग में परसौना तिराहा से तेलाई मोड़ होकर माजन मोड़ होते हुये नवजीवन विहार तक।
3. पुराने तहसील तिराहे से गनियारी चौक तक।

4. मोरबा, शुक्ला मोड़ से एन.सी.एल. मुख्यालय तक।
5. सर्किट हाउस मोरबा से मुख्य बाजार तक।
6. एन.सी.एल. तिराहे से एम.आई.जी. चौक तक।
7. बरगवां थाने से रेलवे क्रासिंग तक, मोरबा मार्ग पर वर्तमान बसाहट तक।

(ब) वाणिज्यिक सह आवासीय मार्ग

1. बिलौजी मार्ग
2. कॉलेज मार्ग
3. बस स्टैण्ड मार्ग (वर्तमान अस्पताल के पास में)
4. गनियारी चौक से गनियारी औद्योगिक क्षेत्र मार्ग।

3.5 नगरीय अधोसंरचना

1. जल प्रदाय

सिंगरौली (बैढ़न) से नगर में जल वितरण किया जाता है, नगर में ट्यूबवेलों की संख्या 44 है। ट्यूबवेलों के माध्यम से प्रतिदिन सुबह-शाम प्रति व्यक्ति 60 लीटर के मान से 8.80 लाख लीटर जल नगर निगम के द्वारा प्रदाय किया जाता है। इसके अतिरिक्त नगर में 2034 हैण्डपम्प हैं, जिसके माध्यम से नगरवासियों की जल की पूर्ति होती है, इस प्रकार नगर में लगभग 40 प्रतिशत जल की कमी पाई गई है, जिससे नगरवासी जल समस्या से ग्रसित रहते हैं। जल समस्या के निदान हेतु नगर पालिक निगम सिंगरौली द्वारा 7477.00 लाख की लागत से योजना तैयार की गई है, जिसकी सैद्धांतिक स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की गई है।

सिटी डेव्हलपमेंट प्लान (सी.डी.पी.) में जल प्रदाय हेतु 116.775 करोड़ की योजना तैयार की गई है। इसमें नगर निगम द्वारा तैयार योजना को सम्मिलित करते हुये कुल 3 इन्टेकवेल मोरबा, बैढ़न में तथा ट्रीटमेंट प्लान्ट 01 मोरबा तथा 02 बैढ़न में क्रमशः 16 एम.एल.डी. तथा 74 एम.एल.डी. का प्रस्ताव है, इसी आधार पर विकास किया जा सकेगा। बिजुर नदी एवं गोविन्द वल्लभ पंत सागर जलस्रोत के साथ विन्ध्याचल सुपर थर्मल पावर, शासन पावर एवं एस्सार ताप संयंत्र के गरम जल को पुनर्चक्रीकरण के उपरान्त शोधन किया जाकर जल प्रदाय किया जा सकेगा। इसे क्रियान्वित किया जाना आवश्यक है।

2. जल-मल निकास (सीवरेज)

जल-मल निकासी की वर्तमान में समुचित व्यवस्था नहीं है। बैढ़न, मोरबा, बरगवां नगरीय क्षेत्र के वर्तमान आबादी वाले क्षेत्रों के साथ-साथ भविष्य में विकसित किये जाने वाले क्षेत्रों के लिये भी समग्र रूप से जल-मल निकासी की समुचित प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु प्रस्ताव सी.डी.पी. में दिये अनुसार 83.3 करोड़ की योजना तैयार की गई है। इसी आधार पर योजना क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार नगर में एकत्रित मल का उपयोग शोधन विधि से उपचार उपरान्त खाद के

रूप में किया जा सकता है, जो कृषि कार्य के लिये उपयुक्त होगा। घरेलू मल निकासी हेतु केन्द्रीय नाली निर्माण व्यवस्था प्रस्तावित है। औद्योगिक प्रदूषण को ध्यान में रखते हुये प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाईयों के अनुपयोगी जल को उपचार उपरान्त समान जल निकास के साथ प्रवाहित किया जाना प्रस्तावित है।

3. विद्युत

सिंगरौली नगर में औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के साथ वाणिज्यिक एवं आवासीय आबादी का विस्तार होगा जिसके लिये विद्युत उपभोग में निरन्तर वृद्धि होने की संभावना है। सिंगरौली में विन्ध्याचल सुपर थर्मल पावर प्लान्ट पूर्व से ही संचालित है तथा एस्सार एवं सासन पावर जैसी राष्ट्रीय स्तर की कम्पनियों के विद्युत उत्पादन से मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल के माध्यम से पर्याप्त विद्युत आपूर्ति की जा सकेगी।

नगर में वर्तमान में की जा रही विद्युत वितरण संबंधी जानकारी निम्न तालिका 3-सा-4 के अनुसार है :-

सिंगरौली : विद्युत खपत

3-सा-4

| क्र. वर्ष | घरेलू खपत (लाख यूनिट में) | वाणिज्यिक खपत (लाख यूनिट में) | औद्योगिक खपत (लाख यूनिट में) | अन्य खपत (लाख यूनिट में) | |
|------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 2008-09 | 93.42 | 26.40 | 12.23 | 44.22 |
| 2. | 2009-10 | 96.54 | 33.57 | 12.49 | 54.39 |
| 3. | 2010-11 | 119.32 | 41.07 | 13.30 | 64.04 |
| 4. | 2011-12 | 146.86 | 59.90 | 14.81 | 65.84 |
| योग | | 456.14 | 160.54 | 52.83 | 228.49 |

टीप:- विद्युत आपूर्ति एन.टी.पी.सी. विन्ध्यनगर से की जाती है।

विद्युत केन्द्र एवं उपकेन्द्र की स्थापना हेतु स्थानीय स्तर पर आवश्यकतानुसार सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

4. जल निकास

जल निकास की समुचित व्यवस्था के अभाव में नगर का निचला क्षेत्र वर्षाकाल में जलमग्न हो जाता है। वर्षा जल के साथ नगर का कूड़ा-कचड़ा प्रवाहित होकर नालियों एवं नालों के संकरे भाग में जमा हो जाता है। जिससे प्राकृति प्रवाह अवरुद्ध हो जाने के कारण आस-पास का क्षेत्र जलमग्न हो जाता है। अतः जल निकासी की समुचित व्यवस्था के अंतर्गत वर्तमान एवं भावी आवासीय क्षेत्रों

को सीवरेज सिस्टम से जोड़ते हुये एकत्रित जल शोधन क्रिया के उपरान्त काचन एवं बिजुर नदी के प्रवाह में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।

5. धोबी घाट

वर्तमान में धोबी घाट का कोई निर्धारित स्थल नहीं है। विकास योजना में स्थानीय प्रशासन के सहयोग से नदी के तटवर्ती क्षेत्र जो पेयजल स्रोत के निचले भाग में स्थित होगा उसी क्षेत्र में इस कार्य हेतु स्थल चयन कर इसका विकास किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रस्ताव को इस प्रकार क्रियान्वयन किया जावे कि वर्तमान जलस्रोत प्रदूषण से मुक्त रहें।

6. अग्नि शमन केन्द्र

वर्तमान में वृहद् राष्ट्रीय औद्योगिक इकाईयों के पास तथा मोरबा एवं स्थानीय नगर पालिक निगम बैढ़न के पास इसकी सुविधा उपलब्ध है। जिनके द्वारा वर्तमान में आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही है। किन्तु भावी औद्योगिक एवं जनसंख्या की वृद्धि तथा नगर के विकास को ध्यान में रखते हुये इसे आधुनिक उपकरणों के साथ वर्तमान स्थलों पर ही विस्तार एवं विकास किया जाना प्रस्तावित है।

3.6 अन्य सेवायें एवं सुविधायें

(1) दूरभाष केन्द्र

वर्तमान में दूरभाष सुविधा बैढ़न, मोरबा एवं बरगुवां में उपलब्ध है। नगर विकास की भावी आवश्यकताओं के अनुरूप नगर विकास समिति द्वारा सहमति प्राप्त कर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नवीन दूरभाष केन्द्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

(2) डाकघर

वर्तमान में बैढ़न, मोरबा, विन्ध्यनगर, बरगुवां आदि क्षेत्रों में डाकघर की सुविधा उपलब्ध है। विकास योजना में स्थानीय आवश्यकतानुसार भावी विकास को ध्यान में रखते हुये नवीन उप डाकघर हेतु प्रावधानित हैं। स्थल चयन नगर विकास समिति के सुझाव से सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर विकास किया जाना प्रस्तावित है।

(3) आरक्षी केन्द्र (पुलिस केन्द्र)

नगरीय क्षेत्र की स्थानीय आवश्यकतानुसार गठित नगर विकास समिति के सुझाव से सक्षम अधिकारी की अनुमति से स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

(4) कब्रिस्तान/श्मशान घाट

वर्तमान में कब्रिस्तान एवं श्मशान घाट निवेश क्षेत्र के अंतर्गत अपने वर्तमान स्थिति में यथानुरूप नगर को सुविधायें प्रदान करते रहेंगे। वर्तमान में स्थित कब्रिस्तान/श्मशान घाट निम्नानुसार हैं :-

1. बैढन में – बैढन तालाब के पास बस्ती के समीप
2. देवरा नाले के पास
3. मोरबा विश्राम गृह के पीछे नाले के किनारे।
4. बरगवां हायर सेकेण्डरी स्कूल के दक्षिण में तालाब के पास।
5. मोरबा में ज्योति कान्वेन्ट स्कूल के पास।

ऐसे स्थलों जो अत्याधिक जन सामान्य की अन्य सुविधाओं को प्रभावित करेंगे, उन्हें सार्वजनिक हित में पर्यावरण की दृष्टि से सघन वृक्षारोपण कर वर्तमान उपयोग को बंद करने का प्रावधान किया जाना आवश्यक होगा। चूंकि नगर में आधुनिक संसाधनों से युक्त विद्युत चलित शवदहन केन्द्र उपलब्ध नहीं है, इसकी पूर्ति के लिये विकास योजना में काचन नदी के तटवर्ती में स्थल प्रस्तावित है। साथ ही गनियारी में एक कब्रिस्तान/श्मशान घाट प्रस्तावित है।

(5) दुग्ध डेयरी/पशुपालन

वर्तमान में बैढन में एक दुग्ध संग्रहण एवं वितरण केन्द्र संचालित है, जो अपर्याप्त है तथा डेयरी सह पशुपालन नगर के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में अन्य प्रमुख उपयोगों के साथ मिश्रित होकर संचालित हैं, जो नगर के यातायात को बाधित करने के साथ-साथ पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। अतः दुग्ध वितरण केन्द्र, डेयरी एवं पशुपालन को आबादी क्षेत्र से बाहर नगर विकास समिति के सहयोग से प्रस्तावित कृषि उपयोग में स्थल चयन कर सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

(6) क्लब

वर्तमान में विन्ध्यनगर के अंतर्गत 02, एन.सी.एल. के अंतर्गत 22 एवं बैढन में 03 क्लब उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त नगर की भावी आवश्यकतानुसार नगर विकास समिति की सहमति से सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर विकास किया जाना प्रस्तावित है।

(7) सामुदायिक भवन

निवेश क्षेत्र के अंतर्गत वर्तमान में विन्ध्यनगर में 02, एन.सी.एल. में 06 तथा बैढन में 01 सामुदायिक भवन की सुविधा नगरवासियों को उपलब्ध है। भावी आवश्यकता के अनुसार प्रशासनिक स्तर पर उपयुक्त स्थल का चयन कर नगर विकास समिति के सुझाव से सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर विकास किया जाना प्रस्तावित है।

(8) पुस्तकालय/वाचनालय

नगर में एन.सी.एल. के अंतर्गत 12, विन्ध्यनगर में 01, बैढन एवं जयन्त में 01-01 पुस्तकालय एवं वाचनालय की सुविधा उपलब्ध है। भावी आवश्यकताओं के अनुसार नगर विकास समिति के सुझाव से उचित स्थल का चयन कर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति उपरान्त विकास किया जाना प्रस्तावित है।

विकास नियमन

4.1 प्रवृत्तशीलता

इन नियमों का उद्देश्य सिंगरौली नगरवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है, यह नियमन निवेश क्षेत्र के अंदर समस्त विकास की गतिविधियों को नियंत्रित करेंगे।

4.2 क्षेत्राधिकार

1. इस अध्याय में वर्णित विकास नियमन, राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 क्रमांक 23 सन् 1973 की धारा 13 के अंतर्गत गठित निवेश क्षेत्र पर लागू होंगे। मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 में समय-समय पर होने वाले संशोधनों को विकास योजना का भाग माना जावेगा।
2. विकास योजना प्रस्तावों का विस्तृतीकरण परिक्षेत्रिक योजना में किया जाता है, यह सम्भावना है कि विकास योजना में परिभ्रमण एवं उपयोग परिक्षेत्रों के निर्धारण संबंधी प्रस्तावों को क्रियान्वयन संबंधी यांत्रिकी आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में संशोधित करना पड़े ऐसे संशोधन के संबंध में राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा। जो कि विकास योजना प्रस्तावों का एक भाग माना जावेगा।
3. विकास योजना मानचित्र में दर्शित प्रस्ताव सांकेतिक एवं स्थूल स्वरूप के हैं तथा उक्त प्रस्ताव मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 17 के आधार पर चिन्हित किये गये हैं, उदाहरणार्थ आवासीय परिक्षेत्र, जो विकास योजना मानचित्र में दर्शाया गया है, उसमें आंतरिक मार्ग, खुले तथा हरित क्षेत्र नागरिकों के लिये आवश्यक शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु क्षेत्रफल सम्मिलित है, इसी प्रकार नगरीय विकास हेतु अनुपयोगी भूमि, वर्तमान वृक्ष समूहों द्वारा व्याप्त भूमि आदि आवासीय क्षेत्र के अभिन्न अंग के रूप में सम्मिलित है। इस कारण उक्त क्षेत्र विकास योजना मानचित्र में पृथक से नहीं दर्शाये गये हैं।
4. विकास योजना मानचित्र में निर्धारित किसी भी उपयोग परिक्षेत्र में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्व से विधिवत स्वीकृत वर्तमान भवन, वर्तमान अवस्था में तथा वर्तमान उपयोग हेतु यथावत रहेंगे।
5. झुग्गियों में रहने वाले निवासी, नगरीय केन्द्र की विभिन्न गतिविधियों में सेवाकार्य से जुड़े होते हैं, यदि झुग्गी-झोपड़ी को किसी स्थान पर व्यवस्थापन कर उसे विकसित किया जाना है, तो उस दशा में सिर्फ तालाबों के संदर्भ में प्रतिबंधित क्षेत्र, आमोद-प्रमोद के क्षेत्र तथा प्रस्तावित मार्ग के क्षेत्र को छोड़कर शेष भूमि उपयोग परिक्षेत्रों में झुग्गी-झोपड़ी का व्यवस्थापन ग्राह्य होगा।
6. विकास योजना मानचित्र जो रिपोर्ट के साथ संलग्न है, वह मशीन द्वारा छोटा किया गया

मानचित्र है। इस कारण उक्त मानचित्र के आधार पर भूमि की लम्बाई—चौड़ाई अथवा क्षेत्रफल को नहीं नापा जाये। लम्बाई—चौड़ाई एवं क्षेत्रफल सर्वे मानचित्र, जो 1:4000 की माप पर हो के आधार पर नापा जाये।

7. परिक्षेत्रिक योजना तैयार करने की पद्धति विकास योजना तैयार करने के ही समान है। विकास के स्वरूप के अनुरूप अलग—अलग विकास नियमन/परिक्षेत्रिक नियमनों की आवश्यकता हो सकती है, किन्तु परिक्षेत्रिक योजना के प्रकाशित एवं प्रभावशील होने तक इस अध्याय में वर्णित नियमनों के आधार पर विकास अनुज्ञा दी जावेगी। प्रथम चरण के प्रस्ताव के अनुसार परिक्षेत्रिक योजना त्वरित गति से तैयार करना नितांत आवश्यक है। परिक्षेत्रिक योजना नगरपालिका सिंगरौली द्वारा तैयार की जावेगी।
8. प्रत्येक उपयोग परिसर की परिक्षेत्रिक योजना/विस्तृत अभिन्यास में दी गई शर्तें स्थिति एवं विद्यमान वर्तमान मार्ग सीमायें, स्थल पर विद्यमान वर्तमान मार्ग/गाड़ी मार्ग एवं अन्य भौतिक स्वरूपों को संदर्भ माना जावेगा।
9. जिन अभिन्यासों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति दी गई है, अर्थात् म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अंतर्गत अथवा म.प्र. भू—राजस्व संहिता के अंतर्गत भू—व्यवस्थापन हेतु दी गई हो एवं स्वीकृति की समयावधि विकास योजना प्रारूप प्रकाशन की तिथि पर वैद्य है अथवा नगर तथा ग्राम निवेश की अनुशंसा के आधार पर कलेक्टर/शासन द्वारा कोई शासकीय भूमि किसी प्रयोजन हेतु आरक्षित अथवा आवंटित की गई हो तो उस दशा में यह माना जावेगा कि वह अभिन्यास/स्वीकृत विकास योजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग के अनुरूप है।
10. अपरिहार्य परिस्थितियों तथा सार्वजनिक हित में राज्य शासन नगर जनसंख्या को सामूहिक लाभ देने वाली राष्ट्रीय, राज्य एवं नगर स्तर की गतिविधियों हेतु विकास पर विचार कर सकता है।
11. किसी भी उपयोग परिक्षेत्र में उपयोगिता अधोसंरचना से संबंधित निर्माण अथवा गतिविधि जो स्थल पर आवश्यकता के अनुरूप तथा उपयुक्त अधोसंरचना नियोजन एवं रूपांकन के द्वारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हो, स्वीकार्य होंगे।
12. अधिनियम की धारा 30 एवं 30(क) में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत मानचित्र में संशोधन आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी सभी आवश्यक संशोधन मानचित्र में अंकित कर पुनः संबंधित को वापिस करेंगे। स्वीकृति केवल संशोधित मानचित्र पर ही अंकित की जावेगी।

4.3 परिभाषाएँ

उपयोग परिक्षेत्र — मुख्य भू—उपयोग से संबंधित प्रस्तावित विशिष्ट नगरीय कार्यकलापों में से किसी एक कार्यकलाप का क्षेत्र।

- उपयोग परिसर** – उपयोग परिसर से तात्पर्य ऐसा परिसर जो कि उपयोग परिक्षेत्र के विभाजन का एक भाग हो एवं जिसे कि अभिन्यास तैयार करते समय एक विशिष्ट मुख्य उपयोग या गतिविधि के लिये स्पष्ट किया गया हो।
- अभिन्यास** – अभिन्यास से तात्पर्य योजना की रूपरेखा से है, जिसमें उपयोग परिसर के सभी आकार एवं प्रकार इंगित हो।
- भूमि उपयोग मानचित्र** – सभी उपयोग परिक्षेत्रों को दर्शाने वाला मानचित्र, भूमि उपयोग मानचित्र कहलायेगा।
- परिक्षेत्रिक योजना** – निवेश क्षेत्र के एक परिक्षेत्र की योजना जो अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत बनाई गई हो।
- नगरीय ग्राम** – भूमि उपयोग मानचित्र में दर्शाये एवं प्रस्तावित उपयोग परिक्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण आबादी नगरीय ग्राम कहलायेंगे।
- नगरीय विरासत** – नगरीय विरासत से तात्पर्य ऐसा परिसर जिसमें कि पुरातत्व महत्व के ऐतिहासिक भवन एवं उसके आसपास का परिसर सम्मिलित हो तथा संबंधित अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित हो।
- बहु-इकाई भूखण्डीय विकास** – नवीन क्षेत्रों में भूखण्डीय विकास विशेषतः मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों के अनुरूप परिवारों को समाहित करने हेतु विशिष्ट रूप से रूपांकित किये जावेंगे। सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के पश्चात क्रियान्वित किये जाने वाले इस विकास में आवश्यक सेवायें एवं सुविधायें प्रावधित की जावें। ऐसे विकास हेतु भूखण्ड का आकार 288 वर्गमीटर से कम नहीं होना चाहिये एवं उनके सक्षम न्यूनतम 12 मीटर चौड़ा मार्ग स्थित/प्रावधित होना चाहिये।
- अन्य परिभाषाएँ** – म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के अनुसार लागू होगी।

4.4 भूमि उपयोग परिक्षेत्र

निवेश क्षेत्र को 9 प्रमुख उपयोग परिक्षेत्रों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक उपयोग परिक्षेत्र आगे विभिन्न उपयोग परिसरों के रूप में उप विभाजित किये गये हैं। प्रत्येक उपयोग परिसर में विशिष्ट उपयोग/उपयोग गतिविधियाँ शर्तों या बिना शर्तों के स्वीकार्य होगी। उपयोग परिक्षेत्रों का विभाजन एवं उपयोग श्रेणियों का विवरण सारणी 4-सा-1 में दिया गया है।

सिंगरौली : उपयोग परिक्षेत्र

4-सा-1

| अनु. क्रमांक | उपयोग परिक्षेत्र | उपयोग श्रेणियाँ |
|--------------|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आवासीय | वर्तमान आवासीय तथा प्रस्तावित आवासीय। |
| 2. | वाणिज्यिक | सामान्य वाणिज्यिक (व्यापार सेवा संस्थान के साथ), थोक विक्रय, मण्डी, शीतगृह एवं भण्डारण, यातायात नगर/मैकेनिक नगर। |
| 3. | औद्योगिक | उद्योग, उद्योग के समतल समूहों सहित। |
| 4. | सार्वजनिक अर्द्ध-सार्वजनिक | वर्तमान सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक एवं प्रस्तावित सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक गतिविधियाँ, सामाजिक अधोसंरचना। |
| 5. | सार्वजनिक उपयोगिताएँ | वर्तमान सार्वजनिक उपयोगिताएँ एवं भौतिक अधोसंरचना |
| 6. | आमोद-प्रमोद | उद्यान/खेल मैदान, स्टेडियम, मैदान, मेला, वनस्पति उद्यान/वृक्षारोपण। |
| 7. | यातायात एवं परिवहन | रेलवे स्टेशन/बस स्टैण्ड/हवाई पट्टी वर्तमान एवं प्रस्तावित मार्ग, रेल मार्ग, बस स्थानक। |
| 8. | कृषि | कृषि, ग्रामीण परिक्षेत्र (कडिका 2.11 के अनुसार ग्रामीण आबादी के विस्तार हेतु) |
| 9. | जलस्रोत | जलाशय एवं नहर/नाले |

4.4.1 आवासीय उपयोग परिक्षेत्रों हेतु नियमन

4.4.1 (अ) उपयोग परिक्षेत्र का उपयोग परिसरों में उप-विभाजन

- इन नियमनों का उद्देश्य विभिन्न परिक्षेत्रों के अभिन्यास तैयार करने हेतु मार्गदर्शन देना है। इन नियमों में परिभ्रमण संरचना एवं सुविधाओं के प्रावधानों के मानक सम्मिलित हैं। ऐसे अभिन्यासों से जुड़े सेवा प्रावधानों जैसे- भौतिक संरचनाएँ, जल-प्रदाय, जल-मल निकास आदि नगरपालिका उप-नियमों के अनुरूप होंगे।
- भूखण्ड की चौड़ाई एवं गहराई का अनुपात अधिकतम 1:3 होना चाहिये।
- भवन निर्माता/वास्तुविदों को अपने भवन नियोजन हेतु आवासीय विकास के संदर्भ में भूखण्ड आकार, भूखण्ड प्रकार, एफ.ए.आर. भूतल आच्छादन भवन की ऊँचाई तथा स्वीकार्य आवासीय इकाईयों के मानकों की आवश्यकता होती है। भूखण्ड स्वीकृत अभिन्यास का भाग होना आवश्यक है तथा भवन अनुज्ञा हेतु यह पूर्णतः विकसित होना चाहिये। कार्पोरेट विकास की दशा में विकास/भवन अनुज्ञा साथ-साथ दी जा सकेगी।

4. एक भूखण्ड में चार इकाईयों से अधिक समाहित करने हेतु प्रस्तावित आवासीय क्षेत्र में तैयार किये गये अभिन्यास की स्वीकृति तभी दी जावेगी जब आवश्यक प्रावधान जैसे— जल प्रदाय, मल निकास, पार्किंग सुविधा का प्रावधान किया हो तथा भवन निर्माण की अनुमति देने के पूर्व उक्त सेवा एवं सुविधायें वास्तविक रूप से उपलब्ध होना चाहिये। इस प्रकार के निर्माण हेतु भूखण्ड का न्यूनतम आकार 288 वर्गमीटर होगा तथा उसके समक्ष न्यूनतम 12 मीटर चौड़ा मार्ग स्थित अथवा प्रावधित होना चाहिये।
5. वर्तमान विकसित क्षेत्र में पूर्णतः या आंशिक रूप से विकसित एकल/संयुक्त परिवार इकाई को आवश्यक सेवा तथा सुविधाओं के भौतिक सत्यापन के पश्चात बहु इकाई भूखण्डीय विकास में परिवर्तित करने की अनुमति दी जा सकती है।
6. आवासीय अभिन्यासों में राज्य शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड एवं समय-समय पर प्रसारित आदेशानुसार समाज के कमजोर वर्ग/अनौपचारिक वर्ग हेतु भूखण्ड/भवन का आरक्षण किया जाना आवश्यक प्रावधान करना होगा।
7. अल्प आय वर्ग का अभिन्यास तैयार करते समय मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 99; परिशिष्ट-(अ) में निहित प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिये।

4.5 आवासीय भूखण्डीय विकास के नियमन

1. भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 2.00 हेक्टर

(यह प्रतिबंध उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जहाँ पूर्व से स्थित विकास/निर्माण शासकीय भूमि, मार्ग, नाला, नदी, तालाब, श्मशान, आवासीय से भिन्न भूमि उपयोग की भूमि, रेलवे लाईन, केनाल विकसित क्षेत्र में स्थित होने के कारण 2.00 हेक्टेयर भूमि प्राप्त करना संभव न हो।)

2. आवासीय अभिन्यास में न्यूनतम खुला क्षेत्रफल 10 प्रतिशत।
3. सेवाओं हेतु न्यूनतम आरक्षित क्षेत्र 1.5 प्रतिशत।
4. आगंतुक पार्किंग हेतु भूमि का 1 प्रतिशत क्षेत्र आरक्षित रखना होगा।
5. न्यूनतम मार्ग की चौड़ाई सामान्य वर्ग हेतु 7.5 मीटर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु 6.00 मीटर।
6. सुविधाजनक दुकानें अधिकतम 5 प्रतिशत।
7. आवासीय प्रयोजन के स्वीकृत अभिन्यास के भूखण्डों पर भवन निर्माण संबंधी नियोजन मापदण्ड सारणी क्रमांक 4 सा 2 अनुसार होंगे।
8. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अल्प आय वर्ग हेतु प्रावधान म.प्र. नगरपालिक निगम अधिनियम 1956/म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961/म.प्र. पंचायती राज अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुरूप।

सिंगरौली : आवासीय भूखण्ड विकास नियमन

4-सा-2

| क्र. | भूखण्ड का आकार मीटर में | क्षेत्र (वर्गमीटर) न्यूनतम | विकास का प्रकार | भू-आच्छादन क्षेत्र प्रतिशत में | एफ.ए. आर. अधिकतम | एम.ओ.एस. मीटर में अग्र पार्श्व | एम.ओ.एस. मीटर में आजू बाजू | भूखण्ड के सामने मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई | अधिकतम ऊँचाई मीटर में | एक भूखण्ड पर अधिकतम स्वीकार्य आवासीय इकाईयों | | |
|------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------|---|-----------------------|--|------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | 4-0/8-0 | 20-32 | पंक्ति | 60 | 1.25 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 9 | 2 |
| 2. | 4-0/12-0 | 33-48 | पंक्ति | 60 | 1.25 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 6 | 9 | 2 |
| 3. | 5-0/15-0 | 49-75 | पंक्ति | 60 | 1.25 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 6 | 9 | 2 |
| 4. | 7-0/15-0 | 76-105 | पंक्ति | 50 | 1.25 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 9 | 2 |
| 5. | 9-0/15-0 | 106-135 | अर्द्धपृथक्कृत | 50 | 1.20 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 12.5 | 3 |
| 6. | 11-10/18-0 | 136-200 | अर्द्धपृथक्कृत | 50 | 1.20 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 12 | 3 |
| 7. | 12-0/18-0 | 201-216 | अर्द्धपृथक्कृत | 42 | 1.20 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 9.0 | 12.5 | 3 |
| 8. | 12-0/24-0 | 217-287 | पृथक्कृत | 40 | 1.15 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 9.0 | 12.5 | 4 |
| 9. | 12-0/24-0 | 288-360 | पृथक्कृत | 35 | 1.15 | 6.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 12.5 | 6 |
| 10. | 15-0/27-0 | 361-405 | पृथक्कृत | 33 | 1.15 | 7.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 12.0 | 12.5 | 7 |
| 11. | 18-0/30-0 | 406-540 | पृथक्कृत | 33 | 1.15 | 8.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 12.0 | 12.5 | 8 |
| 12. | 20-0/30-0 | 541-600 | पृथक्कृत | 33 | 1.15 | 9.0 | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 12.0 | 12.5 | 9 |
| 13. | 25-0/30-0 | 601-750 | पृथक्कृत | 30 | 1.15 | 12.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 12.0 | 12.5 | 10 |
| 14. | 30-0/30-30 | 751-999 | पृथक्कृत | 30 | 1.15 | 12.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 12.0 | 12.5 | 10 |

— अनुक्रमांक 9 से 14 के भूखण्डों के समक्ष यदि 12 मीटर या उससे अधिक चौड़ा मार्ग उपलब्ध नहीं है तो ऐसे भूखण्डों पर आवासीय इकाईयों की संख्या केवल 4 मान्य होगी।

4.6 विकसित क्षेत्रों के मध्य उपलब्ध भूमियों/भूखण्डों पर अपार्टमेंट हाउसिंग के नियमन

- (1) न्यूनतम भूमि/भूखण्ड का क्षेत्रफल 750 वर्गमीटर से अधिक
- (2) भूमि/भूखण्ड का फ्रन्टेज 21 मीटर
- (3) भूमि/भूखण्ड के समक्ष मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12 मीटर
- (4) अधिकतम एफ.ए.आर. (12.5 मीटर ऊँचाई तक के भवनों के लिये) 1:1.30
- (5) एम.ओ.एस. सामने 6 मीटर
अन्य ओर 4.5 मीटर
- (6) भवन की ऊँचाई 12.5 मीटर तक
- (7) दो अपार्टमेंट के ब्लकों के मध्य की दूरी सबसे ऊँचे अपार्टमेंट की ऊँचाई के 1/3 के बराबर होगी।
- (8) **पार्किंग** : एक कार स्पेस प्रति 150 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्रफल की दर से। आगंतुक कार/वाहन पार्किंग हेतु भूखण्ड के क्षेत्र का 2 प्रतिशत क्षेत्रफल आरक्षित रखना होगा।

- (9) वृक्षारोपण/उद्यान अंतर्गत क्षेत्रफल=(भूखण्ड/भूमि का क्षेत्रफल-ग्राउण्ड कवरेज)x25 प्रतिशत।
- (10) 12.5 मीटर से अधिक ऊँचे भवनों के लिये मापदण्ड म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 42 के प्रावधानानुसार होंगे।
- (11) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अल्प आय वर्ग हेतु प्रावधान म.प्र. नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों/म.प्र. नगरपालिका अधिनियम 1961/म.प्र. पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार होगा।

4.7 समूह आवास हेतु नियोजन मापदण्ड –

- | | | |
|-----|---|-------------------------------------|
| (1) | इस तरह के विकास हेतु न्यूनतम भूमि/भूखण्ड का क्षेत्रफल | 0.40 हेक्टर |
| (2) | भूमि/भूखण्ड के समक्ष न्यूनतम मार्ग की चौड़ाई | 15 मीटर |
| (3) | न्यूनतम ग्राउण्ड कवरेज | 35 प्रतिशत |
| (4) | भूमि/भूखण्ड का न्यूनतम फ्रन्टेज | 24 मीटर |
| (5) | अधिकतम एफ.ए.आर. 12.5 मीटर तक ऊँचे भवनों हेतु | 1:1.40 |
| (6) | एम.ओ.एस. | सामने 7.5 मीटर अन्य ओर 6.00 मीटर |
- (7) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अल्प आय वर्ग हेतु प्रावधान म.प्र. नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों तथा म.प्र. नगरपालिका अधिनियम 1961/पंचायती राज अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार होगा।
- (8) **पार्किंग** : एफ.ए.आर. स्पेस प्रति 100 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्रफल की दर से।
- (9) भवन ब्लॉक के मध्य की दूरी परिसर में प्रस्तावित/निर्मित भवन का 1/3
- (10) 12.5 मीटर से अधिक ऊँचे भवनों के लिये एफ.ए.आर. म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 42 के प्रावधानानुसार।

4.8 12.5 मीटर ऊँचे भवनों संबंधी नियमन

12.5 मीटर से ऊँचे भवनों के मापदण्ड म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 42 के प्रावधानों अनुसार मान्य होंगे।

4.9 वाणिज्यिक क्षेत्र

4.9.1 वाणिज्यिक गतिविधियाँ :-

वाणिज्यिक गतिविधियों हेतु विकास योजना में थोक एवं सामान्य वाणिज्यिक हेतु व्यापक स्वरूप के प्रस्ताव दिये गये हैं, जिनमें निम्नलिखित गतिविधियाँ विकसित हो सकेंगे :-

नगरीय केन्द्र, उपनगरीय केन्द्र, स्थानीय शापिंग, सुविधाजनक शापिंग सेन्टर, खेरची दुकानें, वाणिज्यिक कार्यालय इत्यादि।

4.9.2 वाणिज्यिक विकास हेतु नियमन-

इन गतिविधियों हेतु नियोजन मापदण्ड सारणी क्रमांक 4-सा-3 अनुसार होंगे।

सिंगरौली वाणिज्यिक उपयोग परिक्षेत्र के अभिन्यास हेतु नियमन

4-सा-3

| क्र. | वाणिज्यिक केन्द्र का स्तर | आवश्यक न्यूनतम भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टर में) | सम्मुख मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई (मीटर में) | न्यूनतम खुला क्षेत्र (प्रतिशत में) | पार्किंग क्षेत्र (प्रतिशत में) | इंफार्मल सेक्टर (प्रतिशत में) | मार्ग एवं उपयोगिता एवं सेवायें (प्रतिशत में) | अधिकतम स्वीकार्य भू-खण्डीय क्षेत्रफल (प्रतिशत में) | भूखण्ड का न्यूनतम अग्रभाग मीटर में |
|------|--|---|---|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|--|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | नगरीय केन्द्र, थोक वाणिज्यिक (मंडी) | 10 से अधिक | 30 | 10 | 7.5 | 2.5 | 35 | 45 | 30 |
| 2. | उप नगरीय केन्द्र, सामान्य (0.15 स 0.5 लाख आबादी हेतु) | 2 से अधिक | 24 | 10 | 7.5 | 2.5 | 35 | 45 | 25 |
| 3. | निवेश इकाई केन्द्र (सामुदायिक केन्द्र) (0.08 से 0.15 लाख आबादी तक) | 1 से अधिक | 18 | 10 | 7.5 | 2.5 | 35 | 45 | 20 |
| 4. | स्थानीय शापिंग* (अभिन्यास स्तर पर) | 0.5 से अधिक | 12 | 10 | 7.5 | 2.5 | - | - | 15 |
| 5. | सुविधाजनक दुकानें (अभिन्यास स्तर पर) | 0.11 से अधिक | 9 | 10 | 7.5 | 2.5 | - | - | - |

टीप: *स्थानीय दुकानें एवं सुविधाजनक दुकानें कुल अभिन्यास क्षेत्रफल के अधिकतम 5 प्रतिशत भाग पर ही स्वीकार्य होगी।

4.9.3 उप विभाजित वाणिज्यिक भूखण्डों हेतु नियमन :-

वाणिज्यिक उपयोग के अंतर्गत विभिन्न वाणिज्यिक केन्द्र हेतु अनुमोदित अभिन्यास में वाणिज्यिक भूखण्डों पर निर्मित क्षेत्र एवं फर्शी क्षेत्र अनुपात सारणी क्रमांक 4-सा-4 में दर्शाये अनुसार मान्य होगा:-

सिंगरौली : उपविभाजित वाणिज्यिक भूखण्डों हेतु नियमन

सारणी 4-सा-4

| क्रमांक | श्रेणी | अधिकतम निर्मित क्षेत्र (कवरेज) | एफ.ए.आर. |
|---------|--|--------------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | नगरीय केन्द्र थोक वाणिज्यिक (मंडी) | 50 प्रतिशत | 2.50 |
| 2. | उप नगर केन्द्र सामान्य | 50 प्रतिशत | 2.50 |
| 3. | निवेश इकाई केन्द्र (सामुदायिक केन्द्र) | 50 प्रतिशत | 2.00 |
| 4. | स्थानीय दुकानें (अभिन्यास स्तर पर) | 50 प्रतिशत | 1.50 |

स्थानीय दुकानें :-

स्थानीय दुकानों हेतु अभिन्यास में आरक्षित क्षेत्र में निम्न प्रकार की दुकानें मान्य होंगी :-

1. औषधि की दुकानें
2. कार्यालय
3. पैथालॉजी लैब
4. हल्के वाहन (800 सी.सी. तक)/मशीनरी सुधार की दुकानें
5. बैंक
6. ए.टी.एम.
7. गेस्ट हाउस
8. अनौपचारिक दुकानें
9. कोचिंग केन्द्र
10. प्रशिक्षण केन्द्र
11. रेस्टोरेंट
12. साप्ताहिक हाट
13. मीट एवं मछली की फुटकर दुकानें
14. कम्युनिटी हॉल
15. विद्युत उप केन्द्र
16. आवासीय प्लैट कुल अनुज्ञेय एफ.ए.आर. का 25 प्रतिशत अधिकतम

4.9.5 सुविधाजनक दुकानें :-

अभिन्यास मानचित्र में सुविधाजनक दुकानों हेतु आरक्षित क्षेत्र में निम्न प्रकार की गतिविधियाँ मान्य होंगी:-

1. फुटकर दुकानें
2. स्थानीय स्तर पर हल्के वाहन/मशीनरी मरम्मत की दुकानें
3. सेवा गतिविधियाँ
4. कार्यालय
5. बैंक
6. ए.टी.एम.
7. अनौपचारिक दुकानें
8. साप्ताहिक बाजार
9. सब्जी बाजार

4.10 औद्योगिक परिक्षेत्र –

- (1) औद्योगिक परिक्षेत्र के अभिन्यासों में आंतरिक मार्गों की न्यूनतम चौड़ाई 15 मीटर होगी।
- (2) औद्योगिक परिक्षेत्र अंतर्गत भूमि का विकास एवं भवन निर्माण म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 48 अनुसार मान्य होंगे।

4.11 अन्य सुविधायें –

- (1) सिंगरौली निवेश क्षेत्र में भूमि के विकास तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं हेतु विभिन्न प्रकार की सुविधायें म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 49(1) अनुसार मान्य होंगी।

4.12 यातायात नगर/मैकेनिक नगर के मानक

यातायात नगर/मैकेनिक नगर के विकास हेतु मानक सारणी 4-सा-8 एवं सारणी क्र. 4-सा-9 के अनुक्रमांक 215 एवं 216 अनुसार होंगे। यातायात नगर तथा मैकेनिक नगर अंतर्गत सम्पन्न होने वाली गतिविधियों हेतु आवश्यक स्थान की गणना सारणी क्रमांक 4-सा-5 एवं 4-सा-6 में उल्लेखित यातायात भार आधारित मानकों के आधार पर की जावेगी।

सिंगरौली : यातायात/मैकेनिक नगर के मानक

4-सा-5

| अनुक्रमांक | कार्य का प्रकारण | इकाईयाँ प्रति 100 ट्रक | अनुशंसित क्षेत्रफल की सीमा प्रति इकाई वर्गमीटर |
|------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | माल बुकिंग कार्यालय एवं गोदाम | 30-40 | 29-450 |
| 2. | कलपुर्जों की दुकानें | 10-15 | 9-72 |
| 3. | यांत्रिक एवं विद्युत वर्कशाप | 15-25 | 7.5-135 |
| 4. | टायर ट्यूब बिक्री दुकानें | 12-20 | 7.5-90 |
| 5. | ढाबा | 5-7 | 30-90 |
| 6. | चाय नास्ता दुकान | 8-19 | 9-14 |
| 7. | पान सिगरेट दुकान | 10-14 | 2-5 |
| 8. | नाई/सिलाई दुकान | 1 | 10-15 |

4.12 (अ) अन्य सुविधायें

4.12.1 यातायात नगर तथा मैकेनिक नगर के नियोजन मापदण्ड निम्नानुसार होंगे :-

= अधिकतम भूखण्डों का प्रतिशत – 40 प्रतिशत

| | | | |
|---|----------------------------------|---|------------|
| = | आंतरिक मार्गों की न्यूनतम चौड़ाई | – | 15 मीटर |
| = | सार्वजनिक सेवायें/सुविधायें | – | 05 प्रतिशत |
| = | पार्किंग | – | 15 प्रतिशत |
| = | उद्यान | – | 10 प्रतिशत |

4.12.2 यातायात नगर तथा मैकेनिक नगर की सुविधाओं हेतु मानक :-

यातायात नगर तथा मैकेनिक नगर में सार्वजनिक सुविधाओं/सेवाओं के मानक सारणी क्र. 4-सा-6 अनुसार होंगे।

सिंगरौली : यातायात नगर में सुविधाओं के मापदण्ड

4-सा-6

| अनुक्रमांक | सुविधा | क्षेत्रफल प्रति इकाई (वर्गमीटर) | टिप्पणी |
|------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | बैंक | 100 | 200 ट्रक पर कम से कम एक |
| 2. | डाकघर | 100 | प्रत्येक अवसान बिन्दु पर एक |
| 3. | पेट्रोल पंप | 800 | निर्गम/आगमन बिन्दु पर |
| 4. | होटल, लॉज | 600 | ऊपर मंजिल पर |
| 5. | चौकी | 200 | सामरिक स्थानों पर |
| 6. | उपचार गृह | 200 | – |
| 7. | अग्निशमन केन्द्र | 200 | – |
| 8. | धर्मकांटा | 300 | निर्गम/आगमन बिन्दु पर |

टीप :-

1. परिभ्रमण तंत्र

अभिन्यास के मार्ग 18 मीटर चौड़े।

सेवाओं के सम्मुख द्वितीय मार्ग 9 से 12 मीटर चौड़े।

खुले क्षेत्रों के ओर के मार्ग 12 से 18 मीटर चौड़े।

2. पार्किंग एवं खुले स्थल 36 वर्गमीटर प्रति ट्रक जो मार्ग के समानान्तर पार्किंग वे या खुले यार्ड के रूप में होना आवश्यक है जो खुले क्षेत्र के अतिरिक्त होगा।

4.13 उपयोग परिक्षेत्रों में स्वीकृत उपयोग

विकास योजना की सारणी क्रमांक 4-सा-1 में उल्लेखित उपयोग परिक्षेत्रों एवं उपयोग श्रेणियों में सारणी क्रमांक 4-सा-7 अनुसार विभिन्न परिसर अनुमत होंगे –

सिंगरौली : उपयोग परिक्षेत्रों में उपयोग परिसरों की अनुमति

सारणी 4-सा-7

| अनु. | उपयोग | स्वीकृति उपयोग परिसर |
|------|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आवासीय | आवासीय भूखण्डीय विकास, एपार्टमेंट हाउसिंग/फ्लेट्स, अतिथि गृह/रेस्ट हाउस, रात्रि विश्राम गृह, धर्मशाला, मेरिज हॉल/बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण मंडपम, कम्प्यूनिटी हॉल मेरिज गार्डन, बाल गृह/कामकाजी महिला छात्रावास, होस्टल/लॉजिंग एवं बोर्डिंग, वृद्धाश्रम, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, साप्ताहिक हाट बाजार, क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्रसूति गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशु क्लिनिक/औषधालय, खेल का मैदान/नेवरहुड पार्क, झूलाघर/डे-केयर सेंटर, क्लिनिकल प्रयोगशाला, खुला रंगमंच, सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, अनाथालय, योग केन्द्र, ध्यान अध्यात्मिक केन्द्र, सिनेमा हॉल, होटल, ईंधन भराव एवं भराव-सह सेवा केन्द्र, सूचना प्रौद्योगिक उद्योग, सामान्य चिकित्सालय, विशिष्ट चिकित्सालय, शैक्षणिक महाविद्यालय, चिकित्सा/इंजीनियरिंग महाविद्यालय, अन्य व्यवसायिक महाविद्यालय, पॉलीटेक्निक, माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय/नर्सरी, प्ले स्कूल, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान, विकलांग बच्चों के लिये विद्यालय, (अ-मानसिक विकलांगता, ब-शारीरिक विकलांगता), समन्वित आवासीय विद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान/प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, संगीत/नृत्य/नाटिका प्रशिक्षण केन्द्र, स्थानीय संस्थायें/अर्द्धशासकीय/शासकीय कार्यालय, दूर-संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायरलेस स्टेशन, रेडियो एवं टेलीविजन स्टेशन, वेद्यशाला एवं मौसम कार्यालय, अग्निशमन केन्द्र, दूरदर्शन केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, दूरसंचार टावर एवं स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, कन्वेंशन सेंटर, बस स्टॉप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, बाह्य स्टेडियम, स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स, आरचर्ड/नर्सरी, लाइब्रेरी म्यूजियम, स्टॉप क्वार्टर, बैंक/ए.टी.एम. रेस्टोरेंट, तरणताल, होटल मैनेजमेंट संस्थान, कम्प्यूटर सेंटर, इंटरनेट कैफे, सुपर बाजार, व्यायाम शाला, ब्यूट पार्लर। |
| 2. | वाणिज्यिक | एपार्टमेंट हाउसिंग/फ्लेट्स, अतिथि गृह/रेस्ट हाउस, रात्रि विश्राम गृह, धर्मशाला, मेरिज हॉल/बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण मंडपम/कम्प्यूनिटी हॉल, मेरिज गार्डन, बालगृह, कामकाजी महिला छात्रावास, होस्टल, |

लॉजिंग एवं बोर्डिंग, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, साप्ताहिक हाट बाजार, क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्रसूति गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, खेल का मैदान, नेवरहुड पार्क, दिन देखभाल केन्द्र, धार्मिक परिसर, क्लिनिकल प्रयोगशाला, खुला रंगमंच, सांस्कृति एवं सूचना केन्द्र, सिनेमा हॉल, होटल, ईंधन भराव एवं भराव-सह सेवा केन्द्र, प्रिंटिंग प्रेस, निजी व्यवसाय कॉर्पोरेट कार्यालय, आटो सर्विस स्टेशन/मोटर गैरेज एवं वर्कशाप, सूचना प्रौद्योगिक कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण सेंटर, दूरसंचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायरलेस स्टेशन, रेडियो एवं टेलीविजन स्टेशन, वेदशाला एवं मौसम कार्यालय, अग्निशमन केन्द्र, दूरदर्शन केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, दूरसंचार टॉवर एवं स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, कन्वेंशन सेंटर, बस स्टॉप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र, मनोरंजन क्लब, लाइब्रेरी, म्यूजियम बैंक/ए.टी.एम., रेस्टोरेंट, तरणताल, होटल मैनेजमेंट संस्थान, कम्प्यूटर सेंटर, माल, मल्टीप्लेक्स, सुपर बाजार।

3. औद्योगिक

औद्योगिक भूखण्डीय विकास, अतिथि गृह/रेस्ट हाउस, होस्टल/लॉजिंग एवं बोर्डिंग, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, खेल का मैदान, बालगृह, दिन देखभाल केन्द्र, धार्मिक परिसर, क्लिनिकल प्रयोगशाला, सिनेमा हाल, होटल, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, शीत संग्रहागार एवं शीतशीतन संयंत्र, जंकयार्ड, पेट्रोलियम उत्पाद डिपो, गैस गोडाउन, प्रिंटिंग प्रेस, आटो सर्विस स्टेशन/मोटर गैरेज एवं वर्कशाप, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, डेरी प्लांट, स्लाटर हाउस, फ्लेटेड फैक्टरी, स्टोरेज/गोदाम (अज्वलनशील, ज्वलनशील, डीजल स्टोरेज), एक्सटेंसिव-विशिष्ट एक्सट्रेक्टिव उद्योग, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, स्थानीय संस्थाएं/अर्द्धशासकीय/शासकीय कार्यालय, दूरसंचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायरलेस स्टेशन, अग्निशमन केन्द्र, दूरसंचार, पोस्ट ऑफिस, दूरभाष केन्द्र, दूरसंचार टॉवर एवं स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, बस स्टाप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल/वेस्ट वाटर शोधन संयंत्र, लाइब्रेरी, म्यूजियम, स्टाप क्वार्टर, बैंक/एम.टी.एम. रेस्टोरेंट।

4. सार्वजनिक, अर्द्धसार्वजनिक

अतिथि गृह/रेस्ट हाउस, बालगृह, कामकाजी महिला छात्रावास, होस्टल, लॉजिंग एवं बोर्डिंग, वृद्धाश्रम, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्रसूति गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशु औषधालय, खेल का मैदान, नेवरहुड पार्क, झूलाघर/डे-केयर केन्द्र, धार्मिक परिसर, क्लिनिकल प्रयोगशाला, खुला रंगमंच, सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र,

अनाथालय, योग केन्द्र-ध्यान-अध्यात्मिक केन्द्र, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, निजी व्यवसाय एवं कार्पोरेट कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी, स्टोरेज/गोदाम (अज्वलनशील), सामान्य चिकित्सालय, विशिष्ट चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय, विश्वविद्यालय, शैक्षणिक महाविद्यालय, चिकित्सा/इंजीनियरिंग महाविद्यालय, अन्य व्यवसायिक महाविद्यालय, पॉलीटेक्निक, माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय/नर्सरी, प्ले स्कूल, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण सेंटर, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान, विकलांग बच्चों के लिये विद्यालय (अ-मानसिक विकलांग, ब-शारीरिक विकलांगता), समन्वित आवासीय विद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान/प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, संगीत/नृत्य नाटिका प्रशिक्षण केन्द्र, स्थानीय संस्थायें/अर्द्धशासकीय/शासकीय कार्यालय, दूरसंचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर वायरलेस स्टेशन, रेडियो एवं टेलीविजन स्टेशन, वेद्यशाला एवं मौसम कार्यालय, गृह, मनोरंजन क्लब, आंतरिक एवं बाह्य स्टेडियम, स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स, लाइब्रेरी, म्यूजियम, स्टाप क्वार्टर, बैंक/ए.टी.एम. रेस्टोरेंट, तरणताल, होटल मैनेजमेंट संस्थान, कन्वेंशन सेंटर, सामाजिक कल्याण केन्द्र।

-
5. **सार्वजनिक उपयोगिताएँ** अग्निशमन स्टेशन, दूरदर्शन केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, दूरसंचार टॉवर एवं स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, बस स्टाप, मल/अपशिष्ट उपचार संयंत्र, कब्रिस्तान, श्मशान घाट, विद्युत शवदाह, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र।
-
6. **यातायात एवं परिवहन** रेलवे स्टेशन एवं रेलवे लाईन/रेलवे साइडिंग/यार्ड/आपरेशनल एरिया, बस स्टेण्ड, बस डिपो, ट्रक टर्मिनल/यातायात, मैकेनिक नगर, हवाई पट्टी, माल गोदाम, शीतगृह, सर्विस स्टेशन, रिपेयर वर्कशाप, अनुशांगिक दुकानें, रेस्टोरेंट, मोटेल, होटल, पेट्रोल पम्प।
-
7. **आमोद-प्रमोद** क्षेत्रीय उद्यान, नगरीय उद्यान, खेल के मैदान, स्टेडियम, तरणताल, मेला मैदान, प्रदर्शनी स्थल, शूटिंग रेंज, पक्षी अभ्यारण।
-
8. **कृषि** ऐसे समस्त स्वीकृत उपयोग जो "कृषि" शब्द की परिभाषा में म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 में वर्णित है। श्मशान घाट/कब्रिस्तान, जल-मल शोधन केन्द्र, ईट भट्टे, दुग्ध डेयरी, तेल डिपो/पेट्रोल पम्प, फार्म हाउस, वेयर हाउस, गोडाउन, विस्फोटक सामग्री संग्रहण, शासकीय/अर्द्धशासकीय/पंजीकृत संस्थाओं द्वारा प्रायोजित विशिष्ट स्वास्थ्य/शैक्षणिक, ग्राम विकास संबंधी गतिविधियाँ (क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्रसूति गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशु क्लिनिक/

औषधालय, रात्रि विश्राम गृह, धर्मशाला, मेरिज हॉल/बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण मंडपम, कम्प्यूनिटी हॉल, मेरिज गार्डन, बालगृह/कामकाजी महिला छात्रावास, होस्टल/लॉजिंग एवं बोर्डिंग, वृद्धाश्रम, सुविधाजनक दुकानें, अनाथालय, योग केन्द्र, ध्यान अध्यात्मिक केन्द्र, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय/नर्सरी, प्ले स्कूल, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान, विकलांग बच्चों के लिये विद्यालय (अ-मानसिक विकलांगता, ब-शारीरिक विकलांगता), स्थानीय संस्थाओं/अर्द्धशासकीय/शासकीय कार्यालय, दूरसंचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायरलेस स्टेशन, रेडियो स्टेशन, टेलीविजन स्टेशन, वेद्यशाला एवं मौसम कार्यालय, अग्निशमन केन्द्र, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, दूरसंचार टॉवर एवं स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, बस स्टॉप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र, नर्सरी, लाइब्रेरी, सेवाओं/सुविधाओं संबंधी अत्यावश्यक स्टाफ क्वार्टर, बैंक/ए.टी.एम., रेस्टोरेंट, ग्राम आबादी विस्तार, भवन सामग्री, यार्ड, टिम्बर यार्ड, मैरिज गार्डन, शीत संग्रहागार, दुग्ध द्रुतशीतलन संयंत्र, जंकयार्ड, पेट्रोलियम उत्पाद डिपो, गैस गोडाउन, डेरी प्लांट स्टोरेज/गोदाम (अज्वलनशील, ज्वलनशील, डीजल स्टोरेज) एक्सटेंसिव-विशिष्ट एक्सट्रेक्टिव उद्योग, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, पुलिस पोस्ट, बस स्टाप, मल/अपशिष्ट उपचार संयंत्र, कब्रिस्तान, श्मशान घाट, विद्युत शवदाह, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र।

- नोट—** 1. पुनर्वास संबंधी गतिविधियाँ कृषि परिक्षेत्र में मान्य होंगी। कृषि परिक्षेत्र में सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों के लिये कम से कम 10 हेक्टर भूमि आवश्यक होगी। इसी प्रकार कृषि उपयोग परिक्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियाँ भी मान्य होंगी। ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों हेतु (इण्डस्ट्रीयल एरिया) न्यूनतम भूमि का क्षेत्रफल 25 हेक्टर होना आवश्यक होगा। औद्योगिक क्षेत्रों के अतिरिक्त सिंगरौली में बड़े उद्योगों को आकर्षित करने के लिये कृषि उपयोग परिक्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियाँ भी मान्य होंगी जिनके लिये भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 10 हेक्टर आवश्यक होगा।
2. कृषि उपयोग परिक्षेत्र में स्थित वर्तमान ग्रामीण आबादी (राजस्व रिकार्ड अनुसार) का विस्तार आबादी क्षेत्र में 200 मी. की दूरी तक मान्य होगा तथा सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक/सार्वजनिक सेवाओं/सार्वजनिक उपयोगिताओं संबंधी गतिविधियाँ आबादी क्षेत्र से 500 मीटर की दूरी तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्य की जा सकेंगी।

4.13.2 उपयोग परिक्षेत्रों/परिसरों के नियोजन मापदण्ड एवं अन्य नियंत्रण :-

सारणी क्र. 4-सा-7 में उल्लेखित उपयोग परिसरों के नियोजन मापदण्ड, सारणी क्र. 4-सा-8 एवं सारणी क्र. 4-सा-9 के प्रावधानों अनुसार मान्य होंगे :-

सिंगरौली : नियोजन मापदण्ड एवं अन्य नियंत्रण

4-सा-8

| अनु. क्र. | उपयोग / गतिविधि | न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में | सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में | भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में | एफ.ए. आर. | ऊँचाई मीटर में | न्यूनतम सामने पीछे साईडस् | न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में | न्यूनतम वाहन पार्किंग एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र | अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में | |
|----------------------------|--|--|--|--------------------------------|-----------|-----------------|---------------------------|---------------------------|---|---|--|
| शैक्षणिक गतिविधियाँ | | | | | | | | | | | |
| 1. | वोकेशनल संस्थान (व्यवसाय संबंधी) | 0.40 | 12.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 12.00 | 6.00 | 6.00 | A=75 | फ्रण्टेज =25 मी. |
| 2. | विश्वविद्यालय | यू.जी.सी. मानक अनुसार | 30.00 | — | — | — | — | — | — | — | फ्रण्टेज =75 मी. |
| | अ-प्रशासकीय | भूमि का 45 प्रतिशत | — | 30 | 1:1.25 | 12.50 | 30.00 | 6.00 | 6.00 | A=75 | फ्रण्ट एम.ओ.एस. केवल फ्रण्ट साईड में |
| | ब-आवासीय | भूमि का 25 प्रतिशत | — | 30 | 1:1.25 | 12.50 | 30.00 | 4.50 | 4.50 | A=75 | फ्रण्ट एम.ओ.एस. केवल फ्रण्ट साईड में |
| | स-खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधि | भूमि का 15 प्रतिशत | — | 10 | 1:0.15 | 12.50 | 30.00 | 6.00 | 6.00 | A=50 | फ्रण्ट एम.ओ.एस. केवल फ्रण्ट साईड में |
| | द-पार्क एवं लैण्ड स्केप (भू-दृश्यीकरण) | भूमि का 15 प्रतिशत | — | 5 | 1:0.05 | आवश्यकता अनुसार | 12.00 | 6.00 | 6.00 | — | फ्रण्ट एम.ओ.एस. छोड़कर ही निर्माण कार्य हेतु |

| अनु. क्र. | उपयोग / गतिविधि | न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में | सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में | भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में | एफ.ए. आर. | ऊँचाई मीटर में | सामने पीछे साईडस् | न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में | न्यूनतम वाहन पार्किंग एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र | अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में |
|-----------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|-----------|----------------|-------------------|---------------------------|---|---|
| 3. | शैक्षणिक महाविद्यालय | म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार | 24.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 24.00 | 9.00 | A=75 | फ्रण्टेज = 50 मी. |
| 4. | चिकित्सा / इंजीनियरिंग महाविद्यालय | म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार | 24.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 30.00 | 9.00 | A=75 | फ्रण्टेज = 60 मी. |
| 5. | अन्य व्यवसायिक महाविद्यालय | म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार | 18.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 24.00 | 9.00 | A=75 | फ्रण्टेज = 60 मी. |
| 6. | पॉलीटेक्निक | म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार | 18.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 15.00 | 9.00 | A=75 | फ्रण्टेज = 60 मी. |
| 7. | माध्यमिक / सेकेण्डरी विद्यालय | म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार | 12.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 15.00 | 9.00 | A=75 | फ्रण्टेज = 40 मी. |
| 8. | प्राथमिक विद्यालय | म.प्र. भू.वि.नि. | 12.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 15.00 | 9.00 | A=75 | फ्रण्टेज = 30 मी. |
| 9. | नर्सरी स्कूल | म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार | 12.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 12.00 | 6.00 | A=50 | फ्रण्टेज = 20 मी. |

| अनु. क्र. | उपयोग / गतिविधि | न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में | न्यूनतम भूमि स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में | सामने शू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में | एफ.ए. आर. | ऊँचाई मीटर में | न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में सामने पीछे साइड्स | न्यूनतम वाहन पार्किंग एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र | अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में |
|-----------|---------------------------------------|--|---|--------------------------------------|-----------|----------------|---|---|---|
| 10. | प्ले स्कूल | 0.10 | 12.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 9.00 6.00 6.00 | A=50 | फ्रण्टेज = 18 मी. |
| 11. | समन्वित आवासीय विद्यालय | 0.40 | 12.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 12.00 6.00 6.00 | A=75 | फ्रण्टेज = 45 मी. |
| 12. | विकलांग बच्चों के लिये विद्यालय | 0.20 | 12.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 12.00 6.00 6.00 | A=100 | फ्रण्टेज = 30 मी. |
| 13. | व्यवसायिक प्रबंधन संस्थान | 0.50 | 18.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 24.00 9.00 9.00 | A=75 | फ्रण्टेज = 24 मी. |
| 14. | व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान | 0.40 | 18.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 12.00 7.50 7.50 | A=75 | फ्रण्टेज = 45 मी. |
| 15. | अनुसंधान एवं विकास केन्द्र | 0.50 | 18.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 12.00 7.50 7.50 | A=75 | फ्रण्टेज = 40 मी. |
| 16. | संगीत / नृत्य नाट्य प्रशिक्षण केन्द्र | 0.20 | 12.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 12.00 6.00 6.00 | A=75 | फ्रण्टेज = 25 मी. |
| 17. | कोचिंग इंस्टीट्यूट (शिक्षण संस्थान) | 0.20 | 15.00 | 30 | 1:1.25 | 12.50 | 12.00 6.00 6.00 | A=75 | फ्रण्टेज = 25 मी. |
| 18. | कोचिंग सेंटर | 0.10 | 12.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 12.00 6.00 6.00 | A=50 | फ्रण्टेज = 20 मी. |
| 19. | कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र | 0.10 | 12.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 12.00 6.00 6.00 | A=50 | फ्रण्टेज = 18 मी. |

| अनु. क्र. | उपयोग/गतिविधि | न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में | न्यूनतम भूमि स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में | शू-तल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशत में | एफ.ए. आर. | ऊँचाई मीटर में | न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में सामने पीछे साईडस् | न्यूनतम वाहन पार्किंग एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र | अन्य नियंत्रण/ न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में |
|-----------|-------------------------------------|--|---|----------------------------------|-----------|----------------|---|---|--|
| 20. | शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र | 0.10 | 12.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 12.00 6.00 6.00 | A=50 | फ्रण्टेज = 25 मी. |
| 21. | औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान | 0.50 | 18.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 12.00 6.00 6.00 | A=75 | फ्रण्टेज = 30 मी. |
| 22. | नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान | म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार | 18.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 24.00 9.00 9.00 | A=75 | फ्रण्टेज = 30 मी |
| 23. | होटल मैनेजमेंट संस्थान | 0.80 | 18.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 12.00 6.00 6.00 | A=50 | फ्रण्टेज = 40 मी. |
| 24. | अनुसंधान एवं विकास केन्द्र | 0.50 | 18.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 12.00 6.00 6.00 | A=75 | फ्रण्टेज = 40 मी. |
| 25. | अन्य शैक्षणिक संस्थान | 0.50 | 18.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 12.00 6.00 6.00 | A=75 | फ्रण्टेज = 40 मी. |
| 26. | आई.टी.आई. तकनीक शिक्षा विभाग अनुसार | | 24.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 30.00 9.00 9.00 | A=75 | फ्रण्टेज = 60 मी. |
| 27. | किडर गार्डन स्कूल | 0.10 | 12.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 12.00 6.00 6.00 | A=50 | फ्रण्टेज = 20 मी. |
| 28. | झाड़विंग स्कूल | 0.40 | 18.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 12.00 7.50 7.50 | A=75 | फ्रण्टेज = 40 मी. |

| अनु. क्र. | उपयोग / गतिविधि | न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में | सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में | भू-तल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशत में | एफ.ए. आर. | ऊँचाई मीटर में | न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में सामने पीछे साईडस् | न्यूनतम वाहन पार्किंग एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र | अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में |
|-----------------------------|-------------------------------------|--|--|----------------------------------|-----------|----------------|---|---|---|
| 29. | प्रयोगशाला | 0.50 | 18.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 12.00 6.00 6.00 | A=75 | फ्रण्टेज = 30 मी. |
| स्वास्थ्य गतिविधियाँ | | | | | | | | | |
| 30. | सामान्य चिकित्सालय | म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार | 18.00 | 35 | 1:1.50 | 12.50 | 15.00 9.00 9.00 | A=50 | फ्रण्टेज = 40.00 मी. |
| 31. | विशेष / सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालय | म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार | 18.00 | 35 | 1:1.50 | 12.50 | 15.00 9.00 9.00 | A=50 | फ्रण्टेज = 40.00 मी. |
| 32. | क्लिनिक / डिस्पेंसरी | 0.10 | 12.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 9.00 4.50 4.50 | A=50 | फ्रण्टेज = 25 मी. |
| 33. | प्रसूति गृह | 0.20 | 12.00 | 35 | 1:1.50 | 12.50 | 12.00 6.00 6.00 | A=50 | फ्रण्टेज = 20 मी. |
| 34. | प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र | 0.20 | 12.00 | 35 | 1:1.50 | 12.50 | 12.00 6.00 6.00 | A=75 | फ्रण्टेज = 20 मी. |
| 35. | नर्सिंग होम | 0.20 | 12.00 | 35 | 1:1.50 | 12.50 | 12.00 6.00 6.00 | A=50 | फ्रण्टेज = 18 मी. |
| 36. | पॉलीक्लिनिक | 0.20 | 12.00 | 35 | 1:1.50 | 12.50 | 12.00 6.00 6.00 | A=50 | फ्रण्टेज = 18 मी. |

| अनु. क्र. | उपयोग / गतिविधि | न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में | सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में | भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में | एफ.ए. आर. | ऊँचाई मीटर में | सामने पीछे साईडस् | न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में | न्यूनतम वाहन पार्किंग एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र | अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में |
|-----------|---------------------|--|--|--------------------------------|-----------|----------------|-------------------|---------------------------|---|---|
| 37. | क्लीनिकल प्रयोगशाला | 0.10 | 12.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 9.00 | 4.50 | A=75 | फ्रण्टेज = 20 मी. |
| 38. | पेथोलॉजी लैब | 0.10 | 12.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 9.00 | 4.50 | A=75 | फ्रण्टेज = 20 मी. |
| 39. | पालतू पशु क्लिनिक | 0.05 | 12.00 | 35 | 1:1.50 | 7.50 | 6.00 | 4.50 | A=75 | फ्रण्टेज = 15 मी. |
| 40. | पालतू पशु औषधालय | 0.10 | 12.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 9.00 | 4.50 | A=75 | फ्रण्टेज = 24 मी. |
| 41. | डायग्नोस्टिक सेंटर | 0.20 | 12.00 | 35 | 1:1.50 | 12.50 | 12.00 | 6.00 | A=50 | फ्रण्टेज = 18 मी. |
| 42. | ब्लड बैंक | 0.10 | 12.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 9.00 | 4.50 | A=75 | फ्रण्टेज = 20 मी. |
| 43. | रेडक्रास केंद्र | 0.20 | 12.00 | 35 | 1:1.50 | 12.50 | 12.00 | 6.00 | A=50 | फ्रण्टेज = 18 मी. |
| 44. | फिजियोथेरेपी केंद्र | 0.10 | 12.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 9.00 | 4.50 | A=75 | फ्रण्टेज = 20 मी. |
| 45. | एक्सरे / रेडियोलॉजी | 0.10 | 12.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 9.00 | 4.50 | A=75 | फ्रण्टेज = 18 मी. |

| अनु. क्र. | उपयोग / गतिविधि | न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में | सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में | भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में | एफ.ए. आर. | ऊँचाई मीटर में | सामने पीछे साईडस् | न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में | न्यूनतम वाहन पार्किंग एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र | अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में |
|--------------------------|-------------------------|--|--|--------------------------------|-----------|----------------|-------------------|---------------------------|---|---|
| रहवासी गतिविधियाँ | | | | | | | | | | |
| 46. | कामकाजी महिला छात्रावास | 0.10 | 12.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 9.00 | 4.50 | A=75 | फ्रण्टेज = 20 मी. |
| 47. | बालगृह | 0.10 | 12.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 9.00 | 4.50 | A=75 | फ्रण्टेज = 20 मी. |
| 48. | बाल सुधार गृह | 0.40 | 12.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 12.00 | 6.00 | A=75 | फ्रण्टेज = 20 मी. |
| 49. | झूलाघर / डे-केयर सेंटर | 0.10 | 12.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 9.00 | 4.50 | A=50 | फ्रण्टेज = 20 मी. |
| 50. | अनाथालय | 0.10 | 12.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 9.00 | 4.50 | A=50 | फ्रण्टेज = 20 मी. |
| 51. | वृद्धाश्रम | 0.25 | 12.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 12.00 | 6.00 | A=75 | फ्रण्टेज = 20 मी. |
| 52. | धर्मशाला | 0.05 | 12.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 6.00 | 4.50 | A=50 | फ्रण्टेज = 20 मी. |
| 53. | लॉजिंग | 0.10 | 12.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 9.00 | 6.00 | A=50 | फ्रण्टेज = 20 मी. |

| अनु. क्र. | उपयोग / गतिविधि | न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में | सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में | भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में | एफ.ए. आर. | ऊँचाई मीटर में | सामने पीछे साईडस् | न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में | न्यूनतम वाहन पार्किंग एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र | अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में |
|-----------|------------------------|--|--|--------------------------------|-----------|----------------|-------------------|---------------------------|---|---|
| 54. | लॉजिल एवं बोर्डिंग | 0.15 | 12.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 9.00 | 6.00 | A=50 | फ्रण्टेज = 20 मी. |
| 55. | होस्टल | 0.20 | 12.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 12.00 | 6.00 | A=75 | फ्रण्टेज = 25 मी. |
| 56. | बोर्डिंग | 0.10 | 12.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 9.00 | 4.50 | A=75 | फ्रण्टेज = 20 मी. |
| 57. | रेस्ट हाउस / अतिथि गृह | 0.40 | 15.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 12.00 | 6.00 | A=75 | फ्रण्टेज = 25 मी. |
| 58. | रात्रि विश्राम गृह | 0.05 | 12.00 | 35 | 1:1.50 | 7.50 | 6.00 | 4.50 | -- | फ्रण्टेज = 18 मी. |
| 59. | सर्किट हाउस | 0.75 | 30.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 12.00 | 9.00 | A=75 | फ्रण्टेज = 60 मी. |
| 60. | भूखण्डीय विकास | 2.00 | 6.00 | 30-60 एकल भूखण्ड पर | 1:1.25 | 12.50 | ले-आउट अनुसार | ले-आउट अनुसार | A=100 | ले-आउट अनुसार खुला क्षेत्र=10 प्रतिशत, सेवा क्षेत्र=1.50 प्रतिशत |

| अनु. क्र. | उपयोग / गतिविधि | न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में | सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में | भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में | एफ.ए. आर. | ऊँचाई मीटर में | न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में सामने पीछे साईडस् | न्यूनतम वाहन पार्किंग एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र | अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में |
|-----------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------|------------------|----------------|---|---|---|
| 61. | ग्रुप हाउसिंग | 0.40 | 15.00 | 35 | 1:1.50 | 12.50 | 9.00 7.50 | A=100 | फ्रण्टेज = 24 मी. |
| 62. | अपार्टमेंट हाउसिंग | 0.75 | 12.00 | 33 | 1:1.40 | 12.50 | 7.50 4.50 | A=100 | फ्रण्टेज = 21 मी., ऐसे भूखण्ड भूखण्डीय विकास का भाग होना चाहिये। |
| 63. | स्वयं का आवास | 0.05 | 9.00 | 30 | 1:1.25 | 12.50 | 6.00 3.00 | A=100 | फ्रण्टेज = 12 मी., इससे छोटे भूखण्ड केवल तभी मान्य होंगे जहाँ भूखण्डीय विकास या ग्रुप हाउसिंग या अपार्टमेंट हाउसिंग मान्य करना संभव न हो। |
| वाणिज्यिक गतिविधियाँ | | | | | | | | | |
| 64. | शापिंग माल | म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार | म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार | म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार | म.प्र. भू.वि.नि. | 12.50 | 12.00 7.50 | A=50 | म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार |

| अनु. क्र. | उपयोग / गतिविधि | न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में | सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में | भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में | एफ.ए. आर. | ऊँचाई मीटर में | न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में | सामने पीछे साईडस् कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र | न्यूनतम वाहन पार्किंग एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र | अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ़्रण्टेज मीटर में |
|-----------|-------------------------------------|--|--|--------------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|--|---|---|
| 65. | मल्टीप्लेक्स | म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार | म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार | म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार | म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार | 12.50 | 12.00 | 7.50 | 7.50 | म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार |
| 66. | सुपर मार्केट / डिपार्टमेंटल स्टोर्स | 0.25 | 18.00 | 33 | 1:1.75 | 12.50 | 15.00 | 7.50 | 7.50 | फ़्रण्टेज = 25 मी. |
| 67. | कैफ़ेटेरिया | 0.15 | 12.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 12.00 | 6.00 | 6.00 | फ़्रण्टेज = 20 मी. |
| 68. | कन्वेनशन सेंटर | 2.00 | 30.00 | 30 | 1:1.50 | 12.50 | 12.00 | 6.00 | 6.00 | फ़्रण्टेज = 75 मी. |
| 69. | सुविधाजनक दुकानें | | 12.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 9.00 | 4.50 | 4.50 | फ़्रण्टेज = 20 मी. भूखंड का अधिकतम क्षेत्रफल भूमि के 3: के बराबर |
| 70. | स्थानीय दुकानें | | 12.00 | 35 | 1:1.50 | 12.50 | 12.00 | 6.00 | 6.00 | फ़्रण्टेज = 25 मी. |
| 71. | साप्ताहिक हाट बाजार | 0.30 | 12.00 | 35 | 1:1.25 | 04.50 | 9.00 | 4.50 | 4.50 | फ़्रण्टेज = 30 मी. |

| अनु. क्र. | उपयोग / गतिविधि | न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में | सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में | भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में | एफ.ए. आर. | ऊँचाई मीटर में | न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में सामने पीछे साइड्स | न्यूनतम वाहन पार्किंग एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र | अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में |
|-----------|------------------------------|--|--|--------------------------------|-----------|----------------|---|---|---|
| 72. | व्यवसायिक कॉर्पोरेट कार्यालय | 0.20 | 18.00 | 35 | 1:1.75 | 12.50 | 12.00 6.0 6.0 | A=50 | फ्रण्टेज = 25 मी. |
| 73. | सिनेमा हॉल | 0.20 | 12.00 | 35 | 1:1.50 | 12.50 | 12.00 6.00 6.00 | A=30 | फ्रण्टेज = 30 मी. |
| 74. | होटल | 0.10 | 12.00 | 35 | 1:1.50 | 12.50 | 12.00 6.00 6.00 | A=50 | फ्रण्टेज = 25 मी. |
| 75. | मोटल | 0.75 | 24.00 | 25 | 1:0.75 | 12.50 | 15.00 10.00 10.00 | A=25 | राष्ट्रीय राजमार्गों / राजमार्गों / समस्त क्षेत्रीय मार्गों / बायपास मार्गों पर फ्रण्टेज = 40 मी. |
| 76. | रेस्टोरेंट | 0.05 | 12.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 12.00 4.50 4.50 | A=50 | फ्रण्टेज = 18 मी. |

| अनु. क्र. | उपयोग / गतिविधि | न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में | सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में | भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में | एफ.ए. आर. | ऊँचाई मीटर में | न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में | न्यूनतम वाहन पार्किंग एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र | अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में |
|-----------|--|--|--|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---|--|
| 77. | ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र | म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार | म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार | म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार | म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार | म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार | म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार | म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार | म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार |
| 78. | व्यवसाय | 0.05 | 12.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 4.50 | A=50 | फ्रण्टेज = 15 मी. |
| 79. | ऑटो सर्विस स्टेशन / मोटर गैरेज एवं वर्कशॉप | 0.15 | 15.00 | 30 | 1:1.25 | 12.50 | 7.50 | A=50 | फ्रण्टेज = 20 मी. |
| 80. | स्टोरेज / गोदाम अज्वलनशील पदार्थ | 0.10 | 12.00 | 30 | 1:0.75 | 12.50 | 6.00 | A=50 | फ्रण्टेज = 25 मी. |
| 81. | स्टोरेज ज्वलनशील पदार्थ डीजल आदि | संबंधित मानक अनुसार | 24.00 | 25 | 1:0.50 | 12.50 | 20.00 | A=50 | फ्रण्टेज = 30 मी. निर्मित क्षेत्र के चारों ओर 25 मी. |
| 82. | जंकयार्ड | 0.20 | 12.00 | 25 | 1:0.25 | 12.50 | 10.00 | A=50 | फ्रण्टेज = 30 मी. |

| अनु. क्र. | उपयोग / गतिविधि | न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में | सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में | भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में | एफ.ए. आर. | ऊँचाई मीटर में | न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में सामने पीछे साईडस् | न्यूनतम वाहन पार्किंग एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र | अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ़ण्टेज मीटर में |
|-----------|--|--|--|--------------------------------|-----------|----------------|---|---|--|
| 83. | वेयर हाउस / स्टोरेज / एफ.एम.सी.जी. गोदाम | 0.60 | 18.00 | 30 | 1:0.75 | 12.50 | 15.00 9.00 9.00 | A=75 | फ़ण्टेज = 30 मी. |
| 84. | कॉल सेन्टर | 0.05 | 12.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 6.00 4.50 4.50 | A=50 | फ़ण्टेज = 18 मी. |
| 85. | ए.टी.एम. | — | 12.00 | — | — | — | — | — | 3.00 मीटर x 3.00 मीटर का निर्माण एम.ओ.एस. स्पेस को छोड़कर स्वीकार्य होगा। किन्तु निर्मित किये जा सकने वाले क्षेत्र में स्वीकार्य होगा। |

| अनु. क्र. | उपयोग / गतिविधि | न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में | सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में | शू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में | एफ.ए. आर. | ऊँचाई मीटर में | न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में | सामने पीछे साईडस् | न्यूनतम वाहन पार्किंग एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र | अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में |
|-----------|--|--|--|--------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---|---|
| 86. | मैरिज हॉल | म.प्र. भूवि.नि. अनुसार | म.प्र. भूवि.नि. अनुसार | म.प्र. भूवि.नि. अनुसार | म.प्र. भूवि.नि. अनुसार | म.प्र. भूवि.नि. अनुसार | म.प्र. भूवि.नि. अनुसार | म.प्र. भूवि.नि. अनुसार | म.प्र. भूवि.नि. अनुसार | म.प्र. भूवि.नि. अनुसार |
| 87. | भारत घर | म.प्र. भूवि.नि. अनुसार | म.प्र. भूवि.नि. अनुसार | म.प्र. भूवि.नि. अनुसार | म.प्र. भूवि.नि. अनुसार | म.प्र. भूवि.नि. अनुसार | म.प्र. भूवि.नि. अनुसार | म.प्र. भूवि.नि. अनुसार | म.प्र. भूवि.नि. अनुसार | म.प्र. भूवि.नि. अनुसार |
| 88. | कल्याण मंडपम | म.प्र. भूवि.नि. अनुसार | म.प्र. भूवि.नि. अनुसार | म.प्र. भूवि.नि. अनुसार | म.प्र. भूवि.नि. अनुसार | म.प्र. भूवि.नि. अनुसार | म.प्र. भूवि.नि. अनुसार | म.प्र. भूवि.नि. अनुसार | म.प्र. भूवि.नि. अनुसार | म.प्र. भूवि.नि. अनुसार |
| 89. | मांगलिक भवन | म.प्र. भूवि.नि. अनुसार | म.प्र. भूवि.नि. अनुसार | म.प्र. भूवि.नि. अनुसार | म.प्र. भूवि.नि. अनुसार | म.प्र. भूवि.नि. अनुसार | म.प्र. भूवि.नि. अनुसार | म.प्र. भूवि.नि. अनुसार | म.प्र. भूवि.नि. अनुसार | फ्रण्टेज = 25 मी. |
| 90. | मैरिज गार्डन | म.प्र. भूवि.नि. अनुसार | म.प्र. भूवि.नि. अनुसार | म.प्र. भूवि.नि. अनुसार | म.प्र. भूवि.नि. अनुसार | म.प्र. भूवि.नि. अनुसार | म.प्र. भूवि.नि. अनुसार | म.प्र. भूवि.नि. अनुसार | म.प्र. भूवि.नि. अनुसार | फ्रण्टेज = 40 मी. |
| 91. | कार्गो मय बुकिंग मरम्मत एवं फारवर्डिंग एजेन्सी गतिविधियों या बिना इन सुविधाओं के | 1.00 | 24.00 | 25 | 1:0.50 | 12.50 | 15.00 | 6.00 | A=30 | फ्रण्टेज = 75 मी. |

| अनु. क्र. | उपयोग/गतिविधि | न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में | सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में | भू-तल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशत में | एफ.ए. आर. | ऊँचाई मीटर में | सामने पीछे साईडस् | न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में | न्यूनतम वाहन पार्किंग एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र | अन्य नियंत्रण/ न्यूनतम फ़ण्टेज मीटर में |
|-----------|---|--|--|----------------------------------|-----------|----------------|-------------------|---------------------------|---|--|
| 92. | ऑटो मोबाईल शोरूम मय सर्विस स्टेशन/वाहन विक्रय केन्द्र के या बिना इन सुविधाओं के | 0.20 | 18.00 | 30 | 1:1.0 | 12.50 | 15.00 | 6.00 | A=50 | फ़ण्टेज = 30 मी. |
| 93. | प्रिंटिंग प्रेस | 0.10 | 15.00 | 30 | 1:1.25 | 12.50 | 12.00 | 6.0 | A=50 | फ़ण्टेज = 25 मी. |
| 94. | पेट्रोलियम उत्पाद डिपो | 2.00 | 30.00 | 30 | 1:1.00 | 12.50 | 30.00 | 20.00 | A=50 | फ़ण्टेज = 50 मी. |
| 95. | गैस गोडाउन | — | 12.00 | 30 | 1:1.00 | 12.50 | — | — | A=50 | फ़ण्टेज = 25 मी. निर्मित क्षेत्र के चारों ओर 15.00 |
| 96. | अनाज मण्डी | 2.00 | 30.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 30.00 | 10.00 | A=50 | फ़ण्टेज = 60 मी. |
| 97. | सब्जी/फल मण्डी | 0.60 | 30.00 | 35 | 1:1.50 | 12.50 | 24.00 | 10.00 | A=30 | फ़ण्टेज = 40 मी. |

| अनु. क्र. | उपयोग / गतिविधि | न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में | न्यूनतम भूमि स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में | भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में | एफ.ए. आर. | ऊँचाई मीटर में | सामने पीछे साईड्स | न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में | न्यूनतम वाहन पार्किंग एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र | अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में |
|-----------|-------------------|--|---|--------------------------------|-----------|----------------|-------------------|---------------------------|---|---|
| 98. | लोहा मण्डी | 2.00 | 30.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 30.00 | 10.00 | A=30 | फ्रण्टेज = 60 मी. |
| 99. | भवन सामग्री यार्ड | 1.50 | 30.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 30.00 | 10.00 | A=30 | फ्रण्टेज = 50 मी. |
| 100. | सी.एन.जी. केन्द्र | 0.15 | 24.00 | 20 | 1:0.15 | 6.00 | 12.00 | 10.00 | A=15 | फ्रण्टेज = 35 मी. |
| 101. | सर्विस स्टेशन | 0.10 | 15.00 | 30 | 1:1.25 | 12.50 | 12.00 | 6.00 | A=50 | फ्रण्टेज = 30 मी. |
| 102. | ब्यूटी पार्लर | 0.05 | 12.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 6.00 | 4.50 | A=50 | फ्रण्टेज = 18 मी. |
| 103. | तौल कांटा | 0.15 | 24.00 | 30 | 1:1.25 | 12.50 | 12.00 | 6.00 | A=50 | फ्रण्टेज = 30 मी. |
| 104. | शोक मार्केट | 2.00 | 30.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 30.00 | 10.00 | A=30 | फ्रण्टेज = 60 मी. |
| 105. | दवाई मार्केट | 1.00 | 30.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 30.00 | 10.00 | A=30 | फ्रण्टेज = 50 मी. |
| 106. | स्टेशनरी मार्केट | 1.00 | 30.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 30.00 | 10.00 | A=30 | फ्रण्टेज = 50 मी. |

| अनु. क्र. | उपयोग/गतिविधि | न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में | सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में | भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में | एफ.ए. आर. | ऊँचाई मीटर में | सामने पीछे साईडस् | न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में | न्यूनतम वाहन पार्किंग एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र | अन्य नियंत्रण/ न्यूनतम फ़्रण्टेज मीटर में |
|-----------|---------------------|--|--|--------------------------------|-----------|----------------|-------------------|---------------------------|---|---|
| 107. | ऑटोमोबाईल मार्केट | 1.00 | 30.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 30.00 | 10.00 | A=30 | फ़्रण्टेज = 50 मी. |
| 108. | फायर वर्क्स मार्केट | 1.00 | 30.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 30.00 | 10.00 | A=30 | फ़्रण्टेज = 50 मी. |
| 109. | सर्पोफा मार्केट | 1.00 | 30.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 30.00 | 10.00 | A=30 | फ़्रण्टेज = 50 मी. |
| 110. | क्रॉकरी मार्केट | 1.00 | 30.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 30.00 | 10.00 | A=30 | फ़्रण्टेज = 50 मी. |
| 111. | कपड़ा मार्केट | 1.00 | 30.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 30.00 | 10.00 | A=30 | फ़्रण्टेज = 50 मी. |
| 112. | बर्तन बाजार | 1.00 | 30.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 30.00 | 10.00 | A=30 | फ़्रण्टेज = 50 मी. |
| 113. | मरम्मत बाजार | 0.20 | 15.00 | 30 | 1:1.25 | 12.50 | 9.00 | 6.00 | A=50 | फ़्रण्टेज = 40 मी. |
| 114. | टिम्बर मार्केट | 1.00 | 30.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 30.00 | 10.00 | A=30 | फ़्रण्टेज = 50 मी. |
| 115. | केमिकल बाजार | 0.40 | 30.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 20.00 | 10.00 | A=30 | फ़्रण्टेज = 50 मी. |

| अनु. क्र. | उपयोग / गतिविधि | न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में | सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में | भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में | एफ.ए. आर. | ऊँचाई मीटर में | न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में सामने पीछे साइड्स | न्यूनतम वाहन पार्किंग एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र | अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में |
|-----------|---------------------|--|--|--------------------------------|-----------|----------------|---|---|---|
| 116. | ई-चौपाल | 0.25 | 18.00 | 30 | 1:1.50 | 12.50 | 15.00 9.00 | A=50 | फ्रण्टेज = 25 मी. |
| 117. | कम्प्यूटर सेंटर | 0.10 | 12.00 | 35 | 1:1.25 | 12.25 | 12.00 6.00 | A=50 | फ्रण्टेज = 20 मी. |
| 118. | इन्फार्मल शॉपिंग | 0.10 | 12.00 | 35 | 1:1.25 | 12.25 | 12.00 6.00 | A=50 | फ्रण्टेज = 20 मी. |
| 119. | बैंकवेट हॉल | 0.50 | 24.00 | 35 | 1:1.50 | 12.50 | 24.00 10.00 | A=20 | फ्रण्टेज = 30 मी. |
| 120. | एफ.एम.सी.जी. गोडाउन | 0.50 | 30.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 20.00 10.00 | A=30 | फ्रण्टेज = 40 मी. |
| 121. | वेयर हाउस | 0.50 | 30.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 20.00 10.00 | A=30 | फ्रण्टेज = 40 मी. |
| 122. | कोल यार्ड | 0.50 | 30.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 20.00 10.00 | A=30 | फ्रण्टेज = 40 मी. |
| 123. | मीट मार्केट | 0.40 | 24.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 20.00 10.00 | A=30 | फ्रण्टेज = 30 मी. |
| 124. | सायबर कैफे | 0.05 | 12.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 9.00 6.00 | A=50 | फ्रण्टेज = 20 मी. |

| अनु. क्र. | उपयोग/गतिविधि | न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में | न्यूनतम भूमि स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में | शू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में | एफ.ए. आर. | ऊँचाई मीटर में | न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में | न्यूनतम सामने पीछे साईडस् कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र | न्यूनतम वाहन पार्किंग एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र | अन्य नियंत्रण/ न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में |
|------------------------------|--------------------------|--|---|--------------------------------|-----------|----------------|---------------------------|--|---|--|
| 125. | ढाबा | 0.30 | 30.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 20.00 | 10.00 | A=30 | फ्रण्टेज = 40 मी. |
| 126. | रेल/एयर टिकिट घर | 0.05 | 12.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 9.00 | 6.00 | A=50 | फ्रण्टेज = 20 मी. |
| सांस्कृतिक गतिविधियाँ | | | | | | | | | | |
| 127. | खुला रंगमंच | आवश्यकता अनुसार | 18.00 | आवश्यकता अनुसार | 1:0.15 | 12.50 | 15.00 | 9.00 | A=20 | फ्रण्टेज = 25 मी. |
| 128. | योग केन्द्र | 0.20 | 12.00 | 35 | 1:1.50 | 12.50 | 12.00 | 6.00 | A=50 | फ्रण्टेज = 20 मी. |
| 129. | अध्यात्मिक केन्द्र | 0.20 | 12.00 | 35 | 1:1.50 | 12.50 | 12.00 | 6.00 | A=50 | फ्रण्टेज = 20 मी. |
| 130. | सांस्कृतिक/सूचना केन्द्र | 0.15 | 15.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 9.00 | 6.00 | A=50 | फ्रण्टेज = 20 मी. |
| 131. | सामाजिक कल्याण केन्द्र | 0.10 | 12.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 12.00 | 6.00 | A=50 | फ्रण्टेज = 20 मी. |
| 132. | लाइब्रेरी | 0.10 | 12.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 12.00 | 6.00 | A=50 | फ्रण्टेज = 20 मी. |
| 133. | धार्मिक परिसर | 0.10 | 12.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 12.00 | 6.00 | A=50 | फ्रण्टेज = 20 मी. |

| अनु. क्र. | उपयोग / गतिविधि | न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में | न्यूनतम भूमि स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में | सामने भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में | एफ.ए. आर. | ऊँचाई मीटर में | न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में | न्यूनतम वाहन पार्किंग एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र | अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में |
|-----------|------------------------------------|--|---|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---|--|
| 134. | कॉन्फ्रेंस हॉल / प्रदर्शनी केन्द्र | 1.00 | 30.00 | 30 | 1:1.50 | 12.50 | 12.00 | 6.00 | A=50 फ्रण्टेज = 25 मी. |
| 135. | नाट्य गृह | 0.40 | 24.00 | 35 | 1:1.50 | 12.50 | 12.00 | 6.00 | A=40 फ्रण्टेज = 25 मी. |
| 136. | कम्प्यूनिटी हॉल | म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार | म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार | म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार | म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार | म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार | म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार | म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार | म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार फ्रण्टेज = 25 मी. |
| 137. | स्वयंसेवी संस्थान | 0.05 | 12.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 9.00 | 6.00 | A=50 फ्रण्टेज = 20 मी. |
| 138. | क्रेच / झूलाघर | 0.05 | 12.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 9.00 | 6.00 | A=50 फ्रण्टेज = 20 मी. |
| 139. | आर्ट गैलरी / संग्रहालय | 0.05 | 12.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 9.00 | 6.00 | A=50 फ्रण्टेज = 25 मी. |

खेल / मनोरंजन गतिविधियाँ

| | | | | | | | | | | |
|------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| 140. | खेल का मैदान नेबरहुड पार्क | खेल / पार्क की आवश्यकता अनुसार | खेल / पार्क की आवश्यकता अनुसार | - | - | आव-शुभकता-नुसार | आव-शुभकता-नुसार | आव-शुभकता-नुसार | आव-शुभकता-नुसार | फ्रण्टेज = 25 मी. |
| 141. | गोल्फ कोर्स | भारतीय खेल प्राधि-करण के | 15.00 | 15 | 1:0.15 | आव-शुभकता-नुसार | 15.00 | 9.00 | A=15 | एम.ओ.एस. केवल निर्माण कार्य |

| अनु. क्र. | उपयोग / गतिविधि | न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में | सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में | भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में | एफ.ए. आर. | ऊँचाई मीटर में | न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में सामने पीछे साइड्स | न्यूनतम वाहन पार्किंग एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र | अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में |
|-----------|---|--|--|--------------------------------|-----------|----------------|---|---|--|
| | | | | | | | | | के संदर्भ में। फ्रण्टेज = 60 मी. |
| 142. | एम्प्लूजमेंट पार्क / मय राईड्स, कियोस्क संधारण कार्यालय, डांस प्लोर सहित या बिना इन सुविधाओं के | 4.0 | 18.00 | 20 | 1:0.10 | आव-शकता-नुसार | 15.00 9.00 9.00 | A=15 | एम.ओ.एस. केवल निर्माण कार्य के संदर्भ में। फ्रण्टेज = 60 मी. |
| 143. | क्लब / रिसोर्ट | 0.40 | 15.00 | 20 | 1:0.30 | 12.50 | 15.00 10.00 10.00 | A=25 | फ्रण्टेज = 30 मी. |
| 144. | घुड़सवारी प्रशिक्षण स्कूल | 4.00 | 18.00 | 20 | 1:0.25 | 12.50 | 10.00 10.00 6.00 | A=25 | भारतीय खेल प्राधि. की निर्धारित शर्तों अनुरूप। फ्रण्टेज = 60 मी. |

| अनु. क्र. | उपयोग / गतिविधि | न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में | सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में | भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में | एफ.ए. आर. | ऊँचाई मीटर में | न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में सामने पीछे साईडस् | न्यूनतम वाहन पार्किंग एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र | अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में |
|-----------|---|--|--|--------------------------------|-----------|----------------|---|---|---|
| 145. | जिम्नोजियम मय पुल गेम, स्नेक्स एवं जूस शॉप, योग केन्द्र या इन सुविधाओं बिना | 0.20 | 15.00 | 30 | 1:0.00 | 12.50 | 7.50 | A=50 | फ्रण्टेज = 25 मी. |
| 146. | बोट क्लब | भारतीय खेल प्राधि. के मानक अनुसार | 15.00 | 15 | 1:0.15 | आव-शयकता-नुसार | 9.00 | A=15 | एम.ओ.एस. केवल निर्माण कार्य के संदर्भ में। बोट क्लब का निर्माण जल तट से लग कर आवश्यकता-नुसार किया जा सकेगा। फ्रण्टेज = 60 मी. |

| अनु. क्र. | उपयोग / गतिविधि | न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में | न्यूनतम भूमि स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में | भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में | एफ.ए. आर. | ऊँचाई मीटर में | सामने पीछे साईडस् | न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में | न्यूनतम वाहन पार्किंग एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र | अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में |
|-----------|----------------------|--|---|--------------------------------|-----------|----------------|-------------------|---------------------------|---|---|
| 147. | आंतरिक स्टेडियम | खेल की आवश्यकता अनुसार | 12.00 | 25 | 1:0.75 | 12.50 | 12.00 | 6.00 | A=50 | फ्रण्टेज = 40 मी. |
| 148. | स्टेडियम | खेल की आवश्यकता अनुसार | 24.00 | 30 | 1:0.00 | 12.50 | 12.00 | 6.00 | A=50 | फ्रण्टेज = 75 मी. |
| 149. | सपोर्ट्स कॉम्प्लेक्स | खेल की आवश्यकता अनुसार | 18.00 | 35 | 1:0.25 | 12.50 | 12.00 | 6.00 | A=50 | - |
| 150. | आरचर्ड | 0.10 | 12.00 | 20 | 1:0.25 | 7.00 | 9.00 | 6.00 | A=75 | - |
| 151. | तरणताल | 0.40 | 12.00 | 25 | 1:0.00 | 12.50 | 12.00 | 6.00 | A=50 | फ्रण्टेज = 18 मी. |
| 152. | पिकनिक हट | 0.25 | 12.00 | 15 | 1:0.25 | 7.50 | 12.00 | 9.00 | A=20 | - |
| 153. | पलाइंग क्लब | 0.40 | 18.00 | 30 | 1:0.00 | 12.50 | 12.00 | 6.00 | A=50 | - |
| 154. | फिटनेस क्लब | 0.25 | 15.00 | 35 | 1:1.25 | 7.50 | 12.00 | 6.00 | A=50 | फ्रण्टेज = 18 मी. |
| 155. | मेला मैदान | आवश्यकता अनुसार | 18.00 | 20 | 1:0.75 | 7.50 | 15.00 | 9.00 | A=15 | फ्रण्टेज = 30 मी. |

| अनु. क्र. | उपयोग / गतिविधि | न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में | सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में | भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में | एफ.ए. आर. | ऊँचाई मीटर में | न्यूनतम सामने पीछे साईडस् | न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में | न्यूनतम वाहन पार्किंग एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र | अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में |
|-----------|---|--|--|--------------------------------|-----------|----------------|---------------------------|---------------------------|---|---|
| 156. | नर्सरी | 0.10 | 9.00 | 30 | 1:0.75 | 9.00 | 6.00 | 6.00 | A=15 | फ्रण्टेज = 15 मी. |
| 157. | पक्षी अभयारण्य | 1.00 | 18.00 | 20 | 1:0.25 | 12.50 | 9.00 | 9.00 | A=25 | फ्रण्टेज = 30 मी. |
| 158. | वनस्पति उद्यान | 2.00 | 24.00 | 20 | 1:0.25 | 12.50 | 30.00 | 12.00 | A=25 | फ्रण्टेज = 30 मी. |
| 159. | प्राणी उद्यान | 2.00 | 24.00 | 20 | 1:0.25 | 12.50 | 30.00 | 12.00 | A=25 | फ्रण्टेज = 30 मी. |
| 160. | मत्स्यालय | 1.00 | 18.00 | 20 | 1:0.25 | 12.50 | 18.00 | 9.00 | A=25 | फ्रण्टेज = 30 मी. |
| 161. | केम्पिंग साइट | 1.00 | 18.00 | 20 | 1:0.25 | 12.50 | 18.00 | 9.00 | A=25 | फ्रण्टेज = 30 मी. |
| 162. | वाटर पार्क मय राईड्स, कियोस्क संधारण कार्यालय, डांस फ्लोर सहित या बिना इन सुविधाओं के | 4.00 | 18.00 | 20 | 1:0.10 | आवश्यकता-नुसार | 15.00 | 9.00 | A=15 | एम.ओ.एस. केवल निर्माण कार्य के संदर्भ में। फ्रण्टेज = 50 मी. |

| अनु. क्र. | उपयोग / गतिविधि | न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में | सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में | भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में | एफ.ए. आर. | ऊँचाई मीटर में | सामने पीछे साईडस् | न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में | न्यूनतम वाहन पार्किंग एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र | अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में |
|--------------------------|---|--|--|--------------------------------|-----------|----------------|-------------------|---------------------------|---|---|
| 163. | रिसार्ट पर्यटक / कुटीर | 1.00 | 24.00 | 20 | 1:0.25 | 9.00 | 12.00 | 12.00 | A=25 | फ्रण्टेज = 50 मी. |
| शासकीय गतिविधियाँ | | | | | | | | | | |
| 164. | शासकीय / अर्द्धशासकीय कार्यालय / उपक्रम, अत्यावश्यक स्टाफ क्वार्टर सहित | 0.10 | 12.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 10.00 | 5.00 | A=75 | फ्रण्टेज = 25 मी. स्टाफ क्वार्टरों का अधिकतम निर्माण स्वीकार्य क्षेत्र का 20 प्रतिशत |
| 165. | न्यायालय | आवश्यकता अनुसार | 24.00 | 35 | 1:0.25 | 12.50 | 30.00 | 10.00 | A=25 | फ्रण्टेज = 40 मी. |
| 166. | जेल | आवश्यकता अनुसार | 24.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 30.00 | 10.00 | A=25 | फ्रण्टेज = 50 मी. |
| 167. | स्थानीय निकाय कार्यालय | आवश्यकता अनुसार | 24.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 30.00 | 10.00 | A=25 | फ्रण्टेज = 50 मी. |

| अनु. क्र. | उपयोग / गतिविधि | न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में | न्यूनतम भूमि स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में | सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में | भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में | एफ.ए. आर. | ऊँचाई मीटर में | न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में | सामने पीछे साईडस् कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र | न्यूनतम वाहन पार्किंग एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र | अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में |
|-----------|---|--|---|--|--------------------------------|-----------|----------------|---------------------------|--|---|---|
| 168. | पुलिस स्टेशन | म.प्र. भू.वि. नि. अनुसार | 15.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 12.00 | 6.00 | 6.00 | A=50 | फ्रण्टेज = 20 मी. |
| 169. | पुलिस पोस्ट | म.प्र. भू.वि. नि. अनुसार | 12.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 12.00 | 6.00 | 6.00 | A=50 | फ्रण्टेज = 15 मी. |
| 170. | बैंक | 0.10 | 18.00 | 35 | 1:1.50 | 12.50 | 12.00 | 7.50 | 7.50 | A=40 | फ्रण्टेज = 25 मी. |
| 171. | सार्वजनिक सेवाएं सुविधाएं शासकीय / अर्द्धशासकीय अत्यावश्यक स्टाफ क्वार्टर सहित, | आवश्यकता अनुसार | 9.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | A=75 | - |
| 172. | पोस्ट ऑफिस | म.प्र. भू.वि. नि. अनुसार | 15.00 | 35 | 1:0.25 | 12.50 | 12.00 | 6.00 | 6.00 | A=50 | फ्रण्टेज = 20 मी. |
| 173. | दूरसंचार टावर / स्टेशन | आवश्यकता अनुसार | 15.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 12.00 | 6.00 | 6.00 | A=75 | फ्रण्टेज = 25 मी. |
| 174. | जल शोधन संयंत्र | आवश्यकता अनुसार | 12.00 | 25 | 1:0.25 | 12.50 | 12.00 | 9.00 | 9.00 | A=25 | फ्रण्टेज = 30 मी. |

| अनु. क्र. | उपयोग / गतिविधि | न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में | न्यूनतम भूमि स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में | भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में | एफ.ए. आर. | जैचाई मीटर में | सामने पीछे साईडस् सामने पीछे साईडस् | न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में | न्यूनतम वाहन पार्किंग एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र | अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में |
|-----------|-----------------------------------|--|---|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------|---|---|
| 175. | कम्बार्इन्ड ट्रीटमेंट प्लान्ट | आवश्यकता अनुसार | 12.00 | 25 | 1:0.25 | 12.50 | 12.00 | 9.00 | A=25 | फ्रण्टेज = 30 मी. |
| 176. | वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र | आवश्यकता अनुसार | 12.00 | 25 | 1:0.25 | 12.50 | 12.00 | 9.00 | A=25 | फ्रण्टेज = 30 मी. |
| 177. | दूरसंचार केन्द्र | 0.15 | 12.00 | 35 | 1:1.25 | आवश्यकता-नुसार | 12.00 | 6.00 | A=50 | फ्रण्टेज = 30 मी. |
| 178. | ट्रांसमिशन टावर / वायर लेस स्टेशन | आवश्यकता अनुसार | 12.00 | - | आव-आव-शकता-नुसार | आव-आव-शकता-नुसार | आव-आव-शकता-नुसार | आव-आव-शकता-नुसार | A=50 | फ्रण्टेज = 30 मी. |
| 179. | रेडियो स्टेशन | 0.40 | 18.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 24.00 | 9.00 | A=75 | फ्रण्टेज = 30 मी. |
| 180. | वैधशाला | आवश्यकता अनुसार | 15.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 12.00 | 6.00 | A=75 | फ्रण्टेज = 25 मी. |
| 181. | अग्निशमन केन्द्र | आवश्यकता अनुसार | 15.00 | 30 | 1:1.25 | 12.50 | 12.00 | 6.00 | A=75 | फ्रण्टेज = 25 मी. |
| 182. | टेलीविजन स्टेशन | 0.40 | 18.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 24.00 | 9.00 | A=75 | फ्रण्टेज = 25 मी. |

| अनु. क्र. | उपयोग / गतिविधि | न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में | न्यूनतम भूमि स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में | शू-तल अधिकतम कव्हरेंज प्रतिशत में | एफ.ए. आर. | ऊँचाई मीटर में | न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में | न्यूनतम वाहन कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र | अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में |
|-----------|--------------------------------|--|---|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------------------|---|---|
| 183. | मौसम कार्यालय | आवश्यकता अनुसार | 15.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 12.00 | 6.00 | A=75 फ्रण्टेज = 25 मी. |
| 184. | विद्युत सब स्टेशन | आवश्यकता अनुसार | 12.00 | आव-शकता-नुसार | आव-शकता-नुसार | आव-शकता-नुसार | 12.00 | 9.00 | - आवश्यकता अनुसार |
| 185. | श्मशान / कब्रिस्तान / सिमीट्री | आवश्यकता अनुसार | 12.00 | आव-शकता-नुसार | आव-शकता-नुसार | आव-शकता-नुसार | 12.00 | 9.00 | - आवश्यकता अनुसार |
| 186. | दूरसंचार टावर | आवश्यकता अनुसार | 12.00 | आव-शकता-नुसार | आव-शकता-नुसार | आव-शकता-नुसार | 12.00 | 9.00 | - आवश्यकता अनुसार |
| 187. | गौशाला | 0.25 | 12.00 | 35 | 1:0.50 | 9.00 | 12.00 | 9.00 | A=75 फ्रण्टेज = 15 मी. |
| 188. | उपग्रह ट्रेकिंग स्टेशन | आवश्यकता अनुसार | 24.00 | 35 | 1:0.25 | 12.50 | 24.00 | 12.00 | A=75 फ्रण्टेज = 30 मी. |
| 189. | दूरभाष केंद्र | आवश्यकता अनुसार | 18.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 12.00 | 6.00 | A=75 फ्रण्टेज = 25 मी. |
| 190. | विन्ड मिल्स / फार्म | आवश्यकता अनुसार | 12.00 | 20 | 1:0.25 | आवश्यकता-नुसार | 12.00 | 6.00 | A=75 फ्रण्टेज = 30 मी. |

| अनु. क्र. | उपयोग / गतिविधि | न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में | न्यूनतम भूमि स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में | शू-तल अधिकतम कव्छरेज प्रतिशत में | एफ.ए. आर. | ऊँचाई मीटर में | न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में | सामने पीछे साईडस् कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र | न्यूनतम वाहन पार्किंग एक | अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में |
|-----------|----------------------|--|---|----------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|--|--------------------------|---|
| 191. | सार्वजनिक मूत्रालय | आवश्यकता अनुसार | 9.00 | आव- श्यकता-श्यकता-नुसार | आव- श्यकता-नुसार | आव- श्यकता-नुसार | 12.00 | 3.00 | - | फ्रण्टेज = 9 मी. |
| 192. | विद्युत शवदाह गृह | आवश्यकता अनुसार | 18.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 6.00 | 6.00 | A=75 | फ्रण्टेज = 30 मी. |
| 193. | ओवर हेड पानी की टंकी | आवश्यकता अनुसार | 9.00 | आव- श्यकता-नुसार | आव- श्यकता-नुसार | आव- श्यकता-नुसार | 12.00 | 9.00 | - | फ्रण्टेज = 18 मी. |
| 194. | भूमिगत पानी की टंकी | आवश्यकता अनुसार | 9.00 | आव- श्यकता-नुसार | आव- श्यकता-नुसार | आव- श्यकता-नुसार | 9.00 | 6.00 | - | फ्रण्टेज = 18 मी. |
| 195. | ऑक्सीडेशन पौड | आवश्यकता अनुसार | 9.00 | आव- श्यकता-नुसार | आव- श्यकता-नुसार | आव- श्यकता-नुसार | 12.00 | 9.00 | - | फ्रण्टेज = 24 मी. |
| 196. | सेप्टिक टैंक | आवश्यकता अनुसार | 9.00 | आव- श्यकता-नुसार | आव- श्यकता-नुसार | आव- श्यकता-नुसार | 12.00 | 9.00 | - | फ्रण्टेज = 18 मी. |
| 197. | सार्वजनिक शौचालय | आवश्यकता अनुसार | 9.00 | आव- श्यकता-नुसार | आव- श्यकता-नुसार | आव- श्यकता-नुसार | 9.00 | 4.50 | - | फ्रण्टेज = 15 मी. |

| अनु. क्र. | उपयोग/गतिविधि | न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में | न्यूनतम भूमि स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में | शू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में | एफ.ए. आर. | ऊँचाई मीटर में | न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में सामने पीछे साईडस् | न्यूनतम वाहन पार्किंग एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र | अन्य नियंत्रण/ न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में |
|-----------|-----------------|--|---|--------------------------------|------------------|------------------|---|---|--|
| 198. | घूरा एवं कचराघर | आवश्यकता अनुसार | 12.00 | आव- श्यकता-नुसार | आव- श्यकता-नुसार | आव- श्यकता-नुसार | 12.00 9.00 9.00 | - | फ्रण्टेज = 18 मी. |
| 199. | धोबी घाट | आवश्यकता अनुसार | 9.00 | आव- श्यकता-नुसार | आव- श्यकता-नुसार | आव- श्यकता-नुसार | 12.00 9.00 9.00 | - | फ्रण्टेज = 18 मी. |

औद्योगिक सुविधायें

| | | | | | | | | | |
|------|-------------------|------|-------|----|--------|-------|--------------|------|---|
| 200. | एग्री स्तर उद्योग | 0.20 | 15.00 | 40 | 1:1.0 | 12.50 | 12 6.00 6.00 | A=75 | भूखण्ड के चारों ओर 4.5 मीटर चौड़ी पट्टी में वृक्षारोपण करना होगा। फ्रण्टेज = 25 मी. |
| 201. | डेयरी प्लांट | 0.75 | 18.00 | 35 | 1:1.00 | 12.50 | 15 6.00 6.00 | A=20 | भूखण्ड के चारों ओर 4.5 मीटर चौड़ी पट्टी में |

| अनु. क्र. | उपयोग/गतिविधि | न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में | न्यूनतम भूमि स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में | भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में | एफ.ए. आर. | ऊँचाई मीटर में | न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में | न्यूनतम वाहन पार्किंग एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र | अन्य नियंत्रण/ न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में |
|-----------|---|--|---|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---|--|
| | | | | | | | | | वृक्षारोपण करना होगा। फ्रण्टेज = 30 मी. |
| 202. | औद्योगिक भूखण्डीय विकास | म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार | म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार | म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार | म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार | म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार | म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार | म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार | A=50 |
| 203. | सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग | 0.10 | 15.00 | 35 | 1:1.50 | 12.50 | 10.00 | 5.00 | A=50 फ्रण्टेज = 25 मी. |
| 204. | स्लाटर हाउस | 0.20 | 15.00 | 35 | 1:1.00 | 12.50 | 12.00 | 6.00 | A=50 फ्रण्टेज = 25 मी. |
| 205. | प्लेटेड फैक्ट्री | म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार | म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार | म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार | म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार | म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार | म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार | म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार | A=50 |
| 206. | एक्सट्रेटिव/ विशिष्ट एक्सट्रेटिव उद्योग | आवश्यकता अनुसार | 12.00 | - | - | - | - | - | & खनिज विभाग के नियम अनुसार |

| अनु. क्र. | उपयोग/गतिविधि | न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में | न्यूनतम भूमि स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में | भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में | एफ.ए. आर. | ऊँचाई मीटर में | सामने पीछे साईडस् | न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में | न्यूनतम वाहन पार्किंग एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र | अन्य नियंत्रण/ न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में |
|--------------------------|---------------------------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---|--|
| 207. | सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग | 0.10 | 12.00 | 35 | 1:1.50 | 12.50 | 10.00 | 4.50 | A=50 | फ्रण्टेज = 25 मी. |
| 208. | फूड पार्क | 2.00 | 24.00 | 40 | 1:1.00 | 12.50 | 18.00 | 9.00 | A=40 | फ्रण्टेज = 50 मी. |
| 209. | साप्टवेयर पार्क | 2.00 | 24.00 | 40 | 1:1.00 | 12.50 | 18.00 | 9.00 | A=40 | फ्रण्टेज = 50 मी. |
| 210. | दुग्ध केन्द्र | 0.50 | 18.00 | 40 | 1:1.00 | 12.50 | 18.00 | 9.00 | A=40 | फ्रण्टेज = 75 मी. |
| यातायात सुविधायें | | | | | | | | | | |
| 211. | बस स्टेण्ड | 1.50 | 30.00 | 30 | 1:1.25 | 12.50 | 30.00 | 12.00 | A=25 | फ्रण्टेज = 100 मी. |
| 212. | बस टर्मिनल | 1.50 | 30.00 | 30 | 1:1.25 | 12.50 | 30.00 | 12.00 | A=25 | फ्रण्टेज = 100 मी. |
| 213. | पिकअप स्टेशन | 0.80 | 18.00 | 30 | 1:1.25 | 12.50 | 30.00 | 12.00 | A=25 | फ्रण्टेज = 50 मी. |
| 214. | बस स्टॉप | आवश्यकता अनुसार | 12.00 | आव- श्यकता- नुसार | आव- श्यकता- नुसार | आव- श्यकता- नुसार | - | - | आवश्यकता अनुसार | मार्ग की भूमि को छोड़कर बाईं लेन में। |

| अनु. क्र. | उपयोग / गतिविधि | न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में | सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में | भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में | एफ.ए. आर. | ऊँचाई मीटर में | न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में सामने पीछे साईडस् | न्यूनतम वाहन पार्किंग एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र | अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में |
|-----------|------------------------------|--|--|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|---|---|
| 215. | यातायात / नगर | 4.00 | 30.00 | 30 | 1:1.25 | 12.50 | 30.00 12.00 | A=25 | फ्रण्टेज = 75 मी. आन्तरिक मार्गों की चौड़ाई 15 मीटर |
| 216. | मेकेनिक नगर | 2.00 | 30.00 | 30 | 1:1.25 | 12.50 | 30.00 12.00 | A=25 | फ्रण्टेज = 75 मी. |
| 217. | ऑटो स्टेण्ड / टैक्सी स्टेण्ड | 0.25 | 15.00 | 15 | 1:1.30 | 07.50 | 15.00 9.00 | पार्किंग कार प्रति 15.00 वर्ग मी. उपलब्ध भूमि की दर से | फ्रण्टेज = 30 मी. |
| 218. | मल्टी लेवल पार्किंग | म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार | 18.00 | म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार | म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार | म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार | म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार | A=50 | फ्रण्टेज = 30 मी. |
| 219. | बस डिपो / कर्मशाला | 1.50 | 24.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 30.00 12.00 | A=25 | फ्रण्टेज = 50 मी. |

| अनु. क्र. | उपयोग / गतिविधि | न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में | न्यूनतम भूमि स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में | सामने शू-तल अधिकतम कव्छरेज प्रतिशत में | एफ.ए. आर. | ऊँचाई मीटर में | न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में | सामने पीछे साईडस् कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र | न्यूनतम वाहन पार्किंग एक | अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ़ण्टेज मीटर में |
|-----------|--|--|---|--|-------------------|-------------------|---------------------------|--|--------------------------|--|
| 220. | कार्गो | 2.00 | 30.00 | 30 | 1:1.25 | 12.50 | 30.00 | 12.00 | A=25 | फ़ण्टेज = 75 मी. |
| 221. | पार्किंग | आवश्यकता अनुसार | 12.00 | — | — | — | 6.00 | 6.00 | | फ़ण्टेज = 15 मी. |
| 222. | कन्टेनर डिपो | 2.00 | 30.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 30.00 | 10.00 | A=30 | फ़ण्टेज = 50 मी. |
| 223. | ड्राई पोर्ट / कन्टेनर डिपो मय बुकिंग मरम्मत एवं फारवर्डिंग एजेन्सी गतिविधियों या बिना इन सुविधाओं के | 2.00 | 30.00 | 35 | 1:1.25 | 12.50 | 30.00 | 10.00 | A=30 | फ़ण्टेज = 50 मी. |
| 224. | एयरपोर्ट / विमान तल | आवश्यकता अनुसार | 30.00 | आव- श्यकता- नुसार | आव- श्यकता- नुसार | आव- श्यकता- नुसार | आव- श्यकता- नुसार | आव- श्यकता- नुसार | A=15 | फ़ण्टेज = 100 मी. |
| 225. | मेट्रो रेल / मेट्रो स्टेशन | आवश्यकता अनुसार | 30.00 | आव- श्यकता- नुसार | आव- श्यकता- नुसार | आव- श्यकता- नुसार | आव- श्यकता- नुसार | आव- श्यकता- नुसार | A=15 | फ़ण्टेज = 75 मी. |

| अनु. क्र. | उपयोग/गतिविधि | न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में | सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में | भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में | एफ.ए. आर. | ऊँचाई मीटर में | न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में सामने पीछे साईडस् | न्यूनतम वाहन पार्किंग एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र | अन्य नियंत्रण/ न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में |
|-----------------------------------|-------------------------|--|--|--------------------------------|------------------------|------------------------|---|---|--|
| 226. | धर्म कांटा/वेविंग ब्रिज | 0.15 | 24.00 | 15 | 1:0.25 | 7.50 | 15.00 9.00 | A=15 | फ्रण्टेज = 30 मी. |
| ग्रामीण क्षेत्र गतिविधियाँ | | | | | | | | | |
| 227. | मुर्गी पालन केन्द्र | 0.20 | 12.00 | 35 | 1:1.00 | 7.50 | 12.00 6.00 | A=50 | फ्रण्टेज = 24 मी. |
| 228. | फॉर्म हाउस | म.प्र. भूवि.नि. अनुसार | म.प्र. भूवि.नि. अनुसार | म.प्र. भूवि.नि. अनुसार | म.प्र. भूवि.नि. अनुसार | म.प्र. भूवि.नि. अनुसार | म.प्र. भूवि.नि. अनुसार | A=50 | म.प्र. भूवि.नि. अनुसार |
| 229. | डेयरी | 0.20 | 12.00 | 35 | 1:1.00 | 7.50 | 12.00 6.00 | A=50 | फ्रण्टेज = 18 मी. |
| 230. | पशु पालन केन्द्र | 0.20 | 12.00 | 35 | 1:1.00 | 7.50 | 12.00 6.00 | A=50 | फ्रण्टेज = 18 मी. |
| 231. | पशु शोध केन्द्र | 0.20 | 12.00 | 35 | 1:1.00 | 7.50 | 12.00 6.00 | A=50 | फ्रण्टेज = 24 मी. |
| 232. | ग्रामीण केन्द्र | 0.20 | 9.00 | 35 | 1:1.00 | 7.50 | 12.00 6.00 | A=50 | फ्रण्टेज = 20 मी. |
| 233. | अनाज गोदाम | 0.20 | 12.00 | 35 | 1:1.00 | 7.50 | 12.00 6.00 | A=50 | फ्रण्टेज = 20 मी. |

| अनु. क्र. | उपयोग/गतिविधि | न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में | न्यूनतम भूमि स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में | भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में | एफ.ए. आर. | ऊँचाई मीटर में | न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में | सामने पीछे साईडस् कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र | न्यूनतम वाहन पार्किंग एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र | अन्य नियंत्रण/ न्यूनतम फ़ण्टेज मीटर में |
|-----------|-----------------------------|--|---|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|--|---|---|
| 234. | भवन सामग्री यार्ड | 0.20 | 12.00 | 10 | 1:0.15 | 7.50 | 12.00 | 6.00 | 6.00 | A=50 फ़ण्टेज = 24 मी. |
| 235. | मेरिज गार्डन | म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार | म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार | म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार | म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार | म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार | म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार | म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार | म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार | म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार |
| 236. | ग्रामीण प्रशिक्षण केन्द्र | 0.10 | 12.00 | 35 | 1:1.00 | 7.50 | 12.00 | 6.00 | 6.00 | A=50 फ़ण्टेज = 18 मी. |
| 237. | कृषक परामर्श सहायता केन्द्र | 0.10 | 12.00 | 35 | 1:1.00 | 7.50 | 12.00 | 6.00 | 6.00 | A=50 फ़ण्टेज = 18 मी. |
| 238. | आंगनवाड़ी | 0.10 | 12.00 | 35 | 1:1.00 | 7.50 | 12.00 | 6.00 | 6.00 | A=50 फ़ण्टेज = 18 मी. |
| 239. | औषधालय | 0.10 | 12.00 | 35 | 1:1.00 | 7.50 | 12.00 | 6.00 | 6.00 | A=50 फ़ण्टेज = 18 मी. |
| 240. | कृषि उपकरण कर्मशाला | 0.10 | 12.00 | 35 | 1:1.00 | 7.50 | 12.00 | 6.00 | 6.00 | A=50 फ़ण्टेज = 18 मी. |
| 241. | चौपाल | 0.20 | 12.00 | 10 | 1:0.15 | 7.50 | 12.00 | 6.00 | 6.00 | — फ़ण्टेज = 24 मी. |

| अनु. क्र. | उपयोग/गतिविधि | न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में | न्यूनतम भूमि स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में | सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में | भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में | एफ.ए. आर. | ऊँचाई मीटर में | न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में | सामने पीछे साईडस् कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र | न्यूनतम वाहन पार्किंग एक प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र | अन्य नियंत्रण/ न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में |
|-----------|---------------|--|---|--|--------------------------------|-----------|----------------|---------------------------|--|---|--|
|-----------|---------------|--|---|--|--------------------------------|-----------|----------------|---------------------------|--|---|--|

242. उत्सव स्थल 0.40 12.00 10 1:0.15 7.50 12.00 6.00 6.00 A=25 फ्रण्टेज = 24 मी.

* 12.50 मीटर से ऊँचे भवनों हेतु सभी मापदण्ड मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 42 अनुसार मान्य होंगे।
 "म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार" ये आशय है "मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों अनुसार से"
नोट :- 1. सक्षम अधिकारी, उपरोक्त परिशिष्ट में उल्लेखित गतिविधियों के समतुल्य गतिविधियों की अनुमति परिशिष्ट में उल्लेखित मापदण्डों के आधार पर दे सकेगा।

4.13.3 उपयोग परिसरों के नियोजन मापदण्ड एवं अन्य नियंत्रण :

सारणी क्र. 4-सा-8 में उल्लेखित उपयोग परिसरों में मान्य की जाने वाली सहायक गतिविधियाँ सारणी क्र. 4-सा-9 अनुसार मान्य होंगी। उपयोग परिसरों में मान्य की जाने वाली सहायक गतिविधियों का निर्धारण इस दृष्टि के साथ प्रस्तावित है कि यह सहायक गतिविधियाँ, उपयोग परिसरों की मुख्य गतिविधियों के संचालन में जहां सहायक होंगी, वही उपयोग परिसरों की मुख्य गतिविधियों के लिये आवश्यक सहायक सेवाएं, उसी परिसर में सरलता से उपलब्ध हो सकें तथा उपयोग परिसरों की मुख्य गतिविधियों के कारण नगर में न्यूनतम यातायात उत्पन्न हों। उपयोग परिसरों में मान्य की जाने वाली सहायक गतिविधियों का निर्धारण, इस दृष्टि के साथ भी प्रस्तावित है कि इन गतिविधियों से, उपयोग परिसरों की मुख्य गतिविधियों के विकास/निर्माण/संधारण हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो सकें।

मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ एवं उनका प्रतिशत

सिंगरौली : मुख्य उपयोग परिसर में अतिरिक्त संचालित की जाने वाली गतिविधियों के मानक

सारणी 4-सा-9

| अनु. क्र. | मुख्य उपयोग परिसर | मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ | निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत | रिमार्क |
|-----------|----------------------------------|---|--------------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 001. | वोकेशनल संस्थान (व्यवसाय संबंधी) | वोकेशनल प्रशिक्षण प्रशासकीय केण्टीन स्टॉप क्वार्टर सांस्कृतिक सुविधाएं एवं खेल | न्यूनतम अधिकतम अधिकतम अधिकतम न्यूनतम | 75 10 05 05 05 |
| 002. | विश्वविद्यालय | शैक्षणिक एवं रिसर्च प्रशासकीय केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम. स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर एवं सुविधाएं सांस्कृतिक सुविधाएं | न्यूनतम अधिकतम अधिकतम अधिकतम | 65 10 05 05 |

| अनु. क्र. | मुख्य उपयोग परिसर | मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ | गतिविधियाँ | निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत | रिमार्क |
|-----------|----------------------------|--|------------|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | होस्टल | अधिकतम | 10 | |
| | | स्टॉफ क्वार्टर | अधिकतम | 05 | |
| 003. | शैक्षणिक विश्वविद्यालय | शैक्षणिक प्रशासकीय | न्यूनतम | 75 | |
| | | केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम. | अधिकतम | 10 | |
| | | स्टेशनरी जैसी सुविधाएं | अधिकतम | 05 | |
| | | सांस्कृतिक सुविधाएं | न्यूनतम | 05 | |
| | | स्टॉफ क्वार्टर | अधिकतम | 05 | |
| 004. | अ-इंजीनियरिंग महाविद्यालय | शैक्षणिक प्रशासकीय | न्यूनतम | 65 | |
| | | केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम. | अधिकतम | 10 | |
| | | स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं | अधिकतम | 05 | |
| | | सांस्कृतिक सुविधाएं | न्यूनतम | 05 | |
| | | होस्टल | अधिकतम | 10 | |
| | | स्टॉफ क्वार्टर | अधिकतम | 05 | |
| | ब-चिकित्सा महाविद्यालय | शैक्षणिक / चिकित्सालय प्रशासकीय | न्यूनतम | 65 | |
| | | केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम. | अधिकतम | 05 | |
| | | स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं | अधिकतम | 05 | |
| | | सांस्कृतिक सुविधाएं | न्यूनतम | 05 | |
| | | होस्टल | अधिकतम | 15 | |
| | | स्टॉफ क्वार्टर | अधिकतम | 05 | |
| 005. | अन्य व्यवसायिक महाविद्यालय | शैक्षणिक प्रशासकीय | न्यूनतम | 75 | |
| | | केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम. | अधिकतम | 10 | |
| | | | अधिकतम | 05 | |

| अनु. क्र. | मुख्य उपयोग परिसर | मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ | गतिविधियाँ | निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत | रिमार्क |
|-----------|------------------------------|--|------------|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं | | | |
| | | सांस्कृतिक सुविधाएं | न्यूनतम | 05 | |
| | | स्टॉफ क्वार्टर | अधिकतम | 05 | |
| 006. | पॉलीटेक्निक | शैक्षणिक | न्यूनतम | 75 | |
| | | प्रशासकीय | अधिकतम | 10 | |
| | | केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम. | अधिकतम | 05 | |
| | | स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं | | | |
| | | सांस्कृतिक सुविधाएं | न्यूनतम | 05 | |
| | | स्टॉफ क्वार्टर | अधिकतम | 05 | |
| 007. | माध्यमिक / सेकण्डरी विद्यालय | शैक्षणिक | न्यूनतम | 75 | |
| | | प्रशासकीय | अधिकतम | 10 | |
| | | केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम. | अधिकतम | 05 | |
| | | स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं | | | |
| | | सांस्कृतिक सुविधाएं | न्यूनतम | 05 | |
| | | स्टॉफ क्वार्टर | अधिकतम | 05 | |
| 008. | प्राथमिक विद्यालय | शैक्षणिक | न्यूनतम | 80 | |
| | | प्रशासकीय | अधिकतम | 05 | |
| | | केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम. | अधिकतम | 05 | |
| | | स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं | | | |
| | | सांस्कृतिक सुविधाएं | न्यूनतम | 05 | |
| | | स्टॉफ क्वार्टर | अधिकतम | 05 | |
| 009. | नर्सरी स्कूल | शैक्षणिक | न्यूनतम | 65 | |
| | | प्रशासकीय | अधिकतम | 10 | |

| अनु. क्र. | मुख्य उपयोग परिसर | मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ | गतिविधियाँ | निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत | रिमार्क |
|-----------|--------------------------------|--|------------|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम. स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं | अधिकतम | 05 | |
| | | कवर्ड प्ले एरिया | न्यूनतम | 20 | |
| 010. | प्ले स्कूल | शैक्षणिक | न्यूनतम | 25 | |
| | | प्रशासकीय | अधिकतम | 05 | |
| | | मनोरंजन सुविधाएं | अधिकतम | 05 | |
| | | केण्टीन, स्टेशनरी | अधिकतम | 05 | |
| | | कवर्ड प्ले एरिया | न्यूनतम | 60 | |
| 011. | समन्वित आवासीय विद्यालय | शैक्षणिक | न्यूनतम | 65 | |
| | | प्रशासकीय | अधिकतम | 10 | |
| | | केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम. स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं | अधिकतम | 05 | |
| | | सांस्कृतिक सुविधाएं | न्यूनतम | 05 | |
| | | होस्टल | अधिकतम | 10 | |
| | | स्टॉफ क्वार्टर | अधिकतम | 05 | |
| 012. | विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय | शैक्षणिक | न्यूनतम | 55 | |
| | | प्रशासकीय | अधिकतम | 05 | |
| | | केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम. स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं | अधिकतम | 05 | |
| | | मनोरंजन सुविधाएं | न्यूनतम | 05 | |
| | | होस्टल | अधिकतम | 10 | |
| | | स्टॉफ क्वार्टर | अधिकतम | 05 | |
| | | फिजियोथेरेपी | अधिकतम | 05 | |
| | | चिकित्सा सुविधा | अधिकतम | 05 | |
| | | कवर्ड प्ले एरिया | न्यूनतम | 05 | |

| अनु. क्र. | मुख्य उपयोग परिसर | मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ | गतिविधियाँ | निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत | रिमार्क |
|-----------|-----------------------------|--|------------|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 013. | व्यवसायिक प्रबंधन संस्थान | शैक्षणिक | न्यूनतम | 60 | |
| | | प्रशासकीय | अधिकतम | 05 | |
| | | केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम. | अधिकतम | 05 | |
| | | स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं | | | |
| | | मनोरंजन सुविधाएं | न्यूनतम | 05 | |
| | | होस्टल | अधिकतम | 15 | |
| | | स्टॉफ क्वार्टर | अधिकतम | 05 | |
| | | चिकित्सा सुविधा | अधिकतम | 05 | |
| 014. | व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान | शैक्षणिक | न्यूनतम | 60 | |
| | | प्रशासकीय | अधिकतम | 05 | |
| | | केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम. | अधिकतम | 05 | |
| | | स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं | | | |
| | | मनोरंजन सुविधाएं | न्यूनतम | 05 | |
| | | होस्टल | अधिकतम | 15 | |
| | | स्टॉफ क्वार्टर | अधिकतम | 05 | |
| | | चिकित्सा सुविधा | अधिकतम | 05 | |
| 015. | अनुसंधान एवं विकास केन्द्र | अनुसंधान एवं विकास | न्यूनतम | 60 | |
| | | प्रशासकीय | अधिकतम | 05 | |
| | | केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम. | अधिकतम | 05 | |
| | | स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं | | | |
| | | मनोरंजन सुविधाएं | न्यूनतम | 05 | |
| | | होस्टल | अधिकतम | 15 | |
| | | स्टॉफ क्वार्टर | अधिकतम | 05 | |
| | | चिकित्सा सुविधा | अधिकतम | 05 | |

| अनु. क्र. | मुख्य उपयोग परिसर | मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ | गतिविधियाँ | निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत | रिमार्क |
|-----------|---|---|--|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 016. | संगीत / नृत्य / नाट्य प्रशिक्षण केन्द्र | शैक्षणिक प्रशासकीय केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम. स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं सांस्कृतिक सुविधाएं स्टॉफ क्वार्टर | न्यूनतम अधिकतम अधिकतम न्यूनतम अधिकतम | 70 10 05 10 05 | |
| 017. | कोचिंग इंस्टीट्यूट (शिक्षण संस्थान) | शैक्षणिक प्रशासकीय केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम. स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं मनोरंजन सुविधाएं स्टॉफ क्वार्टर | न्यूनतम अधिकतम अधिकतम न्यूनतम अधिकतम | 70 10 05 10 05 | |
| 018. | कोचिंग सेंटर | शैक्षणिक प्रशासकीय केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम. स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं | न्यूनतम अधिकतम अधिकतम | 80 10 10 | |
| 019. | कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र | शैक्षणिक प्रशासकीय केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम. स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं | न्यूनतम अधिकतम अधिकतम | 80 10 10 | |
| 020. | शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र | शैक्षणिक प्रशासकीय केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम. स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं | न्यूनतम अधिकतम अधिकतम | 80 10 10 | |

| अनु. क्र. | मुख्य उपयोग परिसर | मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ | गतिविधियाँ | निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत | रिमार्क |
|-----------|--------------------------------|---|---|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 021. | औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान | शैक्षणिक प्रशासकीय केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम. स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं | न्यूनतम अधिकतम अधिकतम | 80 10 10 | |
| 022. | नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान | नर्सिंग एवं पैरामेडिकल प्रशासकीय केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम. स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं मनोरंजन सुविधाएं स्टॉफ क्वार्टर | न्यूनतम अधिकतम अधिकतम न्यूनतम अधिकतम | 70 10 05 10 05 | |
| 023. | होटल मैनेजमेंट संस्थान | होटल मैनेजमेंट प्रशिक्षण प्रशासकीय केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम. स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं सांस्कृतिक सुविधाएं स्टॉफ क्वार्टर | न्यूनतम अधिकतम अधिकतम न्यूनतम अधिकतम | 70 10 05 10 05 | |
| 024. | अनुसंधान एवं विकास केन्द्र | अनुसंधान एवं विकास प्रशासकीय केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम. स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं सांस्कृतिक सुविधाएं होस्टल स्टॉफ क्वार्टर चिकित्सा सुविधा | न्यूनतम अधिकतम अधिकतम न्यूनतम अधिकतम अधिकतम न्यूनतम | 60 05 05 05 15 05 05 | |

| अनु. क्र. | मुख्य उपयोग परिसर | मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ | गतिविधियाँ | निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत | रिमार्क |
|-----------|-----------------------|---|--|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 025. | अन्य शैक्षणिक संस्थान | शैक्षणिक प्रशासकीय केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम. स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं सांस्कृतिक सुविधाएं होस्टल स्टॉफ क्वार्टर चिकित्सा सुविधा | न्यूनतम अधिकतम अधिकतम अधिकतम न्यूनतम अधिकतम अधिकतम न्यूनतम | 60 05 05 05 15 05 05 | |
| 026. | आई.टी.आई. | शैक्षणिक / प्रशिक्षण प्रशासकीय केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम. स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं सांस्कृतिक सुविधाएं होस्टल स्टॉफ क्वार्टर चिकित्सा सुविधा | न्यूनतम अधिकतम अधिकतम न्यूनतम अधिकतम अधिकतम न्यूनतम | 60 05 05 05 15 05 05 | |
| 027. | किंडर गार्डन स्कूल | शैक्षणिक प्रशासकीय केण्टीन, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं कवर्ड प्ले एरिया | न्यूनतम अधिकतम अधिकतम न्यूनतम | 65 10 05 20 | |
| 028. | ड्राइविंग स्कूल | शैक्षणिक / प्रशिक्षण प्रशासकीय केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम. स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल | न्यूनतम अधिकतम अधिकतम | 55 10 05 | |

| अनु. क्र. | मुख्य उपयोग परिसर | मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ | अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ | रिमांक |
|-----------------------------|---------------------------------------|--|---|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | स्टोर जैसी सुविधाएं | | |
| | | सांस्कृतिक सुविधाएं | न्यूनतम | 05 |
| | | होस्टल | अधिकतम | 15 |
| | | स्टॉफ क्वार्टर | अधिकतम | 05 |
| | | चिकित्सा सुविधा | न्यूनतम | 05 |
| 029. | प्रयोगशाला | अनुसंधान एवं विकास | न्यूनतम | 60 |
| | | प्रशासकीय | अधिकतम | 05 |
| | | केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम. | अधिकतम | 05 |
| | | स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल | | |
| | | स्टोर जैसी सुविधाएं | | |
| | | मनोरंजन सुविधाएं | न्यूनतम | 05 |
| | | गेस्ट हाउस | अधिकतम | 10 |
| | | स्टॉफ क्वार्टर | अधिकतम | 10 |
| | | चिकित्सा सुविधा | न्यूनतम | 05 |
| स्वास्थ्य गतिविधियाँ | | | | |
| 030. | सामान्य चिकित्सालय | चिकित्सा | न्यूनतम | 55 |
| | | प्रशासकीय | अधिकतम | 05 |
| | | केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम. | अधिकतम | 10 |
| | | दवाई की दुकान, बैंक, पोस्ट | | |
| | | ऑफिस, वेटिंग, जनरल | | |
| | | स्टोर जैसी सुविधाएं | | |
| | | मनोरंजन सुविधाएं | न्यूनतम | 05 |
| | | निजी वार्ड | अधिकतम | 15 |
| | | स्टॉफ क्वार्टर | अधिकतम | 10 |
| 031. | विशिष्ट / सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालय | चिकित्सा | न्यूनतम | 55 |
| | | प्रशासकीय | अधिकतम | 05 |
| | | केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम. | अधिकतम | 10 |

| अनु. क्र. | मुख्य उपयोग परिसर | मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ एवं उनका प्रतिशत गतिविधियाँ | निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत | रिमार्क |
|-----------|----------------------------|--|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | दवाई की दुकान, बैंक, पोस्ट ऑफिस, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं | | |
| | | मनोरंजन सुविधाएं | न्यूनतम | 05 |
| | | निजी वार्ड | अधिकतम | 15 |
| | | स्टॉफ क्वार्टर | अधिकतम | 10 |
| 032. | क्लिनिक / डिस्पेंसरी | चिकित्सा | न्यूनतम | 65 |
| | | प्रशासकीय | अधिकतम | 10 |
| | | केण्टीन, दवाई की दुकान, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं, निजी वार्ड | अधिकतम | 10 |
| | | | अधिकतम | 15 |
| 033. | प्रसूति गृह | चिकित्सा | न्यूनतम | 65 |
| | | प्रशासकीय | अधिकतम | 10 |
| | | केण्टीन, दवाई की दुकान, जैसी सुविधाएं | अधिकतम | 10 |
| | | निजी वार्ड | अधिकतम | 15 |
| 034. | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र | चिकित्सा | न्यूनतम | 65 |
| | | प्रशासकीय | अधिकतम | 10 |
| | | केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम. स्टेशनरी, दवाई की दुकान, वेटिंग | अधिकतम | 10 |
| | | जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं | | |
| | | निजी वार्ड | अधिकतम | 15 |
| 035. | नर्सिंग होम | चिकित्सा | न्यूनतम | 70 |
| | | प्रशासकीय | अधिकतम | 05 |
| | | केण्टीन, ए.टी.एम., दवाई की दुकान, मनोरंजन, वेटिंग | अधिकतम | 10 |
| | | जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं | | |
| | | निजी वार्ड | न्यूनतम | 15 |

| अनु. क्र. | मुख्य उपयोग परिसर | मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ | गतिविधियाँ | निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत | रिमार्क |
|-----------|---------------------|---|--|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 036. | पॉलिक्लिनिक | चिकित्सा प्रशासकीय केण्टीन, ए.टी.एम., दवाई की दुकान, मनोरंजन, वेटिंग जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं निजी वार्ड | न्यूनतम अधिकतम अधिकतम न्यूनतम | 70 05 10 15 | |
| 037. | क्लिनिकल प्रयोगशाला | प्रयोगशाला एक्सरे, पेथोलॉजी, रेडियोलॉजी आदि प्रशासकीय केण्टीन, ए.टी.एम., दवाई की दुकान, मनोरंजन, जैसी सुविधाएं | न्यूनतम अधिकतम अधिकतम | 85 05 10 | |
| 038. | पेथोलॉजी लेब | प्रयोगशाला एक्सरे, केण्टीन, दवाई की दुकान, वेटिंग | अधिकतम अधिकतम | 90 10 | |
| 039. | पालतू पशु क्लिनिक | चिकित्सा प्रशासकीय दवाई की दुकान, वेटिंग जैसी सुविधाएं वार्ड | न्यूनतम अधिकतम अधिकतम न्यूनतम | 75 05 05 15 | |
| 040. | पालतू पशु औषधालय | चिकित्सा प्रशासकीय दवाई की दुकान, वेटिंग जैसी सुविधाएं | न्यूनतम अधिकतम अधिकतम | 75 15 10 | |
| 041. | डायग्नोस्टिक सेन्टर | चिकित्सा, प्रयोगशाला, एक्सरे पेथोलॉजी, रेडियोलॉजी आदि प्रशासकीय, वेटिंग केण्टीन, एटीएम, दवाई की | न्यूनतम अधिकतम अधिकतम | 70 05 10 | |

| अनु. क्र. | मुख्य उपयोग परिसर | मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ | गतिविधियाँ | निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत | रिमार्क |
|-----------|----------------------|---|--|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | दुकान, मनोरंजन, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं वार्ड | न्यूनतम | 15 | |
| 042. | ब्लड बैंक | ब्लड बैंक प्रशासकीय केण्टीन, एटीएम, दवाई की दुकान, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं | न्यूनतम अधिकतम अधिकतम | 85 05 10 | |
| 043. | रेडक्रॉस केन्द्र | चिकित्सा, प्रयोगशाला, एक्सरे पेथोलॉजी, रेडियोलॉजी आदि प्रशासकीय केण्टीन, एटीएम, दवाई की दुकान, मनोरंजन, जनरल स्टोर वेटिंग जैसी सुविधाएं वार्ड | न्यूनतम अधिकतम अधिकतम न्यूनतम | 70 10 10 10 | |
| 044. | फिजियोथैरेपी केन्द्र | फिजियोथैरेपी, चिकित्सा, प्रयोगशाला, एक्सरे आदि प्रशासकीय केण्टीन, एटीएम, दवाई की दुकान, मनोरंजन, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं वार्ड | न्यूनतम अधिकतम अधिकतम न्यूनतम | 70 10 10 10 | |
| 045. | एक्सरे/रेडियोलॉजी | एक्सरे, रेडियोलॉजी प्रयोगशाला प्रशासकीय केण्टीन, एटीएम, दवाई की दुकान, मनोरंजन, जैसी सुविधाएं | न्यूनतम अधिकतम अधिकतम | 80 10 10 | |

| अनु. क्र. | मुख्य उपयोग परिसर | मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ | गतिविधियाँ | रिमार्क |
|--------------------------|-------------------------|--|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत | 4 5 |
| रहवासी गतिविधियाँ | | | | |
| 046. | कामकाजी महिला छात्रावास | छात्रावास | न्यूनतम | 60 |
| | | प्रशासकीय, वेटिंग | अधिकतम | 05 |
| | | एटीएम, दवाई की दुकान, फोटोकॉपी, स्टेशनरी, लॉन्ड्री, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं | अधिकतम | 10 |
| | | मनोरंजन लायब्रेरी | न्यूनतम | 10 |
| | | डाइनिंग, किचन, केण्टीन, स्टोर | न्यूनतम | 15 |
| 047. | बाल गृह | छात्रावास | न्यूनतम | 70 |
| | | प्रशासकीय, वेटिंग | अधिकतम | 05 |
| | | लॉन्ड्री, मनोरंजन, लायब्रेरी, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं | अधिकतम | 05 |
| | | डाइनिंग, किचन, केण्टीन, स्टोर | न्यूनतम | 15 |
| | | चिकित्सा सुविधा | न्यूनतम | 05 |
| 048. | बाल सुधार गृह | छात्रावास | न्यूनतम | 70 |
| | | प्रशासकीय, वेटिंग | अधिकतम | 05 |
| | | लॉन्ड्री, मनोरंजन, लायब्रेरी, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं | अधिकतम | 05 |
| | | डाइनिंग, किचन, केण्टीन, स्टोर | न्यूनतम | 15 |
| | | चिकित्सा सुविधा | न्यूनतम | 05 |
| 049. | झूलाघर/डे-केयर सेंटर | छात्रावास | न्यूनतम | 70 |
| | | प्रशासकीय, वेटिंग | अधिकतम | 05 |
| | | लॉन्ड्री, मनोरंजन, लायब्रेरी, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं | अधिकतम | 05 |
| | | डाइनिंग, किचन, केण्टीन, स्टोर | न्यूनतम | 15 |
| | | चिकित्सा सुविधा | न्यूनतम | 05 |

| अनु. क्र. | मुख्य उपयोग परिसर | मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ एवं उनका प्रतिशत गतिविधियाँ | निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत | रिमार्क |
|-----------|---------------------|---|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 050. | अनाथालय | छात्रावास प्रशासकीय, वेटिंग लॉन्ड्री, मनोरंजन, लायब्रेरी, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं डाइनिंग, किचन, केण्टीन, स्टोर चिकित्सा सुविधा | न्यूनतम अधिकतम अधिकतम न्यूनतम न्यूनतम | 70 05 05 15 05 |
| 051. | वृद्धाश्रम | निवासकक्ष प्रशासकीय, वेटिंग लॉन्ड्री, मनोरंजन, लायब्रेरी, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं डाइनिंग, किचन, केण्टीन, स्टोर चिकित्सा सुविधा | न्यूनतम अधिकतम अधिकतम न्यूनतम न्यूनतम | 70 05 05 15 05 |
| 052. | धर्मशाला | शयनकक्ष प्रशासकीय, वेटिंग लॉन्ड्री, मनोरंजन, लायब्रेरी, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं डाइनिंग, किचन, केण्टीन, स्टोर चिकित्सा सुविधा | न्यूनतम अधिकतम अधिकतम न्यूनतम न्यूनतम | 70 05 05 15 05 |
| 053. | लॉजिंग | शयनकक्ष प्रशासकीय, वेटिंग लॉन्ड्री, मनोरंजन, लायब्रेरी, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं चिकित्सा सुविधा | न्यूनतम अधिकतम अधिकतम न्यूनतम | 80 05 10 05 |
| 054. | लॉजिंग एवं बोर्डिंग | शयनकक्ष प्रशासकीय, वेटिंग लॉन्ड्री, मनोरंजन, लायब्रेरी, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं डाइनिंग, किचन, केण्टीन, स्टोर चिकित्सा सुविधा | न्यूनतम अधिकतम अधिकतम न्यूनतम न्यूनतम | 70 05 05 15 05 |

| अनु. क्र. | मुख्य उपयोग परिसर | मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ एवं उनका प्रतिशत गतिविधियाँ | निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत | रिमार्क |
|-----------|--------------------------|---|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 055. | होस्टल | छात्रावास प्रशासकीय, वेटिंग लॉन्ड्री, मनोरंजन, लायब्रेरी, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं डाइनिंग, किचन, केण्टीन, स्टोर चिकित्सा सुविधा | न्यूनतम अधिकतम अधिकतम न्यूनतम न्यूनतम | 70 05 05 15 05 |
| 056. | बोर्डिंग | शयनकक्ष प्रशासकीय, वेटिंग लॉन्ड्री, मनोरंजन, लायब्रेरी, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं डाइनिंग, किचन, केण्टीन, स्टोर चिकित्सा सुविधा | न्यूनतम अधिकतम अधिकतम न्यूनतम न्यूनतम | 70 05 05 15 05 |
| 057. | रेस्ट हाउस/ अतिथि गृह | शयनकक्ष प्रशासकीय, वेटिंग लॉन्ड्री, मनोरंजन, लायब्रेरी, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं डाइनिंग, किचन, केण्टीन, स्टोर चिकित्सा सुविधा | न्यूनतम अधिकतम अधिकतम न्यूनतम न्यूनतम | 70 05 05 15 05 |
| 058. | रात्रि विश्राम गृह | शयनकक्ष प्रशासकीय, वेटिंग लॉन्ड्री, मनोरंजन, लायब्रेरी, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं चिकित्सा सुविधा | न्यूनतम अधिकतम अधिकतम न्यूनतम | 75 05 15 05 |
| 059. | सर्किट हाउस | शयनकक्ष प्रशासकीय लॉन्ड्री, मनोरंजन, लायब्रेरी, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं डाइनिंग, किचन, स्टोर | न्यूनतम अधिकतम अधिकतम न्यूनतम | 50 05 05 10 |

| अनु. क्र. | मुख्य उपयोग परिसर | मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ | गतिविधियाँ | निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत | रिमार्क |
|-----------|--------------------|---|---|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | वेटिंग | न्यूनतम | 10 | |
| | | मिटिंग कक्ष | न्यूनतम | 10 | |
| | | स्टॉफ क्वार्टर | न्यूनतम | 10 | |
| 060. | भूखण्डीय विकास | आवासीय भूखण्ड मार्ग | अधिकतम | 58 | |
| | | खुला क्षेत्र | अधिकतम | 28 | |
| | | सर्विस क्षेत्र | न्यूनतम | 10 | |
| | | अन्य सुविधाएँ | न्यूनतम | 2 | |
| | | | जनसंख्या के मान से म.प्र.भू.वि.नि. अनुसार | | |
| | | आगन्तुक पार्किंग | न्यूनतम | 02 | |
| 061. | ग्रुप हाउसिंग | आवासीय फ्लेट्स मार्ग | अधिकतम | 75 | |
| | | | आवश्यकता अनुसार | | |
| | | भूखण्ड का खुला क्षेत्र | न्यूनतम | 20 | |
| | | सर्विस क्षेत्र भूखण्ड का | न्यूनतम | 02 | |
| | | अन्य सुविधाएँ : शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक, सामुदायिक, सांस्कृतिक | जनसंख्या के मान से म.प्र.भू.वि.नि. अनुसार | | |
| | | आगन्तुक पार्किंग | न्यूनतम | 03 | |
| 062. | अपार्टमेंट हाउसिंग | आवासीय फ्लेट्स मार्ग | अधिकतम | 95 | |
| | | | आवश्यकता अनुसार | | |
| | | भूखण्ड का खुला क्षेत्र | न्यूनतम | 25 | |
| | | सर्विस क्षेत्र भूखण्ड का | न्यूनतम | 02 | |
| | | आगन्तुक पार्किंग | न्यूनतम | 03 | |
| 063. | आवासीय भूखण्ड | आवासीय | न्यूनतम | 75 | |
| | | व्यवसायिक या स्वास्थ्य कंसल्टेन्सी सेवाएं | अधिकतम | 25 | |

| अनु. क्र. | मुख्य उपयोग परिसर | मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ | गतिविधियाँ | निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत | रिमार्क |
|-----------|----------------------------------|--|------------|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 063अ. | स्वयं का आवास | आवासीय फ्लेट्स | अधिकतम | 80 | |
| | | भूखण्ड का खुला क्षेत्र | न्यूनतम | 15 | |
| | | सर्विसेस क्षेत्र भूखण्ड का | न्यूनतम | 02 | |
| | | आगन्तुक पार्किंग | न्यूनतम | 03 | |
| 064. | शॉपिंग मॉल | शॉपिंग मॉल | न्यूनतम | 60 | |
| | | स्टोर/प्रशासकीय | अधिकतम | 05 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 05 | |
| | | होटल | न्यूनतम | 15 | |
| | | कार्पोरेट ऑफिस | अधिकतम | 15 | |
| 065. | मल्टीप्लेक्स | शॉपिंग | न्यूनतम | 30 | |
| | | होटल | अधिकतम | 10 | |
| | | सिनेमा | न्यूनतम | 25 | |
| | | प्ले झोन/गेमिंग झोन | अधिकतम | 15 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 05 | |
| | | फूड झोन | न्यूनतम | 10 | |
| | | कार्पोरेट ऑफिस, स्टोर/प्रशासकीय | अधिकतम | 05 | |
| 066. | सुपर मार्केट/डिपार्टमेंट स्टोर्स | शॉपिंग मॉल | न्यूनतम | 60 | |
| | | स्टोर/प्रशासकीय | अधिकतम | 05 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 05 | |
| | | होटल | न्यूनतम | 15 | |
| | | कार्पोरेट ऑफिस | अधिकतम | 15 | |
| 067. | कैफेटेरिया | कैफेटेरिया | न्यूनतम | 70 | |
| | | स्टोर/प्रशासकीय | अधिकतम | 05 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 05 | |
| | | शॉपिंग | न्यूनतम | 15 | |
| | | प्ले झोन | न्यूनतम | 05 | |

| अनु. क्र. | मुख्य उपयोग परिसर | मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ | गतिविधियाँ | निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत | रिमार्क |
|-----------|---------------------|--|--|--|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 068. | कन्वेंशन सेंटर | कॉन्फ्रेंस एरिया मीडिया एरिया होटल शॉपिंग मॉल सिनेमा प्ले झोन प्रसाधन सुविधाएँ फूड झोन प्रदर्शनी झोन कार्पोरेट ऑफिस, स्टोर/ प्रशासकीय क्लब / स्विमिंग पूल सर्विस एरिया | न्यूनतम न्यूनतम न्यूनतम न्यूनतम न्यूनतम अधिकतम न्यूनतम न्यूनतम न्यूनतम न्यूनतम न्यूनतम न्यूनतम न्यूनतम | 22 05 20 15 05 05 01 05 08 10 02 02 | |
| 069. | सुविधाजनक दुकानें | शॉपिंग प्रसाधन सुविधाएँ इनफारमल शॉपिंग | न्यूनतम न्यूनतम न्यूनतम | 85 05 10 | |
| 070. | स्थानीय दुकानें | शॉपिंग प्रसाधन सुविधाएँ इनफारमल शॉपिंग होटल कार्यालय स्टोर / प्रशासकीय सर्विस एरिया | न्यूनतम न्यूनतम न्यूनतम न्यूनतम न्यूनतम न्यूनतम | 60 05 15 15 15 05 | |
| 071. | साप्ताहिक हाट बाजार | शॉपिंग प्रसाधन सुविधाएँ इनफारमल शॉपिंग कार्यालय सर्विस एरिया स्टोर / प्रशासकीय | न्यूनतम न्यूनतम न्यूनतम न्यूनतम न्यूनतम अधिकतम | 10 05 60 15 05 05 | |

| अनु. क्र. | मुख्य उपयोग परिसर | मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ | गतिविधियाँ | निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत | रिमार्क |
|-----------|--------------------|---|---|--|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 072. | व्यवसायिक कार्यालय | कॉर्पोरेट स्टोर प्रशासकीय प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम अधिकतम न्यूनतम न्यूनतम अधिकतम | 60 05 05 15 15 | |
| 073. | सिनेमा हॉल | सिनेमा हॉल प्रसाधन सुविधाएँ रेस्टोरेंट / कैफेटेरिया शॉप्स स्टोर / प्रशासकीय फोयर | न्यूनतम न्यूनतम अधिकतम अधिकतम अधिकतम न्यूनतम | 60 05 15 05 10 05 | |
| 074. | होटल | होटल प्रसाधन सुविधाएँ शॉप्स कॉन्फ्रेन्स डाइनिंग एरिया किचन स्टॉफ क्वार्टर स्टोर / प्रशासकीय वॉशिंग लॉन्ड्री | न्यूनतम न्यूनतम अधिकतम अधिकतम न्यूनतम न्यूनतम अधिकतम न्यूनतम न्यूनतम न्यूनतम | 50 02 03 10 10 05 10 05 03 02 | |
| 075. | मोटल | मोटल रूम प्रसाधन सुविधाएँ शॉप्स कॉन्फ्रेन्स डाइनिंग एरिया किचन | न्यूनतम न्यूनतम अधिकतम अधिकतम न्यूनतम न्यूनतम | 50 02 05 10 10 05 | |

| अनु. क्र. | मुख्य उपयोग परिसर | मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ | गतिविधियाँ | निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत | रिमार्क |
|-----------|--|--|------------------|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | स्टॉफ क्वार्टर | अधिकतम | 10 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 05 | |
| | | वॉशिंग | न्यूनतम | 03 | |
| 076. | रेस्टोरेंट | रेस्टोरेंट | न्यूनतम | 65 | |
| | | प्रशासकीय | अधिकतम | 05 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 05 | |
| | | शॉपिंग | न्यूनतम | 15 | |
| | | प्ले झोन | न्यूनतम | 05 | |
| | | स्टॉफ क्वार्टर | अधिकतम | 05 | |
| 077. | ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र | ईंधन भराव क्षेत्र | भू.वि.नि. अनुसार | | |
| | | सर्विस स्टेशन | भू.वि.नि. अनुसार | | |
| | | जनरल शॉप | भू.वि.नि. अनुसार | | |
| | | ऑटो पार्ट शॉप | भू.वि.नि. अनुसार | | |
| | | प्रशासकीय, प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 05 | |
| | | स्टॉफ क्वार्टर | अधिकतम | 05 | |
| 078. | निज व्यवसाय | व्यवसाय | न्यूनतम | 75 | |
| | | प्रशासकीय | अधिकतम | 05 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 05 | |
| | | स्टोर एवं अन्य सुविधाएँ | न्यूनतम | 10 | |
| | | स्टॉफ क्वार्टर | अधिकतम | 05 | |
| 079. | ऑटो सर्विस स्टेशन/मोटर गैरेज एवं वर्कशॉप | सर्विस स्टेशन | न्यूनतम | 70 | |
| | | जनरल शॉप | अधिकतम | 05 | |
| | | ऑटो पार्ट शॉप | अधिकतम | 13 | |
| | | प्रशासकीय, प्रसाधन सुविधाएँ | अधिकतम | 05 | |
| | | एटीएम | अधिकतम | 02 | |
| | | स्टॉफ क्वार्टर | अधिकतम | 05 | |

| अनु. क्र. | मुख्य उपयोग परिसर | मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ | गतिविधियाँ | निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत | रिमार्क |
|-----------|---|---|--|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 080. | स्टोरेज/गोदाम अज्वलनशील पदार्थ | स्टोरेज/गोदाम प्रशासकीय, प्रसाधन सुविधाएँ स्टॉफ क्वार्टर प्लान्ट/मशीनरी | न्यूनतम अधिकतम अधिकतम अधिकतम | 70 10 10 10 | |
| 081. | स्टोरेज ज्वलनशील पदार्थ, डीजल आदि | स्टोरेज ज्वलनशील पदार्थ प्रशासकीय, प्रसाधन सुविधाएँ स्टॉफ क्वार्टर प्लान्ट/मशीनरी फायर फाइटिंग | न्यूनतम अधिकतम अधिकतम अधिकतम न्यूनतम | 65 05 10 10 10 | |
| 082. | जंकयार्ड | जंकयार्ड भूखण्ड क्षेत्र का प्रशासकीय, प्रसाधन सुविधाएँ स्टॉफ क्वार्टर प्लान्ट/मशीनरी फायर फाइटिंग | न्यूनतम अधिकतम अधिकतम अधिकतम न्यूनतम | 65 05 10 10 10 | |
| 083. | वेयर हाउस/ स्टोरेज/एफ. एम.सी.जी. गोदाम | वेयर हाउस/स्टोरेज/एफ. एम.सी.जी. गोदाम प्रशासकीय, प्रसाधन सुविधाएँ स्टॉफ क्वार्टर प्लान्ट/मशीनरी फायर फाइटिंग फार्वर्डिंग एजेन्सी कार्यालय | न्यूनतम अधिकतम अधिकतम अधिकतम न्यूनतम अधिकतम | 65 05 10 10 05 05 | |
| 084. | कॉल सेन्टर | कॉल सेन्टर प्रशासकीय, प्रसाधन सुविधाएँ स्टोर एवं अन्य सुविधाएँ | न्यूनतम अधिकतम न्यूनतम | 80 10 10 | |
| 085. | ए.टी.एम. | ए.टी.एम. अन्य सुविधाएँ | अधिकतम अधिकतम | 80 20 | |

| अनु. क्र. | मुख्य उपयोग परिसर | मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ | गतिविधियाँ | निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत | रिमार्क |
|-----------|-------------------|--|------------|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 086. | मैरिज हॉल | मैरिज हॉल | न्यूनतम | 40 | |
| | | प्रशासकीय | अधिकतम | 10 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 05 | |
| | | ठहरने हेतु कमरे | न्यूनतम | 10 | |
| | | अन्य सुविधाएँ | न्यूनतम | 05 | |
| | | किचन/पेन्ट्री | न्यूनतम | 10 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 05 | |
| | | डायनिंग एरिया | न्यूनतम | 15 | |
| 087. | बारात घर | हॉल | न्यूनतम | 40 | |
| | | प्रशासकीय | अधिकतम | 10 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 05 | |
| | | ठहरने हेतु कमरे | न्यूनतम | 10 | |
| | | अन्य सुविधाएँ | न्यूनतम | 05 | |
| | | किचन/पेन्ट्री | न्यूनतम | 10 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 05 | |
| | | डायनिंग एरिया | न्यूनतम | 15 | |
| 088. | कल्याण मंडपम | हॉल | न्यूनतम | 40 | |
| | | प्रशासकीय | अधिकतम | 10 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 05 | |
| | | ठहरने हेतु कमरे | न्यूनतम | 10 | |
| | | अन्य सुविधाएँ | न्यूनतम | 05 | |
| | | किचन/पेन्ट्री | न्यूनतम | 10 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 05 | |
| | | डायनिंग एरिया | न्यूनतम | 15 | |
| 089. | मांगलिक भवन | हॉल | न्यूनतम | 40 | |
| | | प्रशासकीय | अधिकतम | 10 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 05 | |
| | | ठहरने हेतु कमरे | न्यूनतम | 10 | |

| अनु. क्र. | मुख्य उपयोग परिसर | मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ | गतिविधियाँ | निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत | रिमार्क |
|-----------|--|--|------------|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | अन्य सुविधाएँ | न्यूनतम | 05 | |
| | | किचन/पेन्ट्री | न्यूनतम | 10 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 05 | |
| | | डायनिंग एरिया | न्यूनतम | 15 | |
| 090. | मैरिज गार्डन | मैरिज हॉल | न्यूनतम | 40 | |
| | | प्रशासकीय | अधिकतम | 10 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 05 | |
| | | ठहरने हेतु कमरे | अधिकतम | 10 | |
| | | अन्य सुविधाएँ | अधिकतम | 05 | |
| | | किचन/पेन्ट्री | अधिकतम | 10 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 05 | |
| | | डायनिंग एरिया | न्यूनतम | 15 | |
| 091. | कार्गो मय बुकिंग मरम्मत एवं फारवर्डिंग एजेन्सी गतिविधियों या बिना इन सुविधाओं के | कार्गो/वेयर हाउस/स्टोरेज/ एफ.एम.सी.जी. गोदाम प्रशासकीय, प्रसाधन सुविधाएँ स्टॉफ क्वार्टर प्लान्ट/मशीनरी फायर फाइटिंग फारवर्डिंग एजेन्सी कार्यालय रेस्टोरेन्ट/कैफेटेरिया | न्यूनतम | 60 | |
| | | | अधिकतम | 05 | |
| | | | अधिकतम | 10 | |
| | | | अधिकतम | 10 | |
| | | | न्यूनतम | 05 | |
| | | | अधिकतम | 05 | |
| | | | न्यूनतम | 05 | |
| 092. | ऑटो मोबाइल शोरूम मय सर्विस स्टेशन/वाहन विक्रय केन्द्र के या बिना इन सुविधाओं के | शोरूम सर्विस स्टेशन प्रशासकीय, प्रसाधन सुविधाएँ स्टॉफ क्वार्टर प्लान्ट/मशीनरी फायर फाइटिंग रेस्टोरेन्ट/कैफेटेरिया | न्यूनतम | 40 | |
| | | | अधिकतम | 30 | |
| | | | अधिकतम | 05 | |
| | | | अधिकतम | 05 | |
| | | | अधिकतम | 10 | |
| | | | न्यूनतम | 05 | |
| | | | अधिकतम | 05 | |

| अनु. क्र. | मुख्य उपयोग परिसर | मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ | गतिविधियाँ | निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत | रिमार्क |
|-----------|------------------------|--|------------|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 093. | प्रिंटिंग प्रेस | प्रिंटिंग प्रेस | न्यूनतम | 50 | |
| | | प्रशासकीय | अधिकतम | 05 | |
| | | केन्टीन | अधिकतम | 05 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 15 | |
| | | रेस्ट रूम | न्यूनतम | 10 | |
| | | स्टेशनरी | अधिकतम | 10 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | अधिकतम | 05 | |
| 094. | पेट्रोलियम उत्पाद डिपो | पेट्रोलियम डिपो | न्यूनतम | 50 | |
| | | प्रशासकीय | अधिकतम | 05 | |
| | | केन्टीन | अधिकतम | 05 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 15 | |
| | | रेस्ट रूम | न्यूनतम | 10 | |
| | | फायर फाइटिंग | न्यूनतम | 10 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 05 | |
| 095. | गैस गोडाउन | गैस गोडाउन | न्यूनतम | 50 | |
| | | प्रशासकीय | अधिकतम | 05 | |
| | | केन्टीन | अधिकतम | 05 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 15 | |
| | | रेस्ट रूम | न्यूनतम | 10 | |
| | | फायर फाइटिंग | न्यूनतम | 10 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 05 | |
| 096. | अनाज मण्डी | अनाज मण्डी | न्यूनतम | 55 | |
| | | प्रशासकीय | अधिकतम | 05 | |
| | | केन्टीन | अधिकतम | 05 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 05 | |
| | | रेस्ट रूम | न्यूनतम | 02 | |
| | | फायर फाइटिंग | न्यूनतम | 03 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 03 | |

| अनु. क्र. | मुख्य उपयोग परिसर | मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ | गतिविधियाँ | रिमार्क |
|-----------|-------------------|--|------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | बैंक | अधिकतम | 02 |
| | | पोस्ट ऑफिस | अधिकतम | 02 |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 03 |
| | | गेस्ट हाउस | अधिकतम | 03 |
| | | वाहन मरम्मत | अधिकतम | 03 |
| | | मृदा परीक्षण सुविधाएँ | न्यूनतम | 03 |
| | | प्रशिक्षण सुविधाएं | न्यूनतम | 03 |
| | | लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएँ | अधिकतम | 03 |
| 097. | सब्जी/फल मण्डी | सब्जी/फल मण्डी | न्यूनतम | 55 |
| | | प्रशासकीय | अधिकतम | 05 |
| | | केन्टीन | अधिकतम | 05 |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 05 |
| | | रेस्ट रूम | न्यूनतम | 02 |
| | | फायर फाइटिंग | न्यूनतम | 03 |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 02 |
| | | बैंक | अधिकतम | 02 |
| | | पोस्ट ऑफिस | अधिकतम | 02 |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 03 |
| | | गेस्ट हाउस | अधिकतम | 02 |
| | | वाहन मरम्मत | अधिकतम | 03 |
| | | मृदा परीक्षण सुविधाएँ | न्यूनतम | 02 |
| | | प्रशिक्षण सुविधाएं | न्यूनतम | 03 |
| | | लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएँ | न्यूनतम | 03 |
| | | वेविंग ब्रिज | न्यूनतम | 03 |
| 098. | लोहा मण्डी | लोहा मण्डी | न्यूनतम | 55 |
| | | प्रशासकीय | अधिकतम | 05 |
| | | केन्टीन | अधिकतम | 05 |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 05 |
| | | रेस्ट रूम | न्यूनतम | 02 |

| अनु. क्र. | मुख्य उपयोग परिसर | मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ | गतिविधियाँ | निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत | रिमार्क |
|-----------|-------------------|--|------------|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | फायर फाइटिंग | न्यूनतम | 05 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 03 | |
| | | बैंक | अधिकतम | 02 | |
| | | पोस्ट ऑफिस | अधिकतम | 02 | |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 04 | |
| | | गेस्ट हाउस | न्यूनतम | 03 | |
| | | वाहन मरम्मत | न्यूनतम | 04 | |
| | | लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएँ | न्यूनतम | 03 | |
| | | वेविंग ब्रिज | न्यूनतम | 02 | |
| 099. | भवन सामग्री यार्ड | भवन सामग्री यार्ड | न्यूनतम | 65 | |
| | | प्रशासकीय/सुरक्षा | अधिकतम | 05 | |
| | | केन्टीन, रेस्ट रूम, सुविधा दुकानें | अधिकतम | 10 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 10 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 05 | |
| | | वेविंग ब्रिज | न्यूनतम | 05 | |
| 100. | सी.एन.जी. केन्द्र | सी.एन.जी. केन्द्र | न्यूनतम | 70 | |
| | | प्रशासकीय/सुरक्षा | अधिकतम | 05 | |
| | | रेस्ट रूम, सुविधा दुकानें | अधिकतम | 10 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 10 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 05 | |
| 101. | सर्विस स्टेशन | सर्विस स्टेशन | न्यूनतम | 70 | |
| | | प्रशासकीय | अधिकतम | 05 | |
| | | रेस्ट रूम, सुविधा दुकानें | अधिकतम | 10 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 10 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 05 | |
| 102. | ब्यूटी पार्लर | ब्यूटी पार्लर | न्यूनतम | 70 | |
| | | प्रशासकीय/सुरक्षा | अधिकतम | 05 | |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 10 | |

| अनु. क्र. | मुख्य उपयोग परिसर | मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ | गतिविधियाँ | निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत | रिमार्क |
|-----------|-------------------|--|------------|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 05 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 05 | |
| | | प्रतीक्षा स्थान | न्यूनतम | 05 | |
| 103. | तौल कांटा | तौल कांटा | न्यूनतम | 75 | |
| | | प्रशासकीय | अधिकतम | 05 | |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 10 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 05 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 05 | |
| 104. | थोक मार्केट | थोक मार्केट दुकानें | न्यूनतम | 55 | |
| | | प्रशासकीय / सुरक्षा | अधिकतम | 05 | |
| | | केन्टीन | अधिकतम | 05 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 05 | |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 02 | |
| | | फायर फाइटिंग | न्यूनतम | 03 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 03 | |
| | | बैंक | अधिकतम | 02 | |
| | | पोस्ट ऑफिस | अधिकतम | 02 | |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 04 | |
| | | गेस्ट हाउस | न्यूनतम | 03 | |
| | | वाहन मरम्मत | अधिकतम | 05 | |
| | | लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएँ | न्यूनतम | 03 | |
| | | वेविंग ब्रिज | न्यूनतम | 03 | |
| 105. | दवाई मार्केट | दवाई मार्केट दुकानें | न्यूनतम | 60 | |
| | | प्रशासकीय / सुरक्षा | अधिकतम | 05 | |
| | | केन्टीन | अधिकतम | 05 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 05 | |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 05 | |
| | | फायर फाइटिंग | न्यूनतम | 05 | |

| अनु. क्र. | मुख्य उपयोग परिसर | मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ | गतिविधियाँ | निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत | रिमार्क |
|-----------|-------------------|--|------------|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 03 | |
| | | बैंक / ए.टी.एम. | अधिकतम | 02 | |
| | | पोस्ट ऑफिस / कोरियर सेवाएँ | अधिकतम | 02 | |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 04 | |
| | | गेस्ट हाउस / लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएँ | न्यूनतम | 04 | |
| 106. | स्टेशनरी मार्केट | स्टेशनरी मार्केट दुकानें | न्यूनतम | 60 | |
| | | प्रशासकीय / सुरक्षा | अधिकतम | 05 | |
| | | केन्टीन | अधिकतम | 05 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 05 | |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 05 | |
| | | फायर फाइटिंग | न्यूनतम | 05 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 03 | |
| | | बैंक / ए.टी.एम. | अधिकतम | 02 | |
| | | पोस्ट ऑफिस / कोरियर सेवाएँ | अधिकतम | 02 | |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 04 | |
| | | गेस्ट हाउस / लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएँ | न्यूनतम | 04 | |
| 107. | ऑटोमोबाइल मार्केट | ऑटोमोबाइल मार्केट दुकानें | न्यूनतम | 45 | |
| | | प्रशासकीय / सुरक्षा | अधिकतम | 05 | |
| | | केन्टीन | अधिकतम | 05 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 05 | |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 02 | |
| | | फायर फाइटिंग | न्यूनतम | 05 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 03 | |
| | | बैंक | अधिकतम | 02 | |
| | | पोस्ट ऑफिस | अधिकतम | 02 | |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 04 | |
| | | गेस्ट हाउस | न्यूनतम | 03 | |

| अनु. क्र. | मुख्य उपयोग परिसर | मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ | गतिविधियाँ | निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत | रिमार्क |
|-----------|---------------------|--|------------|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | वाहन मरम्मत | न्यूनतम | 15 | |
| | | लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएँ | न्यूनतम | 04 | |
| 108. | फायर वर्क्स मार्केट | फायर वर्क्स मार्केट दुकानें | न्यूनतम | 55 | |
| | | प्रशासकीय / सुरक्षा | अधिकतम | 05 | |
| | | केन्टीन | अधिकतम | 05 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 05 | |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 02 | |
| | | फायर फाइटिंग | न्यूनतम | 05 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 03 | |
| | | बैंक | अधिकतम | 02 | |
| | | पोस्ट ऑफिस | अधिकतम | 02 | |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 05 | |
| | | गेस्ट हाउस | न्यूनतम | 03 | |
| | | वाहन मरम्मत | न्यूनतम | 05 | |
| | | लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएँ | न्यूनतम | 03 | |
| 109. | सराफा मार्केट | सराफा मार्केट | न्यूनतम | 55 | |
| | | प्रशासकीय / सुरक्षा | अधिकतम | 05 | |
| | | केन्टीन | अधिकतम | 05 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 05 | |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 02 | |
| | | फायर फाइटिंग | न्यूनतम | 05 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 03 | |
| | | बैंक | अधिकतम | 02 | |
| | | पोस्ट ऑफिस | अधिकतम | 02 | |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 04 | |
| | | गेस्ट हाउस | अधिकतम | 03 | |
| | | वाहन मरम्मत | न्यूनतम | 05 | |
| | | लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएँ | न्यूनतम | 04 | |

| अनु. क्र. | मुख्य उपयोग परिसर | मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ | गतिविधियाँ | निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत | रिमार्क |
|-----------|-------------------|--|------------|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 110. | क्रॉकरी मार्केट | क्रॉकरी मार्केट | न्यूनतम | 60 | |
| | | प्रशासकीय / सुरक्षा | अधिकतम | 05 | |
| | | केन्टीन | अधिकतम | 05 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 05 | |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 02 | |
| | | फायर फाइटिंग | न्यूनतम | 05 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 03 | |
| | | बैंक | अधिकतम | 05 | |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 05 | |
| | | लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएँ | न्यूनतम | 05 | |
| 111. | कपड़ा मार्केट | कपड़ा मार्केट | न्यूनतम | 60 | |
| | | प्रशासकीय / सुरक्षा | अधिकतम | 05 | |
| | | केन्टीन | अधिकतम | 05 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 05 | |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 02 | |
| | | फायर फाइटिंग | न्यूनतम | 05 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 03 | |
| | | बैंक | अधिकतम | 05 | |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 05 | |
| | | लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएँ | न्यूनतम | 05 | |
| 112. | बर्तन बाजार | बर्तन बाजार | न्यूनतम | 60 | |
| | | प्रशासकीय / सुरक्षा | अधिकतम | 05 | |
| | | केन्टीन | अधिकतम | 05 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 05 | |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 02 | |
| | | फायर फाइटिंग | न्यूनतम | 05 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएं | न्यूनतम | 03 | |
| | | बैंक | अधिकतम | 05 | |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 05 | |

| अनु. क्र. | मुख्य उपयोग परिसर | मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ | गतिविधियाँ | निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत | रिमार्क |
|-----------|-------------------|--|------------|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएँ | न्यूनतम | 05 | |
| 113. | मरम्मत बाजार | मरम्मत बाजार | न्यूनतम | 60 | |
| | | प्रशासकीय / सुरक्षा | अधिकतम | 05 | |
| | | केन्टीन | अधिकतम | 05 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 05 | |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 02 | |
| | | फायर फाइटिंग | न्यूनतम | 05 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 03 | |
| | | बैंक | अधिकतम | 05 | |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 05 | |
| | | लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएँ | न्यूनतम | 05 | |
| 114. | टिम्बर मार्केट | टिम्बर मार्केट | न्यूनतम | 60 | |
| | | प्रशासकीय / सुरक्षा | अधिकतम | 05 | |
| | | केन्टीन | अधिकतम | 05 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 05 | |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 02 | |
| | | फायर फाइटिंग | न्यूनतम | 05 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 03 | |
| | | बैंक | अधिकतम | 05 | |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 05 | |
| | | लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएँ | न्यूनतम | 05 | |
| 115. | केमिकल बाजार | केमिकल बाजार | न्यूनतम | 60 | |
| | | प्रशासकीय / सुरक्षा | अधिकतम | 05 | |
| | | केन्टीन | अधिकतम | 05 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 05 | |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 02 | |
| | | फायर फाइटिंग | न्यूनतम | 05 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 03 | |
| | | बैंक | अधिकतम | 05 | |

| अनु. क्र. | मुख्य उपयोग परिसर | मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ एवं उनका प्रतिशत गतिविधियाँ | निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत | रिमार्क |
|-----------|-------------------|--|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 05 |
| | | लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएँ | न्यूनतम | 05 |
| 116. | ई-चौपाल | ई-चौपाल | न्यूनतम | 60 |
| | | प्रशासकीय / सुरक्षा | अधिकतम | 05 |
| | | केन्टीन, फूड झोन | अधिकतम | 05 |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 05 |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 02 |
| | | फायर फाइटिंग | न्यूनतम | 05 |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 03 |
| | | बैंक | अधिकतम | 05 |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 05 |
| | | लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएँ | न्यूनतम | 05 |
| 117. | कम्प्यूटर सेंटर | कम्प्यूटर सेंटर | न्यूनतम | 65 |
| | | प्रशासकीय / सुरक्षा | अधिकतम | 05 |
| | | केन्टीन, सुविधा दुकानें | अधिकतम | 10 |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 05 |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 05 |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 05 |
| | | प्रतीक्षा कक्ष | न्यूनतम | 05 |
| 118. | इन्फॉर्मल शॉपिंग | इन्फॉर्मल शॉपिंग | न्यूनतम | 55 |
| | | प्रशासकीय / सुरक्षा | अधिकतम | 05 |
| | | केन्टीन, सुविधा दुकानें | अधिकतम | 10 |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 05 |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 05 |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 05 |
| | | प्रतीक्षा कक्ष | न्यूनतम | 05 |
| | | बैंक | अधिकतम | 05 |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 05 |

| अनु. क्र. | मुख्य उपयोग परिसर | मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ | गतिविधियाँ | निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत | रिमार्क |
|-----------|-------------------|--|------------|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 119. | बैंकवेट हॉल | बैंकवेट हॉल | अधिकतम | 55 | |
| | | प्रशासकीय / सुरक्षा | अधिकतम | 03 | |
| | | केन्टीन, किचन, पेन्ट्री | अधिकतम | 10 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 05 | |
| | | रेस्ट रूम, ठहरने के कमरे | अधिकतम | 15 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 05 | |
| | | प्रतीक्षा कक्ष | न्यूनतम | 02 | |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 05 | |
| 120. | एफ.एम.सी.जी. | एफ.एम.सी.जी. गोडाउन | अधिकतम | 65 | |
| | | प्रशासकीय / सुरक्षा | अधिकतम | 05 | |
| | | केन्टीन, किचन, पेन्ट्री | अधिकतम | 05 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 05 | |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 05 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 05 | |
| | | प्रतीक्षा कक्ष | न्यूनतम | 05 | |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 05 | |
| 121. | वेयर हाउस | वेयर हाउस | अधिकतम | 65 | |
| | | प्रशासकीय / सुरक्षा | अधिकतम | 05 | |
| | | केन्टीन, किचन, पेन्ट्री | अधिकतम | 05 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 05 | |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 05 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 05 | |
| | | प्रतीक्षा कक्ष | न्यूनतम | 05 | |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 05 | |
| 122. | कोल यार्ड | कोल यार्ड | न्यूनतम | 60 | |
| | | प्रशासकीय | अधिकतम | 05 | |
| | | केन्टीन | अधिकतम | 05 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 05 | |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 02 | |

| अनु. क्र. | मुख्य उपयोग परिसर | मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ | गतिविधियाँ | निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत | रिमार्क |
|-----------|-------------------|--|------------|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | फायर फाइटिंग | न्यूनतम | 05 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 03 | |
| | | बैंक | अधिकतम | 05 | |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 05 | |
| | | लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएँ | न्यूनतम | 05 | |
| 123. | मीट मार्केट | मीट मार्केट | न्यूनतम | 60 | |
| | | प्रशासकीय/सुरक्षा | अधिकतम | 05 | |
| | | केन्टीन | अधिकतम | 05 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 05 | |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 02 | |
| | | फायर फाइटिंग | न्यूनतम | 05 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 03 | |
| | | बैंक, ए.टी.एम. | अधिकतम | 05 | |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 10 | |
| 124. | सायबर कैफे | सायबर कैफे | अधिकतम | 65 | |
| | | प्रशासकीय/सुरक्षा | अधिकतम | 05 | |
| | | केन्टीन, सुविधा दुकानें | अधिकतम | 10 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 05 | |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 05 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 05 | |
| | | प्रतीक्षा कक्ष | न्यूनतम | 05 | |
| 125. | ढाबा | ढाबा | न्यूनतम | 60 | |
| | | प्रशासकीय/सुरक्षा | अधिकतम | 02 | |
| | | केन्टीन/किचन | अधिकतम | 10 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 05 | |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 03 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 05 | |
| | | बैंक/ए.टी.एम. | अधिकतम | 05 | |
| | | सुविधा/मरम्मत दुकानें | अधिकतम | 10 | |

| अनु. क्र. | मुख्य उपयोग परिसर | मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ | गतिविधियाँ | निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत | रिमार्क |
|-----------|--------------------|--|--|--|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 126. | रेल/एयर टिकिट घर | रेल/एयर टिकिट घर ए.टी.एम. प्रतीक्षा कक्ष प्रसाधन सुविधाएँ स्टोर केन्टीन | न्यूनतम अधिकतम न्यूनतम न्यूनतम न्यूनतम अधिकतम | 70 05 10 05 05 10 | |
| 127. | खुला रंग मंच | खुला रंग मंच प्रशासकीय/सुरक्षा केन्टीन/किचन, पेन्ट्री सुविधा दुकानें स्टोर रेस्ट रूम प्रसाधन सुविधाएँ बैंक/ए.टी.एम. | अधिकतम अधिकतम अधिकतम न्यूनतम अधिकतम न्यूनतम अधिकतम | 60 05 10 10 05 05 05 | |
| 128. | योग केन्द्र | योग केन्द्र प्रशासकीय/सुरक्षा केन्टीन/किचन, पेन्ट्री स्टोर रेस्ट रूम प्रसाधन सुविधाएँ बैंक/ए.टी.एम., सुविधा दुकानें | अधिकतम अधिकतम अधिकतम न्यूनतम अधिकतम न्यूनतम अधिकतम | 60 05 05 10 05 05 10 | |
| 129. | आध्यात्मिक केन्द्र | आध्यात्मिक केन्द्र प्रशासकीय/सुरक्षा केन्टीन/किचन, पेन्ट्री स्टोर रेस्ट रूम प्रसाधन सुविधाएँ बैंक/ए.टी.एम., सुविधा दुकानें | अधिकतम अधिकतम अधिकतम न्यूनतम अधिकतम न्यूनतम अधिकतम | 60 05 05 10 05 05 10 | |

| अनु. क्र. | मुख्य उपयोग परिसर | मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ | गतिविधियाँ | निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत | रिमार्क |
|-----------|--------------------------|---|--|--|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 130. | सांस्कृतिक/सूचना केन्द्र | सांस्कृतिक/सूचना केन्द्र प्रशासकीय/सुरक्षा केन्टीन/किचन, पेन्ट्री स्टोर रेस्ट रूम/कर्मचारी आवास प्रसाधन सुविधाएँ बैंक/ए.टी.एम., सुविधा दुकानें लायब्रेरी | अधिकतम अधिकतम अधिकतम न्यूनतम अधिकतम न्यूनतम अधिकतम अधिकतम | 60 05 05 05 05 05 10 05 | |
| 131. | सामाजिक कल्याण केन्द्र | सामाजिक कल्याण केन्द्र प्रशासकीय/सुरक्षा केन्टीन/किचन, पेन्ट्री स्टोर रेस्ट रूम/कर्मचारी आवास प्रसाधन सुविधाएँ बैंक/ए.टी.एम., सुविधा दुकानें लायब्रेरी | अधिकतम अधिकतम अधिकतम न्यूनतम अधिकतम न्यूनतम अधिकतम अधिकतम | 60 05 05 05 05 05 10 05 | |
| 132. | लाइब्रेरी | लाइब्रेरी प्रशासकीय/सुरक्षा केन्टीन स्टोर रेस्ट रूम/कर्मचारी आवास प्रसाधन सुविधाएँ ए.टी.एम., सुविधा दुकानें | न्यूनतम अधिकतम अधिकतम न्यूनतम अधिकतम न्यूनतम अधिकतम | 60 05 05 15 05 05 05 | |
| 133. | धार्मिक परिसर | धार्मिक परिसर प्रशासकीय/सुरक्षा केन्टीन/किचन, पेन्ट्री स्टोर रेस्ट रूम/कर्मचारी आवास प्रसाधन सुविधाएँ बैंक/ए.टी.एम. | न्यूनतम अधिकतम अधिकतम न्यूनतम अधिकतम न्यूनतम अधिकतम | 60 05 05 10 05 03 02 | |

| अनु. क्र. | मुख्य उपयोग परिसर | मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ | गतिविधियाँ | निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत | रिमार्क |
|-----------|------------------------------------|--|------------|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | लायब्रेरी | अधिकतम | 05 | |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 05 | |
| 134. | कॉन्फ्रेंस हॉल / प्रदर्शनी केन्द्र | कॉन्फ्रेंस हॉल / प्रदर्शनी केन्द्र | न्यूनतम | 40 | |
| | | प्रशासकीय / सुरक्षा | अधिकतम | 05 | |
| | | केन्टीन / किचन, पेन्ट्री, डाइनिंग | न्यूनतम | 05 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 05 | |
| | | रेस्ट रूम / कर्मचारी आवास | अधिकतम | 05 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 05 | |
| | | बैंक / ए.टी.एम. | अधिकतम | 05 | |
| | | लायब्रेरी | अधिकतम | 05 | |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 05 | |
| | | मीडिया सेन्टर | न्यूनतम | 05 | |
| | | प्रतीक्षा कक्ष | न्यूनतम | 05 | |
| | | होटल | न्यूनतम | 10 | |
| 135. | नाट्य गृह | नाट्य गृह | न्यूनतम | 50 | |
| | | प्रशासकीय / सुरक्षा | अधिकतम | 05 | |
| | | केन्टीन / किचन, पेन्ट्री, डाइनिंग | न्यूनतम | 05 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 05 | |
| | | रेस्ट रूम / कर्मचारी आवास | अधिकतम | 05 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 05 | |
| | | बैंक / ए.टी.एम. | अधिकतम | 05 | |
| | | लायब्रेरी | अधिकतम | 05 | |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 05 | |
| | | मीडिया सेन्टर | न्यूनतम | 05 | |
| | | प्रतीक्षा कक्ष | न्यूनतम | 05 | |
| 136. | कम्यूनिटी हॉल | कम्यूनिटी हॉल | न्यूनतम | 55 | |
| | | प्रशासकीय / सुरक्षा | न्यूनतम | 05 | |
| | | केन्टीन / किचन, पेन्ट्री, डाइनिंग | न्यूनतम | 05 | |

| अनु. क्र. | मुख्य उपयोग परिसर | मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ | गतिविधियाँ | निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत | रिमार्क |
|-----------|----------------------|--|------------|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 05 | |
| | | रेस्ट रूम/कर्मचारी आवास | अधिकतम | 05 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 05 | |
| | | बैंक/ए.टी.एम. | अधिकतम | 05 | |
| | | लायब्रेरी | अधिकतम | 05 | |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 05 | |
| | | प्रतीक्षा कक्ष | न्यूनतम | 05 | |
| 137. | स्वयं सेवी संस्थान | स्वयं सेवी संस्थान | न्यूनतम | 55 | |
| | | प्रशासकीय/सुरक्षा | न्यूनतम | 05 | |
| | | केन्टीन/किचन, पेन्ट्री, डाइनिंग | न्यूनतम | 05 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 05 | |
| | | रेस्ट रूम/कर्मचारी आवास | अधिकतम | 05 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 05 | |
| | | बैंक/ए.टी.एम. | अधिकतम | 05 | |
| | | लायब्रेरी | अधिकतम | 05 | |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 05 | |
| | | प्रतीक्षा कक्ष | न्यूनतम | 05 | |
| 138. | क्रेच/झूलाघर | क्रेच/झूलाघर | न्यूनतम | 60 | |
| | | प्रशासकीय/सुरक्षा | न्यूनतम | 05 | |
| | | केन्टीन/किचन, पेन्ट्री | न्यूनतम | 05 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 05 | |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 05 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 05 | |
| | | लायब्रेरी | अधिकतम | 05 | |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 05 | |
| | | प्रतीक्षा कक्ष | न्यूनतम | 05 | |
| 139. | आर्ट/गैलरी संग्रहालय | आर्ट गैलरी/संग्रहालय | न्यूनतम | 60 | |
| | | प्रशासकीय/सुरक्षा | न्यूनतम | 05 | |
| | | केन्टीन/किचन, पेन्ट्री, डाइनिंग | न्यूनतम | 05 | |

| अनु. क्र. | मुख्य उपयोग परिसर | मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ | गतिविधियाँ | निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत | रिमार्क |
|-----------|--------------------------------|--|------------|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 05 | |
| | | रेस्ट रूम/कर्मचारी आवास | अधिकतम | 05 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 05 | |
| | | लायब्रेरी | अधिकतम | 05 | |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 05 | |
| | | प्रतीक्षा कक्ष | न्यूनतम | 05 | |
| 140. | खेल का मैदान/ नेवरहूड पार्क | खेल का मैदान/नेवरहूड पार्क | न्यूनतम | 70 | |
| | | प्रशासकीय/सुरक्षा | अधिकतम | 02 | |
| | | केन्टीन/किचन, पेन्ट्री | अधिकतम | 05 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 03 | |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 05 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 05 | |
| | | बैंक/ए.टी.एम. | अधिकतम | 05 | |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 05 | |
| 141. | गोल्फ कोर्स | गोल्फ कोर्स | न्यूनतम | 70 | |
| | | प्रशासकीय/सुरक्षा | अधिकतम | 02 | |
| | | केन्टीन/किचन, पेन्ट्री, डाइनिंग | न्यूनतम | 05 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 02 | |
| | | रेस्ट रूम/कर्मचारी आवास | अधिकतम | 03 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 02 | |
| | | बैंक/ए.टी.एम. | अधिकतम | 01 | |
| | | लायब्रेरी | अधिकतम | 02 | |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 02 | |
| | | मीडिया सेन्टर | न्यूनतम | 02 | |
| | | प्रतीक्षा कक्ष | न्यूनतम | 02 | |
| | | क्लब | अधिकतम | 02 | |
| | | जिम, फिटनेस क्लब | अधिकतम | 02 | |
| | | ऑडिटोरियम, थियेटर | अधिकतम | 03 | |

| अनु. क्र. | मुख्य उपयोग परिसर | मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ | गतिविधियाँ | निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत | रिमार्क |
|-----------|--|--|---|---|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 142. | एम्यूजमेंट पार्क / मय राईड्स, कियोस्क, संधारण कार्यालय, डांस फ्लोर सहित या बिना इन सुविधाओं के | एम्यूजमेंट पार्क मय राईड्स प्रशासकीय / सुरक्षा केन्टीन / किचन, पेन्ट्री, डाइनिंग स्टोर रेस्ट रूम / कर्मचारी आवास प्रसाधन सुविधाएँ बैंक / ए.टी.एम. लायब्रेरी सुविधा दुकानें मीडिया सेन्टर प्रतीक्षा कक्ष क्लब जिम, फिटनेस क्लब ऑडिटोरियम, थियेटर होटल | न्यूनतम अधिकतम न्यूनतम न्यूनतम अधिकतम न्यूनतम अधिकतम अधिकतम अधिकतम न्यूनतम न्यूनतम अधिकतम अधिकतम अधिकतम न्यूनतम | 55 02 05 02 05 03 01 02 05 02 03 02 03 02 05 05 | |
| 143. | क्लब / रिसोर्ट | क्लब, रिसोर्ट प्रशासकीय / सुरक्षा केन्टीन / रेस्टोरेंट / केफेटेरिया स्टोर रेस्ट रूम / कर्मचारी आवास प्रसाधन सुविधाएँ बैंक / ए.टी.एम. लायब्रेरी सुविधा दुकानें मीडिया सेन्टर प्रतीक्षा कक्ष क्लब जिम, फिटनेस क्लब ऑडिटोरियम, थियेटर | न्यूनतम अधिकतम न्यूनतम न्यूनतम अधिकतम न्यूनतम अधिकतम अधिकतम न्यूनतम न्यूनतम अधिकतम अधिकतम अधिकतम न्यूनतम | 60 02 05 02 05 03 01 02 05 02 03 02 03 02 05 | |

| अनु. क्र. | मुख्य उपयोग परिसर | मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ | गतिविधियाँ | निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत | रिमार्क |
|-----------|---|--|--|--|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 144. | घुड़सवारी प्रशिक्षण स्कूल | घुड़सवारी प्रशिक्षण स्कूल प्रशासकीय / सुरक्षा केन्टीन / रेस्टोरेंट / केफेटेरिया स्टोर रेस्ट रूम / कर्मचारी आवास प्रसाधन सुविधाएँ बैंक / ए.टी.एम. लायब्रेरी सुविधा दुकानें प्रतीक्षा कक्ष क्लब जिम, फिटनेस क्लब ऑडिटोरियम | न्यूनतम अधिकतम न्यूनतम न्यूनतम अधिकतम न्यूनतम अधिकतम अधिकतम अधिकतम अधिकतम अधिकतम अधिकतम अधिकतम अधिकतम अधिकतम | 60 03 05 03 05 03 01 03 05 02 03 02 05 | |
| 145. | जिम्नेशियम मय पूल गेम, स्नेक्स एवं जूस शॉप, योग केन्द्र | जिम्नेशियम मय पूल गेम, स्नेक्स एवं जूस शॉप, योग केन्द्र प्रशासकीय / सुरक्षा केन्टीन / रेस्टोरेंट / केफेटेरिया स्टोर रेस्ट रूम / कर्मचारी आवास प्रसाधन सुविधाएँ बैंक / ए.टी.एम. लायब्रेरी सुविधा दुकानें प्रतीक्षा कक्ष क्लब | न्यूनतम अधिकतम न्यूनतम न्यूनतम अधिकतम न्यूनतम अधिकतम अधिकतम अधिकतम अधिकतम अधिकतम | 60 03 05 03 05 03 01 03 05 02 10 | |
| 146. | बोट क्लब | बोट क्लब प्रशासकीय / सुरक्षा केन्टीन / रेस्टोरेंट / केफेटेरिया स्टोर | न्यूनतम अधिकतम न्यूनतम न्यूनतम | 50 5 05 10 | |

| अनु. क्र. | मुख्य उपयोग परिसर | मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ | गतिविधियाँ | निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत | रिमार्क |
|-----------|-------------------|--|------------|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | रेस्ट रूम/कर्मचारी आवास | अधिकतम | 05 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 05 | |
| | | बैंक/ए.टी.एम. | अधिकतम | 03 | |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 05 | |
| | | प्रतीक्षा कक्ष | न्यूनतम | 10 | |
| | | टिकट काउण्टर | अधिकतम | 02 | |
| 147. | आंतरिक स्टेडियम | आंतरिक स्टेडियम | न्यूनतम | 50 | |
| | | प्रशासकीय/सुरक्षा | अधिकतम | 05 | |
| | | केन्टीन/किचन, पेन्ट्री डाइनिंग | न्यूनतम | 05 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 05 | |
| | | रेस्ट रूम/कर्मचारी आवास | अधिकतम | 05 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 05 | |
| | | बैंक/ए.टी.एम. | अधिकतम | 02 | |
| | | सुविधा दुकानें/मॉल | अधिकतम | 05 | |
| | | प्रतीक्षा कक्ष | न्यूनतम | 05 | |
| | | टिकट काउण्टर | न्यूनतम | 02 | |
| | | कर्मचारी आवास | न्यूनतम | 02 | |
| | | क्लब | न्यूनतम | 02 | |
| | | स्वीमिंग पूल | न्यूनतम | 02 | |
| | | होस्टल/होटल | न्यूनतम | 05 | |
| 148. | स्टेडियम | स्टेडियम | न्यूनतम | 50 | |
| | | प्रशासकीय/सुरक्षा | अधिकतम | 02 | |
| | | केन्टीन/रेस्टोरेंट/कैफेटेरिया | न्यूनतम | 05 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 05 | |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 05 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 05 | |
| | | बैंक/ए.टी.एम. | अधिकतम | 02 | |
| | | सुविधा दुकानें/मॉल | अधिकतम | 05 | |
| | | प्रतीक्षा कक्ष | न्यूनतम | 05 | |

| अनु. क्र. | मुख्य उपयोग परिसर | मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ | गतिविधियाँ | निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत | रिमार्क |
|-----------|----------------------|--|------------|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | टिकट काउण्टर | न्यूनतम | 03 | |
| | | कर्मचारी आवास | न्यूनतम | 03 | |
| | | क्लब | न्यूनतम | 03 | |
| | | स्वीमिंग पूल | न्यूनतम | 02 | |
| | | होस्टल/होटल | न्यूनतम | 05 | |
| 149. | स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स | स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स | न्यूनतम | 55 | |
| | | प्रशासकीय/सुरक्षा | अधिकतम | 02 | |
| | | केन्टीन/रेस्टारेंट/केफेटेरिया | न्यूनतम | 05 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 05 | |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 03 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 02 | |
| | | बैंक/ए.टी.एम. | अधिकतम | 01 | |
| | | सुविधा दुकानें/मॉल/मल्टीप्लेक्स/सुपर बाजार | अधिकतम | 10 | |
| | | प्रतीक्षा कक्ष | न्यूनतम | 02 | |
| | | टिकट काउण्टर | न्यूनतम | 02 | |
| | | कर्मचारी आवास | न्यूनतम | 03 | |
| | | क्लब | न्यूनतम | 03 | |
| | | स्वीमिंग पूल | न्यूनतम | 02 | |
| | | होस्टल/होटल | न्यूनतम | 05 | |
| 150. | तरणताल | तरणताल | न्यूनतम | 55 | |
| | | प्रशासकीय/सुरक्षा | अधिकतम | 03 | |
| | | केन्टीन/रेस्टारेंट/केफेटेरिया | न्यूनतम | 05 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 05 | |
| | | रेस्ट रूम/गेस्ट रूम | अधिकतम | 10 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 04 | |
| | | बैंक/ए.टी.एम. | अधिकतम | 01 | |
| | | प्रतीक्षा कक्ष | न्यूनतम | 02 | |
| | | टिकट काउण्टर | न्यूनतम | 02 | |

| अनु. क्र. | मुख्य उपयोग परिसर | मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ | गतिविधियाँ | निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत | रिमार्क |
|-----------|-------------------|--|------------|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | कर्मचारी आवास | न्यूनतम | 03 | |
| | | शॉपिंग | अधिकतम | 05 | |
| | | प्ले एरिया | अधिकतम | 05 | |
| 151. | पिकनिक हट | पिकनिक हट | — | | |
| | | प्रत्येक हट 7.5 x 7.5 मी. | | | |
| | | स्टोर प्रत्येक 7.5 x 7.5 मी. | — | | |
| | | रेस्ट रूम प्रत्येक 10.0 x 10.0 मी. | — | | |
| | | प्रसाधन सुविधाएं 6.0 x 6.0 मी. | — | | |
| | | किचन, पेन्ट्री 6.0 x 6.0 मी. | — | | |
| | | नर्सरी 10.0x 10.0 मी. | — | | |
| 152. | पलाइंग क्लब | पलाइंग प्रशिक्षण | न्यूनतम | 50 | |
| | | प्रशासकीय / सुरक्षा | अधिकतम | 05 | |
| | | केन्टीन / रेस्टारेंट / केफेटेरिया | न्यूनतम | 05 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 05 | |
| | | रेस्ट रूम / कर्मचारी आवास | अधिकतम | 10 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 05 | |
| | | बैंक / ए.टी.एम. | अधिकतम | 02 | |
| | | प्रतीक्षा कक्ष | न्यूनतम | 05 | |
| | | कर्मचारी आवास | न्यूनतम | 05 | |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 05 | |
| | | लायब्रेरी | न्यूनतम | 03 | |
| 153. | फिटनेस क्लब | फिटनेस क्लब / जिम | न्यूनतम | 50 | |
| | | प्रशासकीय / सुरक्षा | अधिकतम | 05 | |
| | | केन्टीन / रेस्टारेंट / केफेटेरिया | न्यूनतम | 05 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 05 | |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 10 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 05 | |
| | | ए.टी.एम. | अधिकतम | 02 | |
| | | प्रतीक्षा कक्ष | न्यूनतम | 05 | |

| अनु. क्र. | मुख्य उपयोग परिसर | मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ | गतिविधियाँ | निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत | रिमार्क |
|-----------|-------------------|--|------------|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 05 | |
| | | लायब्रेरी / कंसलटेशन | न्यूनतम | 03 | |
| | | प्ले एरिया | अधिकतम | 05 | |
| 154. | मेला मैदान | मेला मैदान | न्यूनतम | 55 | |
| | | प्रशासकीय / सुरक्षा | अधिकतम | 02 | |
| | | केन्टीन / रेस्टारेंट / केफेटेरिया | न्यूनतम | 03 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 05 | |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 03 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 02 | |
| | | ए.टी.एम. | अधिकतम | 01 | |
| | | प्रतीक्षा कक्ष | न्यूनतम | 01 | |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 05 | |
| | | लायब्रेरी | न्यूनतम | 01 | |
| | | प्ले एरिया | अधिकतम | 05 | |
| | | प्राथमिक उपचार | अधिकतम | 01 | |
| | | मीडिया रूम | अधिकतम | 01 | |
| | | ओपर एयर थियेटर | अधिकतम | 05 | |
| | | प्रदर्शनी | अधिकतम | 05 | |
| | | मनोरंजन / सांस्कृतिक | अधिकतम | 05 | |
| 155. | नर्सरी | नर्सरी | न्यूनतम | 65 | |
| | | कार्यालय / स्टोर | अधिकतम | 15 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 05 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 05 | |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 10 | |
| 156. | पक्षी अभ्यारण | पक्षी अभ्यारण | न्यूनतम | 50 | |
| | | प्रशासकीय / सुरक्षा | अधिकतम | 02 | |
| | | केन्टीन / रेस्टारेंट / केफेटेरिया | न्यूनतम | 03 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 05 | |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 03 | |

| अनु. क्र. | मुख्य उपयोग परिसर | मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ | गतिविधियाँ | निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत | रिमार्क |
|-----------|-------------------|--|------------|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 03 | |
| | | ए.टी.एम. | अधिकतम | 01 | |
| | | प्रतीक्षा कक्ष | न्यूनतम | 02 | |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 05 | |
| | | लायब्रेरी | न्यूनतम | 02 | |
| | | प्ले एरिया | अधिकतम | 05 | |
| | | प्राथमिक उपचार | अधिकतम | 02 | |
| | | संग्रहालय | अधिकतम | 02 | |
| | | प्रदर्शनी | अधिकतम | 05 | |
| | | मनोरंजन/ सांस्कृतिक | अधिकतम | 05 | |
| | | नर्सरी | अधिकतम | 05 | |
| 157. | वनस्पति उद्यान | वनस्पति उद्यान | न्यूनतम | 50 | |
| | | प्रशासकीय/ सुरक्षा | अधिकतम | 02 | |
| | | केन्टीन/ रेस्टारेंट/ केफेटेरिया | न्यूनतम | 03 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 05 | |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 03 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 03 | |
| | | ए.टी.एम. | अधिकतम | 01 | |
| | | प्रतीक्षा कक्ष | न्यूनतम | 02 | |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 05 | |
| | | लायब्रेरी | न्यूनतम | 02 | |
| | | प्ले एरिया | अधिकतम | 05 | |
| | | प्राथमिक उपचार | अधिकतम | 02 | |
| | | संग्रहालय | अधिकतम | 02 | |
| | | प्रदर्शनी | अधिकतम | 05 | |
| | | मनोरंजन/ सांस्कृतिक | अधिकतम | 05 | |
| | | नर्सरी | अधिकतम | 05 | |
| 158. | प्राणी उद्यान | प्राणी उद्यान | न्यूनतम | 50 | |
| | | प्रशासकीय/ सुरक्षा | अधिकतम | 02 | |

| अनु. क्र. | मुख्य उपयोग परिसर | मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ | गतिविधियाँ | निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत | रिमार्क |
|-----------|-------------------|--|------------|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | केन्टीन / रेस्टारेंट / केफेटेरिया | न्यूनतम | 03 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 05 | |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 03 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 03 | |
| | | ए.टी.एम. | अधिकतम | 01 | |
| | | प्रतीक्षा कक्ष | न्यूनतम | 02 | |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 05 | |
| | | लायब्रेरी | न्यूनतम | 02 | |
| | | प्ले एरिया | अधिकतम | 05 | |
| | | प्राथमिक उपचार | अधिकतम | 02 | |
| | | संग्रहालय | अधिकतम | 02 | |
| | | प्रदर्शनी | अधिकतम | 05 | |
| | | मनोरंजन / सांस्कृतिक | अधिकतम | 05 | |
| | | नर्सरी | अधिकतम | 05 | |
| 159. | मत्स्यालय | मत्स्यालय | न्यूनतम | 50 | |
| | | प्रशासकीय / सुरक्षा | अधिकतम | 02 | |
| | | केन्टीन / रेस्टारेंट / केफेटेरिया | न्यूनतम | 03 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 05 | |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 03 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 03 | |
| | | ए.टी.एम. | अधिकतम | 01 | |
| | | प्रतीक्षा कक्ष | न्यूनतम | 02 | |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 05 | |
| | | लायब्रेरी | न्यूनतम | 02 | |
| | | प्ले एरिया | अधिकतम | 05 | |
| | | प्राथमिक उपचार | अधिकतम | 02 | |
| | | संग्रहालय | अधिकतम | 02 | |
| | | प्रदर्शनी | अधिकतम | 05 | |
| | | मनोरंजन / सांस्कृतिक | अधिकतम | 05 | |
| | | नर्सरी | अधिकतम | 05 | |

| अनु. क्र. | मुख्य उपयोग परिसर | मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ एवं उनका प्रतिशत गतिविधियाँ | निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत | रिमार्क |
|--------------|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 160. | केम्पिंग साइट | केम्पिंग साइट प्रशासकीय / सुरक्षा केन्टीन / रेस्टारेंट / केफेटेरिया स्टोर रेस्ट रूम प्रसाधन सुविधाएँ ए.टी.एम. प्रतीक्षा कक्ष सुविधा दुकानें लायब्रेरी प्ले एरिया प्राथमिक उपचार संग्रहालय प्रदर्शनी मनोरंजन / सांस्कृतिक नर्सरी | न्यूनतम अधिकतम न्यूनतम न्यूनतम अधिकतम न्यूनतम अधिकतम न्यूनतम अधिकतम अधिकतम अधिकतम अधिकतम अधिकतम अधिकतम अधिकतम | 50 02 03 05 03 03 01 02 05 02 05 05 05 05 |
| 161. | वाटर पार्क मय राइड्स, कियोस्क, संधारण कार्यालय, डांस फ्लोर सहित या बिना इन सुविधाओं के | केम्पिंग साइट प्रशासकीय / सुरक्षा केन्टीन / रेस्टारेंट / केफेटेरिया स्टोर रेस्ट रूम प्रसाधन सुविधाएँ ए.टी.एम. प्रतीक्षा कक्ष सुविधा दुकानें लायब्रेरी प्ले एरिया प्राथमिक उपचार संग्रहालय | न्यूनतम अधिकतम न्यूनतम न्यूनतम अधिकतम न्यूनतम अधिकतम न्यूनतम अधिकतम अधिकतम अधिकतम अधिकतम | 50 02 03 05 03 03 01 02 05 02 05 02 02 |

| अनु. क्र. | मुख्य उपयोग परिसर | मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ | गतिविधियाँ | निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत | रिमार्क |
|--------------------------|--|--|------------|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | प्रदर्शनी | अधिकतम | 05 | |
| | | मनोरंजन / सांस्कृतिक | अधिकतम | 05 | |
| | | नर्सरी | अधिकतम | 05 | |
| 162. | रिसॉर्ट / पर्यटक कुटीर | केम्पिंग साइट | न्यूनतम | 50 | |
| | | प्रशासकीय / सुरक्षा | अधिकतम | 02 | |
| | | केन्टीन / रेस्टारेंट / केफेटेरिया | न्यूनतम | 03 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 05 | |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 03 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 03 | |
| | | ए.टी.एम. | अधिकतम | 01 | |
| | | प्रतीक्षा कक्ष | न्यूनतम | 02 | |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 05 | |
| | | लायब्रेरी | न्यूनतम | 02 | |
| | | प्ले एरिया | अधिकतम | 05 | |
| | | प्राथमिक उपचार | अधिकतम | 02 | |
| | | संग्रहालय | अधिकतम | 02 | |
| | | प्रदर्शनी | अधिकतम | 05 | |
| | | मनोरंजन / सांस्कृतिक | अधिकतम | 05 | |
| | | नर्सरी | अधिकतम | 05 | |
| शासकीय गतिविधियाँ | | | | | |
| 163. | शासकीय / अर्द्धशासकीय कार्यालय / उपक्रम, अत्यावश्यक स्टाफ क्वार्टर सहित, | शासकीय / अर्द्धशासकीय उपक्रम कार्यालय | अधिकतम | 50 | |
| | | प्रशासकीय / सुरक्षा | अधिकतम | 02 | |
| | | केन्टीन / रेस्टारेंट / केफेटेरिया | न्यूनतम | 03 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 10 | |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 03 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 03 | |
| | | ए.टी.एम. | अधिकतम | 01 | |
| | | प्रतीक्षा कक्ष | न्यूनतम | 02 | |

| अनु. क्र. | मुख्य उपयोग परिसर | मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ | गतिविधियाँ | निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत | रिमार्क |
|-----------|-------------------|--|------------|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 05 | |
| | | लायब्रेरी | न्यूनतम | 02 | |
| | | प्ले एरिया | अधिकतम | 05 | |
| | | प्राथमिक उपचार | अधिकतम | 02 | |
| | | संग्रहालय | अधिकतम | 02 | |
| | | प्रदर्शनी | अधिकतम | 05 | |
| | | नर्सरी | अधिकतम | 05 | |
| 164. | न्यायालय | न्यायालय | न्यूनतम | 50 | |
| | | प्रशासकीय / सुरक्षा | अधिकतम | 04 | |
| | | केन्टीन / रेस्टारेंट / केफेटेरिया | न्यूनतम | 03 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 10 | |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 03 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 03 | |
| | | ए.टी.एम. | अधिकतम | 01 | |
| | | प्रतीक्षा क्षेत्र | न्यूनतम | 02 | |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 05 | |
| | | लायब्रेरी | न्यूनतम | 02 | |
| | | प्ले एरिया | अधिकतम | 05 | |
| | | प्राथमिक उपचार | अधिकतम | 02 | |
| | | प्रदर्शनी | अधिकतम | 05 | |
| | | नर्सरी | अधिकतम | 05 | |
| 165. | जेल | जेल | न्यूनतम | 50 | |
| | | प्रशासकीय / सुरक्षा | अधिकतम | 05 | |
| | | केन्टीन / रेस्टारेंट / केफेटेरिया | न्यूनतम | 03 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 05 | |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 02 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 03 | |
| | | ए.टी.एम. | अधिकतम | 01 | |
| | | प्रतीक्षा क्षेत्र | न्यूनतम | 02 | |

| अनु. क्र. | मुख्य उपयोग परिसर | मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ एवं उनका प्रतिशत गतिविधियाँ | निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत | रिमार्क |
|-----------|------------------------|--|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 03 |
| | | लायब्रेरी | न्यूनतम | 03 |
| | | प्ले एरिया | अधिकतम | 03 |
| | | प्राथमिक उपचार | अधिकतम | 02 |
| | | प्रदर्शनी | अधिकतम | 03 |
| | | नर्सरी | अधिकतम | 02 |
| | | संग्रहालय | अधिकतम | 02 |
| | | मनोरंजन / सांस्कृतिक | अधिकतम | 03 |
| | | आर्ट एवं क्राफ्ट | अधिकतम | 03 |
| | | स्टाफ क्वार्टर | अधिकतम | 05 |
| 166. | स्थानीय निकाय कार्यालय | स्थानीय निकाय कार्यालय | न्यूनतम | 55 |
| | | प्रशासकीय / सुरक्षा | अधिकतम | 05 |
| | | केन्टीन / रेस्टारेंट / केफेटेरिया | न्यूनतम | 03 |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 05 |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 02 |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 03 |
| | | ए.टी.एम. | अधिकतम | 01 |
| | | प्रतीक्षा क्षेत्र | न्यूनतम | 02 |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 03 |
| | | लायब्रेरी | न्यूनतम | 02 |
| | | प्ले एरिया | अधिकतम | 02 |
| | | प्राथमिक उपचार | अधिकतम | 02 |
| | | प्रदर्शनी | अधिकतम | 03 |
| | | नर्सरी | अधिकतम | 01 |
| | | संग्रहालय | अधिकतम | 01 |
| | | मनोरंजन / सांस्कृतिक | अधिकतम | 02 |
| | | वर्कशॉप | अधिकतम | 03 |
| | | स्टाफ क्वार्टर | अधिकतम | 05 |

| अनु. क्र. | मुख्य उपयोग परिसर | मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ | गतिविधियाँ | निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत | रिमार्क |
|-----------|-------------------|--|------------|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 167. | पुलिस स्टेशन | स्थानीय निकाय कार्यालय | न्यूनतम | 60 | |
| | | प्रशासकीय / सुरक्षा | अधिकतम | 05 | |
| | | केन्टीन / रेस्टारेंट / केफेटेरिया | न्यूनतम | 05 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 07 | |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 02 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 03 | |
| | | ए.टी.एम. | अधिकतम | 01 | |
| | | प्रतीक्षा क्षेत्र | न्यूनतम | 05 | |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 03 | |
| | | लायब्रेरी | न्यूनतम | 02 | |
| | | प्राथमिक उपचार | अधिकतम | 02 | |
| | | स्टाफ क्वार्टर | अधिकतम | 05 | |
| 168. | पुलिस पोस्ट | पुलिस पोस्ट | न्यूनतम | 65 | |
| | | प्रशासकीय / सुरक्षा | अधिकतम | 05 | |
| | | केन्टीन / रेस्टारेंट / केफेटेरिया | न्यूनतम | 05 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 10 | |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 10 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 05 | |
| 169. | बैंक | बैंक कार्यालय | न्यूनतम | 60 | |
| | | प्रशासकीय / सुरक्षा | अधिकतम | 05 | |
| | | केन्टीन / रेस्टारेंट / केफेटेरिया | न्यूनतम | 05 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 07 | |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 02 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 03 | |
| | | ए.टी.एम. | अधिकतम | 01 | |
| | | प्रतीक्षा क्षेत्र | न्यूनतम | 05 | |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 03 | |
| | | लायब्रेरी | न्यूनतम | 02 | |
| | | प्राथमिक उपचार | अधिकतम | 02 | |
| | | स्टाफ क्वार्टर | अधिकतम | 05 | |

| अनु. क्र. | मुख्य उपयोग परिसर | मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ | गतिविधियाँ | निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत | रिमार्क |
|----------------------------------|--|---|---|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| सार्वजनिक सेवाएँ सुविधाएँ | | | | | |
| 170. | शासकीय अर्द्ध शासकीय अत्यावश्यक स्टाफ क्वार्टर | शासकीय अर्द्धशासकीय अत्यावश्यक स्टाफ क्वार्टर प्रशासकीय / सुरक्षा सुविधा दुकानें प्राथमिक उपचार मनोरंजन / सांस्कृतिक लायब्रेरी / जिम प्ले एरिया | न्यूनतम अधिकतम अधिकतम अधिकतम अधिकतम | 80 05 03 02 05 05 | |
| 171. | पोस्ट ऑफिस | पोस्ट ऑफिस प्रशासकीय / सुरक्षा केन्टीन स्टोर रेस्ट रूम प्रसाधन सुविधाएँ ए.टी.एम. प्रतीक्षा क्षेत्र सुविधा दुकानें स्टाफ क्वार्टर | न्यूनतम अधिकतम न्यूनतम न्यूनतम अधिकतम न्यूनतम अधिकतम न्यूनतम अधिकतम अधिकतम | 60 05 05 07 03 03 02 05 05 05 | |
| 172. | दूर संचार टावर / स्टेशन | दूर संचार टावर / स्टेशन प्रशासकीय / सुरक्षा केन्टीन स्टोर रेस्ट रूम प्रसाधन सुविधाएँ ए.टी.एम. प्रतीक्षा क्षेत्र सुविधा दुकानें लायब्रेरी | न्यूनतम अधिकतम न्यूनतम न्यूनतम अधिकतम न्यूनतम अधिकतम न्यूनतम अधिकतम न्यूनतम | 60 05 05 07 02 03 01 05 03 02 | |

| अनु. क्र. | मुख्य उपयोग परिसर | मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ | गतिविधियाँ | निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत | रिमार्क |
|-----------|-----------------------------|--|------------|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | प्राथमिक उपचार | अधिकतम | 02 | |
| | | स्टाफ क्वार्टर | अधिकतम | 05 | |
| 173. | जल शोधन संयंत्र | जल शोधन संयंत्र | न्यूनतम | 50 | |
| | | प्रशासकीय/सुरक्षा | अधिकतम | 05 | |
| | | केन्टीन | न्यूनतम | 05 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 05 | |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 02 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 03 | |
| | | ए.टी.एम. | अधिकतम | 01 | |
| | | प्रतीक्षा क्षेत्र | न्यूनतम | 02 | |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 03 | |
| | | लायब्रेरी | न्यूनतम | 02 | |
| | | प्ले एरिया | अधिकतम | 03 | |
| | | प्राथमिक उपचार | अधिकतम | 02 | |
| | | प्रदर्शनी | अधिकतम | 03 | |
| | | नर्सरी | अधिकतम | 01 | |
| | | संग्रहालय | अधिकतम | 02 | |
| | | मनोरंजन/सांस्कृतिक | अधिकतम | 03 | |
| | | वर्कशॉप | अधिकतम | 03 | |
| | | स्टाफ क्वार्टर | अधिकतम | 05 | |
| 174. | कम्बाईन्ट ट्रीटमेंट प्लान्ट | कम्बाईन्ट ट्रीटमेंट प्लान्ट | न्यूनतम | 55 | |
| | | प्रशासकीय/सुरक्षा | अधिकतम | 05 | |
| | | केन्टीन | न्यूनतम | 03 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 10 | |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 05 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 03 | |
| | | ए.टी.एम. | अधिकतम | 01 | |
| | | प्रतीक्षा क्षेत्र | न्यूनतम | 03 | |

| अनु. क्र. | मुख्य उपयोग परिसर | मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ | गतिविधियाँ | निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत | रिमार्क |
|-----------|--------------------------------|--|------------|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 03 | |
| | | लायब्रेरी | न्यूनतम | 04 | |
| | | प्राथमिक उपचार | अधिकतम | 02 | |
| | | स्टाफ क्वार्टर | अधिकतम | 04 | |
| | | जनरेटर | न्यूनतम | 02 | |
| 175. | वेस्ट वाटर शोधन/ उपचार संयंत्र | वेस्ट वाटर शोधन/ उपचार संयंत्र | न्यूनतम | 60 | |
| | | प्रशासकीय/ सुरक्षा केन्टीन | अधिकतम | 05 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 05 | |
| | | रेस्ट रूम | न्यूनतम | 07 | |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 04 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 02 | |
| | | ए.टी.एम. | अधिकतम | 01 | |
| | | प्रतीक्षा क्षेत्र | न्यूनतम | 02 | |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 03 | |
| | | लायब्रेरी | न्यूनतम | 02 | |
| | | प्राथमिक उपचार | अधिकतम | 02 | |
| | | स्टाफ क्वार्टर | अधिकतम | 05 | |
| | | जनरेटर | न्यूनतम | 02 | |
| 176. | दूर संचार केन्द्र | दूर संचार केन्द्र | न्यूनतम | 60 | |
| | | प्रशासकीय/ सुरक्षा केन्टीन | अधिकतम | 05 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 05 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 07 | |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 02 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | अधिकतम | 02 | |
| | | ए.टी.एम. | न्यूनतम | 03 | |
| | | प्रतीक्षा क्षेत्र | अधिकतम | 01 | |
| | | सुविधा दुकानें | न्यूनतम | 03 | |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 03 | |

| अनु. क्र. | मुख्य उपयोग परिसर | मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ | अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ | रिमार्क |
|-----------|-----------------------------------|--|---|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | लायब्रेरी | न्यूनतम | 02 |
| | | प्राथमिक उपचार | अधिकतम | 02 |
| | | स्टाफ क्वार्टर | अधिकतम | 05 |
| | | जनरेटर | न्यूनतम | 02 |
| 177. | ट्रांसमिशन टावर / वायर लेस स्टेशन | ट्रांसमिशन टावर / वायर लेस स्टेशन | न्यूनतम | 60 |
| | | प्रशासकीय / सुरक्षा | अधिकतम | 05 |
| | | केन्टीन | न्यूनतम | 05 |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 07 |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 02 |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 03 |
| | | ए.टी.एम. | अधिकतम | 01 |
| | | प्रतीक्षा क्षेत्र | न्यूनतम | 03 |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 03 |
| | | लायब्रेरी | न्यूनतम | 02 |
| | | प्राथमिक उपचार | अधिकतम | 02 |
| | | स्टाफ क्वार्टर | अधिकतम | 05 |
| | | जनरेटर | न्यूनतम | 02 |
| 178. | रेडियो स्टेशन | रेडियो स्टेशन | न्यूनतम | 60 |
| | | प्रशासकीय / सुरक्षा | अधिकतम | 05 |
| | | केन्टीन | न्यूनतम | 05 |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 07 |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 02 |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 03 |
| | | ए.टी.एम. | अधिकतम | 01 |
| | | प्रतीक्षा क्षेत्र | न्यूनतम | 03 |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 03 |

| अनु. क्र. | मुख्य उपयोग परिसर | मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ | गतिविधियाँ | निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत | रिमार्क |
|-----------|-------------------|--|------------|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | लायब्रेरी | न्यूनतम | 02 | |
| | | प्राथमिक उपचार | अधिकतम | 02 | |
| | | स्टाफ क्वार्टर | अधिकतम | 05 | |
| | | जनरेटर | न्यूनतम | 02 | |
| 179. | वैधशाला | वैधशाला | न्यूनतम | 60 | |
| | | प्रशासकीय / सुरक्षा | अधिकतम | 05 | |
| | | केन्टीन | न्यूनतम | 05 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 07 | |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 02 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 03 | |
| | | ए.टी.एम. | अधिकतम | 01 | |
| | | प्रतीक्षा क्षेत्र | न्यूनतम | 03 | |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 03 | |
| | | लायब्रेरी | न्यूनतम | 02 | |
| | | प्राथमिक उपचार | अधिकतम | 02 | |
| | | स्टाफ क्वार्टर | अधिकतम | 05 | |
| | | जनरेटर | न्यूनतम | 02 | |
| 180. | अग्निशमन केन्द्र | अग्निशमन केन्द्र | न्यूनतम | 60 | |
| | | प्रशासकीय / सुरक्षा | अधिकतम | 05 | |
| | | केन्टीन | न्यूनतम | 05 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 07 | |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 02 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 03 | |
| | | ए.टी.एम. | अधिकतम | 01 | |
| | | प्रतीक्षा क्षेत्र | न्यूनतम | 03 | |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 03 | |
| | | लायब्रेरी | न्यूनतम | 02 | |
| | | प्राथमिक उपचार | अधिकतम | 02 | |
| | | स्टाफ क्वार्टर | अधिकतम | 05 | |
| | | जनरेटर | न्यूनतम | 02 | |

| अनु. क्र. | मुख्य उपयोग परिसर | मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ | गतिविधियाँ | निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत | रिमार्क |
|-----------|-----------------------------|--|------------|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 181. | टेलीविजन स्टेशन | टेलीविजन स्टेशन | न्यूनतम | 60 | |
| | | प्रशासकीय / सुरक्षा | अधिकतम | 05 | |
| | | केन्टीन | न्यूनतम | 05 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 07 | |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 02 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 03 | |
| | | ए.टी.एम. | अधिकतम | 01 | |
| | | प्रतीक्षा क्षेत्र | न्यूनतम | 03 | |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 03 | |
| | | लायब्रेरी | न्यूनतम | 02 | |
| | | प्राथमिक उपचार | अधिकतम | 02 | |
| | | स्टाफ क्वार्टर | अधिकतम | 05 | |
| | | जनरेटर | न्यूनतम | 02 | |
| 182. | मौसम कार्यालय | मौसम कार्यालय | न्यूनतम | 60 | |
| | | प्रशासकीय / सुरक्षा | अधिकतम | 05 | |
| | | केन्टीन | न्यूनतम | 05 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 07 | |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 02 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 03 | |
| | | ए.टी.एम. | अधिकतम | 01 | |
| | | प्रतीक्षा क्षेत्र | न्यूनतम | 03 | |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 03 | |
| | | लायब्रेरी | न्यूनतम | 02 | |
| | | प्राथमिक उपचार | अधिकतम | 02 | |
| | | स्टाफ क्वार्टर | अधिकतम | 05 | |
| | | जनरेटर | न्यूनतम | 02 | |
| 183. | श्मशान / कब्रस्तान सिमीट्री | श्मशान / कब्रस्तान सिमीट्री | न्यूनतम | 60 | |
| | | प्रशासकीय / सुरक्षा | अधिकतम | 05 | |

| अनु. क्र. | मुख्य उपयोग परिसर | मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ | गतिविधियाँ | निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत | रिमार्क |
|-----------|-------------------|--|------------|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 10 | |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 05 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 05 | |
| | | प्रतीक्षा क्षेत्र | न्यूनतम | 05 | |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 03 | |
| | | प्राथमिक उपचार | अधिकतम | 02 | |
| | | स्टाफ क्वार्टर | अधिकतम | 05 | |
| 184. | दूर संचार टॉवर | दूर संचार टॉवर | न्यूनतम | 60 | |
| | | प्रशासकीय/सुरक्षा केन्टीन | अधिकतम | 05 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 05 | |
| | | रेस्ट रूम | न्यूनतम | 07 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | अधिकतम | 02 | |
| | | ए.टी.एम. | न्यूनतम | 03 | |
| | | प्रतीक्षा क्षेत्र | अधिकतम | 01 | |
| | | सुविधा दुकानें | न्यूनतम | 05 | |
| | | लायब्रेरी | अधिकतम | 03 | |
| | | प्राथमिक उपचार | न्यूनतम | 02 | |
| | | स्टाफ क्वार्टर | अधिकतम | 02 | |
| 185. | गौशाला | गौशाला | अधिकतम | 05 | |
| | | प्रशासकीय/सुरक्षा केन्टीन | न्यूनतम | 60 | |
| | | स्टोर | अधिकतम | 03 | |
| | | रेस्ट रूम | न्यूनतम | 04 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 10 | |
| | | ए.टी.एम. | अधिकतम | 02 | |
| | | प्रतीक्षा क्षेत्र | न्यूनतम | 03 | |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 01 | |
| | | लायब्रेरी | न्यूनतम | 05 | |
| | | | अधिकतम | 03 | |
| | | | न्यूनतम | 02 | |

| अनु. क्र. | मुख्य उपयोग परिसर | मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ | गतिविधियाँ | निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत | रिमार्क |
|-----------|------------------------|--|------------|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | प्राथमिक उपचार | अधिकतम | 02 | |
| | | स्टाफ क्वार्टर | अधिकतम | 05 | |
| 186. | उपग्रह ट्रेकिंग स्टेशन | उपग्रह ट्रेकिंग स्टेशन | न्यूनतम | 60 | |
| | | प्रशासकीय / सुरक्षा केन्टीन | अधिकतम | 05 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 05 | |
| | | रेस्ट रूम | न्यूनतम | 07 | |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 02 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 03 | |
| | | ए.टी.एम. | अधिकतम | 01 | |
| | | प्रतीक्षा क्षेत्र | न्यूनतम | 03 | |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 03 | |
| | | लायब्रेरी | अधिकतम | 03 | |
| | | लायब्रेरी | न्यूनतम | 02 | |
| | | प्राथमिक उपचार | अधिकतम | 02 | |
| | | स्टाफ क्वार्टर | अधिकतम | 05 | |
| | | जनरेटर | न्यूनतम | 02 | |
| 187. | दूरभाष केन्द्र | दूरभाष केन्द्र | न्यूनतम | 60 | |
| | | प्रशासकीय / सुरक्षा केन्टीन | अधिकतम | 05 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 05 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 07 | |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 02 | |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 02 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 03 | |
| | | ए.टी.एम. | अधिकतम | 01 | |
| | | प्रतीक्षा क्षेत्र | अधिकतम | 01 | |
| | | प्रतीक्षा क्षेत्र | न्यूनतम | 03 | |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 03 | |
| | | लायब्रेरी | अधिकतम | 03 | |
| | | लायब्रेरी | न्यूनतम | 02 | |
| | | प्राथमिक उपचार | अधिकतम | 02 | |
| | | स्टाफ क्वार्टर | अधिकतम | 05 | |
| | | जनरेटर | न्यूनतम | 02 | |
| 188. | विन्ड मिल्स / फार्म | विन्ड मिल्स / फार्म | न्यूनतम | 60 | |
| | | प्रशासकीय / सुरक्षा | अधिकतम | 05 | |

| अनु. क्र. | मुख्य उपयोग परिसर | मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ एवं उनका प्रतिशत गतिविधियाँ | निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत | रिमार्क |
|-----------|----------------------|--|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | केन्टीन | न्यूनतम | 05 |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 07 |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 02 |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 03 |
| | | ए.टी.एम. | अधिकतम | 01 |
| | | प्रतीक्षा क्षेत्र | न्यूनतम | 03 |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 03 |
| | | लायब्रेरी | न्यूनतम | 02 |
| | | प्राथमिक उपचार | अधिकतम | 02 |
| | | स्टाफ क्वार्टर | अधिकतम | 05 |
| | | जनरेटर | न्यूनतम | 02 |
| 189. | सार्वजनिक मूत्रालय | सार्वजनिक मूत्रालय | न्यूनतम | 90 |
| | | प्रतीक्षा क्षेत्र | अधिकतम | 05 |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 05 |
| 190. | विद्युत शवदाह गृह | श्मशान/कब्रस्तान | न्यूनतम | 60 |
| | | सिमिटी | | |
| | | प्रशासकीय/सुरक्षा | अधिकतम | 05 |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 10 |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 05 |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 03 |
| | | प्रतीक्षा क्षेत्र | न्यूनतम | 05 |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 03 |
| | | प्राथमिक उपचार | अधिकतम | 02 |
| | | स्टाफ क्वार्टर | अधिकतम | 05 |
| | | जनरेटर | न्यूनतम | 02 |
| 191. | ओवर हेड पानी की टंकी | ओवर हेड पानी की टंकी | न्यूनतम | 60 |
| | | प्रशासकीय/सुरक्षा | अधिकतम | 05 |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 10 |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 05 |

| अनु. क्र. | मुख्य उपयोग परिसर | मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ | गतिविधियाँ | निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत | रिमार्क |
|-----------|---------------------|--|------------|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 03 | |
| | | प्रतीक्षा क्षेत्र | न्यूनतम | 05 | |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 03 | |
| | | प्राथमिक उपचार | अधिकतम | 02 | |
| | | स्टाफ क्वार्टर | अधिकतम | 05 | |
| | | जनरेटर | न्यूनतम | 02 | |
| 192. | भूमिगत पानी की टंकी | भूमिगत पानी की टंकी | न्यूनतम | 60 | |
| | | प्रशासकीय / सुरक्षा | अधिकतम | 05 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 10 | |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 05 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 03 | |
| | | प्रतीक्षा क्षेत्र | न्यूनतम | 05 | |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 03 | |
| | | प्राथमिक उपचार | अधिकतम | 02 | |
| | | स्टाफ क्वार्टर | अधिकतम | 05 | |
| | | जनरेटर | न्यूनतम | 02 | |
| 193. | आक्सीडेशन पौंड | आक्सीडेशन पौंड | न्यूनतम | 60 | |
| | | प्रशासकीय / सुरक्षा | अधिकतम | 05 | |
| | | केन्टीन | न्यूनतम | 05 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 07 | |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 02 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 03 | |
| | | ए.टी.एम. | अधिकतम | 01 | |
| | | प्रतीक्षा क्षेत्र | न्यूनतम | 03 | |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 03 | |
| | | लायब्रेरी | न्यूनतम | 02 | |
| | | प्राथमिक उपचार | अधिकतम | 02 | |
| | | स्टाफ क्वार्टर | अधिकतम | 05 | |
| | | जनरेटर | न्यूनतम | 02 | |

| अनु. क्र. | मुख्य उपयोग परिसर | मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ | गतिविधियाँ | निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत | रिमार्क |
|--------------------------|-------------------|--|---|--|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 194. | सेप्टिक टैंक | सेप्टिक टैंक | न्यूनतम | 100 | |
| 195. | सार्वजनिक शौचालय | सार्वजनिक शौचालय प्रतीक्षा क्षेत्र स्टोर | न्यूनतम अधिकतम न्यूनतम | 90 05 05 | |
| 196. | घूरा एवं कचराघर | घूरा एवं कचराघर प्रशासकीय / सुरक्षा केन्टीन स्टोर रेस्ट रूम प्रसाधन सुविधाएँ प्रतीक्षा क्षेत्र सुविधा दुकानें प्राथमिक उपचार स्टाफ क्वार्टर जनरेटर | न्यूनतम अधिकतम अधिकतम न्यूनतम अधिकतम न्यूनतम न्यूनतम अधिकतम अधिकतम अधिकतम न्यूनतम | 60 05 05 09 02 03 03 03 03 05 02 | |
| 197. | धोबी घाट | धोबी घाट प्रशासकीय / सुरक्षा केन्टीन स्टोर रेस्ट रूम प्रसाधन सुविधाएँ प्रतीक्षा क्षेत्र सुविधा दुकानें प्राथमिक उपचार स्टाफ क्वार्टर | न्यूनतम अधिकतम अधिकतम न्यूनतम अधिकतम न्यूनतम न्यूनतम अधिकतम अधिकतम अधिकतम | 60 05 05 10 03 03 03 03 03 05 | |
| औद्योगिक सुविधाएँ | | | | | |
| 198. | एग्रो स्तर उद्योग | एग्रो स्तर उद्योग प्रशासकीय / सुरक्षा केन्टीन | न्यूनतम अधिकतम अधिकतम | 60 05 05 | |

| अनु. क्र. | मुख्य उपयोग परिसर | मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ | गतिविधियाँ | निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत | रिमार्क |
|-----------|---------------------------|--|-------------------------|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 09 | |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 02 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 03 | |
| | | प्रतीक्षा क्षेत्र | न्यूनतम | 03 | |
| | | सुविधा दुकानें/ए.टी.एम. | अधिकतम | 03 | |
| | | प्राथमिक उपचार | अधिकतम | 03 | |
| | | स्टाफ क्वार्टर | अधिकतम | 05 | |
| | | जनरेटर | न्यूनतम | 02 | |
| 199. | डेयरी प्लांट | डेयरी प्लांट | न्यूनतम | 60 | |
| | | प्रशासकीय/सुरक्षा | अधिकतम | 05 | |
| | | केन्टीन | अधिकतम | 05 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 09 | |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 02 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 03 | |
| | | प्रतीक्षा क्षेत्र | न्यूनतम | 03 | |
| | | सुविधा दुकानें/ए.टी.एम. | अधिकतम | 03 | |
| | | प्राथमिक उपचार | अधिकतम | 03 | |
| | | स्टाफ क्वार्टर | अधिकतम | 05 | |
| | | जनरेटर | न्यूनतम | 02 | |
| 200. | औद्योगिक भूखण्डीय विकास | औद्योगिक भूखण्डीय विकास | म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार | | |
| 201. | सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग | सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग | न्यूनतम | 60 | |
| | | प्रशासकीय/सुरक्षा | अधिकतम | 05 | |
| | | केन्टीन/रेस्टोरेंट | अधिकतम | 05 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 07 | |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 02 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 03 | |
| | | प्रतीक्षा क्षेत्र | न्यूनतम | 03 | |
| | | सुविधा दुकानें, बैंक/ए.टी.एम. | अधिकतम | 03 | |

| अनु. क्र. | मुख्य उपयोग परिसर | मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ | गतिविधियाँ | निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत | रिमार्क |
|-----------|---|---|------------|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | प्राथमिक उपचार | अधिकतम | 03 | |
| | | स्टाफ क्वार्टर | अधिकतम | 05 | |
| | | जनरेटर | न्यूनतम | 02 | |
| | | जिम, हेल्थ क्लब | न्यूनतम | 02 | |
| 202. | स्लाटर हाउस | स्लाटर हाउस | न्यूनतम | 60 | |
| | | प्रशासकीय / सुरक्षा | अधिकतम | 05 | |
| | | केन्टीन | अधिकतम | 05 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 09 | |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 02 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 03 | |
| | | प्रतीक्षा क्षेत्र | न्यूनतम | 03 | |
| | | सुविधा दुकानें / ए.टी.एम. | अधिकतम | 03 | |
| | | प्राथमिक उपचार | अधिकतम | 03 | |
| | | स्टाफ क्वार्टर | अधिकतम | 05 | |
| | | जनरेटर | न्यूनतम | 02 | |
| 203. | फेलेटेड फैक्ट्री | फेलेटेड फैक्ट्री | न्यूनतम | 60 | |
| | | प्रशासकीय / सुरक्षा | अधिकतम | 05 | |
| | | केन्टीन | अधिकतम | 05 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 09 | |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 02 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 03 | |
| | | प्रतीक्षा क्षेत्र | न्यूनतम | 03 | |
| | | सुविधा दुकानें / ए.टी.एम. | अधिकतम | 03 | |
| | | प्राथमिक उपचार | अधिकतम | 03 | |
| | | स्टाफ क्वार्टर | अधिकतम | 05 | |
| | | जनरेटर | न्यूनतम | 02 | |
| 204. | एक्सटेंसिव / विशिष्ट एक्सटेंसिव / उद्योग | एक्सट्रेटिव / विशिष्ट एक्सटेंसिव उद्योग प्रशासकीय / सुरक्षा | न्यूनतम | 60 | |
| | | | अधिकतम | 05 | |

| अनु. क्र. | मुख्य उपयोग परिसर | मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ | गतिविधियाँ | निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत | रिमार्क |
|-----------|---------------------------|--|------------|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | केन्टीन | अधिकतम | 05 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 09 | |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 02 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 03 | |
| | | प्रतीक्षा क्षेत्र | न्यूनतम | 03 | |
| | | सुविधा दुकानें/ए.टी.एम. | अधिकतम | 03 | |
| | | प्राथमिक उपचार | अधिकतम | 03 | |
| | | स्टाफ क्वार्टर | अधिकतम | 05 | |
| | | जनरेटर | न्यूनतम | 02 | |
| 205. | सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग | सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग | न्यूनतम | 60 | |
| | | प्रशासकीय/सुरक्षा | अधिकतम | 05 | |
| | | केन्टीन/रेस्टोरेंट | अधिकतम | 05 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 07 | |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 02 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 03 | |
| | | प्रतीक्षा क्षेत्र | न्यूनतम | 03 | |
| | | सुविधा दुकानें, बैंक/ए.टी.एम. | अधिकतम | 03 | |
| | | प्राथमिक उपचार | अधिकतम | 03 | |
| | | स्टाफ क्वार्टर | अधिकतम | 05 | |
| | | जनरेटर | न्यूनतम | 02 | |
| | | जिम, हेल्थ क्लब | न्यूनतम | 02 | |
| 206. | फूड पार्क | फूड पार्क | न्यूनतम | 60 | |
| | | प्रशासकीय/सुरक्षा | अधिकतम | 05 | |
| | | केन्टीन/रेस्टोरेंट | अधिकतम | 05 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 05 | |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 02 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 03 | |
| | | प्रतीक्षा क्षेत्र | न्यूनतम | 03 | |
| | | सुविधा दुकानें, बैंक/ए.टी.एम. | अधिकतम | 03 | |
| | | प्राथमिक उपचार | अधिकतम | 02 | |

| अनु. क्र. | मुख्य उपयोग परिसर | मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ | गतिविधियाँ | निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत | रिमार्क |
|-----------|-------------------|--|------------|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | स्टाफ क्वार्टर | अधिकतम | 05 | |
| | | जनरेटर | न्यूनतम | 01 | |
| | | जिम, हेल्थ क्लब | न्यूनतम | 02 | |
| | | होटल, गेस्ट हाउस | न्यूनतम | 03 | |
| | | टेस्टिंग लेब, रिसर्च लेब | न्यूनतम | 02 | |
| 207. | सॉफ्टवेयर पार्क | सॉफ्टवेयर पार्क | न्यूनतम | 55 | |
| | | प्रशासकीय / सुरक्षा | अधिकतम | 03 | |
| | | केन्टीन / रेस्टोरेंट | अधिकतम | 03 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 05 | |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 02 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 02 | |
| | | प्रतीक्षा क्षेत्र | न्यूनतम | 02 | |
| | | सुविधा दुकानें, बैंक / ए.टी.एम. | अधिकतम | 03 | |
| | | प्राथमिक उपचार | अधिकतम | 01 | |
| | | स्टाफ क्वार्टर | अधिकतम | 04 | |
| | | जनरेटर | न्यूनतम | 01 | |
| | | जिम, हेल्थ क्लब | न्यूनतम | 02 | |
| | | होटल, गेस्ट हाउस | न्यूनतम | 03 | |
| | | टेस्टिंग लेब, रिसर्च लेब | न्यूनतम | 02 | |
| | | मॉल / मल्टीप्लेक्स / सुपर मार्केट | न्यूनतम | 05 | |
| | | क्लब / स्वीमिंग पुल | अधिकतम | 02 | |
| | | आवासीय फ्लैट्स | अधिकतम | 05 | |
| 208. | दुग्ध केन्द्र | फूड पार्क | न्यूनतम | 60 | |
| | | प्रशासकीय / सुरक्षा | अधिकतम | 05 | |
| | | केन्टीन / रेस्टोरेंट | अधिकतम | 05 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 09 | |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 02 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 03 | |
| | | प्रतीक्षा क्षेत्र | न्यूनतम | 03 | |

| अनु. क्र. | मुख्य उपयोग परिसर | मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ | गतिविधियाँ | निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत | रिमार्क |
|-------------------------|-------------------|--|------------|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | सुविधा दुकानें, बैंक / ए.टी.एम. | अधिकतम | 03 | |
| | | प्राथमिक उपचार | अधिकतम | 03 | |
| | | स्टाफ क्वार्टर | अधिकतम | 05 | |
| | | जनरेटर | न्यूनतम | 02 | |
| यातायात सुविधाएँ | | | | | |
| 209. | बस स्टैण्ड | बस स्टैण्ड | न्यूनतम | 50 | |
| | | प्रशासकीय / सुरक्षा / पुलिस चौकी | अधिकतम | 05 | |
| | | केन्टीन / रेस्टोरेंट / केफेटेरिया | अधिकतम | 05 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 05 | |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 02 | |
| | | फायर फाईटिंग | न्यूनतम | 05 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएं / सुलभ कॉम्प्लेक्स | न्यूनतम | 03 | |
| | | बैंक / ए.टी.एम. | अधिकतम | 02 | |
| | | पोस्ट ऑफिस | अधिकतम | 02 | |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 04 | |
| | | प्रतीक्षालय | न्यूनतम | 03 | |
| | | वाहन मरम्मत / वर्कशॉप | न्यूनतम | 03 | |
| | | लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएँ / | न्यूनतम | 03 | |
| | | होटल / गेस्ट हाउस | | | |
| | | वेविंग ब्रिज / पार्सल | न्यूनतम | 02 | |
| | | क्लॉक रूम / टिकट काउण्टर | न्यूनतम | 01 | |
| | | इन्टरनेट केफे, ए.टी.डी., पी.सी.ओ. | न्यूनतम | 01 | |
| | | ट्रेवल कम्पनी / एजेन्ट ऑफिसेस | न्यूनतम | 02 | |
| 210. | बस टर्मिनल | बस टर्मिनल | न्यूनतम | 55 | |
| | | प्रशासकीय / सुरक्षा / पुलिस चौकी | अधिकतम | 05 | |
| | | केन्टीन / रेस्टोरेंट / केफेटेरिया | अधिकतम | 05 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 04 | |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 02 | |
| | | फायर फाईटिंग | न्यूनतम | 02 | |

| अनु. क्र. | मुख्य उपयोग परिसर | मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ | गतिविधियाँ | निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत | रिमार्क |
|-----------|-------------------|--|------------|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ/सुलभ कॉम्प्लेक्स | न्यूनतम | 03 | |
| | | बैंक/ए.टी.एम. | अधिकतम | 02 | |
| | | पोस्ट ऑफिस | अधिकतम | 02 | |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 04 | |
| | | प्रतीक्षालय | न्यूनतम | 03 | |
| | | वाहन मरम्मत/वर्कशॉप | न्यूनतम | 02 | |
| | | लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएँ/ | न्यूनतम | 03 | |
| | | होटल/गेस्ट हाउस | | | |
| | | वेविंग ब्रिज/पार्सल | न्यूनतम | 02 | |
| | | क्लॉक रूम/टिकट काउण्टर | न्यूनतम | 02 | |
| | | इन्टरनेट केफे, ए.टी.डी., पी.सी.ओ. | न्यूनतम | 02 | |
| | | ट्रेवल कम्पनी/एजेन्ट ऑफिसेस | न्यूनतम | 02 | |
| 211. | पिकअप स्टेशन | पिकअप स्टेशन | न्यूनतम | 75 | |
| | | प्रशासकीय/सुरक्षा/पुलिस चौकी | अधिकतम | 03 | |
| | | केन्टीन | अधिकतम | 05 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 05 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 03 | |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 03 | |
| | | प्रतीक्षालय | न्यूनतम | 03 | |
| | | क्लॉक रूम/टिकट काउण्टर | न्यूनतम | 03 | |
| 212. | बस स्टॉप | बस स्टॉप/प्रतीक्षालय | न्यूनतम | 80 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 10 | |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 10 | |
| 213. | यातायात नगर | गोदाम, ट्रांसपोर्ट संबंधी दुकानें | न्यूनतम | 50 | |
| | | प्रशासकीय/सुरक्षा/पुलिस चौकी | अधिकतम | 03 | |
| | | केन्टीन/रेस्टोरेंट/केपेटेरिया/ढाबा | अधिकतम | 05 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 05 | |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 02 | |
| | | फायर फाईटिंग | न्यूनतम | 03 | |

| अनु. क्र. | मुख्य उपयोग परिसर | मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ | गतिविधियाँ | निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत | रिमार्क |
|-----------|-------------------|--|------------|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएं/सुलभ कॉम्प्लेक्स | न्यूनतम | 03 | |
| | | बैंक/ए.टी.एम. | अधिकतम | 02 | |
| | | पोस्ट ऑफिस | अधिकतम | 01 | |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 04 | |
| | | प्रतीक्षालय | न्यूनतम | 03 | |
| | | वाहन मरम्मत/वर्कशॉप | न्यूनतम | 05 | |
| | | लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएँ/ | न्यूनतम | 03 | |
| | | होटल/गेस्ट हाउस | | | |
| | | वेविंग ब्रिज/पार्सल | न्यूनतम | 02 | |
| | | क्लॉक रूम | न्यूनतम | 01 | |
| | | इन्टरनेट केफे, ए.टी.डी., पी.सी.ओ. | न्यूनतम | 01 | |
| | | ट्रेवल कम्पनी/एजेन्ट ऑफिसेस | न्यूनतम | 02 | |
| | | ट्रांसपोर्ट संबंधी शोरूम | अधिकतम | 05 | |
| 214. | मैकेनिक नगर | ट्रांसपोर्ट वाहन सुधार संबंधी दुकानें/वर्कशॉप | न्यूनतम | 55 | |
| | | प्रशासकीय/सुरक्षा/पुलिस चौकी | अधिकतम | 05 | |
| | | केन्टीन/रेस्टोरेंट/केफेटेरिया/ढाबा | अधिकतम | 03 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 05 | |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 02 | |
| | | फायर फाईटिंग | न्यूनतम | 03 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएं/सुलभ कॉम्प्लेक्स | न्यूनतम | 02 | |
| | | बैंक/ए.टी.एम. | अधिकतम | 02 | |
| | | पोस्ट ऑफिस | अधिकतम | 02 | |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 04 | |
| | | प्रतीक्षालय | न्यूनतम | 03 | |
| | | लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएँ/ | न्यूनतम | 03 | |
| | | होटल/गेस्ट हाउस | | | |
| | | वेविंग ब्रिज/पार्सल | न्यूनतम | 02 | |
| | | क्लॉक रूम | न्यूनतम | 01 | |

| अनु. क्र. | मुख्य उपयोग परिसर | मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ | गतिविधियाँ | निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत | रिमार्क |
|-----------|--------------------------------|--|------------|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | इन्टरनेट केफे, ए.टी.डी., पी.सी.ओ. | न्यूनतम | 01 | |
| | | ट्रेवल कम्पनी/एजेन्ट ऑफिसेस | न्यूनतम | 02 | |
| | | ट्रांसपोर्ट संबंधी शोरूम | अधिकतम | 05 | |
| 215. | ऑटो स्टैण्ड/ टैक्सी स्टैण्ड | ऑटो स्टैण्ड/टैक्सी स्टैण्ड | न्यूनतम | 55 | |
| | | प्रशासकीय/सुरक्षा/पुलिस चौकी | अधिकतम | 05 | |
| | | केन्टीन | अधिकतम | 05 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 05 | |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 05 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 05 | |
| | | ए.टी.एम. | अधिकतम | 05 | |
| | | वाहन मरम्मत संबंधी दुकानें/वर्कशॉप | न्यूनतम | 15 | |
| 216. | मल्टी लेवल पार्किंग | मल्टी लेवल पार्किंग | न्यूनतम | 70 | |
| | | प्रशासकीय/सुरक्षा/पुलिस चौकी | अधिकतम | 03 | |
| | | केन्टीन | अधिकतम | 05 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 05 | |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 05 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएं | न्यूनतम | 03 | |
| | | ए.टी.एम. | अधिकतम | 03 | |
| | | वाहन मरम्मत संबंधी दुकानें/सुविधा दुकानें | अधिकतम | 06 | |
| 217. | बस डिपो/ कर्मशाला | बस डिपो/कर्मशाला | न्यूनतम | 50 | |
| | | प्रशासकीय/सुरक्षा/पुलिस चौकी | अधिकतम | 05 | |
| | | केन्टीन/रेस्टोरेंट/केफेटेरिया | अधिकतम | 05 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 05 | |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 02 | |
| | | फायर फाईटिंग | न्यूनतम | 05 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएं/सुलभ कॉम्प्लेक्स | न्यूनतम | 03 | |
| | | बैंक/ए.टी.एम. | अधिकतम | 02 | |

| अनु. क्र. | मुख्य उपयोग परिसर | मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ एवं उनका प्रतिशत गतिविधियाँ | निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत | रिमार्क |
|-----------|-------------------|--|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | पोस्ट ऑफिस | अधिकतम | 02 |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 04 |
| | | प्रतीक्षालय | न्यूनतम | 03 |
| | | वाहन मरम्मत/वर्कशॉप | न्यूनतम | 05 |
| | | लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएँ/ | न्यूनतम | 03 |
| | | होटल/गेस्ट हाउस | | |
| | | वेविंग ब्रिज/पार्सल | न्यूनतम | 02 |
| | | क्लॉक रूम/टिकट काउण्टर | न्यूनतम | 01 |
| | | इन्टरनेट केफे, ए.टी.डी., पी.सी.ओ. | न्यूनतम | 01 |
| | | ट्रेवल कम्पनी/एजेन्ट ऑफिसेस | न्यूनतम | 02 |
| 218. | कार्गो | गोदाम/ट्रांसपोर्ट संबंधी दुकानें एवं कार्यालय | न्यूनतम | 50 |
| | | प्रशासकीय/सुरक्षा/पुलिस चौकी | अधिकतम | 04 |
| | | केन्टीन/रेस्टोरेंट/केफेटेरिया/ढाबा | अधिकतम | 04 |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 04 |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 02 |
| | | फायर फाईटिंग | न्यूनतम | 04 |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ/सुलभ कॉम्प्लेक्स | न्यूनतम | 03 |
| | | बैंक/ए.टी.एम. | अधिकतम | 02 |
| | | पोस्ट ऑफिस | अधिकतम | 02 |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 04 |
| | | प्रतीक्षालय | न्यूनतम | 03 |
| | | वाहन मरम्मत/वर्कशॉप | न्यूनतम | 04 |
| | | लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएँ/ | न्यूनतम | 03 |
| | | होटल/गेस्ट हाउस | | |
| | | वेविंग ब्रिज/पार्सल | न्यूनतम | 02 |
| | | क्लॉक रूम | न्यूनतम | 01 |

| अनु. क्र. | मुख्य उपयोग परिसर | मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ एवं उनका प्रतिशत गतिविधियाँ | निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत | रिमार्क |
|-----------|-------------------|--|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | इन्टरनेट केफे, एस.टी.डी., पी.सी.ओ. | न्यूनतम | 01 |
| | | ट्रेवल कम्पनी/एजेन्ट ऑफिस | न्यूनतम | 02 |
| | | कम्पनी शोरूम | अधिकतम | 05 |
| 219. | पार्किंग | पार्किंग | न्यूनतम | 65 |
| | | प्रशासकीय/सुरक्षा/पुलिस चौकी | अधिकतम | 05 |
| | | केन्टीन/रेस्टोरेंट | अधिकतम | 05 |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 02 |
| | | रेस्ट रूम | न्यूनतम | 03 |
| | | फायर फाईटिंग | न्यूनतम | 05 |
| | | प्रसाधन सुविधाएं/सुलभ काम्प्लेक्स | न्यूनतम | 03 |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 05 |
| | | वाहन मरम्मत | न्यूनतम | 05 |
| | | क्लॉक रूम | अधिकतम | 02 |
| 220. | कन्टेनर डिपो | कन्टेनर डिपो/गोदाम/ट्रांसपोर्ट संबंधी कार्यालय | न्यूनतम | 50 |
| | | प्रशासकीय/सुरक्षा/पुलिस चौकी | अधिकतम | 04 |
| | | केन्टीन/रेस्टोरेंट/केफेटेरिया/ढाबा | अधिकतम | 04 |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 04 |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 02 |
| | | फायर फाईटिंग | न्यूनतम | 04 |
| | | प्रसाधन सुविधाएं/सुलभ कॉम्प्लेक्स | न्यूनतम | 03 |
| | | बैंक/ए.टी.एम. | अधिकतम | 02 |
| | | पोस्ट ऑफिस | अधिकतम | 02 |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 04 |
| | | प्रतीक्षालय | न्यूनतम | 03 |
| | | वाहन मरम्मत/वर्कशॉप | न्यूनतम | 04 |
| | | लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएँ/ | न्यूनतम | 03 |

| अनु. क्र. | मुख्य उपयोग परिसर | मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ | गतिविधियाँ | निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत | रिमार्क |
|-----------------------------------|----------------------------|--|---|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 222. | एयरपोर्ट / विमान तल | एयर पोर्ट / विमान तल | विमान तल प्राधिकरण के मापदण्डों के अनुसार | | |
| 223. | मेट्रो रेल / मेट्रो स्टेशन | मेट्रो रेल / मेट्रो स्टेशन | मेट्रो रेल प्राधिकारी के मापदण्डों अनुसार | | |
| 224. | धर्म कांटा / वेविंग ब्रिज | धर्म कांटा / वेविंग ब्रिज प्रशासकीय रेस्ट रूम स्टोर प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम अधिकतम अधिकतम न्यूनतम न्यूनतम | 75 05 10 05 05 | |
| ग्रामीण क्षेत्र गतिविधियाँ | | | | | |
| 225. | मुर्गी पालन केन्द्र | मुर्गी पालन केन्द्र प्रशासकीय रेस्ट रूम स्टोर प्रसाधन सुविधाएँ स्टॉफ क्वार्टर प्लाण्ट मशीनरी | न्यूनतम अधिकतम न्यूनतम न्यूनतम न्यूनतम न्यूनतम अधिकतम | 65 05 05 10 05 05 05 | |
| 226. | फार्म हाउस | फार्म हाउस | म.प्र.भू.वि.नि अनुसार | | |
| 227. | डेयरी | डेयरी प्रशासकीय रेस्ट रूम स्टोर प्रसाधन सुविधाएँ प्लाण्ट मशीनरी | न्यूनतम अधिकतम न्यूनतम न्यूनतम न्यूनतम अधिकतम | 60 05 05 10 05 04 | |

| अनु. क्र. | मुख्य उपयोग परिसर | मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ | गतिविधियाँ | निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत | रिमार्क |
|-----------|-------------------|--|------------|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | जनरेटर | न्यूनतम | 02 | |
| | | स्टॉफ क्वार्टर | न्यूनतम | 05 | |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 04 | |
| 228. | पशु पालन केन्द्र | पशु पालन/डेयरी प्रशासकीय | न्यूनतम | 60 | |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 05 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 05 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 10 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 05 | |
| | | प्लाण्ट मशीनरी | अधिकतम | 04 | |
| | | जनरेटर | न्यूनतम | 02 | |
| | | स्टॉफ क्वार्टर | न्यूनतम | 05 | |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 04 | |
| 229. | पशु शोध केन्द्र | पशु शोध केन्द्र | न्यूनतम | 50 | |
| | | पशु पालन/डेयरी प्रशासकीय | न्यूनतम | 10 | |
| | | रेस्ट रूम | अधिकतम | 05 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 05 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 10 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 05 | |
| | | प्लाण्ट मशीनरी | अधिकतम | 04 | |
| | | जनरेटर | न्यूनतम | 02 | |
| | | स्टॉफ क्वार्टर | न्यूनतम | 05 | |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 04 | |
| 230. | ग्रामीण केन्द्र | ग्रामीण विकास केन्द्र | न्यूनतम | 60 | |
| | | प्रशासकीय | अधिकतम | 05 | |
| | | रेस्ट रूम | न्यूनतम | 05 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 10 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 05 | |

| अनु. क्र. | मुख्य उपयोग परिसर | मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ | गतिविधियाँ | निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत | रिमार्क |
|-----------|-------------------|--|------------|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | प्लाण्ट मशीनरी | अधिकतम | 04 | |
| | | जनरेटर | न्यूनतम | 02 | |
| | | स्टॉफ क्वार्टर | न्यूनतम | 05 | |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 04 | |
| 231. | अनाज गोदाम | अनाज गोदाम | न्यूनतम | 55 | |
| | | प्रशासकीय | अधिकतम | 05 | |
| | | रेस्ट रूम | न्यूनतम | 05 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 10 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 05 | |
| | | प्लाण्ट मशीनरी | अधिकतम | 04 | |
| | | जनरेटर | न्यूनतम | 02 | |
| | | स्टॉफ क्वार्टर | न्यूनतम | 05 | |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 04 | |
| | | प्रशासकीय | अधिकतम | 05 | |
| 232. | भवन सामग्री बोर्ड | भवन सामग्री बोर्ड | न्यूनतम | 60 | |
| | | प्रशासकीय | अधिकतम | 05 | |
| | | रेस्ट रूम | न्यूनतम | 05 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 10 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 05 | |
| | | प्लाण्ट मशीनरी | अधिकतम | 04 | |
| | | जनरेटर | न्यूनतम | 02 | |
| | | स्टॉफ क्वार्टर | न्यूनतम | 05 | |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 04 | |
| 233. | मेरिज गार्डन | मेरिज गार्डन | न्यूनतम | 55 | |
| | | प्रशासकीय | अधिकतम | 05 | |
| | | रेस्ट रूम | न्यूनतम | 06 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 06 | |
| | | ए.टी.एम. | अधिकतम | 03 | |

| अनु. क्र. | मुख्य उपयोग परिसर | मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ | गतिविधियाँ | निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत | रिमार्क |
|-----------|-----------------------------|--|------------|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 04 | |
| | | प्लाण्ट मशीनरी | अधिकतम | 04 | |
| | | जनरेटर | न्यूनतम | 02 | |
| | | स्टॉफ क्वार्टर | न्यूनतम | 05 | |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 05 | |
| | | गेस्ट रूम | अधिकतम | 05 | |
| 234. | ग्रामीण प्रशिक्षण केन्द्र | ग्रामीण प्रशिक्षण केन्द्र | न्यूनतम | 70 | |
| | | प्रशासकीय | अधिकतम | 05 | |
| | | रेस्ट रूम | न्यूनतम | 05 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 05 | |
| | | ए.टी.एम. | अधिकतम | 02 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 05 | |
| | | स्टॉफ क्वार्टर | न्यूनतम | 05 | |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 03 | |
| 235. | कृषक परामर्श/सहायता केन्द्र | कृषक परामर्श/सहायता केन्द्र | न्यूनतम | 70 | |
| | | प्रशासकीय | अधिकतम | 05 | |
| | | रेस्ट रूम | न्यूनतम | 05 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 05 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 05 | |
| | | स्टॉफ क्वार्टर | न्यूनतम | 05 | |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 05 | |
| 236. | आंगनवाड़ी | आंगनवाड़ी | न्यूनतम | 70 | |
| | | प्रशासकीय | अधिकतम | 05 | |
| | | रेस्ट रूम | न्यूनतम | 05 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 05 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 05 | |
| | | स्टॉफ क्वार्टर | न्यूनतम | 05 | |

| अनु. क्र. | मुख्य उपयोग परिसर | मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ | गतिविधियाँ | निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत | रिमार्क |
|-----------|---------------------|--|------------|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 05 | |
| 237. | औषधालय | औषधालय | न्यूनतम | 70 | |
| | | प्रशासकीय | अधिकतम | 05 | |
| | | रेस्ट रूम | न्यूनतम | 05 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 05 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 05 | |
| | | स्टॉफ क्वार्टर | न्यूनतम | 05 | |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 05 | |
| 238. | कृषि उपकरण कर्मशाला | कृषि उपकरण कर्मशाला | न्यूनतम | 70 | |
| | | प्रशासकीय | अधिकतम | 05 | |
| | | रेस्ट रूम | न्यूनतम | 03 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 05 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 05 | |
| | | स्टॉफ क्वार्टर | न्यूनतम | 05 | |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 05 | |
| | | ए.टी.एम. | अधिकतम | 02 | |
| 239. | चौपाल | चौपाल | न्यूनतम | 70 | |
| | | प्रशासकीय | अधिकतम | 05 | |
| | | रेस्ट रूम | न्यूनतम | 05 | |
| | | स्टोर | न्यूनतम | 05 | |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 05 | |
| | | ए.टी.एम. | अधिकतम | 02 | |
| | | स्टॉफ क्वार्टर | न्यूनतम | 05 | |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 03 | |
| 240. | उत्सव स्थल | उत्सव स्थल | न्यूनतम | 55 | |
| | | प्रशासकीय / सुरक्षा | अधिकतम | 02 | |
| | | केन्टीन / रेस्टोरेंट / केफेटेरिया | न्यूनतम | 03 | |

| अनु. क्र. | मुख्य उपयोग परिसर | मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियाँ एवं उनका प्रतिशत गतिविधियाँ | निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत | रिमार्क |
|-----------|-------------------|--|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | स्टोर | अधिकतम | 05 |
| | | रेस्ट रूम | न्यूनतम | 03 |
| | | प्रसाधन सुविधाएँ | न्यूनतम | 02 |
| | | ए.टी.एम. | अधिकतम | 01 |
| | | प्रतीक्षा कक्ष | न्यूनतम | 01 |
| | | सुविधा दुकानें | अधिकतम | 05 |
| | | लायब्रेरी | न्यूनतम | 01 |
| | | प्ले एरिया | अधिकतम | 05 |
| | | प्राथमिक उपचार | अधिकतम | 01 |
| | | मीडिया रूम | अधिकतम | 01 |
| | | ओपन एयर थियटर | अधिकतम | 05 |
| | | प्रदर्शनी | अधिकतम | 05 |
| | | मनोरंजन/सांस्कृतिक | अधिकतम | 05 |

नोट :- 1. न्यूनतम श्रेणी की गतिविधियाँ अनिवार्य स्वरूप की हैं तथा अधिकतम श्रेणी की गतिविधियाँ ऐच्छिक स्वरूप की हैं।

2. ऐच्छिक स्वरूप की गतिविधियों के प्रतिशत में, प्रोजेक्ट/परियोजना की आवश्यकता अनुरूप, सक्षम अधिकारी परिवर्तन कर सकेगा।

4.14 वर्तमान विकसित क्षेत्र हेतु विकास नियमन

भवन की ऊंचाई, अहाते की दीवार की ऊंचाई एवं पार्किंग संबंधी मापदण्ड नये क्षेत्रों के अनुरूप ही रहेंगे।

(अ) वर्तमान आवासीय क्षेत्र

वर्तमान आवासीय क्षेत्रों में विकास निम्न मापदण्डों से नियंत्रित होगा।

सिंगरौली : आवासीय विकास हेतु भू-खण्ड का आकार एवं निर्मित क्षेत्र

4-सा-10

| भूखण्ड का क्षेत्र | आच्छादित क्षेत्र % | फर्शी क्षेत्रनुपात |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 90 वर्गमीटर से कम | 75% | 1.50 |
| 90 से 180 वर्गमीटर तक | 66% | 1.25 |
| 180 वर्गमीटर से अधिक | 60% | 1.25 |

टीप :- मार्ग की चौड़ाई 9.00 वर्गमीटर से अधिक होने की दशा में 180 वर्गमीटर से अधिक वाले भूखण्डों के लिये फर्शी क्षेत्रानुपात 1.50 तक अनुज्ञेय होगा।

(ब) आवासीय विकसित कॉलोनियों हेतु मापदण्ड

जिन कॉलोनियों में किसी मार्ग पर 75 प्रतिशत भवन निर्मित हो गये हों, उस क्षेत्र को वर्तमान आवासीय क्षेत्र माना जावेगा। ऐसे मार्गों पर स्थित रिक्त भूखण्डों पर भवनों के निर्माण हेतु, उस मार्ग पर स्थित अन्य भवनों के निर्माण हेतु अपनाए गए मापदण्ड लागू होंगे, जबकि कॉलोनी के अन्य मार्गों पर विकास/निर्माण के लिए नवीन आवासीय क्षेत्र के लिये निर्धारित मापदण्ड लागू होंगे।

(स) वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र

निम्नलिखित शर्तों के अधीन वाणिज्यिक मार्गों पर पुनर्निर्माण एवं परिवर्तन की अनुज्ञा दी जा सकेगी -

- (क) मार्गों की चौड़ाई विकास योजना में प्रस्तावित मापदण्डों के अनुरूप हो।
- (ख) अन्य तल यदि आवासीय उपयोग में हो, तो आवासीय क्षेत्र, भू-तल पर प्रस्तावित कुल फर्शी क्षेत्र के 3/4 से अधिक नहीं होगा।
- (ग) फर्शी क्षेत्र अनुपात को ध्यान में रखते हुये फर्शी क्षेत्र निर्धारित होगा।
- (घ) वाणिज्यिक विकास की गहराई, भवन जिस मार्ग पर स्थित हो, उस मार्ग की चौड़ाई के 2 गुना या 30 मीटर जो भी कम हो, उससे अधिक नहीं होगा।
- (ङ) वाणिज्यिक भू-खण्ड का अधिकतम आकार 400 वर्गमीटर से अधिक नहीं होगा किन्तु होटल, डिपार्टमेंटल स्टोर एवं वाणिज्यिक परिसर हेतु आवंटित भू-खण्डों पर यह सीमा लागू नहीं होगी।

वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्रों में, वाणिज्यिक परिसरों के लिये अधिकतम निर्मित क्षेत्र निम्नानुसार रहेगा।

- 25 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाले भूखण्ड 100 प्रतिशत

| | |
|---|------------|
| — 25 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भूखण्ड | 80 प्रतिशत |
| — फर्शी क्षेत्र अनुपात | 2.00 |

टीपः— (1) वर्तमान भवन रेखा यथावत रखी जावेगी।

(2) किसी भूखण्ड के स्वामी द्वारा अपने भू-खण्डों में से मार्ग, फुटपाथ आदि सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ी जाती है, तो ऐसी दशा में उक्त भू-खण्ड पर निर्माण किये जा रहे भवन में सार्वजनिक उपयोग हेतु छोड़ी गई भूमि का दुगना फर्शी क्षेत्र अनुपात अतिरिक्त रूप से स्वीकार्य होगा। इससे भवन के आगे सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ने को प्रोत्साहन मिलेगा तथा छोड़ी गई भूमि को क्षतिपूर्ति भी हो सकेगी।

(द) वर्तमान मार्गों पर वाणिज्यिक गतिविधियाँ

वर्तमान विकसित क्षेत्र में अधिकतम वाणिज्यिक गतिविधियाँ, मार्गों पर संचालित है अतः इन मार्गों को उनके उपयोग के अनुसार निम्न दो श्रेणियों में रखा गया है :-

(क) वाणिज्यिक मार्ग

(ख) वाणिज्यिक सह आवासीय मार्ग

उपरोक्त श्रेणी के अंतर्गत मार्ग चौड़ाई एवं फर्शी क्षेत्र अनुपात निम्न सारणी में दर्शाये गये हैं।

सिंगरौली : वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र में मार्गों की चौड़ाई एवं फर्शी क्षेत्रानुपात

4-सा-11

| क्र. | मार्ग का नाम | विकास योजना 2031 मार्गों की चौड़ाई (मीटर में) | एफ.ए.आर. |
|------|--|---|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | बरहवां टोला से रेलवे क्रॉसिंग (बरगवां) | 35 | 2.0 |
| 2. | परसौना तिराहा से माजन मोड | 40 | 2.0 |
| 3. | माजन मोड से ताली पुलिया | 35 | 2.25 |
| 4. | ताली पुलिया से तहसील कार्यालय | 30 | 2.50 |
| 5. | तहसील कार्यालय से अयाज सा मिल | 18 | 2.50 |
| 6. | अजाज सा मिल से नवजीवन विहार मिल | 35 | 2.50 |
| 7. | पुराने पो.आ. से गनियारी चौक | 18 | 2.50 |
| 8. | गनियारी चौक से बिलौजी मार्ग नाले तक | 18 | 2.25 |

| क्र. | विवरण | आच्छादित क्षेत्र | फर्शी क्षेत्रानुपात |
|------|--|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9. | माजन मोड से नवानगर | 35 | 2.00 |
| 10. | सिंगरौली स्टेशन से शुक्ला मोड होकर सी.एम.डी. कार्यालय तक | 35 | 2.25 |
| 11. | सर्किट हाउस मोरबा से मुख्य बाजार तक | 18 | 2.25 |
| 12. | एम.पी.ई.बी. हॉस्पिटल से बस स्टैण्ड होकर एल.आई.जी. चौक तक | 18 | 2.25 |

(ई) वर्तमान सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक

उक्त हेतु निम्न मापदण्ड अपनाए जावेंगे –

सिंगरौली : सार्वजनिक तथा अर्द्ध सार्वजनिक हेतु विकास नियमन

4-सा-12

| क्र. | विवरण | आच्छादित क्षेत्र | फर्शी क्षेत्रानुपात |
|------|----------------------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | महाविद्यालय | 40 प्रतिशत | 1.5 |
| 2. | उच्चतर माध्यमिक शाला | 40 प्रतिशत | 1.5 |
| 3. | प्राथमिक शाला | 50 प्रतिशत | 1.5 |
| 4. | नर्सरी स्कूल | 50 प्रतिशत | 1.5 |
| 5. | अस्पताल | 40 प्रतिशत | 1.5 |
| 6. | स्वास्थ्य केन्द्र | 50 प्रतिशत | 1.5 |
| 7. | पुलिस थाना | 50 प्रतिशत | 1.5 |
| 8. | अग्निशमन स्थल | 50 प्रतिशत | 1.5 |
| 9. | सामुदायिक भवन | 40 प्रतिशत | 1.0 |
| 10. | शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यालय | 40 प्रतिशत | 1.5 |

टीप :- 5 प्रतिशत अतिरिक्त आच्छादन गैरेज तथा सायकिल स्टैण्ड के लिए अनिवार्य होगा।

4.15 सामान्य अभिशंसाएं

समस्त शासकीय भूखण्ड, जो नगर में इधर-उधर बिखरे हुये हैं, को किसी व्यक्ति विशेष को पट्टे पर नहीं देते हुये क्रियान्वयन संस्था/प्राधिकारी को विकास हेतु सौंप देना चाहिए। यह आशा की जाती है कि इस नीति से नियोजित एवं समन्वित विकास हो सकेगा तथा साथ ही शासकीय भूमि पर होने वाले अतिक्रमण को रोका जा सकेगा।

विकास योजना का क्रियान्वयन

विकास योजना का क्रियान्वयन मुख्यतः सिंगरौली विकास प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा, इसके अतिरिक्त नगर पालिक निगम सिंगरौली, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना मण्डल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, लोक निर्माण विभाग, उद्योग विभाग द्वारा भी अपने संबंधी कार्य क्षेत्र में निर्माण कार्य किया जाता है, जिनसे विकास योजना के कार्यान्वयन में मदद मिलेगी। इसलिए यह अपेक्षित होगा कि सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियों को समन्वित करने हेतु समस्त शासकीय, अर्द्ध शासकीय निकाय विकास योजना के कार्यान्वयन की क्रमावस्था तथा कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दें।

5.1 विकास योजना का क्रियान्वयन

विकास योजना के प्रस्ताव सन् 2031 तक की कालावधि के लिये हैं। वर्तमान मूल्यों के अनुसार पूर्ण प्रस्ताव कार्यान्वयन करने में लगभग रुपये 1451.15 लाख का व्यय अनुमानित हैं। इसमें विभिन्न उपयोग हेतु 6073.00 हेक्टेयर भूमि के अर्जन हेतु मुआवजा एवं 60 प्रतिशत भूमि के विकास पर व्यय, नये मार्गों का निर्माण आदि शामिल हैं। भूमि अर्जन की औसत दर रुपये 60.00 लाख प्रति हेक्टर मानी गयी हैं। जहां तक विकास व्यय का प्रश्न है, वह भूमि उपयोग के प्रकार अनुसार अलग-अलग माना गया है। सम्पूर्ण विकास योजना 2031 के क्रियान्वयन की लागत का अनुमान सारणी 5-सा-1 में दर्शाया गया है।

सिंगरौली : योजना क्रियान्वयन लागत (2031)

5-सा-1

| क्र. | भूमि उपयोग | क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | | भूमि अर्जन प्रति हे. भूमि जो अर्जित करना है। | अर्जित की गई भूमि का क्षेत्रफल (करोड़ में) | भूमि से 60 प्रति. विकास व्यय दर करोड़ों रु. में प्रति हेक्टर | लागत करोड़ रुपये में | कुल लागत (6+9) करोड़ रुपये में |
|------|--------------------------------|--------------------------|---------|--------|--|--|--|----------------------|--------------------------------|
| | | प्रस्ता. | वर्तमान | शेष | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | आवासीय | 4960.0 | 2470.0 | 2490.0 | 1494.0 | 1494.0 | 2.0 | 2988.0 | 4482.0 |
| 2. | वाणिज्यिक | 600.0 | 88.0 | 512.0 | 307.20 | 307.20 | 3.0 | 921.60 | 1228.80 |
| 3. | औद्योगिक | 3040.0 | 2700.0 | 340.0 | 204.00 | 204.0 | 3.0 | 612.0 | 816.0 |
| 4. | सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक | 680.0 | 195.0 | 485.0 | 267.00 | 291.0 | 3.0 | 873.0 | 1140.0 |

| क्र. | भूमि उपयोग | क्षेत्रफल (हेक्टर में) | | भूमि अर्जन प्रति हे. रु. 60 लाख की दर से (करोड़ में) | अर्जित की गई भूमि का क्षेत्रफल | भूमि से 60 प्रति. विकास व्यय दर करोड़ों रु. में प्रति हेक्टर | लागत करोड़ रुपये में | कुल लागत (6+9) करोड़ रुपये में | |
|---------------|-----------------------|------------------------|---------------|---|--|---|-------------------------------|--|-----------------|
| | | प्रस्ता. | वर्तमान | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5. | आमोद-प्रमोद | 656.0 | 119.0 | 537.0 | 322.20 | 322.20 | 0.25 | 80.55 | 402.75 |
| 6. | यातायात एवं परिवहन | 2360.0 | 651.0 | 1709.0 | 1025.40 | 1025.40 | 3.0 | 3076.20 | 4101.60 |
| 7. | ओव्हर ब्रिज | — | — | — | — | — | 04 | 2400.0 | 2400.0 |
| योग :- | | 12296.0 | 6223.0 | 6073.0 | 3619.80 | 3643.80 | — | 10951.35 | 14571.15 |

5.2 योजना क्रियान्वयन की नीति

योजना क्रियान्वयन द्वारा नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हेतु ठोस प्रयास की आवश्यकता है। निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु योजना क्रियान्वयन नीति निर्धारित की जायेगी :-

1. प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण तथा उत्कृष्ट भू-स्वरूप।
2. सांस्कृतिक धरोहरों के क्षेत्रों का संरक्षण।
3. भूमि का कुशलतम उपयोग।
4. अधोसंरचना और सेवाओं की उपलब्धता/संधारण।
5. भूमि प्रदाय तथा संरचना विकास में सहभागिता का प्रस्ताव।
6. समाज के कमजोर वर्गों हेतु आवास प्रदान करना।

इन उद्देश्यों का क्रियान्वयन निम्न क्षेत्रों में किया जाना प्रस्तावित है -

- (अ) पर्यावरण प्रबंधन एवं सेवा सम्बन्धी कार्यक्रम।
 - (ब) नगर अधोसंरचना एवं सेवा संबंधी कार्यक्रम।
7. मुख्य मार्गों के किनारे प्रस्तावित भू-उपयोग विकास हेतु अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण इस विधि से किया जायेगा कि मार्गों हेतु प्रस्तावित भूमि स्थानीय संस्था को विकास हेतु उपलब्ध हो सकें।
 8. प्रत्येक अभिन्यास में प्रत्येक 100 आवासीय इकाइयों के लिए एक बालवाड़ी, एक झूलाघर हेतु क्षेत्र आरक्षित रखना होगा। इसके अतिरिक्त उपयुक्त स्थान पर बन्द कचरा घर हेतु कम से कम 6x6 मीटर स्थान आरक्षित रखना होगा, जहाँ से स्थानीय संस्थाएं सुविधा पूर्वक कचरे का

उठान कर सकें, जिससे पर्यावरणीय दुष्प्रभाव न पड़े।

9. ऐसे आवासीय क्षेत्र में भूखण्ड का आकार मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 53 (1) एवं (2) के अनुसार एवं अन्य खुला क्षेत्र नियम 55 एवं 56 के अनुसार, जहाँ कहीं विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो, नियंत्रित होगा।

5.3 पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम

पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण से तात्पर्य उन चरम पर्यावरण संबंधी समस्याओं से है जो प्रमुख रूप से नदी के संरक्षण, इनकी जल गुणवत्ता, उत्कृष्टता, भू-स्वरूप तथा जल स्रोतों के जल ग्रहण क्षेत्रों से कतिपय भूमि प्रबंधन से संबंधित हैं। अन्य पर्यावरण समस्याएं जैसे – नगरीय अपशिष्ट का उपचार, निराकरण, इनके पुनर्चक्रीकरण एवं नगर विस्तार के परिपेक्ष्य में जनसंख्या से उत्पन्न आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं से संबंधित है।

5.4 नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना

नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना का प्रमुख स्वरूप निम्न नीतिगत उद्देश्यों की पूर्ति हेतु होगा –

संस्था का गठन।

विस्तृत योजना प्रस्ताव तथा भूमि क्षमता के अनुरूप भूमि उपयोग तथा अधोसंरचना विकास हेतु नियमन।

भौतिक एवं वित्तीय आवश्यकताओं के परिपेक्ष्य में निजी एवं राज्य योजनाओं के स्थल तथा रूपांकन में अधिकतम सक्षम भूमि उपयोग।

नगर के रहवासियों एवं क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के परिपेक्ष्य में भौतिक, आर्थिक एवं सामाजिक अधोसंरचना तथा सेवाओं का युक्तियुक्त प्रावधान।

नगर अधोसंरचना और सेवा कार्यक्रम के प्रमुख तत्व :

1. नियंत्रित विकास
2. अधोसंरचना भूमि बैंक का गठन।
3. एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना।
4. विकास नियमन हेतु व्यापक दृष्टिकोण।
5. समयबद्ध विकास अनुज्ञा हेतु तंत्र उपलब्ध कराना।

5.4.1 नियंत्रित विकास

विकास कार्यक्रमों में भू-स्वामी/विकासकर्ता/सामुदायिक समूह की भागीदारी के माध्यम से नियंत्रित विकास तंत्र का प्रभावीकरण किया जायेगा। यहाँ समन्वय संस्था की भूमिका प्रदायकर्ता की

होगी। सार्वजनिक संस्थायें, प्रमुख सेवाएं, तंत्र के एकीकृत नियोजन एवं रूपांकन हेतु उत्तरदायी होगी।

5.4.2 अधोसंरचना भूमि बैंक का गठन

एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम में सहभाग करने वाली सार्वजनिक संस्थाओं तथा निजी संस्थाओं की विभिन्न परियोजनाओं में सम्मिलित भूमि में से अनुपातिक एवं साम्य के आधार पर भूमि अंशदान करने हेतु अधोसंरचना भूमि बैंक की स्थापना प्रस्तावित है। नगर के मुख्य मार्गों एवं सार्वजनिक खुले क्षेत्रों हेतु अधोसंरचना विकास बैंक में भूमि के अंशदान को प्रोत्साहन स्वरूप छूट या लाभ राज्य शासन के सहयोग से प्रदत्त किया जाना प्रस्तावित है।

5.4.3 एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना

एकीकृत विकास कार्यक्रम को निम्नलिखित नीतिगत ढाँचे के अनुरूप क्रियान्वित एवं तैयार किया जा सकेगा।

वार्षिक योजना/वार्षिक विकास कार्यक्रम तैयार किया जायेगा जिसमें पंचवर्षीय नगर विकास कार्यक्रम योजना के प्रमुख क्षेत्रों के विकास हेतु प्राथमिकता के आधार पर लिये जाने वाले क्षेत्रों के लिए विकास कार्यक्रम होगा, जो कण्डिका 5.6 के संदर्भ में रहेगा।

नगर विकास प्रक्रिया में सहभागिता के दृष्टिकोण से समन्वय प्राधिकारी द्वारा वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जायेगा। यह कार्यक्रम भूमि अधिग्रहण लक्ष्य, भूमि विकास प्रस्ताव, वृत्त खण्ड एवं उप वृत्त खण्ड स्तर की सुविधाओं का विकास तथा शासकीय अर्द्धशासकीय संगठनों के कार्यक्रमों को प्रमुख रूप से दर्शायेगा। यह कार्यक्रम चालू वर्ष में पूर्ण किये जाने वाले नगर मार्ग तंत्र तथा मुख्य सेवा-सुविधाओं को विशेष रूप से प्रदर्शित करेगा। इस निवेश योजना का एकीकृत दृष्टिकोण आलोच्य क्षेत्रों में नगर अधोसंरचना के विकास के लिए समुचित धनराशि को समय पर उपलब्ध कराने का प्रयास होगा। योजना के क्रियान्वयन में सार्वजनिक संस्थाओं की भूमिका सुविधादायक के रूप में होगी।

नगर विकास योजना कार्यक्रम का क्रियान्वयन निम्नलिखित ढाँचे के अन्तर्गत किया जाकर लक्ष्य पूर्ति किया जाना प्रस्तावित है –

1. एकीकृत नगरीय विकास योजना के तत्वों की पहचान।
2. कार्यक्रम के समन्वय प्राधिकारी एवं अन्य सहभागियों में से निवेश के लिए सर्वसम्मत विषय सूची की पहचान।
3. विकास योजना की प्राथमिकता का निर्धारण।
4. एकीकृत नगरीय विकास योजना तैयार करना।
5. निवेश के ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करना जो सहभागिता का उपयोग करते हुये विकास का दृष्टिकोण रखते हों।

6. समन्वय अधिकारियों और वृत्त खण्डीय/एजेंसियों की क्रियान्वयन भूमिका को परिभाषित करना।

5.4.4 विकास नियमन हेतु व्यापक दृष्टिकोण

नगरीय भूमि के अधिकतम सक्षम विकास के साथ-साथ आधुनिक भूमि उपयोग प्रबंधन नीतियों को अंगीकृत करने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये आवश्यक हैं कि विकास नियमों को पुनर्भाषित किया जाये। भारतीय जीवन शैली के अनुरूप उपयुक्त निर्मित स्वरूप की प्राप्ति हेतु विकास को नियंत्रित एवं निर्देशित करने के उद्देश्य से अध्याय-4 में विकास नियमन दिये गये हैं।

5.5 योजना एवं कार्यक्रम

- (अ) आलोच्य क्षेत्रों के विकास हेतु इस योजना का क्रियान्वयन करने के लिये 2 चरणों में प्रावधान हैं। प्रथम चरण सन् 2021 तक की आवश्यकताओं हेतु तथा द्वितीय चरण 2022 से 2031 तक की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रहेगा।
- (ब) योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु भूमि स्वामियों, विकासकर्ताओं, सामुदायिक समूहों, निजी विकासकर्ताओं एवं सार्वजनिक संस्थाओं के माध्यम से समाधान गतिशीलता का सहभागिता के आधार पर प्रभावी कार्यक्रम बनाये जाने की आवश्यकता है।
- (स) योजना प्रस्तावों में निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन करने के लिये नीति को सुविधाजनक बनाने में राज्य शासन की सहयोगी संस्था की भूमिका होगी। उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य शासन और वर्तमान में कार्यरत संस्थाओं के साथ नगर विकास प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में नगर स्तरीय अधोसंरचना विकास क्रियान्वित किया जायेगा।
1. भूमि प्रवाह सरलीकरण के लिए नीति तैयार करना।
 2. मार्ग विकास कार्यक्रम निर्धारण करना जो नगर की अन्य सभी गतिविधियों को भी कार्य रूप दे सकें।
 3. भूमि स्वामियों, विकासकर्ताओं, सामुदायिक समूहों एवं निजी भवन निर्माणकर्ताओं की साझेदारी की दृष्टि से क्रियान्वयन संबंधी कार्यक्रम की नीति तैयार करना।
 4. योजना के दोनों चरणों के लिए आवश्यक जलापूर्ति हेतु वर्तमान क्षमता एवं नवीन स्रोतों का विकास।
 5. नगरीय विकास के प्रथम चरण कार्यक्रम की पूर्ति हेतु अधोसंरचना, पावर ग्रिड, जल निकास व्यवस्था का विकास।
 6. भूमि विकास कार्यक्रम नगरीय विकास परियोजनाएं साथ ही लक्षित समूह आवासों के विकास क्रियान्वयन हेतु एक विशेष नियोजन एवं विकास अनुज्ञा प्रणाली तैयार करना चाहिए।

7. एक विशेष परिणाम मूलक भूमि निष्पादन नीति तैयार करने की आवश्यकता है। ताकि सभी सहभागियों के संसाधनों में गतिशीलता लायी जा सके।
8. मुख्य जल स्रोत में वृद्धि एवं ऊर्जा वितरण केन्द्रों की स्थापना।

5.5.1 संस्थाओं के प्रयास संबंधी मुख्य तत्व

- (अ) एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम हेतु निर्देशित सिद्धान्त निम्नानुसार हैं –
- यह सुनिश्चित करना कि संसाधन उपलब्धता तथा उपयुक्त अधोसंरचना में कमी के कारण विकास अवरुद्ध न हो।
- उपलब्ध व्यपवर्तित नगरीय भूमि का पूरी तरह उपयोग करना।
- बिखरे हुए नगरीय विकास के लिए पहुँच मार्ग उपलब्ध करना।
- अर्द्धविकसित एवं अविकसित क्षेत्रों में नगर स्तरीय अधोसंरचना का उन्नयन।
- भू-स्वामियों, सामाजिक समूहों एवं निजी विकासकर्ताओं के विकास कार्य में सहभागिता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुये भूमि विकास कार्यक्रम हाथ में लेना।
- (ब) प्रथम चरण कार्यक्रम में सामाजिक संस्थाओं को शामिल करते हुये आलोच्य क्षेत्र के अवयवों को निम्नानुसार चिन्हित किया गया है –

5.6 प्रथम चरण कार्यक्रम

प्रथम चरण के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये कार्यक्रम उनकी लागत प्राप्त होने के आधार पर रखे गये हैं। तथापि नगर की त्वरित आवश्यकताओं को भी प्रथम चरण विकास में लिया गया है। नगर में कार्यरत विभिन्न शासकीय, अर्द्धशासकीय संस्थाओं को विकास योजना के कार्यों में जोड़ना आवश्यक हैं तथा इससे इन विभागों के वार्षिक बजट तथा अन्य संसाधनों को भी उपयोग में लाया जा सकेगा।

5.6.1 प्रथम चरण क्रियान्वित करने हेतु निम्नलिखित विकास कार्य प्रस्तावित हैं :-

सिंगरौली : प्रथम चरण के विकास सम्बन्धी घटक

5-सा-2

| क्रमांक | विकास के घटक | क्षेत्रफल (हेक्टर में) | प्रस्तावित स्थल |
|---------|--------------|---------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आवासीय | 27.083 | पंजरेह, नौगढ, गनियारी, बरगवाँ |
| 2. | वाणिज्यिक | 19.0 | सब्जी मण्डी, तेलाई मोड के पास एवं विशेषीकृत बाजार गहिलगढ में |

| क्रमांक | विकास के घटक | क्षेत्रफल (हेक्टर में) | प्रस्तावित स्थल |
|---------|----------------------------------|---------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. | औद्योगिक | 35.0 | कृषि आधारित उद्योग विकास ग्राम परसौना |
| 4. | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 22.00 | कलेक्ट्रेट परिसर एवं उससे संलग्न क्षेत्र |
| 5. | आमोद-प्रमोद | 25.00 | पचखोरा में तथा पचोर में राष्ट्रीय एवं नगर स्तर के उद्यान का विकास। |
| 6. | यातायात :- | | |
| | 1. यातायात नगर | 38.00 | नौगढ में प्रस्ता. बस स्टैण्ड के पास, मोरबा में मैकेनिक नगर। |
| | 2. मार्गों का विकास | | |
| | (1) बायपास मार्ग | 105.00 | 1. बैढन एवं बरगवाँ में बायपास मार्ग |
| | (2) एम.आर. नं.-1 | 22.20 | 2. ग्राम देवरी से अमलोरी, जयन्त तक |
| | (3) एम.आर. नं.-2 | 15.00 | 3. माजन मोड से हिरवाह होकर सिंगरौलिया तक |
| | (4) एम.आर. नं.-3 | 10.20 | 4. माजन बगीचे से विन्ध्यनगर मार्ग तक। |
| | (5) एम.आर. नं.-4 | 13.20 | 5. रेस्ट हाउस के पास से धुरीताल होकर जयन्त मार्ग तक। |

सिंगरौली :- प्रथम चरण - लागत

5-सा-3

| क्र. | भूमि उपयोग का विवरण | भू अर्जन का भौतिक लक्ष्य | | अर्जित भूमि के 70 प्रतिशत क्षेत्र का विकास व्यय | | कुल लागत (करोड़ रुपये में) |
|------|---|-----------------------------|------------------|---|---------------|----------------------------------|
| | | क्षेत्रफल (हेक्टर में) | भू-अर्जन व्यय | क्षेत्रफल (हेक्टर में) | लागत करोड़ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | आवासीय | 27.10 | 16.26 | 18.97 | 37.94 | 54.20 |
| 2. | वाणिज्यिक | 19.00 | 11.40 | 13.30 | 39.90 | 51.30 |
| 3. | औद्योगिक | 35.00 | 21.00 | 24.50 | 73.50 | 94.50 |
| 4. | सार्वजनिक अर्द्धसार्वजनिक एवं सेवा सुविधाएं | 22.00 | 13.20 | 15.40 | 46.20 | 59.40 |

| क्र. | भूमि उपयोग का विवरण | भू अर्जन का भौतिक लक्ष्य | | अर्जित भूमि के 70 प्रतिशत क्षेत्र का विकास व्यय | | कुल लागत (करोड़ रुपये में) |
|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------|---|---------------|----------------------------|
| | | क्षेत्रफल (हेक्टर में) | भू-अर्जन व्यय | क्षेत्रफल (हेक्टर में) | लागत करोड़ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5. | आमोद-प्रमोद | 25.00 | 15.00 | 17.50 | 4.38 | 19.38 |
| 6. | यातायात एवं परिवहन मार्ग | 203.60 | 122.16 | 142.52 | 427.56 | 549.72 |
| 7. | ओव्हर ब्रिज | 01 | — | — | 04.00 | 04.00 |
| योग :- | | 332.7 | 199.02 | 332.19 | 633.48 | 832.5 |

5.7 योजना पर्यवेक्षण तंत्र

योजना पर्यवेक्षण तंत्र को निम्न सीमा में तैयार करना प्रस्तावित है :-

1. पंचवर्षीय आधार पर एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम के निरंतर तंत्र की स्थापना।
2. आलोच्य क्षेत्रों में वार्षिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक कार्य योजना का निर्धारण।
3. प्रथम चरण क्रियान्वयन योजना के अन्तर्गत नगर विकास हेतु चिन्हित कार्यक्रमों में संलग्न विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के उपलब्ध निवेश एवं बजट का पर्यवेक्षण करना।
4. वार्षिक भौतिक लक्ष्य एवं अधोसंरचना विकास में निवेश निर्धारण।
5. आलोच्य क्षेत्रों के सार्वजनिक संस्थाओं एवं अन्य सहभागियों की विकास में भूमिका निर्धारण।
6. समन्वित संस्थागत तंत्र की स्थापना।
7. वार्षिक आधार पर एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम का निर्धारण।
8. सार्वजनिक एवं अन्य संस्थाओं की भूमिका को परिभाषित करते हुये एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम परियोजनाओं तथा उप परियोजनाओं के संदर्भ में परिवर्तित करना।
9. योजना पर्यवेक्षण लक्ष्य की पूर्ति निम्न स्तरों के माध्यम से प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।
 1. स्थानीय स्तर पर नियोजन पर्यवेक्षण समिति।
 2. सिंगरौली विकास प्राधिकरण द्वारा वार्षिक विकास प्रतिवेदन तैयार करना।

3. नियोजन पर्यवेक्षण समिति द्वारा विकास प्रतिवेदन का मूल्यांकन।
4. समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।
5. वार्षिक विकास प्रतिवेदन पर शासन द्वारा जारी निर्देशों का क्रियान्वयन करना।

विकास योजना की सफलता, विकास योजना प्रस्तावों का निर्धारण, समयावधि में क्रियान्वयन तथा प्रथम चरण कार्यक्रमों के अनुरूप संसाधनों की उपलब्धता तथा संस्थानों की गतिशीलता पर निर्भर करता है। इस योजना के क्रियान्वयन के साथ-साथ विकास योजना के अंगीकृत होने के उपरान्त तदनुसार कार्यवाही हेतु परिभाषित पर्यवेक्षण तंत्र की स्थापना की आवश्यकता प्रदर्शित करता है।

1. पर्यवेक्षण समिति का गठन

विकास योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन का मूलतः दायित्व सिंगरौली विकास प्राधिकरण, नगर पालिक निगम, सिंगरौली का होगा। अपितु इनके क्रियान्वयन में अन्य संस्थाएँ एवं विभाग भी सहभागी होंगे। अतः क्रियान्वयन संस्थाओं से समन्वय एवं पर्यवेक्षण के लिये राज्य शासन के आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश दिनांक 15.04.2010 द्वारा कलेक्टर, सिंगरौली की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, जो संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश के आदेश क्रमांक 2876 दिनांक 15.05.1998 में उल्लेखित कार्य पद्धति को अपनाते हुये नियोजन एवं पर्यवेक्षण करेगी।

2. वार्षिक विकास प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण

विकास प्राधिकरण/नगर पालिक निगम द्वारा नियोजन पर्यवेक्षण समिति के समक्ष वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा जिससे नियोजन क्रियान्वयन के सभी पहलू सम्मिलित होने के साथ ही सुधार हेतु अनुशंसित बिन्दु भी सम्मिलित होंगे। समिति अपनी अनुशंसा के साथ संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल के विचारार्थ वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी, जिसे संचालक द्वारा अनुशंसित कर राज्य शासन को प्रस्तुत किया जावेगा।

5.8 योजना की व्याख्या

विकास योजना मूलतः नीतिगत योजना है। विकास योजना में निहित प्रस्ताव विस्तृत तथा सांकेतिक स्वरूप के हैं। अतः विकास प्रस्तावों की व्याख्या करने हेतु निम्नलिखित मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं :-

1. विकास योजना प्रस्तावों की व्याख्या करते समय तथा विकास अनुज्ञा देने के पूर्व विकास योजना रिपोर्ट में उल्लेखित विषयवस्तु के साथ-साथ संदर्भित नियमों का अनुसरण आवश्यक है।
2. परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग सारिणी एवं विकास नियमन के अध्याय-4 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार होगा। नेबरहुड के वर्तमान स्थल एवं व्यापक क्षेत्रफल उपखण्ड स्तर तथा खण्ड

स्तर की गतिविधियों का क्षेत्र विकास प्रस्तावों में समाहित हैं। अतः उनका रेखांकन नहीं किया गया है।

3. ऐसे भूमि उपयोग, गतिविधियाँ जो प्रमुख भू-उपयोग वर्ग (Major Land Use Zone) में परिभाषित नहीं हैं, वे भूमि उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में मानी जावेगी, किन्तु जो स्वीकृत/स्वीकार्य भू-उपयोग सारणी में शामिल हैं, वे भूमि उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में नहीं आयेंगे।
4. विकास प्रस्ताव क्रियान्वयन के समय प्रमुख मार्ग संरचना में आंशिक परिवर्तन अपरिहार्य होता है। स्थल की स्थिति तथा अभियांत्रिकीय आवश्यकता के आधार पर मार्ग संरचना का निर्धारण आवश्यक होगा, इस संदर्भ में राज्य शासन द्वारा जारी किया गया निर्णय स्वीकृत विकास योजना का अंश माना जायेगा।

मध्यप्रदेश शासन
नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग
अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 1997

क्रमांक-एफ-3-123-बत्तीस-97-मध्यप्रदेश, नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन, एतद् द्वारा, सिंगरौली निवेश क्षेत्र का गठन करता है, जिसकी सीमाएँ नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित की गई हैं।

अनुसूची

सिंगरौली : निवेश क्षेत्र की सीमाएँ

- उत्तर** — बरहवां टोला, बरगवां, डगा, कन्हई, भलुगढ़, गोदवाली, सेमुआर, अंजनी, पाली, खरकटा, भोडार, बरहटी, लोटान, बरमानी, करैला, टिकुरी टोला, चतरी एवं ग्राम चुरकी की उत्तर सीमा तक।
- पूर्व** — चुर्की, झिंगुरदह, चुरीदेह, करुआरी, दुद्धीचुआं, सरसवाहलाल, सरसवाह राजा, चुदुली, मटवई, मटवई व तेलगवां, जवांडी, जयनगर, गहिलगढ़ पश्चिम, चन्दावल, सेमरिया, खजूरी एवं ग्राम बलियारी की पूर्वी सीमा तक।
- दक्षिण** — ग्राम बलिहारी, गनियारी, हिरवाह, सिंगरौलिया, खजूरी एवं ग्राम कटौली की दक्षिणी सीमा तक।
- पश्चिम** — ग्राम कटौली, करकोसा, बिलौजी, गदसा, गुल्लीडांड, गडेरिया, डगा, बरगवां एवं ग्राम बरहवां टोला की पश्चिमी सीमा तक।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग

मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 19 मई, 2000

कार्यालय संयुक्त संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला कार्यालय रीवा (म.प्र.)

अधिसूचना

क्र. 700 वि.यो./नग्रानि/2002- मध्यप्रदेश, नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अनुसरण में सिंगरौली निवेश क्षेत्र में शामिल किये गये अतिरिक्त ग्रामों के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर का प्रकाशन सूचना क्रमांक 424/वि.यो./2000, दिनांक 25 मार्च, 2000 द्वारा किया गया था।

अब एतद् द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा 3 के अधीन सिंगरौली निवेश क्षेत्र के उक्त ग्रामों का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को तदनुसार सम्यक रूप से दिनांक 19 मई, 2000 को अंगीकृत किया जाता है तथा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (4) के अनुसरण में इस सूचना को (मध्यप्रदेश राजपत्र) में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही हैं, जो इस बात का साक्ष्य होगी कि उक्त मानचित्र सम्यक रूप से तैयार कर अंगीकृत कर लिया गया है।

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर की प्रति दिनांक 19 मई से 02 जून 2000 तक जिलाध्यक्ष कार्यालय, सीधी नगर पालिक निगम, सिंगरौली (बैंडन) के सभा भवन, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश कैम्प कार्यालय सीधी एवं संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय रीवा के कार्यालयों से कार्यकारी दिवसों में कार्यालयीन समय में सर्व साधारण के अवलोकनार्थ उपलब्ध रहेंगी।

एस./डी.

संयुक्त संचालक

(आर.के. मुदलियार)

मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 06 मार्च 2009

मध्यप्रदेश शासन

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 4 फरवरी, 2009

क्रमांक-एफ-3-6-2009-बत्तीस-मध्यप्रदेश, नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) के उपखण्ड (क) के अंतर्गत राज्य शासन, एतद् द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-123-बत्तीस-97, दिनांक 5 दिसम्बर, 1997 द्वारा गठित सिंगरौली निवेश क्षेत्र की सीमा में वृद्धि करते हुये वृद्धित निवेश क्षेत्र की सीमाएँ निम्न अनुसूची में दर्शाये अनुसार परिनिश्चित करता है :-

अनुसूची

सिंगरौली : निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाएँ

- उत्तर में** — बरहवां टोला, बरगवां, डगा, कन्हई, भलुगढ़, गोंदवाली, सेमुआर, अंजनी, पाली, खरकटा, भोडार, बरहटी, लोटान, बरमानी, करैला, टिकुरी टोला, चतरी एवं ग्राम चुरकी की उत्तर सीमा तक।
- पूर्व में** — चुर्की, पिण्डरताली, तनाजाह, झिंगुरदह, चुरीदेह, करुआरी, मेंढौली, दुद्धीचुआं, सरसवाह लाल, सरसवाह राजा, चन्दुली, मटवई, तेलगवां, जुवांडी, जयनगर, गहिलगढ़ पश्चिम, गहिलगढ़ पूर्व, चन्दावल, सेमरिया, बलियार पतुलखी, शासन हरहवा की पूर्वी सीमा तक।
- दक्षिण में** — हरहवा, अमरहा, झाली टोला, तियरा, परसदेही, चाचर, बसौंडा, भुडकुड, रम्पा, कोटिया, बेतरिया, धूनी की दक्षिणी सीमा तक।
- पश्चिम में** — धूनी, नगवां, खैराही, सेमुआ, बन्धौरा, रैला, करसुआ लाल, खोखरी, चितरवई खुर्द, अमिलवान, गहिलरा, मानिकचौरा, कांजी टोला, भांडी, बरौहा, कांजन, बंधेला, पिपराझांपी, गदसा, गुल्लीडांड, गडेरिया, डगा, बरगवां एवं ग्राम बरहवां टोला की पश्चिमी सीमा तक।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

वर्षा नावेलकर

उप सचिव,

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 02 दिसम्बर 2011
कार्यालय संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, रीवा (म.प्र.)
अधिसूचना

रीवा, दिनांक 18 नवम्बर, 2011

क्र. 1699 वि.यो./नग्रानि/रीवा/2011- एतद् द्वारा सिंगरौली वृद्धित निवेश क्षेत्र के लिये भूमि उपयोग के वर्तमान भू उपयोग संबंधी मानचित्र को मध्यप्रदेश, नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अनुसरण में मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है, जो इस बात का निश्चयात्मक साक्ष्य होगा की वृद्धि निवेश क्षेत्र का मानचित्र सम्यक रूप से तैयार कर अंगीकृत कर लिया गया है।

मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक-एफ-रू-6-2009-बत्तीस-04 फरवरी, 2009 सिंगरौली निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाएँ निम्नानुसार होंगी :-

- उत्तर** — बरहवां टोला, बरगवां, डगा, कन्हई, भलुगढ़, गोंदवाली, सेमुआर, अंजनी, पाली, खरकटा, भोडार, बरहटी, लोटान, बरमानी, करैला, टिकुरी टोला, चतरी एवं ग्राम चुरकी की उत्तरी सीमा तक।
- पूर्व** — चुर्की, पिण्डरताली, तनाजाह, झिंगुरदह, चुरीदेह, करुआरी, मेंढौली, दुद्धीचुआं, सरसवाह लाल, सरसवाह राजा, चन्दुली, मटवई, तेलगवां, जुवांडी, जयनगर, गहिलगढ़ पश्चिम, गहिलगढ़ पूर्व, चन्दावल, सेमरिया, बलियार पतुलखी, शासन हरहवा की पूर्वी सीमा तक।
- दक्षिण** — हरहवा, अमरहा, झाली टोला, तियरा, परसदेही, चाचर, बसौंडा, भुडकुड, रम्पा, कोटिया, बेतरिया, धूनी की दक्षिणी सीमा तक।
- पश्चिम** — धूनी, नगवां, खैराही, सेमुआ, बन्धौरा, रैला, करसुआ लाल, खोखरी, चितरवई खुर्द, अमिलवान, गहिलरा, मानिकचौरा, कांजी टोला, भांडी, बरौहा, कांजन, बंधेला, पिपराझांपी, गदसा, गुल्लीडांड, गडेरिया, डगा, बरगवां एवं ग्राम बरहवां टोला की पश्चिमी सीमा तक।

उक्त अंगीकृत मानचित्र एक सप्ताह तक निरीक्षण के लिये निम्न स्थानों पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु खुला रहेगा-

1. कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय रीवा (म.प्र.)
2. आयुक्त नगर पालिक निगम, सिंगरौली (बैंडन) जिला सिंगरौली (म.प्र.)

सही / -
संयुक्त संचालक
(जे.पी. सिंह)

**नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**

NOTICE

Bhopal, the 16th March, 2015

सूचना

भोपाल, दिनांक 16 मार्च, 2015

क्र. एफ-3-26-2014-बत्तीस.-मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा सिंहरौली निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना, 2031 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1) में अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात् :-

1. आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा, मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश.
3. आयुक्त नगरपालिका निगम सिंगरौली, मध्यप्रदेश.
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, सिंगरौली, मध्यप्रदेश.

(2) यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशीष सक्सेना, उपसचिव

भोपाल, दिनांक 16 मार्च, 2015

क्र. एफ-3-26-2014-बत्तीस. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक एफ-3-26-2014-बत्तीस, दिनांक 16 मार्च, 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस.के. मुदगल, अवर सचिव

No. F-3-26-2014-XXXII.- Notice under Section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan for Singraulli, 2031 (Planning Area) under sub-section (I) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours, namely :-

1. Commissioner, Rewa Division, Rewa, Madhya Pradesh.
2. Collector, District Singraulli, Madhya Pradesh.
3. Commissioner, Municipal Corporation Singraulli, Madhya Pradesh.
4. Deputy Director, Town & Country Planning Distt. office Singraulli, Madhya Pradesh.

(2) The said development plan shall come into operation with effect from publication of this notice in Madhya Pradesh Gazette under Section 19(5) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
ASHISH SAXENA, Dy. Secy.

